भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

MAKE IN INDIA



भूमि, समुद्र और आकाश को सुरक्षित रखते हुए

वार्षिक प्रतिवेदन
2017-18

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

सभी पणधारकों को धन्यवाद




भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
RO वाटर प्लांटु
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

कार्पोरेट दृष्टि, ध्येय, मूल्य और उद्देश्य

दृष्टि

पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी में विश्व-स्तरीय उद्यम बनना ।

ध्येय

रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी और पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी के अन्य चुने हुए क्षेत्रों में गुणता, प्रौद्योगिकी और नवीनता के जरिए ग्राहक-केन्द्रित, वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपनी बनना ।

मूल्य

- ग्राहक को सर्वोपरि रखना ।
- पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करना ।
- व्यक्तियों पर विश्वास करना और उनका सम्मान करना ।
- अत्यधिक कर्मचारी-संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना ।
- लोचता और नवीनता को प्रोत्साहित करना ।
- अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करना ।
- संगठन का हिस्सा होने पर गर्व होना ।

उद्देश्य

- गुणता, सुपुर्दगी और सेवा की मांगों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक उत्पादों व समाधानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों में प्रदान करते हुए ग्राहक-केन्द्रित कंपनी बनना ।
- लाभप्रद विकास हेतु आंतरिक संसाधनों को सृजित करना ।
- संस्थागत अनुसंधान व विकास, रक्षा / अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के जरिए रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी में प्रौद्योगिकीय नेतृत्व हासिल करना ।
- निर्यात पर जोर देना ।
- कर्मचारियों के लिए सतत् ज्ञानार्जन व टीम-कार्य के जरिए उनकी पूरी क्षमता को प्राप्त कराने हेतु सुविधापूर्ण परिवेश सृजित करना ।
- ग्राहकों को उनके धन का पूरा प्रतिफल प्रदान करना और शेयरधारकों हेतु संपदा सृजित करना ।
- कंपनी के निष्पादन को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के साथ सतत् रूप से निर्देश-चिह्नित करना ।
- विपणन क्षमताओं को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना ।
- स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्म-निर्भरता का प्रयत्न करना ।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

पिछला दशक

(₹ लाख में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18*
बिक्री एवं सेवाएँ	462369	521977	552969	570363	601190	617423	669457	754117	882470	1008484
उत्पादन का मूल्य	527327	524788	552080	579358	628991	612690	665854	777537	924383	970595
अन्य आय	22997	37641	38933	70312	60993	42847	47795	53708	47101	20038
सामग्रियाँ	304106	302454	312931	366903	408463	358356	374453	406077	483222	513626
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	75579	100958	104186	108123	111079	103043	126345	125726	154831	177233
मूल्यह्रास / परिशोधन	10560	11594	12204	12080	13071	14210	15396	17221	19152	25100
ब्याज/ वित्त लागत	1077	53	73	60	78	340	138	451	1178	127
रन्य व्यय (उत्पाद् शुल्क, पूर्वावधि मदों, अति सामान्य एवं असाधारण मदों सहित)	49319	42867	45504	55019	57174	77439	67360	123978	141733	111340
कर पूर्व लाभ	109684	104502	116115	107485	111459	117474	146669	173212	202942	194784
कर का प्रावधान	35108	32415	29968	24495	22476	24312	29945	42476	48180	54855
कर पश्चात् लाभ	74576	72087	86147	82990	88983	93162	116724	130736	154762	139929
लाभांश (राशि)	14960	15360	17280	16640	17840	18640	23360	40800	50257	49058
लाभांश (%)	187	192	216	208	223	233	292	170	225	200
इक्विटी पूँजी	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	24000	22336	24366
प्रारक्षण एवं अधिशेष	370368	424526	490571	554221	622369	693724	780503	874360	728518	751735
ऋण निधियाँ	121	73	41	10	1	0	0	0	5000	6666
सकल ब्लॉक	157990	170217	178900	190158	207323	222667	248515	114689	161699	221984
संचयी मूल्यह्रास / परिशोधन	111245	121221	130529	139142	149778	157572	171405	17029	36168	61275
वस्तुसूची	242096	244871	246032	279182	327108	337014	342688	417747	490501	477552
देनदार/व्यापार प्राप्य	227653	216836	289681	268686	333467	412854	378614	371193	435488	570458
कार्यशील पूँजी	313556	365629	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कार्यशील पूँजी (संशोधित अनुसूची VI/ अनुसूची III के अुसार)	ला.न.	ला.न.	430800	478994	544494	607714	690982	737289	530455	440924
नियोजित पूँजी	360301	414625	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
नियोजित पूँजी (संशोधित अनुसूची VI/ अनुसूची III के अनुसार)	ला.न.	ला.न.	479171	530010	602039	672809	768092	834949	655986	601633
निवल मूल्य	378368	432526	498571	562221	630369	701724	788503	898360	750854	776101
प्रति शेयर अर्जन (रुपए में) ** **	2.83	2.73	3.26	3.15	3.37	3.53	4.42	4.95	6.03	5.70
प्रति शेयर पुस्त मूल्य (रुपए में)	15.77	18.02	20.77	23.43	26.27	29.24	32.85	37.43	33.62	31.85
कर्मचारियों की सं.	11961	11545	11180	10791	10305	9952	9703	9848	9716	9726

* भारतीय ए.एस. के अनुसार

** वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1:10 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप पिछली सभी अवधियों के लिए समायोजित

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

विषय–सूची

अध्यक्ष का पत्र 001

झलकियाँ 004

निदेशक मंडल 006

मुख्य कार्यपालक एवं लेखा परीक्षक 008

पुरस्कार 010

मंडल का प्रतिवेदन 011

बीईएल की लाभांश वितरण नीति – अनुलग्नक 1 028

फार्म ए.ओ.सी.- II - अनुलग्नक 2 030

सीएसआर कार्यकलापों की रिपोर्ट – अनुलग्नक 3 031

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट – अनुलग्नक 4 034

वार्षिक विवरणी का सार – अनुलग्नक 5 037

प्रबंधन के विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट – अनुलग्नक 6 045

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट – अनुलग्नक 7 057

निर्वहनीयता रिपोर्ट – अनुलग्नक 8 074

कारोबारी दायित्व रिपोर्ट – अनुलग्नक 9 077

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 087

सी एंड एजी की टिप्पणियाँ 095

तुलन–पत्र 098

लाभ व हानि का विवरण 100

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 101

नकदी प्राप्ति विवरण 103

लेखों की टिप्पणियाँ (1 - 37) 105

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ 151

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 159

समेकित वित्तीय विवरण 163

फार्म ए.ओ.सी. - I 229

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

वित्तीय झलकियाँ – वित्तीय वर्ष 2017-18

विक्रयावर्त

₹ 1,008,484 लाख

विक्रयावर्त जो 2016-17 में ₹ 882,470 लाख था, में 14.28% वृद्धि होते हुए 2017-18 में ₹ 1,008,484 हुआ

उत्पादन

₹ 970,595 लाख

उत्पादन का मूल्य जो 2016-17 में ₹ 924,383 लाख था, 5% बढ़कर 2017-18 में ₹ 970,595 लाख हुआ

प्रचालनीय लाभ

₹ 174,873 लाख

प्रचालनीय लाभ जो 2016-17 में ₹ 157,019 लाख था, 11.37% बढते हुए 2017-18 में ₹ 174,873 लाख हुआ

आवर्त प्रति कर्मचारी

₹ 103.69 लाख

प्रति कर्मचारी आवर्त जो 2016-17 में ₹ 90.83 लाख था, बढ़कर 2017-18 में ₹ 103.69 लाख हुआ

निवल मूल्य

₹ 776,101 लाख

निवल मूल्य जो 2016-17 में ₹ 750,854 लाख था, 2017-18 में बढ़कर ₹ 776,101

इक्विटी

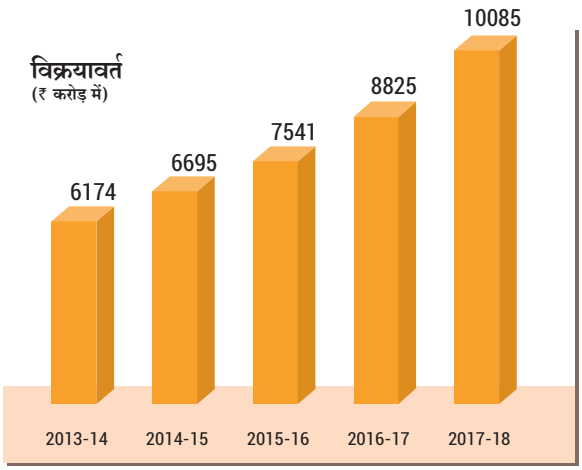
20,397,780 शेयर

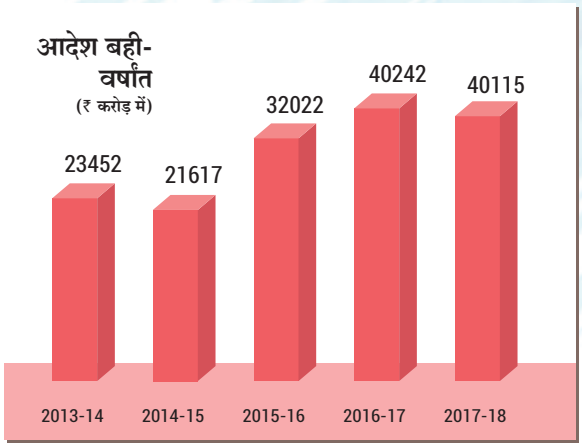
2017-18 के दौरान 20,397,780 इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद ₹ 37,226 लाख में की गई

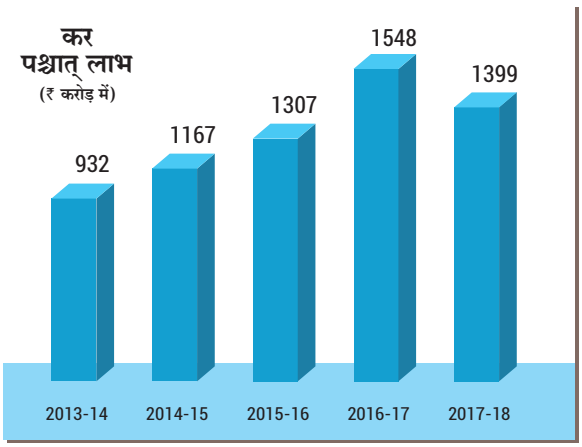


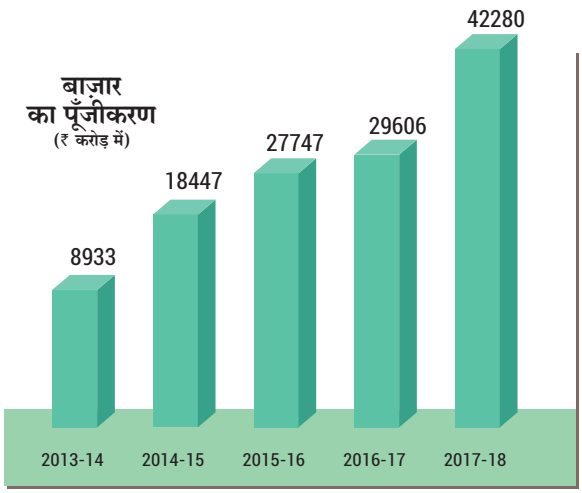
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

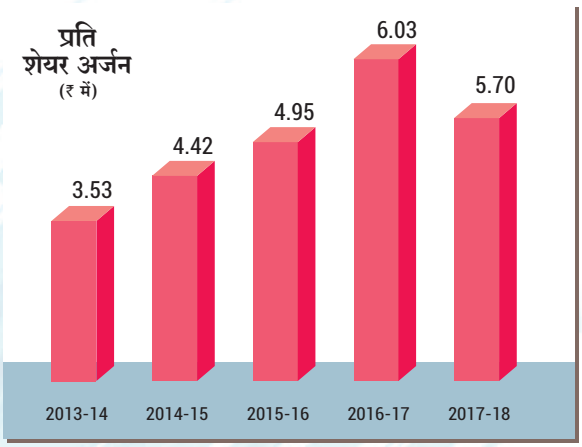
वित्तीय झलकियाँ

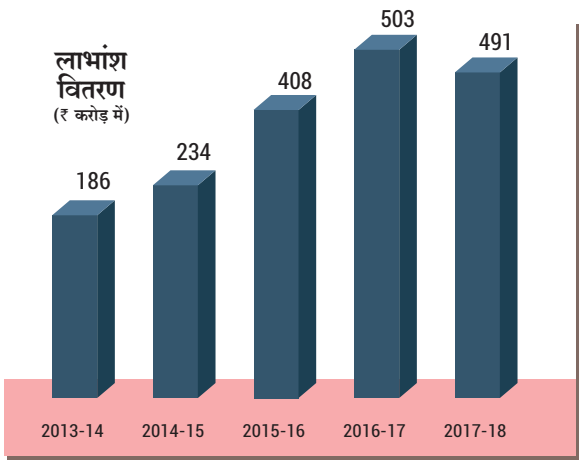












भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

वैश्विक पदचिह्न



वियतनाम में बीईएल के पहले प्रतिनिधि कार्यालय (वायरो) का उद्घाटन करती हुई माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण



वियतनाम में बीईएल का नव-उद्घाटित प्रतिनिधि कार्यालय



लंदन, यू.के. में आयोजित रक्षा एवं सुरक्षा उपस्कर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (डीएसईआई) में बीईएल की टीम



डीएसईआई 2017 में बीईएल के आउटडोर स्टॉल में प्रदर्शित शस्त्र लोकेटिंग रेडार



सिंगापूर में आयोजित इमडेक्स एशिया 2017 के दौरान बीईएल के स्टाल में वियतनाम के नौसेना प्रमुख

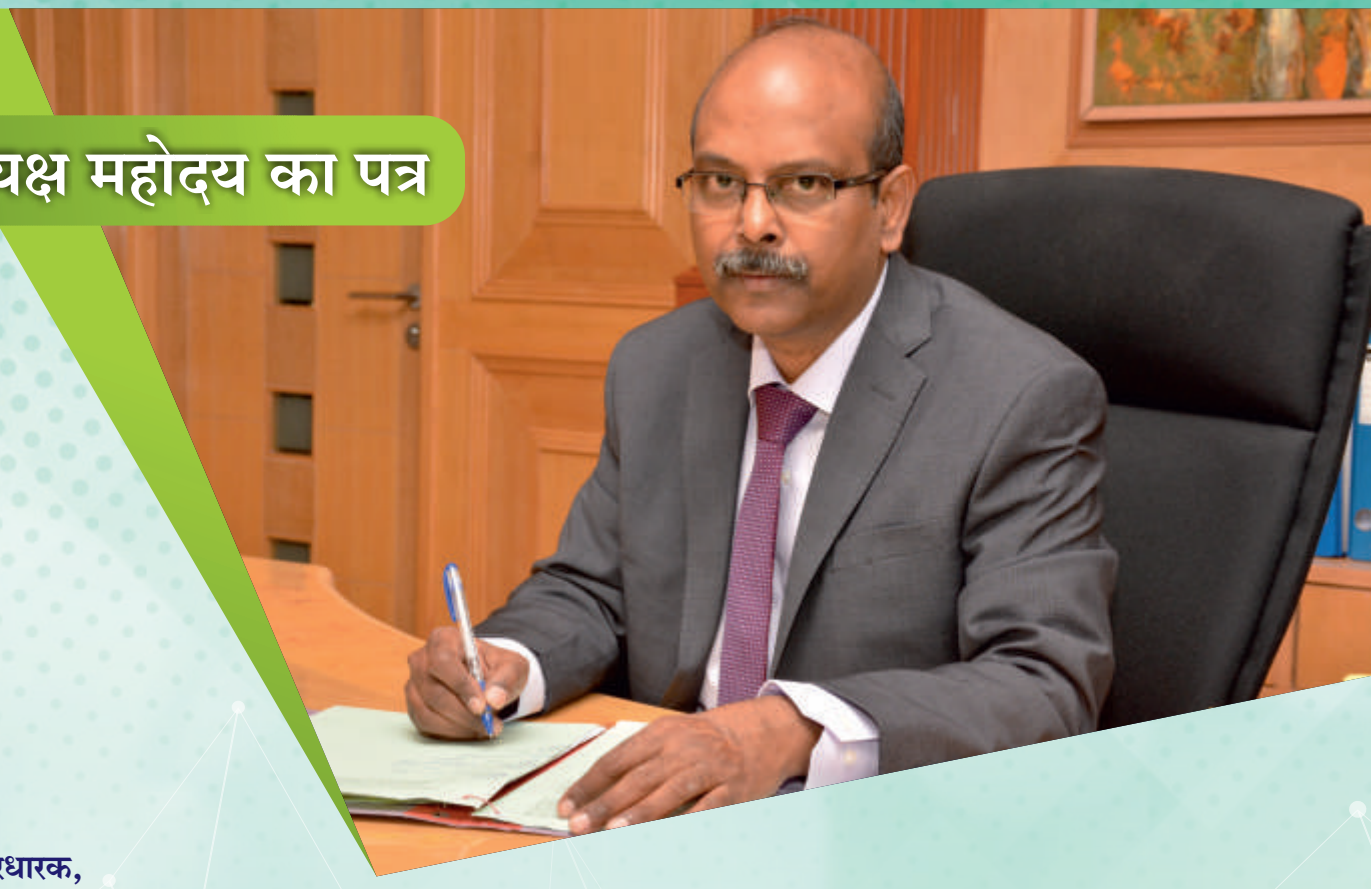


बैंगकॉक में आयोजित रक्षा एवं सुरक्षा प्रदर्शनी में बीईएल के स्टाल में रॉयल थाई सशस्त्र बलों के आगंतुक



बीईएल और आईएआई, इज़राइल के बीच एलआरएसएएम सिस्टम के उत्पादन के लिए संविदा पर हस्ताक्षर

अध्यक्ष महोदय का पत्र



प्रिय शेयरधारक,

इस पत्र के माध्यम से मुझे पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की उपलब्धियों और वित्तीय झलकियों को साझा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में, हमें उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने तेज़ी से बदलते कारोबारी परिवेश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनु. व वि., प्रौद्योगिकी उन्नयन और अवसंरचना के आधुनिकीरण पर अधिक ज़ोर देते हुए विकास के लक्ष्यों को हासिल किया । आपकी कंपनी ने राजस्वों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। ₹ 4,011,500 की आदेश बही (यथा 1 अप्रैल 2018) अच्छी स्थिति में बनी हुई है और अगले 2-3 वर्षों में अच्छे आदेश मिलने की संभावनाएँ हैं। आपकी कंपनी रक्षा बलों को उपस्करों / प्रणालियों की आपूर्ति करते हुए अपने नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखा हुआ है और स्थिरता से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं इस अवसर पर पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की झलकियों से और कंपनी की भावी दृष्टि से आपको अवगत कराना चाहता हूँ ।

वर्ष की झलकियाँ

आपकी कंपनी ने वर्ष 2016-17 के ₹ 882,470 लाख के समक्ष वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,008,484 लाख का विक्रयावर्त हासिल किया और इस तरह, 14% की उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की । बीईएल ने यूएस 26.3 मिलियन की निर्यात बिक्री प्राप्त की। कुछ देश जहाँ आपकी कंपनी ने उत्पादों का निर्यात किया, वे हैं - श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, मॉरीशस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इज़राइल, जर्मनी, स्वीडन और यू.एस.ए.। वर्ष के दौरान निर्यात किए गए प्रमुख उत्पाद / प्रणालियों में शामिल हैं - उन्नत सम्मिश्रित संचार प्रणाली (एसीसीएस), कॉम्पैक्ट वायुवाहित चौकसी प्रणाली, भारती रेडियो, केबल लूम, यांत्रिक पुर्जे, तटीय चौकसी प्रणाली, टीआरए 2215 और वी/यूएचएफ रेडियो के सहायक पुर्जे।

विक्रयावर्त में 14% की उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी

कंपनी की सभी 9 निर्माणी यूनिटों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कर पश्चात् लाभ जो पिछले वर्ष ₹ 154,762 लाख था, 10% घटकर 2017-18 में ₹ 139,929 लाख हुआ। यह घटौती मुख्य रूप से ब्याज की आय, कर प्रावधान में बढ़ोत्तरी और वेतन पुनरीक्षण के कारण हुई। कंपनी का निवल मूल्य निवल मूल्य जो 2016-17 में ₹ 750,854 लाख था, 2017-18 में बढ़कर ₹ 776,101 लाख हुआ। अपने उत्पादों / प्रणालियों में स्वदेशीकरण और मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी अनु. व वि. पर मुख्य ध्यान केंद्रित करती आ रही है। वर्ष के दौरान विक्रयावर्त के प्रतिशत के रूप में अनु. व वि. पर कुल खर्च 9.8% था जो रक्षा पीएसयू में सर्वोच्च है। स्वदेशी विकास की ओर हमारे निरंतर प्रयास के कारण ही हम स्वदेशी उत्पादों के अपने विक्रयावर्त का 89% हासिल कर सके। हमारे राजस्वों का केवल 11% हिस्सा ऐसे उत्पादों से है जो विदेशी ओईएम से टीओटी द्वारा निर्मित किए हैं। कंपनी का मुख्य कारोबार रक्षा होने के कारण, इसने बिक्री राजस्व के 85% का योगदान दिया और शेष 15% गैर-रक्षा क्षेत्र से प्राप्त हुआ। 2017-18 के दौरान प्रस्तुत कुछ प्रमुख उत्पाद / सिस्टम हैं - इंटेलीजेंस गैदरिंग सिस्टम, शिप डेटा नेटवर्क, जहाजों के लिए प्रगत संचार प्रणाली, शस्त्र प्रणालियों के लिए रेडियो ऑन दि मूव, फायर कंट्रोल सिस्टम और टी-90 के ले पी15, टीआई साइट, टी-72 के लिए टीआई साइट, एचएचटीआई बाइ-ऑक्यूलर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, ईवीएम-एम3, वीवीपैट -एम3, माइन फ़ील्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम (एमएफआरएस), मल्टी पर्पस रिफ्लेक्स वेपन साइट (एमआरडबल्यूएस), रेडियो रिले अपग्रेड, सेक्योर फ़ोन, 6 ज्ञथ सॉडिड स्टेट पॉवर एम्पलीफायर (एसएसपीए) आदि।

अनु. व वि. व्यय विक्रयावर्त का 9.8%

रक्षा कारोबार द्वारा प्राप्त राजस्व 85%

आपकी कंपनी ने लगभग ₹ 10,000 करोड़ मूल्य के आदेश प्राप्त किए। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख आदेशों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, टी–72 के लिए कमांडर टीआई साइट, लो इन्टेन्सिटी कॉन्फलिक्ट ई.डबल्यू. सिस्टम, पी 71 के लिए हल माउंटेड सोनार, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, चौकसी रेडार एलीमेंट, स्पेक्ट्रम (एनएफएस) सैटकॉम टर्मिनल के लिए नेटवर्क, एकीकृत मोबाइल सिस्टम, अक्रिय रात्रि दर्शी डिवाइस, कम्पास आदि शामिल हैं।

फ्में वर्ष 2017-18 में 25 पेटेंट आवेदन दाखिल किए। बीईएल के वैज्ञानिकों तथा अनु. व वि. अभियंताओं द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों / संगोष्ठियों / सम्मेलनों में कुल 71 तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए गए।

25 पेटेंटों के लिए आवेदन प्रस्तुत

आपकी कंपनी के कुछ प्रमुख कार्य–निष्पादन इस प्रकार हैं –

- आयुध कारखाना, मेडक (ओ.एफ.एम.के.) में 16 मे.वॉ. का सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन।
- बीईएल के कर्मचारियों, उसके ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं / साझेदारों की प्रशिक्षण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बीईएल उत्कृष्टता अकादमी का उद्घाटन।
- 11m x 21m x 30m आकार के अध्वानिक चैम्बर वाले प्रगत ईएमसी परीक्षण सुविधाओं जो 70 टन तक की प्रणालियं / प्लेटफार्म का परीक्षण कर सकते हैं, का उद्घाटन। इसका प्रयोग आकाश, आईएसीसीएस, एलआरएसएएम, शस्त्र लोकेटिंग रेडार और युदधक्षेत्र प्रबंध प्रणाली जैसी राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनाओं हेतु सिस्टम स्तरीय ईएमसी परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 1.0 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूँजी (बीईएल – 50%; एचएएल – 50%) के साथ लाभ–रहित कंपनी के रूप में दिनांक 10 अप्रैल 2017 को रक्षा नवोन्मेष संगठन (डी.आई.ओ.) की स्थापना की गई।
- डीपीई से वर्ष 2016–17 के लिए एमओयू की उत्कृष्ट रेटिंग।
- रेडार तथा संचार एंटेना के अंशांकन एवं परीक्षण के लिए बीईएल बेंगलूरु में नियर फ़ील्ड एंटेना टेस्ट रेन्ज (एनएफटीआर) का उद्घाटन। बेंगलूरु एनएफटीआर की सुविधा बीईएल में इस तरह की तीसरी और भारत के रक्षा उद्योग की एकमात्र सुविधा है।
- बीईएल बेंगलूरु में स्थापित उच्च स्तरीय प्रघात परीक्षण सुविधा जो 800 कि.ग्रा. तक के भार के उपकरण के लिए 120 ग्रा. स्तर तक के यांत्रिक प्रघात करने में सक्षम है।
- ईवीएम और वीवीपैट का उत्पादन करने के लिए बीईएल बेंगलूरु और पंचकूला यूनिटों में स्थापित सुरक्षित विनिर्माण परीक्षण सुविधा।
- बीईएल पुणे में अत्याधुनिक एवं नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक तोपखाना फ्यूज़ विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन।
- बीईएल रक्षा उद्योग विकास सम्मेलन में भाग लिया जिसका उद्घाटन 18 जनवरी, 2018 को चेन्नै में श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय रक्षा मंत्री ने किया। इस सम्मेलन में सूक्ष्म व लघु उद्यम सहित देशी पूर्तिकर्ताओं के लिए स्वदेशीकरण की विभिन्न मदों को प्रदर्शित किया गया।
- बीईएल ने कुल 216 संगठनों का पैनल तैयार किया है जिसमें 27 सहयोगात्मक अनु. व वि. साझेदार, 128 डिज़ाइन सेवा प्रदाता, 28 सलाहकार और 33 उत्पादन सेवा प्रदाता और डिज़ाइन व उत्पादों दोनों का समर्थन करने वाले तीन संगठन शामिल हैं।

आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से उल्लेखनीय इस प्रकार हैं –

- रक्षा मंत्री के पुरस्कार (2014–15)
  - क) स्वदेशीकरण का पुरस्कार – डोपलर मौसमी रेडार।
  - ख) डिज़ाइन प्रयास – भारतीय नौसेना के लिए लिनक्स ण2 नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम।
- रक्षा मंत्री के पुरस्कार (2015–16)
  - क) संस्थागत पुरस्कार – निर्यात में सर्वोत्तम कार्य–निष्पादन
  - ख) प्रभाग/कारखाना/शिपयार्ड पुरस्कार – डीपीएसयू का सर्वोत्तम कार्य–निष्पादन करने वाला प्रभाग – नौसैनिक प्रणाली (रेडार एवं फायर कंट्रोल सिस्टम) ।
  - ग) स्वदेशीकरण का पुरस्कार – हल्का पोर्टेबल लेज़र टार्गेट डेज़िग्नेटर।
  - घ) डिज़ाइन प्रयास – स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग सिस्टम का टेस्ट बेड।
- वर्ष 2013–14 और 2014–15 के लिए बीईएल के कर्मचारियों को प्रधान मंत्री के श्रम पुरस्कार।
- वर्ष 2016–17 के लिए डिज़िटलीकरण के विशेष संस्थागत वर्ग में उत्कृष्टता एवं अद्वितीय योगदान के लिए स्कोप का पुरस्कार।
- ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) मैनेजिंग इंडिया द्वारा 'वर्ष का उत्कृष्ट पीएसयू' पुरस्कार
- गवर्नेंस नाउ पुरस्कार – कारोबारी विविधीकरण, प्रौद्योगिकी नवोन्मेष अपनाने, मा.सं.उत्कृष्टता, पर्यावरणीय निर्वहनीयता तथा अनुसंधान वं विकास हेतु।
- मध्यम एवं हल्के इंजीनियरिंग क्षेत्र के तहत विनिर्माण वर्ग में डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट इंडिया का सर्वोच्च पीएसयू पुरस्कार 2017।
- चौकसी एवं रक्षा उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कारोबारी उत्कृष्टता हेतु अमिटी लीडरशिप अवार्ड।
- फाइल लाइफसाइकल मैनेंजमेंट (एफएलएम) नामक ई–फाइलिंग सिस्टम के कंपनी भर में सफल कार्यान्वयन के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने की सर्वोत्तम संस्थागत पद्धति वर्ग में 'उत्कृष्ट योगदान' हेतु सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार–2017।
- सुझाव योजना में उत्कृष्टता के लिए इन्सान पुरस्कार – बीईएल बेंगलूरु यूनिट को इंजीनियरी उद्योग समूह में वर्ष 2016–17 की सुझाव योजना के कार्य–निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए उत्तरदायी संगठन उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु पीएसयू वर्ग में प्रथम पुरस्कार
- इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया से वर्ष 2016–17 के लिए निर्यात में उत्कृष्टता हेतु एलसिना–ईएफवाई का पुरस्कार।

भावी दृष्टि

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर सरकार द्वारा ज़ोर देने से कंपनी को अपने स्वदेशीकरण के प्रयास बढ़ाने और भारतीय रक्षा क्षेत्र में अवसरों का लाभ लेने के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं।

सेन्ट्रिक सिस्टम, टैंक इलेक्ट्रॉनिकी, गन के अपग्रेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति एवं वैमानिकी सिस्टम आने वाले वर्षों में कंपनी के विकास की गति बनाए रखेंगे। लक्षित विकास हासिल करने के लिए अनु. व वि., परीक्षण, उत्पादन एवं कौशल विकास हेतु अनेक विश्व-स्तरीय सुविधाएँ तैयार करने की योजना है। रक्षा इतर खंड में, आपकी कंपनी सोलार, गृहभूमि सुरक्षा, स्मार्ट सिटी, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिकी, उपग्रह एकीकरण और सायबर सुरक्षा के क्षेत्र में पैदा होने वाले कारोबार पर ध्यान दे रही है।

चुनौतियों के बावजूद आपकी कंपनी का भविष्य साथ-साथ आशावान भी दिख रहा है। रक्षा खरीद प्रक्रिया के तहत रक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोल दिया गया है। सरकार ने डीपीएसयू के अतिरिक्त, प्रमुख रक्षा खंडों की निर्माणी क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता के लिए रणनीतिक साझेदारी का मॉडल शुरु किया है। इस प्रयासों से कंपनी को मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता के परिवेश में काम करना होगा ।

सरकार ने आयात प्रतिस्थापन और रक्षा उपकरणों के लिए नवोन्मेषी समाधान के संवर्धन हेतु एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग की सहभागिता बढ़ाने की मेक-खख प्रक्रिया प्रस्तुत किया है। आपकी कंपनी ने इन मेक-खख प्रक्रिया की अनेक परियोजना पर कार्रवाई की है जो बीईएल के कारोबार के अनुरूप हैं। बीईएल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह प्रौद्योगिकी की गति बनाए रखे और नए उत्पाद नियमित रूप से विकसित करती रहे ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और उन्हें किफायती तथा नवोन्मेषी समाधान प्रदान किए जा सकें।

भविष्यगामी उत्पादों, मुख्य प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण तथा पेटेंट दाखिल करने का मार्ग-निर्धारण करने के साथ-साथ कंपनी भर में अनु. व वि. पर ज़ोर दिए जाना जारी रखा जाएगा। आपकी कंपनी नए उत्पाद व प्रणालियों के विकास के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, अनुसधान संस्थानों तथा शैक्षिक संस्थानों के साथ-साथ अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ गहनता के साथ कार्य करने पर भी अधिक ज़ोर दे रही है। इसके साथ-साथ, आपकी कंपनी के अपनी केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएँ, मुख्य अनु. व वि. ग्रूप, कारोबारी यूनिटों के साथ संबद्ध अनु. व वि. प्रयोगशालाएँ नई प्रौद्योगिकियों तथा उत्पाद विकास पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही, उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) अनुसंधान एवं नवोन्मेषी कार्यों को नए उत्पाद मे रूपांतरित करने की ओर कार्यरत है। आपकी कंपनी ने रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखने की रणनीतियाँ तैयार की है और प्रतिस्पर्धा का सामना करने और प्रौद्योगिकी तेज़ी बनाए रखने की कार्य योजना तैयार की है ।

इस वर्ष निष्पादन के लिए योजित कुछ प्रमुख परियोजनाएँ हैं - आईएसीसीएस, ट्रोपो अपग्रेड, शस्त्र लोकेटिंग रेडार, ईवीएम और वीवीपैट, टी-72 के लिए कमांडर साइट, ईडबल्यू सिस्टम-एलआईसी-खख, पोर्ट ब्लेयर के लिए डीएसपी, भू-आधारित मोबाइल एलिन्ट, खख-आधारित पीएनवीडी, एएलजी संचार, एलआरसैम पी15बी (4 जहाज), शिल्का अपग्रेड, एल70 गन अपग्रेड, टी-90 स्टेबिलाइज़र, एएलजी आदि। निर्यात के क्षेत्र में, यथा 1 अप्रैल 2018 की आदेश बही यूएस 92 मिलियन है जिसमें यूएस 35 मिलियन के समंजन आदेश शामिल हैं। आपकी कंपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए विदेशों में विपणन कार्यालय खोलने की अपनी योजना को भी कार्यान्वित कर रही है।

नई रणनीतिक पहलें

आपकी कंपनी ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों के अनुसार गृहभूमि सुरक्षा समाधान, स्मार्ट सिटी, सायबर सुरक्षा, मानवरहित प्रणालियाँ, उपग्रह एकीकरण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में काम कर रही है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी ने कंपनियों की सीएसआर एवं निर्वहनीयता नीति के अनुसार विभिन्न प्रोग्राम / पहल / परियोजनाएँ ली हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-तखख के अनुरूप हैं। आपकी कंपनी ने स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण विकास, शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ₹ 1,439.45 लाख खर्च किया है और ₹ 2,059.16 लाख की राशि आगे ले जाई गई है।

अभिशासन एवं निर्वहनीयता

आपकी कंपनी उच्च स्तर के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को निरंतर अपनाने और उन्हें बनाए रखने में गर्व का अनुभव करती है। सेबी (एलओडीआर) विनियम में यथा अपेक्षित तथा सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्पोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की एक विस्तृत रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

आपकी कंपनी को लगातार नौवें वर्ष सी एंड एजी का कोई अभ्युक्ति नहीं प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। बीईएल के कार्पोरेट कार्य-निष्पादन को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिमापियों के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है जो बीईएल की सामाजिक रूप से उत्तरदायी कार्पोरेट स्वत्व की छवि को अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। नैतिकता के साथ व्यवहार करने और अपने कार्यबल, उनके परिवारों तथा स्थानीय समुदाय एवं समग्र रूप से समाज की जीवन की गुणता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास की ओर योगदान देने के लिए बीईएल में निर्वहनीयता एक सतत् प्रतिबद्धता है। पुन:चक्रण, पुन:प्रयोग एवं संसाधनों का इस्तेमाल घटाते हुए पर्यावरण को हरा-भरा रखने का प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा।

आभार

मैं निदेशक मंडल, प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए दृढ़ समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेवाओं ने अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन देना जारी रखा है। इसके अलावा, मैं अपने शेयरधारकों, प्रतिष्ठित ग्राहकों तथा कारोबारी सहयोगियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें अपना विश्वास जीतने का अवसर दिया। सभी स्तरों पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण और प्रतिबद्धता हमारी कंपनी की मुख्य शक्ति बनी हुई है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और लाभप्रद विकास की गति को बनाए रखने के लिए हम इस ताकत को बढ़ाने के प्रयास निरंतर करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,



एम व गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

बेंगलूरु
16 अगस्त 2018

झलकियाँ



भारत–इज़राइल सीईओ फोरम की दूसरी बैठक में श्री एम वी गौतमा, सीएमडी
(पहली पंक्ति में, बाएँ से दूसरे स्थान पर) भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा श्री बेन्जामिन नेतान्यहु, इज़राइल के माननीय प्रधानमंत्री के साथ ।



बीईएल–बेंगलूरु के अपने दौरे के दौरान माननीय रक्षा मंत्री,
श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ आकाश मिसाइल परियोजना तथा
अन्य रेडार परियोजनाओं में शामिल बीईएल की महिला कर्मचारियों के साथ।



बेंगलूरु में बीईएल उत्कृष्टता अकादमी का उद्घाटन करते हुए
माननीय तात्कालीन रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ।



बीईएल द्वारा अभिकल्पित, विकसित और निर्मित पहली युद्धक्षेत्र चौकसी प्रणाली (बीएसएस) को बीईएल- गाज़ियाबाद से रवाना किया जा रहा है



भारतीय नौसेना के लिए बीईएल द्वारा विकसित ऑनलाइन इन्वेन्टरी मैनेजमेंट सिस्टम (ओआईएमएस) का उद्घाटन



बीईएल-पुणे में नई अत्याधुनिक एवं नवीनतम फ्यूज़ निर्माण सुविधा का उद्घाटन



भारतीय वायु सेना को डीएलआरएल द्वारा देशज रूप से विकसित और बीईएल - हैदराबाद द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एवं नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति सिस्टम भू आधारित मोबाइल एलिन्ट सिस्टम (जीबीएमईएस) सौंपते हुए



बीईएल-गाज़ियाबाद में आईएसीसीएस परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन

निदेशक मंडल

(यथा 1 अगस्त 2018)



श्री एम वी गौतमा
अध्यक्ष व
प्रबंध निदेशक



श्री नटराज कृष्णप्पा
निदेशक (अन्य यूनिटें)



श्रीमती आनंदी रामलिंगम
निदेशक (विपणन)



श्री आर एन बग्दलकर
निदेशक (मानव संसाधन)



श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त)



श्री वी महेश
निदेशक (अनु. व वि.)



डॉ. अमित सहाय
संयुक्त सचिव (पी एंड सी),
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
स्वतंत्र निदेशक



सुश्री जे मंजुला
डीएस एंड डीजी (ईसीएस),
डीआरडीओ
सरकारी निदेशक



डॉ भास्कर राममूर्ति
निदेशक, आईआईटी, मद्रास
स्वतंत्र निदेशकडॉ



आर के शेवगांवकर
कुलपति
बेनेट यूनिवर्सिटी, नोएडा
स्वतंत्र निदेशक



श्रीमती उषा माथुर, आईआरएएस (से.नि.)
भारत सरकार की पूर्व सचिव
स्वतंत्र निदेशक



श्री शरद सांघी
उद्यमी
स्वतंत्र निदेशक



श्री मुक्का हरीश बाबू
सनदी लेखाकार
स्वतंत्र निदेशक



श्री सुरेन्द्र एस सिरोही, आईटीएस (से.नि.)
भारत सरकार के
पूर्व सचिव
स्वतंत्र निदेशकडॉ



विजय एस मदान, आईएएस (से.नि.)
भारत सरकार के
पूर्व सचिव
स्वतंत्र निदेशकश्री



एस श्रीनिवासन
कंपनी सचिव
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

प्रधान कार्यपालक

(यथा 1 अगस्त 2018)



श्री एस शिव कुमार, आईएएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री गिरीश कुमार
ओएसडी, बेंगलूरु



श्री एम एम जोशी
कानि (रावि) - दिल्ली



श्रीमती रानी वर्गिस
कानि (वित्त) - बेंगलूरु



श्री चरण सिंह
कानि (यूनिट प्रमुख)- गाबाद



श्री मनमोहन पाण्डे
मप्र (पीएस) - दिल्ली



श्रीमती हेमा जी आचार्या
मप्र (आंलेप) - काआॅ



श्री वी किरण
मप्र (आईएम)-काआॅ



श्रीमती के हेमलता
मप्र (एसपी)- काआॅ



श्री एन विक्रमन
मप्र (मासं) - काआॅ



श्री वी मुरलीधरन
महाप्रबंधक (वित्त)- काआॅ



श्री विनय कुमार कत्याल
मप्र (मिलकॉम) बेंकॉ



कमांडर एस गोपाकुमार (से.नि.)
मप्र (टी एंड बीएस) बेंकॉ



श्री बी एस रवि
मप्र (एमआर) बेंकॉ



श्री ए रविशंकरन
मप्र (सी - डी एंड ई - पीडी एंड आईसी) बेंकॉ



श्री एम एस एस डी सेनापति
मप्र (ईएम) बेंकॉ



श्री एम आर श्रीवत्स
मप्र (आर एंड एफसीएस/एनएस) बेंकॉ



श्री के एम शिवकुमारन
मप्र (मासं) बेंकॉ



श्री एस मोहनराज
मप्र (गुणता)/काआॅ - बेंकॉ



श्री जगदीश चंद
मप्र (एमएस) बेंकॉ



श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव
मप्र (एस एंड सीएस - एनएस) बेंकॉ.



श्री एस रामा रेड्डी
मप्र (ई डबल्यू एंड ए) बेंकॉ



श्री बशीर अहमद
मप्र (ईएस) बेंकॉ



श्री अम्रेन्द्र कुमार सिंह
मप्र (एचएलएस एंड एससीबी) बेंकॉ



श्रीमती शिखा गुप्ता
मप्र (एससीसीएस) गाबाद



श्री जोयदीप मजूमदार
मप्र (एनसीएस) गाबाद



श्रीमती रुचि गर्ग
मप्र (डीसीसीएस) गाबाद



श्री आर एस भटनागर
मप्र (एंटेना) गाबाद



श्री टी एन रमेश
मप्र (मछिलिपट्टणम)



श्री मनोज कुमार
मप्र (कोटद्वार)



श्री दिनेश कुमार बत्रा
मप्र (पुणे)



श्री आर श्रीनिवासन
मप्र (चेन्नै)



श्री पी के चंगोइवाला
मप्र (पंचकूला)



श्री एम वेंकट रत्तय्या
मप्र (हैबाद)



श्री उमेश चंद्र
मप्र (नवी मुंबई)

अनु. व वि. स्थापनाएं



श्री रंजन बैनर्जी
मुवै (सीआरएल-गाबाद)



श्री मनोज जैन
मुवै (सीआरएल-बेंगलूरु)



श्री एम वी राजशेखर
सीटीओ (ईओ एंड लेज़र - काऑ)



श्री वी नंद कुमार
सीटीओ (कम्यूनिकेशन - काऑ)



श्री पी मोहन राव
सीटीओ (आर एंड डबल्यूएस - काऑ)

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक
मे सूरी एंड कंपनी
बेंगलूरु

शाखा लेखा परीक्षक
मे वेद एंड कंपनी
गाज़ियाबाद
मे. मलानी सोमानी चांडक एंड एसोसिएट्स, पुणे
मे. तुंगला एंड कं.
मछिलिपट्टणमलागत

लेखा परीक्षक
मे. जी एन वी एंड एसोसिएट्स
बेंगलूरु

सचिवीय लेखा परीक्षक
मे तिरुपाल गोरिजे एंड एसोसिएट्स एलएलपी
बेंगलूरु

पुरस्कार



'उत्कृष्ट निष्पादन प्रभाग'
के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार



'निर्यात मे उत्कृष्ट निष्पादन'
के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार



'उत्तरदायी संगठन' के लिए
असोचैम श्रेष्ठता पुरस्कार



प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार प्राप्त करते हुए बीईएल कर्मचारी



भारतीय वाणिज्य मंडल
पीएसई श्रेष्ठता पुरस्कार



भारतीय जन संपर्क परिषद
कार्पोरेट समपार्श्विक पुरस्कार



डन एवं ब्रैडस्ट्रीट विनिर्माण में
भारत की सर्वोच्च पीएसयू पुरस्कार:
मध्यम एवं हल्के अभियांत्रिकी क्षेत्र श्रेणी



'भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु उत्कृष्ट संस्थागत प्रणाली'
एवं फाइल जीवन चक्र प्रबंधन को कार्यान्वित
करने के लिए सतर्कता श्रेष्ठता पुरस्कार



अनु. व वि., मानव संसाधन एवं
व्यवसाय श्रेष्ठता और पर्यावरण धारणीयता के लिए
समकालीन शासन पुरस्कार



बीईएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को
'व्यवसाय श्रेष्ठता हेतु एमिटी नेतृत्व पुरस्कार'

मंडल का प्रतिवेदन

प्रति सदस्यगण,

निदेशक मंडल को दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित खातों के साथ-साथ उन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को प्रस्तुत करते अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ।

वित्तीय परिणाम एवं कार्य-निष्पादन की झलकियाँ

कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिए गए हैं –

(₹ लाख में)

विवरण	2017-18	2016-17
उत्पादन का मूल्य	**970,595**	924,383
विक्रयावर्त (सकल)	**1,008,484**	882,470
मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**220,011**	223,272
वित्त लागत	**127**	1,178
मूल्यह्रास व परिशोधन	**25,100**	19,152
कर पूर्व लाभ	**1,94,784**	202,942
कर का प्रावधान	**54,855**	48,180
कर पश्चात् लाभ	**139,929**	154,762
अन्य व्यापक आय / (हानि)	**145**	(9,185)
कुल व्यापक आय	**140,074**	145,577
प्रदत्त लाभांश	**62,765**	61,604
लाभांश पर कर	**12,777**	12,541
सामान्य प्रारक्षण को अंतरण	**40,000**	40,000
अन्य इक्विटी (प्रारक्षण व अधिशेष सहित)	**751,735**	728,518
निवल संपत्ति	**776,101**	750,854
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)	**5.70**	6.03*
प्रति शेयर पुस्त मूल्य (₹ में)	**31.85**	33.62

* में बोनस शेयर जारी करने के कारण समायोजित 2017-18.

2017-18 के लिए उत्पादन के मूल्य का संवितरण नीचे दिया गया है –

विवरण	राशि (₹ लाख में)	प्रतिशतता
सामग्रियाँ	513,626	53%
कर्मचारी लागत	177,233	18%
अन्य व्यय (निवल)	59,852	6%
मूल्यह्रास व परिशोधन	25,100	3%
कर का प्रावधान	54,855	6%
कर पश्चात् लाभ	139,929	14%
कुल	**970,595**	**100%**

कंपनी का विक्रयावर्त (सकल) 2016-17 में ₹ 882,470 लाख था जो वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़कर ₹ 1,008,484 लाख हुआ और 14.28% की प्रगति दर्ज की । वर्ष का कर पश्चात् लाभ पिछले वर्ष के ₹ 154,762 लाख के समक्ष इस वर्ष ₹ 139,969 लाख हुआ । स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों से विक्रयावर्त 89% प्रतिशत है। रक्षा क्षेत्र को की गई आपूर्तियों ने वर्ष 2016-17 में 88% की तुलना में इस वर्ष 85% का योगदान दिया ।

लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 को ध्यान में रखते हुए और सेबी, डीपीई, दीपम, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिशा-निर्देशों और कंपनी पर लागू अन्य दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए लाभांश वितरण नीति तैयार की है । यह नीति इस रिपोर्ट की **"अनुलग्नक 1"** में संलग्न किया है और कंपनी वेबसाइट http://bel-india.in / ContentPage.aspx?MId=17&CId=527&Lid =1&link=527 में भी डाला गया है ।

निदेशक मंडल ने मार्च 2018 में वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 0.40/- प्रति इक्विटी शेयर (40%) यानी ₹ 9,746 लाख के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है । वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1.60 प्रति इक्विटी शेयर (160%) यानी, ₹ 39,312 लाख का अंतरिम लाभांश फरवरी 2018 में अदा किया गया है । इस प्रकार, वर्ष 2017-18 के लिए कुल लाभांश ₹ 2/- प्रति इक्विटी शेयर (200%), ₹ 49,058 लाख (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) रहा ।

प्रारक्षणों को अंतरित राशि

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 40,000 लाख की राशि सामान्य प्रारक्षणों में अंतरित करने का प्रस्ताव है ।

शेयर पूँजी

यथा 31 मार्च 2018 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी ₹ 24,366 लाख है ।

वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को अक्तूबर 2017 में 1:10 (धारित प्रति दस इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक ₹ 1/- का पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर) अनुपात में बोनस शेयर जारी किया । इसके परिणामस्वरूप, कंपनी की चुकता शेयर पूँजी ₹ 22,336 लाख से बढ़कर ₹ 24,570 लाख हो गई ।

तदुपरांत, आपकी कंपनी ने मार्च 2018 में ₹ 1/- प्रत्येक के पूर्ण चुकता 20,397,780 इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद ₹ 182.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से की, इसके परिणाम स्वरूप कंपनी की चुकता शेयर पूँजी 31 मार्च 2018 को घटकर ₹ 24,366 लाख हुई ।

यथा 31 मार्च 2018 को, कंपनी में निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के शेयर धारण का विवरण निम्नलिखित है–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	धारित इक्विटी शयरों की संख्या
1	श्री एम वी गौतमा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1,263
2	डॉ अजित टी कलघट्गी	निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)	1,263
3	श्री नटराज कृष्णप्पा	निदेशक (अन्य यूनिटें)	1,263
4	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन)	1,263
5	श्री आर एन बग्दलकर	निदेशक (मानव संसाधन)	1,263
6	श्री कोशी एलेक्ज़ाडर	निदेशक (वित्त)	1,265
7	श्री एस श्रीनिवास	कंपनी सचिव	1,263

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई परिवर्तनीय प्रतिभूति जारी नहीं की है ।

निष्पादित प्रमुख आदेश

तीनों सेनाओं तथा असैनिक ग्राहकों के लिए वर्ष के दौरान निष्पादित प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं – वायुसेना के लिए एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली, थलसेना के लिए शस्त्र लोकेटिंग रेडार, थलसेना के लिए हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, थलसेना के लिए आकाश शस्त्र प्रणाली, नौसेना के लिए फायर नियंत्रण प्रणाली, नौसेना के लिए एकीकृत संचार प्रणाली, थलसेना के लिए 3–डी टैक्टिकल नियंत्रण रेडार, नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, नौसेना को एकीकृत पनडुब्बी सोनार सूट, ओएनजीसी के लिए गृहभूमि सुरक्षा, थलसेना के लिए एल70 गन उन्नयन, ईसीआई को इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएमएस) और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रायल, थल–सेना के लिए शिल्का गन टैंक अपग्रेड, वायुसेना के लिए आसूचना एकत्रण प्रणाली ।

निर्यात

आपकी कंपनी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और प्रणालियों का निर्यात संभावना को सुसज्जित करने पर अधिक ज़ोर देती आई है, जो इसके कारोबार के मुख्य क्षेत्र को दर्शाता है। बीईएल भारत के मित्र देशों में अपने विभिन्न उत्पादों और प्रणालियों का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त, बीईएल की इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की बिक्री हेतु विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के मतदान आयोग से बातचीत चल रही है। कुछ पड़ोसी देशों के लिए तटीय निगरानी रेडार प्रणाली के संस्थापन करते हुए, इन प्रणालियों की सुपुर्दगी भारत के मित्र देशों में करने हेतु बीईएल की बातचीत विदेश मंत्रालय से भी नियमित रूप से चल रही है।

बीईएल, रक्षा प्रापण प्रक्रिया (डीपीपी) के तहत बनाई गई ऑफसेट नीति के तहत एमओडी के विभिन्न आरएफपी में ऑफसेट दायित्व को पूरा करने में ओईएम की मदद करने के क्षेत्र में अवसरों को केन्द्रित कर रही है। इसके लिए बीईएल विभिन्न मुख्य विदेशी विमानन व रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। बीईएल ने ठेका विनिर्माण (बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेक) के उभरते अवसरों में से एक के रूप में चुना है। इसके अलावा, वैश्विक कारोबारियों के साथ लंबी अवधि के लिए सुपुर्दगी श्रृंखला संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान, विभिन्न देशों, जैसे– श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, मॉरीशस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इज़राइल, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, स्वीडन और यूएसए में यूएस $ 26.3 मिलियन की निर्यात बिक्री हासिल की । निर्यात किए गए प्रमुख उत्पाद और प्रणाली में शामिल हैं– एडवान्स्ड कंपोज़िट कम्यूनिकेशन सिस्टम (एसीसीएस), कॉम्पैक्ट एयरबोर्न सर्वीलेन्स सिस्टम(कोंपास), भारती रेडियो, कैबल लूम के मेकेनिकल पुर्जे, तटीय चौकसी प्रणाली, टीआरएस 2215 रेडार और वी/यूएचएफ रेडियो के पुर्जे ।

निर्यात की बिक्री में आई यह कमी मुख्य रूप से परियोजना 21, अपतटीय गश्ती जहाजों के लिए संविदाजन्य विभिन्न नौसैनिक प्रणालियों हेतु ग्राहक द्वारा साख–पत्र न देने के कारण है । म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तन के कारण भी चालू वर्ष में निर्यात में कमी आई ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादों और सेवाओं के लिए, नए बाज़ार के विकास द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल–

❖ **विदेश स्थित विपणन कार्यालय**

- बीईएल ने ग्राहकों के साथ लगातार बातचीत करते हुए दक्षिण–पूर्व और मध्य–पूर्व एशिया में कारोबार अवसर बढ़ाने का प्रयास किया है ।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वियतनाम में विपणन कार्यालय स्थापित ।
- 2018-19 के दौरान, निम्नलिखित विपणन कार्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है– मस्कट – ओमान; कोलंबो –श्रीलंका; यांगोन –म्यांमार ।

❖ **भारतीय प्लेटफार्म निर्माताओं के साथ रणनीतिक संधि**

बीईएल ने निम्नलिखित प्रमुख भारतीय प्लेटफार्म निर्माताओं के साथ करार करने के लिए चर्चा और कार्रवाई करने की पहल की है –

- गोवा जहाजयार्ड लिमिटेड, गोवा
- मांझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, मुंबई

- लार्सन एंड टूब्रो, मुंबई
- महिंद्रा डिफेन्स सिस्टम्स लिमिटेड, मुंबई

❖ **विदेशी ओईएम के साथ रणनीतिक संधि**

विश्व बाज़ार को पता करने के लिए बहुमूल्य प्रस्ताव का प्रस्तुति करते हुए विदेशी ओईएम के साथ रणनीतिक संधि

- साब, स्वीडन– विभिन्न उपकरणों के लिए विपणन करार ।
- एलोप, इज़राइल– इलेक्ट्रो ऑप्टिक ।
- एल्बिट, इज़राइल– एयरबोर्न ईडब्ल्यू, टीआईएफसीएस, एसएआर, एचएमडीएस ।
- कोन्ट्रॉप, इज़राइल– रात्री दर्शी एवं लेज़र उपकरण ।
- मेप्रोलाइट, इज़राइल– एआरएफ, जीएलएस, छोटे हथियारों के लिए डे साइट ।
- बेरेट्टा, इटली– वैश्विक आवश्यकता हेतु हमला/स्निपर राइफल के लिए रेफ्लेक्स साइट और एनवीडी की आपूर्ति हेतु समझौता ज्ञापन ।
- थालेस– राफेल के लिए रेडार, ईडब्ल्यू सूट और सर्च मास्टर रेडार ।

❖ **भारतीय समुद्री क्षेत्र के देशों के लिए तटीय निगरानी प्रणाली–**

- निविदा की प्रतिक्रिया के रूप में ओमान की सल्तनत के लिए तटीय चौकसी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया ।

❖ **ईवीएम और वीवीपैट का निर्यात वर्शन**

- बीईएल नामीबिया के लिए पहले ईवीएम और उसके सहायक सामग्रियों का निर्यात करते थे और अभी उनको वीवीपैट की आवश्यकता भी सूचित किया है । बोट्स्वाना भी ईवीएम और वीवीपैट प्राप्त करने में अपनी अत्यंत रुचि प्रकट की है ।
- भारत चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में ईवीएम और वीवीपैट का निर्यात वर्शन विकास, योग्यता एवं प्रमाणीकरण के तहत है ।

2017-18 के दौरान ऑफसेट कारोबार के लिए निम्नलिखित अवसर थे–

- बोइंग यूएसए के लिए एफ18 विमान नियंत्रण पैनल
- पिलाटस स्विट्ज़रलैंड के लिए केबल हार्नेस
- एलोप इज़राइल के लिए ऐडउेचझअडड
- साब स्वीडन के लिए जी4 ए तकनीकी प्लेटफार्म (शेल्टर)

❖ भारतीय वायुसेना को डसाल्ट एविएशन द्वारा अनुबंधित राफल विमान के लिए वायुवाहित रेडार के एकीकरण के लिए थालेस, फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन किया गया । थालेस द्वारा आवश्यक योग्यता के लिए छह मॉड्यूल का आदेश दिया गया है । आगामी वर्षों में इसकी मांग में अत्यधिक तेज़ी आने की संभावना है ।

सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन

आपकी कंपनी भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के साथ प्रति वर्ष समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती आ रही है । सरकार के साथ किए गए एमओयू के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2016-17 के लिए बीईएल के कार्य–निष्पादन को 'उत्कृष्ट' आंका गया है । वर्ष 2017-18 के लिए एमओयू की रेटिंग सरकार द्वारा समीक्षाधीन है ।

आदेश बही की स्थिति

यथा 01 अप्रैल 2018 को कंपनी की आदेश बही लगभग ₹ 40,115 करोड़ है । इस आदेश बही में मुख्य रूप से लंबी दूरी का सतह से हवाई मि साइल, एकीकृत वायु कमान नियंत्रण प्रणाली, युद्धक्षेत्र चौकसी प्रणाली, प्रगत सम्मिश्रित संचार प्रणाली, कमान सूचना निर्णय समर्थन प्रणाली, कमांडर थर्मल इमेंजिंग साइट, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट),भू– आधारित मोबाइल एलिन्ट, वेपन लोकेटिंग रेडार, सोनार जैसे प्रमुख कार्यादेश शामिल हैं ।

वित्त

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने शेयरों की 5% पुनर्खरीद और उच्चतर लाभांश भुगतान से शेयरधारकों के मूल्य में बढ़ोत्तरी की । कंपनी ने शेयर पूँजी का 5% और ₹ 37,226 लाख की मुक्त प्रारक्षित निधियाँ शेयरधारकों को वापस की । 2016-17 के ₹ 23,453 लाख (105%) का अंतिम लाभांश, जिसका भुगतान 2017-18 में किया, के अलावा फरवरी 2018 में ₹ 39,312 लाख (160%) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया ।

प्रमुख परियोजनाएं करने में कंपनी द्वारा की गई पहल में प्रगति हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप विक्रयावर्त और संवृद्धि के उच्चतर पथ पर कंपनी की यात्रा सशक्त होगी । इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को अपने आंतरिक प्रोद्भवन से सभी वृद्धिशील कार्यशील पूँजी आवश्यकताएं और अधिकांश पूँजी आवश्यकताएं सामना कर सकते हैं । कंपनी को अपनी कैपक्स आवश्यकताओं के लिए ₹ 10,000 लाख का ऋण मिला है, यथा मार्च 2018 को उसी में से ₹ 6,666 लाख बाकी है । आपकी कंपनी अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों के लिए आईसीआरए द्वारा सर्वोच्च रेंटिंग बनाए रखा है ।

यथा 31 मार्च 2018 को कंपनी की वस्तुसूची की स्थिति (निवल) ₹ 477,552 लाख थी, जो 31 मार्च 2017 को ₹ 490,501 लाख थी ।

यह 31 मार्च 2018 को 206 दिनों के उत्पादन मूल्य (डीपीई) के समक्ष 31 मार्च 2017 को 181 दिनों में परिकलित होता है । यह वस्तुसूची की गहन निगरानी के कारण संभव हो सका ।

यथा 31 मार्च 2018 को व्यापार प्राप्यों की स्थिति (निवल) ₹ 570,458 लाख थी जो 31 मार्च 2017 को ₹ 435,488 लाख थी। यह पिछले वर्ष के 206 दिनों की संबंधित स्थिति की तुलना में 180 दिनों के आवर्त में परिकलित होता है । यह मुख्य रूप से बचत की कमी के कारण ग्राहकों से भुगतान स्थगित करने के कारण है ।

जमा राशियाँ

कंपनी में फिलहाल कोई सार्वजनिक जमा योजना नहीं है । बहरहाल, यथा 31 मार्च 2018 को कंपनी के पास पिछली परिपक्व सार्वजनिक जमा राशि ₹ 36.95 लाख की है (जिसे फरवरी 2006 से पहले संग्रहित किया गया था) । इन 34 जमा राशियों में से, ₹ 36.50 लाख की राशि का दावा नहीं किया गया या अदा नहीं किया गया है क्योंकि ये राशियाँ कर्नाटक लोकायुक्त के निर्देश पर निश्चल कर दी गई हैं, यथा 31 मार्च 2018 को ₹ 0.45 लाख की शेष परिपक्व जमा राशियाँ जमाकर्ताओं द्वारा पर्याप्त दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण अदत्त हैं ।

अनुसंधान व विकास

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) बीईएल की मुख्य शक्ति रही है । बीईएल के विभिन्न प्रभागों ने रणनीतिक कंपोनेंट्स, प्रौद्योगिकी मॉड्यूल, उप-प्रणाली, उत्पाद, प्रणाली और प्रणालियों की प्रणाली के विकास में शामिल है। संस्थागत प्रयासों के अलावा, बीईएल के अभियंताओं ने संयुक्त विकास के लिए डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और शैक्षिक संस्थानों के साथ कार्यरत हैं । वर्ष 2017-18 के दौरान, अनु. व वि. संबंधी कार्यकलाप कारोबार के सभी खंडों - जैसे मिसाइल सिस्टम, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति, वैमानिकी, सैन्य संचार, नौसैनिक प्रणालियाँ, सी4आई प्रणालियाँ, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिकी, गन अपग्रेड, असैनिक उपकरणों, प्रणालियों तथा घटकों में किए गए ।

बीईएल में त्रिस्तरीय अनु. व वि. संरचना यानी सीआरएल, एसबीयू/यूनिट से संबद्ध केंद्रीय डी एंड ई और पीडी एंड आईसी है । सिद्धांत और नीति के रूप में, ये अनु. व वि. प्रयोगशालाएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा बजट/समय के उचित अनुमोदन होने से आरओपी/विपणन पूर्वानुमान/ टीपीसीआर के आधार पर तीन साल की अनु. व. वि. योजनाओं के साथ अभिचिह्नित प्रौद्योगिकी और उत्पाद क्षेत्र में काम करते हैं ।

अनु. व. वि. में, बीईएल को अनेक चुनौतियों से पार पाना है । आकार, भार, शक्ति और गुणता संबंधी आवश्यकताएं अनु व वि. के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं । अनु. व वि. को कंपोनेंट स्तर पर, एमएमआईसी, सर्वोच्च एकीकृत प्रोसेसर आईसी, माइक्रोवेव सूपर कंपोनेंट आदि की नई आवश्यकताओं पर कार्य करना है । उत्पादन के स्तर पर, अनु व वि. को विन्यास-योग्य, मल्टी फंक्शन और फाल्ट टोलेरेंट उत्पाद का निर्माण करने की आवश्यकता है । सिस्टम ऑफ सिस्टम को सिस्टम इंटग्रेशन दक्षता के साथ परियोजना प्रबंधन में भी दक्षता की आवश्यकता है । कंपोनेंट का जीवन काल कम होने की कारण अप्रचलन की समस्या हमेशा बनी रही है । अनु. व वि. की सुनियोजित पहल, सिस्टम द्वारा चलित अप्रचलन की अग्रिम सूचना, अनु. व वि. श्रमिकों का प्रशिक्षण और बाह्य एजेंसियों के साथ सहयोग के साथ इन सभी चुनौतियों का सामने करते हैं ।

अगली पीढ़ी की शस्त्र प्रणाली, एचएलएस का स्मार्ट एलीमेंट, आईआईआर सीकर, स्वदेशीकरण सीएसएस सॉफ्टवेयर, लॉ प्रोफाइल ऐंटेना के साथ ऑन-द-मूव सैटकॉम, सैटकॉम मैन पैक टर्मिनल, ट्विन बैरेल 30 एमएम एडी गन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उप प्रणाली, शस्त्र प्रणाली के लिए फ्रेंड और फो का पहचान हेतु उन्नत प्रणाली, उन्नत रव नियंत्रण और संचार प्रणाली, कोस्टल सिचुएशन अवेयरनेस रेडार, अल्ट्रा लाइट-वेट शेल्टर और माड्यूलर हाई आल्टीट्यूड शेल्टर 2017-18 में प्रारंभ किए गए प्रमुख विकास हैं ।

वर्ष 2017-18 में 3डी एयरपोर्ट रेडार, इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड ऑफ गन सिस्टम, ईओटीएस फॉर ए न्यू वेपन सिस्टम प्रोग्राम, वेपन सिस्टम सॉफ्टवेयर अपग्रेड, मीडियम पावर रेडार, ओपीएस शेल्टर फॉर रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम फॉर टीथर्ड बॉए जैसे कुछ प्रमुख परियोजनाएं पूरा किया गया ।

2017-18 को दौरान, अनु. व. वि. राजस्व व्यय ₹ 883 करोड़ था और पूँजी व्यय ₹ 105 करोड़ था, जो कुल ₹ 987.81 करोड़, जो कुल आवर्त का लगभग 9.79% बनता है । 2017-18 में स्वदेशी विकास प्रयासों के कारण विक्रयावर्त, विक्रयावर्त का 89% है ।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण अनु. व वि. पुरस्कार / मान्यताएँ हैं - स्वदेशीकरण, डिज़ाइन प्रयत्न, संस्थागत पुरस्कार और रक्षा पीएसयू में उत्कृष्ट निष्पादन प्रभाग की श्रेणी में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए उत्कृष्टता हेतु रक्षा मंत्री पुरस्कार तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास की श्रेणी में वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए एसओडीईटी पुरस्कार 2017-18 के दौरान प्राप्त प्रमुख आनु व वि. पुरस्कार/सम्मान है ।

विकसित नए उत्पाद -

1. **आसूचना एकत्रण प्रणाली**
   इसमें मास्टर-स्लेव मोड में एक नियंत्रण और तीन रिसीवर स्टेशन होते हैं, जो विरोधी उत्सर्जनों को खोजने, पहचानने, निगरानी करने, रिकॉर्ड और संसाधित करने तथा उत्सर्जनों को पता लगाने के लिए होते हैं ।
2. **जहाज के लिए गन फायर कंट्रोल सिस्टम (एफसीएस)**
   यह अप मास्ट माउंटेबल कॉम्पैक्ट रेडार के साथ एक गन एफसीएस है, जिसमें ऑटो सर्च है- ऑटो / कंट्रोल (सीआईएओ द्वारा नियंत्रित) मोड में कार्य करते हैं ।

3. जहाज के लिए उन्नत संचार नेटवर्क

तुरंत और विश्वसनीय जहाज से जहाज, जहाज से तट, जहाज से हवाई संचार प्रदान करने वाला यह एक उन्नत संचार नेटवर्क है ।

4. हाई डेटा रैट जहाज डेटा नेटवर्क

वीवीडी संचार के लिए ब्रॉडबैंड प्रदान करन वाले, यह एक जहाज डेटा नेटवर्क है । यह जहाज कोंबेट सिस्टम, अन्य जहाज सिस्टम, स्विच का गेटवे और एक्सेस को जोड़ने का प्रमुख नेटवर्क है ।

5. कॉम्पेक्ट एयरबॉर्न ट्रांसमीटर

यह मीडियम पीक पॉवर और नियंत्रित ड्यूटी चक्र के साथ एक कोहरंट मास्टर ओसिलेटर पॉवर ऐम्प्लीफायर है ।

6. एईएसए रेडार के लिए पेडेस्टल

यह फायर नियंत्रण प्रणाली का उप प्रणाली है, जो लक्ष्य का पता लगाती है, उन्हें ट्रैक करती है और गन की स्थिति को सटीक कोण में बनाए रखती है ।

7. शस्त्र प्रणाली के लिए संचलन कार्य क्षमता पर संचार रेडियो

यह एक रेडियो है, जिसको आंशिक मैश नेटवर्क में कार्य करने, मीडियम स्पीड मोबिलिटी का समर्थन करने और दो अलग बैंडों में एक साथ कार्य का समर्थन करने की भी क्षमता है ।

8. मल्टी पर्पस रिफ्लेक्स वेपन साइट (एमआरडब्ल्यूएस)

यह त्वरित लक्ष्य अधिग्रहण के लिए पैरलेक्स फ्री, कोंम्पैक्ट, लाइट-वैट और मज़बूत वेपन साइट है ।

9. लाइट वैट पोर्टेबल लेज़र टार्गेट डेसिग्नेटर (एलडब्ल्यूपीएलडी)

यह टीआई (थर्मल इमेजर) के माध्यम से द्वि तेजस्वी दृष्टि तथा रात्रि प्रचालन क्षमता के साथ एक टार्गेट डेसिग्नेटर है । यह हल्का और सुवाह्य है ।

10. वेहिकिल माउंटेड एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम

यह वाहन पर रखने योग्य लो-बेड 60X40 बैगेज मशीन (XBIS) है, जिसे वाहन पर लगाया जा सकता है और जो उच्च रेज़लूशन के साथ 30एमएम तक धातु की स्कैनिंग कर सकता है ।

11. इलेक्ट्रॉ ऑप्टिक्स सिस्टम- एससीजीसी टोपाज़

यह समुद्र पर चौकसी के लिए पेट्रोल वाहन पर स्थापित एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है ।

12. टी-72 के लिए सीडीआर टीआई साइट

अत्याधुनिक एवं नवीनतम उच्च विभेदन बृहत फार्मेट के तापीय इमेजर आधारित साइट से अप्रचलित इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब आधारित कमांडर साइट को प्रतिस्थापित किया गया।

13. एचएचटीआई बाई ओक्यूलार

यह रात्रि दृश्य क्षमता के साथ हस्त धारित टीआई कैमरा है, जो ली-आयन बैटरी से काम करते हैं।

इसमें बेहतर रेंज क्षमता के लिए फोकस समंजस को साथ एक से अधिक एफओवी लेंस है ।

14. टी-90 के लिए गनर टीआई साइट

इसमें बेहतर पहचान क्षमताओं के साथ लगातार ज़ूम लेंस है ।

15. वायु रक्षा रेडार के लिए ईओ सिस्टम

टीआई साइट, लंबी दूरी सीसीडी और एलएएन कंपैटबिलिटी के लिए ज़ूम लेंस, ऑप्टिकल एक्स्टेडर के साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है ।

16. बीओएसएस के लिए संप्रेक्षण यूनिट

यह बीएसएस के लिए लक्ष्य स्थानीकरण क्षमता के साथ दिन और रात कैमरा और एलआरएफ है ।

17. माइन फील्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम (एमएफआरएस)

एमएफआरएस का प्रयोग खान (भूमि) पर किसी वांछित बिंदु, जिसमें एमएफआरएस लिया जाता है, के निर्देशांक का पता लगाने और उसे अधिक सटीकता के साथ रिकार्ड करने के लिए किया जाता है।

18. रेडियो रिले अपग्रेड (लो बैंड)

बीईएल के विद्यमान रेडियो रिले का अपग्रेड रूप है, जिसमें सीमित डेटा दर क्षमता थी ।

19. सेक्योर फोन

स्वदेशी रूप में विकसित सेक्यूर फोन उच्च संसाधन पावर की आवश्यकताएं पूरा करता है । इसमें उच्च आंतरिक स्टोरेज क्षमता होती है ।

20. हैंडहेल्ड डिज़िटल कम्पास

यह भारतीय सेना के पैदल सेना को लक्ष्य, स्टेबल हैंडिंग सूचना प्रदान करता है । रात्रि नौवहन के दौरान मैप देखने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है । यह हल्का और कॉम्पैक्ट होता है ।

21. मल्टी चैनल एनक्रिप्टर यूनिट (एमसीईयू)

यह विभिन्न डेटा दरों में स्थूल एंक्रिप्शन क्षमताओं के साथ परिवर्तनशील एंक्रिप्टर है ।

22. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन- मार्क 3 (ईवीएम मार्क 3)

यह बीईएल द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उन्नत रूप है, जिसमें बढ़ी हुई सुरक्षा और टैंपर प्रूफ सुविधाएं, लघुकृत आकार और स्व निदान सुविधाएं हैं ।

23. वीवीपैट- मार्क 3

यह वर्धित सुरक्षा और टैंपर प्रूफ सुविधा, अंतर्निर्मित डिसप्ले यूनिट और कोड रीडआउट सुविधा के साथ वीवीपैट मशीन का अद्यतन रूप है ।

वर्ष के दौरान स्थापित नई सुविधाए

कंपनी प्रौद्योगिकी / उत्पादों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अवसंरचना का निरंतर आधुनिकीकरण कर रही है । सभी यूनिटों में विशिष्ट ग्रूप तकनीकी परिवर्तनों को स्कैन करते हैं और अधिग्रहण के लिए विश्व बाजार में नई प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं। यह कंपनी को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने अवसंरचना को बनाए रखने में सक्षम बनाता है । वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने ₹ 634 करोड़ (लगभग) संयंत्र और मशीनरी, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, अनु. व वि. निवेश, अवसंरचना उन्नयन इत्यादि के आधुनिकीकरण की दिशा में कैपेक्स निवेश के हिस्से के रूप में खर्च किया ।

वर्ष के दौरान स्थापित कुछ प्रमुख सुविधाएं निम्नलिखित हैं ।

- आर्डनेंस फैक्टरी, मेडक (ओएफएमके) में सोलार पीवी शक्ति संयंत्र का उद्घाटन ।
- बीईएल को कर्मचारियों तथा अपने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं/ साझेदारों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता से बीईएल अकादमी ।
- उन्नत ईएमसी परीक्षण सुविधा, जिसमें अप्रतिध्वानिक चैंबर है । इसका उपयोग देश के प्रमुख कई परियोजनाओं के लिए सिस्टम स्तर ईएमसी परीक्षण किया जा सकता है ।
- बीईएल, बेंगलूरु में रेडार और संचार एंटेना की जाँच और परीक्षण के लिए फील्ड एंटेना टेस्ट रेंज (एनएफटीआर) सुविधा का उद्घाटन । बीईएल, बेंगलूरु में एनएफटीआर सुविधा ऐसी तीसरी सुविधा है और भारत रक्षा उद्योग में एकमात्र सुविधा है ।
- बीईएल, बेंगलूरु में उच्च स्तरीय प्रघात परीक्षण सुविधा स्थापित की गई ।
- ईवीएम और वीवीपैट का उत्पादन के लिए बीईएल, बेगलूरु और पंचकूला यूनिटों में सुरक्षित विनिर्माण परीक्षण सुविधा की स्थापना ।
- बीईएल, पुणे में विनिर्मित नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक आर्टीलेरी फ्यूज़ ।

बीईएल में सैप का कार्यान्वयन और आईटी संबंधी अन्य पहलें–

2006-07 में बीईएल में ईआरपी-सैप का कार्यान्वयन किया और बीईएल में संपूर्ण कारोबार प्रक्रिया सैप में ही की जाती है । समय के साथ-साथ, बीईएल ने सैप के प्रमुख मॉड्यूल जैसे, पीपी, एमएम, एसडी, क्यूएम, एचआर, एफआईसीओ, पीएलएम, पीएस आदि, तथा अनेक अतिरिक्त मॉड्यूल जैसे आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन (एसआरएम), ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम), व्यवसाय ज्ञान (बीआई), फाइल लाइफ साइकिल प्रबंधन (एफएलएम), कर्मचारी स्व सेवा (ईएसएस), ज्ञान प्रबंधन (केएम) आदि सफलतापूर्वक कार्यन्वित किया गया । बीईएल ने सैप में कई प्रक्रियाओं को लागू किया है, जो मानक ईआरपी मॉड्यूल में नहीं हैं जैसे मानकीकरण, इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए संविदा प्रबंधन प्रणाली, नौसेना के लिए ऑनलाइन स्पेयर ऑर्डर प्रबंधन प्रणाली, फैक्टरी शिकायत प्रबंधन प्रणाली, टाउनजहाज प्रबंधन प्रणाली, बीईएल अतिथि प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी शिकायत प्रणाली, लीड प्रबंधन प्रणाली, सतर्कता प्रक्रिया, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली आदि । बीईएल ने एसबीयू में से एक में पायलट स्कैल पर गवर्नेंस रिस्क और कंप्लाइंस (जीआरसी) मॉड्यूल लागू किया है और वर्ष 2018-19 से कंपनी भर लागू किया जाएगा।

जीएसटी कर प्रणाली में स्थानांतरण पूरी तरह से सैप सिस्टम के साथ एकीकृत है । 3 बी, 1 आदि जैसे आवश्यक सभी रिटर्न फार्म को सिस्टम से सीधे किसी भी हस्त गतिविधियों के बिना सिस्टम से लिया जाता है । स्थानांतरण कारोबार की एक भी दिन की बाधा के बिना नई प्रणाली के लिए ज़ीरो स्टेप कार्य था ।

बीईएल ने विक्रेताओं, ग्राहकों, प्रबंधन, कर्मचारियों और आगंतुकों जैसे हितधारकों को ई-मेल और एसएमएस के रूप में वास्तविक समय सूचना प्रणाली का कार्यन्वयन किया । बीईएल ने जीएसटी और अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण एसएपी में पूरी तरह से कंपनी के आईटी टीम द्वारा कार्यान्वित किया ।

बीईएल सैप टीम को भ्रष्टाचार से लड़ने की सर्वश्रेष्ठ संस्थागत पद्धति श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया ।

बीईएल ने भारत भर के स्थानों को शामिल करते हुए कंपनी भर में, नवीनतम, मल्टी पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा लागू की है । इससे संचार और समीक्षा की दक्षता और आसानी में सुधार हुआ है।

बीईएल ने इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच एयर गैप अवधारणा लागू की है। इसलिए इंट्रानेट को सूचना प्रणाली पर हो रही बाहरी साइबर हमलों से बच सकता है । बीईएल ने वर्ष 2017-18 में उन्नत सूचना सुरक्षा मैनुअल और प्रक्रिया जारी की । बीईएल मंत्रालय द्वारा जारी सभी साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है । सूचना सुरक्षा में सुधार लाने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं ।

गुणता

गुणता, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष बीईएल के कारोबारी पहल के तीन म र्गदर्शी स्तंभ हैं । गुणता इनमें से प्रथम स्तंभ है, जिस पर कंपनी सर्वाधिक ध्यान देती है। ग्राहकों के दिए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पाद अभिकल्प, समय पर सुपुर्दगी, प्रक्रिया में लगने वाला समय, एसपीसी, गुणता नियंत्रण आदि से संबंधित प्रचालन एवं कारोबारी परिमापों में सुधार के लिए गुणवता पहल की जा रही है।

कंपनी विश्व स्तरीय गुणता प्रणाली के अनुरूप प्रक्रियाओं के जरिए सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। सभी यूनिटों/ रणनीतिक कारोबारी यूनिटों

(एसबीयू) / समान सेवा ग्रुपों (सीएसजी) को शुरूआती नब्बे के दशक से गुणता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमसी) का आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण प्राप्त किया है यथा गाज़ियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, हैदराबाद, सैनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति और वैमानिकी तथा निर्यात विनिर्माण, सात यूनिटों/एसबीयू अपने क्यूएमएस से एयरोस्पेस मानक, एएस 9100 तक उन्नति की है।

कंपनी की सभी यूनिटें आईएसओ 14001 प्रमाणीकरण के ज़रिए पर्यावरण प्रबंध प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध हैं । गाज़ियाबाद यूनिट ओएचएसएएस (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं निर्धारण श्रृंखला) 18001 के लिए प्रत्यायित हैं ।

क्यू.एम.एस. के लिए आईएसओ 9001:2008 तथा ईएमएस के लिए आईएसओ 14001:2004 का संशोधन 2015 संस्करण सितंबर 2015 में हुआ था। इसी तरह, अक्तूबर 2016 में एएस 9001 संशो. 'सी' संशो 'डी' तक अपग्रेड हुआ । बीईएल में इन प्रमाणीकरणों का उन्नयन करने के लिए, विभिन्न एसबीयू/ यूनिट के कर्मचारियों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, शीर्ष लेखा-परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सुधार कार्यक्रम तथा शीर्ष लेखा परीक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 9 यूनिट/एसबीयू आईएसओ 9001 का 2015 संस्करण में और 4 यूनिट/एसबीयू एएस 9100 का रिविज़न डी में उन्नत किया ।

बेंगलूरु कामप्लेक्स, गाज़ियाबाद और पंचकूला यूनिटों के परीक्षण उपकरण अंशांकन एवं अनुरक्षण विभाग आईएसओ/आईईसी 17025 मानक के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रमाणित है । पुणे यूनिट द्वारा निर्मित एक्स-रे ट्यूब चिकित्सा उपकरणों के लिए आईएसओ 13485 मानक से प्रणाणित है । बेंगलूरु कॉमप्लेक्स का भारत इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र (बीएसटीसी) सीएमएमआई स्तर 5 से प्रमाणित है । डी एंड ई-एनसीएस और सीआरएल-गाज़ियाबाद सीएमएमआई स्तर 3 से प्रमाणित है ।

बीईएल में वर्ष 2002 से हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि लाने के लिए समग्र रणनीतिक और परिचालन उत्कृष्टता हेतु कारोबारी उत्कृष्टता की दृष्टिकोण के रूप में ईएफक्यूएम (गुणता प्रबंधन का यूरोपियन फाउंडेशन) मॉडल का पालन किया जा रहा है । कंपनी में इसकी तैनाती की स्थिति का मूल्यांकन चरणबद्ध तरीके से 'कारोबारी उत्कृष्टता के लिए सीआईआई-एक्ज़िम बैंक पुरस्कार' में भागीदारी के माध्यम से किया गया । बीईएल की सभी यूनिटों / एसबीयू ने 'उत्कृष्ट बनने के लिए सुदृढ़ प्रतिबद्धता की संस्तुति' स्थिति हासिल की है । बेंगलूरु, गाज़ियाबाद और कोटद्वार यूनिटों ने अगले उच्च स्तर यानी 'उल्लेखनीय उपलब्धि की संस्तुति' हासिल की ।

विभिन्न दृष्टिकोण से उत्पाद और प्रक्रिया में लगातार सुधार किया जा रहा है । ऐसा एक दृष्टिकोण 'सिक्स सिग्मा कार्यप्रणाली' है । कनिष्ठ और मध्यम स्तर के कार्यपालकों ने उत्पाद और प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए संबंधित क्षेत्रों से सिक्स सिग्मा परियोजना का चयन करते हैं । सिक्स-सिग्मा पद्धति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से सुधार लाने के लिए, यूनिटों से वरिष्ठ अधिकारियों (16 व्यक्तियों) का चयन करके, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बेंगलूरु द्वारा समय-समय पर 'ब्लैक बेल्ट' के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है । ये ब्लैक बेल्ट अपने सिक्स सिग्मा परियोजनाओं में अन्य अधिकारियों (ग्रीन बेल्ट) को मार्गदर्शन देते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 519 सिक्स-सिग्मा परियोजनाएं पूरी की गईं । क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए नामांकित 35 सिक्स-परियोजनाओं में से 21 परियोजनाओं को क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए और शेष 14 परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर चैंपियनजहाज पुरस्कार प्राप्त हुए ।

संगठन ने क्वालिटी कंट्रोल सर्किल (क्यूसीसी) के माध्यम से गुणता आंदोलन में गैर-कार्यपालकों को भाग लेने की सुविधा प्रदान की है । वर्ष 2017-18 में, उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न क्यूसीसी द्वारा 656 क्यूसीसी प्रस्तुतीकरण दिए गए थे । कई क्यूसीसी मंडल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नामांकित किए गए और सभी पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए चुने गए थे । अंतर यूनिट क्यूसीसी प्रतियोगिता में सीएमडी की रोलिंग शील्ड जीती क्यूसीसियों में से एक ने, ओकाडा, फिलीपींस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, आईसीक्यूसीसी 2017 में बीईएल का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड पुरस्कार जीता ।

गुणता सुधार के लिए एक और दृष्टिकोण सुझाव योजना के माध्यम से है, जिसमें गैर-कार्यपालकों से प्रबंधकों तक के कर्मचारियों ने सुझाव देते हैं, और उन्हें उनके सुझावों के कार्यान्वयन पर उचित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष कर्मचारियों द्वारा लगभग 2549 सुझाव दिए गए थे । जनवरी 2018 के दौरान औरंगाबाद में भारतीय राष्ट्रीय सुझाव योजना संघ द्वारा आयोजित 28 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बीईएल के चयनित कर्मचारियों ने भाग लिया और विभिन्न श्रेणियों के तहत 10 पुरस्कार जीते । बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स को राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग उद्योग श्रेणी के तहत सुझाव योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता 2017 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ।

कंपनी ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी (एएसक्यू) द्वारा आयोजित सर्टिफाइड रिलायबिलिटी इंजीनियर (सीआरई) कार्यक्रम के लिए डी एंड ई इंजीनियरों को नामांकित किया । वर्ष 2017-18 में कुल सीआरई के लिए 39 डी एंड ई इंजीनियरों को पेशेवर रूप से प्रमाणित किया गया था, कंपनी में सीआरई की संख्या 223 है ।

वर्ष के दौरान विभिन्न एसबीयू / यूनिटों के 35 प्रचालनात्मक स्तर की गुणता इंजीनियरों ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी (एएसक्यू) द्वारा सर्टिफाइड क्वालिटी इंजीनियर (सीक्यूई) कार्यक्रम के तहत प्रमाणित किया गया, कंपनी में सीक्यूई की संख्या 141 है । उच्च स्तर का अगला

कार्यक्रम, जैसे वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए गुणता और संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रमाणित प्रबंधक (सीएमक्यू एंड ओई) भी एएसक्यू द्वारा आयोजित किया गया और वर्ष के दौरान संचयी कुल 62 में से 13 वरिष्ठ कार्यपालकों को प्रमाणित किया गया ।

वर्ष के दौरान कारोबारी उत्कृष्टता सहित गुणता प्रबंधन प्रणाली मानक के नवीनतम संस्करणों के साथ संशोधित बीईएल गुणवत्ता मैनुअल (संशोधन 4) जारी किया गया था।

इस वर्ष 'गुणता पहचान पुरस्कार' योजना शुरू की गई । गुणता संबंधित कई मानकों और यूनिटों के सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए यूनिटों/एसबीयू का मूल्यांकन किया गया, जिसमें, गा.बाद के एंटेना और रेडार एसबीयू, पंचकूला यूनिट तथा चेन्नै यूनिट और बेंगलूरु कॉमप्लेक्स के एमआर एसबीयू ने पुरस्कार जीता ।

परियोजना प्रबंधन की संस्कृति को विकसित करने हेतु, परियोजना प्रबंधन पेशेवरों (पीएमपी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण के बाद, वर्ष 2017-18 में परियोजना प्रबंधन संस्थान (पीएमआई) द्वारा 146 पीएमपी (2007-08 के बाद से संचयी 453) प्रमाणित किया गया था। इसके अलावा, निचले स्तर के कार्यपालकों को अपने कार्य में परियोजना प्रबंधन अवधारणा का उपयोग करने के लिए परियोजना प्रबंधन कार्यान्वयन कार्यक्रम (पीएमआपी) जैसे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

बीईएल के उत्पादों और सेवाओं की गुणता पर ग्राहकों का अनुभव का ग्रहण करने के लिए एक बाहरी एजेंसी, यानी मेसर्स बीपीएमबीसी मार्केटिंग रिसर्च (इंडिया) प्रा. लि., पुणे द्वारा एक स्वतंत्र ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण (सीएसएस) किया गया था । 2017-18 ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में 19 यूनिटों/एसबीयू से बीस उत्पादों को शामिल किया गया था । इसका परिणाम अभी लंबित है । पिछले वर्ष 2016-17 में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 83.8% (औसत) रहा ।

प्रक्रियाओं के बेहतर प्रबंधन और विश्लेषण, जो उनके समग्र सुधार में मदद करती है, के लिए उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के आधार पर सैप ईआरपी प्रणाली में नए ट्रांसाक्शन कोड शुरु किया । सैप में ग्राहक संबंध प्रबंधन मॉड्यूल (सीआरएम) और आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन मॉड्यूल (एसआरएम) ग्राहक सेवा और प्रापण कार्य में सुधार कर रहे हैं ।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी में 31 मार्च, 2017 को 9,716 कार्मिकों के समक्ष यथा 31 मार्च 2018 को 9,726 कार्मिक नियोजित थे । इनमें से यथा 31 मार्च 2018 को 4,863 अभियंता/ वैज्ञानिक और 2,054 महिला कर्मचारी थे । वर्ष के दौरान कुल 361 कार्यपालक और 98 गैर कार्यपालक नियुक्त किए गए । वर्ष के दौरान अ.जा. के 82 कर्मचारी, अ.ज.जा. के 31 कर्मचारी, अ.पि.व. के 133 कर्मचारी तथा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 22 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई ।

कंपनी आरक्षण से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करती आ रही है । यथा 31 मार्च 2016 को अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य वर्ग के कर्मचारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

कर्मचारियों का वर्ग	कार्यपालक		गैर-कार्यपालक	
	समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
अनुसूचित जाति	1019	29	670	42
अनुसूचित जनजाति	344	8	142	24
अ.पि.व.	1241	36	853	43
भूतपूर्व सैनिक	92	6	270	75
शारीरिक रूप से अक्षम	97	3	125	4

तकनीकी, कार्यशील, प्रबंधन एवं नेतृत्व के क्षेत्रों में सक्षमताएँ बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए । कार्यपालकों के विभिन्न ज़रूरतों में पदोन्नत होने के साथ-साथ विकसित होने वाली उनकी प्रशिक्षण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ संरचित कार्यपालक विकास कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए गए ।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी, कार्यशील एवं प्रबंधन/नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्षमताएँ बढ़ाने के लिए अभिकल्पित होते हैं ।

वर्ष के दौरान कंपनी के मानव संसाधन सिद्धांत एवं मानव संसाधन संबंधी विशिष्ट पहलों पर विस्तृत लेख प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में अलग से दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है ।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

हमारी कंपनी एक ऐसी नियोक्ता है जहाँ सभी को समान अवसर दिए जाते हैं तथा ऐसा कार्य वातावरण बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं जहाँ सभी कर्मचारियों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न, (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया गया है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेधाज्ञा तथा निवारण नीति को कंपनी के इन्ट्रानेट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सेवा उपलब्ध कराने वाली महिलाओं सहित स्थायी, अस्थायी या ठेके पर कार्य रही सभी महिलाएँ इस नीति में शामिल होती हैं।

कार्पोरेट कार्यालय समेत नौ संघटक यूनिटों में से प्रत्येक में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति

गठित की गई है। वर्ष के दौरान, कंपनी के पास यौन उत्पीड़न संबंधी 2 शिकायतें आईं। शिकायत पर छानबीन की गई और उपयुक्त कार्रवाई की गई। 90 दिन तक की कोई भी शिकायत को लंबित नहीं है।

पूरी कंपनी में कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ मर्यादा बनाए रखने में कर्मचारियों को सुग्राही बनाने हेतु मुख्यत: यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में, जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए।

पुरस्कार और पहचान

आपकी कंपनी ग्राहकों की सुदृढ़ अंतर्दृष्टि और देश भर में ग्राहकों के साथ जुड़ने की क्षमता के आधार पर, अपने उत्पादों की गुणता और नवोन्मेष के लिए लगातार विश्वसनीय बनी हुई है । वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने और इसके कर्मचारियों ने अनेक पुरस्कार और पहचान प्राप्त किए। आपकी कंपनी और उसके कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं –

- रक्षा मंत्री का पुरस्कार (2014-15)
  र) स्वदेशीकरण पुरस्कार–
    - o डॉपलर मौसमी रेडार

  ल) डिज़ाइन प्रयास–
    - o भारतीय नौसेना के लिए लिंक्स यू2 नाविक गन फायर नियंत्रण प्रणाली
- रक्षा मंत्री का पुरस्कार (2015-16)
  र) संस्थागत पुरस्कार–
    - o निर्यात में उत्कृष्ट निष्पादन

  ल) प्रभाग/फैक्टरी/जहाजयार्ड पुरस्कार–
    - o रक्षा पीएसयू में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने वाला प्रभाग– नौसेना प्रणाली (रेडार और फायर नियंत्रण प्रणाली)

  ल) स्वदेशीकरण पुरस्कार–
    - o लाइट वैट पोर्टबल लेज़र टार्गेट डेज़िग्नेटर ।

  व) डिज़ाइन प्रयास –
    - o स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली का टेस्ट बेड।
- वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए बीईएल के कर्मचारियों को प्रधान मंत्री के श्रम पुरस्कार ।
- वर्ष 2016–17 के लिए डिज़िटलीकरण का विशिष्ट संस्थागत श्रेणी में उत्कृष्ट और प्रमुख योगदान के लिए स्कोप पुरस्कार ।
- वर्ष की उत्कृष्ट पीएसयू' के लिए अखिल भारत प्रबंधन संघ (एआईएमए) मैनेजिंग इंडिया पुरस्कार ।
- गवर्नेंस नाउ पुरस्कार– कारोबार विविधता, प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों का अभिग्रहण, मा.सं. उत्कृष्टता, पर्यावरणीय संधारणीयता और अनुसंधान व विकास ।
- मीडियम और लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर के तहत विनिर्माण श्रेणी में डन और ब्राडस्ट्रीट भारत का प्रमुख पीएसयू पुरस्कार ।
- चौकसी और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कारोबार उत्कृष्टता हेतु एमिटी लीडरजहाज पुरस्कार ।
- फाइल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट (एफएलएम) नामक ई-फायलिंग प्रणाली का कंपनी भर सफल कार्यान्वयन करने के लिए "भ्रष्टाचार से लड़ने की सर्वोत्कृष्ट संस्थागत पद्धति" वर्ग में उत्कृष्ट योगदान हेतु सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार –2017 ।
- सुझाव नीति में उत्कृष्टता के लिए इंसान पुरस्कार– वर्ष 2016–17 में बीईएल बेंगलूरु यूनिट के इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ग्रूप के लिए उत्कृष्ट निष्पादन हेतु सुझाव नीति का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2016–17 के लिए पीएसयू श्रेणी में एसोसियेटड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएसएसओसीएचएएम) से 'उत्तरदायी संगठन उत्कृष्टता पुरस्कार' का प्रथम पुरस्कार ।
- ईएलसीआईएनए– वर्ष 2016–17 के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया से निर्यात में उत्कृष्टता हेतु ईएपआई पुरस्कार

वर्ष के दौरान अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ–

- **इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम का सौंपा जाना–**

  यह बीईएल हैदराबाद यूनिट में दिनांक 18 मार्च 2018 को डॉ. एस क्रिस्टेफर, अध्यक्ष डीआरडीओ तथा सचिव रक्षा अनु. व वि. विभाग और श्रीमती मंजुला, डीएस एंड डीजी (ईसीएस) की उपस्थिति में एयर वाइस मार्शल बी आर कृष्णा, एवीएसएम, एससी, सहायक मुख्य वायु स्टाफ (योजना), भारत वायु सेना को सौंपा गया ।

- **दोड्डबोम्मसंद्रा झील, बेंगलूरु को मलजल उपचार संयंत्र की आधारशिला रखी** – बीईएल ने कर्नाटक झील संरक्षण और विकास प्राधिकरण (केएलसीडीए), बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और कर्नाटक राजस्व विभाग के सहयोग के साथ अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों के भाग के रूप में ₹ 13.5 करोड़ की लागत में दोड्डबोम्मसंद्रा झील को पुनर्जीवित रखने के लिए 10 एमएलडी (प्रतिदिन मिलियन लिटर) मलजल उपचार संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

  मुख्य अतिथि माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के केंद्रीय मंत्री श्री डी वी सदानंद गौडा द्वारा प्रस्तावित मलजल उपचार संयंत्र की स्थापना और शुरुआत के लिए दिनांक 17 फरवरी 2018 को आधारशिला रखी गई । माननीय कृषि मंत्री श्री कृष्णा बैरे गौडा ने समारोह का संचालन किया । मलजल उपचार संयंत्र की डिज़ाइन नवीनतम 'सीक्वेन्श्यल बैच रिएक्टर टेक्नॉलाजी' (एसबीआर)

होगा । यह केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) का एक सुव्यवस्थित 'एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस' का अग्रिम वर्शन है ।

- **एमएएलई यूएवी का टेस्ट फ्लाइट के लिए योगदान–**

  दिनांक 25 फरवरी 2018 को मीडियम आल्टिट्यूड लोंग एंड्यूरेंस अनमैंड एरियल विहाइकल (एमएएलई यूएवी) का टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक किया है ।

  बीईएल ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (जीसीएस), ग्राउंड डेटा टर्मिनल (जीडीटी), यूएवी कार्यक्रम के लिए विभिन्न अंतरिक्ष उपकरण के विकास में योगदान दिया और क्षेत्र मूल्यांकन और विकास परीक्षण की विभिन्न स्थितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया । बीईएल ने वैमानिक विकास स्थापना (एडीई) में विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 90 करोड़ का वित्त–पोषण और विकास गतिविधियों के लिए इंजीनियरिंग टीम को तैनात भी किया ।

- **जम्मू में सेवा समर्थन केंद्र का उद्घाटन–**

  दिनांक 29 अगस्त 2017 को एयर वाइस मार्शल राजीव गंदोत्रा, एवीएसएम, वरिष्ठ अनुरक्षण स्टाफ अधिकारी द्वारा आईएएफ स्टेशन, कालू चाक, जम्मू में सेवा समर्थन केंद्र का उद्घटन किया गया । यह सेवा समर्थन केंद्र भारतीय वायु सेना और भारतीय थलसेना द्वारा युद्धक्षेत्रों में प्रयुक्त बीईएल उत्पादों के लिए सहयोग प्रदान करेगा ।

- **शस्त्र प्रणाली का फायरिंग ट्रायल के लिए योगदान–**

  दिनांक 15 दिसंबर 2017 को बीईएल विनिर्मित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ इंडिजीनियस सर्फेस टू एयर वेपन सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया ।

- **बीईएल ने प्रगत सी4आई सिस्टम को रवाना किया–**

  मेजर जनरल आर के चौधरी, एडीजी आईएस(ए), ब्रिगेडियर आर एस मेहता एडीजीक्यूए (एल), ब्रिगेडियर अजय सेठी डीडीजी, डीजीक्यूए, सीक्यूएएल और पीएमओ–बीएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने द्वारा दिनांक 07 दिसंबर 2017 को बीईएल गाज़ियाबाद यूनिट में प्रगत सी4आई सिस्टम रवाना की गई ।

- **बीईएल ने भारतीय रक्षा बलों के प्रयोगार्थ चेन्नै यूनिट से 100वें अपग्रेड इलेक्ट्रो ऑप्टिक गन को रवाना किया ।**

- **ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली (ओआईएमएस)–** बीईएल ने 24 नवंबर 2017 में भारतीय नौसेना के लिए ऑनलाइन वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया । ओआईएमएस का विकास बीईएल में किया गया है और भारतीय नौसेना को बीईएल द्वारा आपूरित उपकरण की बिक्री पश्चात सुगम सुविधा प्रदान करना अपेक्षित है ।

- **स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल का टेस्ट फायरिंग के लिए योगदान –** ओडीशा के चंद्रपुर से 04 जून 2017 को स्वदेशी रूप में विकसित सतह–से–हवाई त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल का टेस्ट फायर किया । सतह–से–हवाई त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल (क्यूआर–एसएएम) रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा संयुक्त रूप में विकसित किया गया । बीईएल द्वारा विकसित टू–व–डेटा–लिंक (टीडब्ल्यूडीएल) सिस्टम का ऑन बोर्ड मिसाइल यूनिट फायरिंग ट्रायल के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया गया ।

सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम एवं संबद्ध कंपनियाँ

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइस लिमिटेड (बेलॉप), इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के निर्माण कार्य में लगे हैं, जो पूर्ण रूप से बीईएल की सहायक कंपनी है । आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान बेलॉप के अधिकार निर्गमों में अभिदान करते हुए बेलॉप के इक्विटी शेयरों में ₹ 1,744 लाख (₹ 146/– प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 100/– प्रत्येक के 708,732 इक्विटी शेयर) तक का अतिरिक्त निवेश किया है।

बेलॉप ने पिछली वर्ष ₹ 12,388 लाख की तुलना में इस वर्ष ₹ 12,164 लाख का विक्रयावर्त प्राप्त किया । कर पश्चात लाभ (पीएटी) पिछले वर्ष ₹ 482 लाख की तुलना में इस वर्ष ₹ 1,155 लाख था । बेलॉप ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 5.22 प्रति शेयर लाभांश का प्रस्ताव किया।

सहायक कंपनी जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा । यह कंपनी सीटी मैक्स और एक्स–रे ट्यूब का अन्य नवीनतम संस्करण का विनिर्माण करता है । बीईएल इस कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के कुछ पुर्जों की आपूर्ति करती है । जीई बीई प्रा. लि. ने पिछले वर्ष के ₹ 79,985 लाख की तुलना में इस वर्ष ₹ 80,691 लाख का विक्रयावर्त अर्जित किया । कर पश्चात लाभ (पीएटी) पिछली वर्ष ₹ 10,130 लाख की तुलना में इस वर्ष ₹ 9,146 लाख था । कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 100% लाभांश का प्रस्ताव किया ।

मेसर्स बीईएल–थालेस सिस्टम लिमिटेड (बीटीएसएल), भारतीय और वैश्विक बाज़ार के लिए आसैनिक और चयनित सैनिक रेडारों का अभिकल्प, विकास, विपणन और समर्थन के लिए एक सहायक कंपनी की स्थापना की गई । आपकी कंपनी बीटीएसएल में 74% इक्विटी पूँजी धारित करती है । इसके प्रचालन के चौथे वर्ष के दौरान, ₹ 259 लाख की हानि हुई ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 1.0 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूँजी (बीईएल – 50%; एचएएल – 50%) के साथ लाभ–रहित कंपनी के रूप में दिनांक 10 अप्रैल 2017 को रक्षा नवोन्मेष संगठन (डी.आई.ओ.) की स्थापना की गई। इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ज्ञानार्जन व विकास केंद्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमि

टेड, जालहल्ली, बेंगलूरु – 560 013 में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त–पोषण करने के लिए की गई है। इस कंपनी ने अभी अपना कामकाज शुरु नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) जिसे कंपनी (लेखा) विनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार पढ़ा जाना है, के तारतम्य में सहायक कंपनी/सहायक/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण के मुख्य विशेषताएं सहित वित्तीय विवरण में संलग्न किया गया ।

समेकित वित्तीय विवरण

आपकी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।

सतर्कता

आपकी कंपनी के सतर्कता संगठन का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.), एक आईएएस अधिकारी बिहार कैडर (1987 बैच) द्वारा किया जाता है । स्थायी सर्तकता अधिकारी प्रत्येक यूनिट और एसबीयू में नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक यूनिट /एसबीयू में सर्तकता प्रशासन देखने के लिए सर्तकता समितियाँ गठित की गईं । यूनिट/एसबीयू के अध्यक्षों को सतर्कता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त कार्पोरेट कार्यालय में भी एक सर्तकता समिति गठित है जहाँ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष है तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी सदस्य सचिव है। सतर्कता संगठन का ज़ोर दिए जाने वाला क्षेत्र निवारणात्मक सतर्कता है और चालू वर्ष के दौरान इसी पर ध्यान केन्द्रित किया गया । सतर्कता विभाग नियमित आधार पर खरीद, ठेकों और संबंधित प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है, नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण संचालित करता है और उसे संदर्भित किसी संदिग्ध लेनदेन की जाँच–पड़ताल करता है । कोई भी कर्मचारी या तृतीय पक्षकार किसी संदिग्ध लेन–देन के बारे में जाँच–पड़ताल करने हेतु सीवीओ को सूचित कर सकता है, जिसकी जांच कंपनी की शिकायत निवारण की नीति के अनुसार की जाती है। ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली प्रचालन में है । ऑनलाइन शिकायतों को बीईएल की वेबसाइट पर लॉग इन कर दर्ज कराया जा सकता है ।

वर्ष के दौरान 1158 क्रय आदेश/अनुबंध की समीक्षा की गई। 5 आईई टीमों को गठित करते हुए सीटीई प्रकार के गहन परीक्षण की प्रक्रिया दोबारा निर्धारित की गई। वर्ष के दौरान 66 उच्च मूल्य प्रापण अनुबंध की गहन जांच की गई । फील्ड सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित तथा आकस्मिक जाँच / निरीक्षण भी किए गए । वर्ष के दौरान, 54 शिकायतें जिनमें सीवीसी/एमओडी/सीबीआई द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई तथा 56 शिकायतें जिनमें 5 शिकायतें सीवीसी/एमओडी/सीबीआई द्वारा संदर्भित थीं, को निपटाया गया। कुछेक मामलों जिनमें कमियाँ पाई गईं, में अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा सिस्टम/प्रक्रिया सुधार की सिफारिश की गई । दो मामले, गाज़ियाबाद और बेगलूर सीबीआई की जाँच के लिए लंबित है ।

वर्ष के दौरान भर्ती स्तर पर 115 परीवीक्षाधीन अभियंता, 1582 कार्यपालक तथा 629 गैर–कार्यपालकों को मौलिक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया । इसके अलावा 76 वरिष्ठ कार्यपालकों ने सतर्कता, साइबर अपराध तथा निवारक सतर्कता उपाय पर कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। संवेदनशील क्षेत्रों में 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत 77 कार्यपालकों और 54 गैर कार्यपालकों का कार्य चक्रानुक्रम किया गया और इसका प्रतिशत कवरेज 100% है ।

सतर्कता विभाग को जून 2016 में बीईएल की सतर्कता कार्य के लिए आईएसओ 9001/2015 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है । दूसरी चौकसी लेखा परीक्षा मार्च 2018 के दौरान पूरी की गई ।

प्रौद्योगिकी आवर्धन पर सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सैप और कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित कार्य शुरु किए गए–

- टीओटी प्रापण को छोड़कर ई–प्रापण प्रतिशत लगभग 90% हुआ, दीर्घावधि दर संविदा और दोहराए गए आदेश को ई–प्रापण के तहत प्राप्त किया गया।
- पूर्तिकर्ताओं का ऑनलाइन पंजीकरण ।
- पूर्तिकर्ता भुगतान सूचना प्रणाली ।
- पूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए ई–भुगतान/बैंक अंतरण की सुविधा ।
- संकर्म ठेकों, सेवा संविदाओं, पूँजीगत मदों तथा गैर–उत्पादन मदों के संबंध में ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य के प्रदत्त ठेकों / क्रय आदेशों के ब्यौरे वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।
- नामांकन / एकल निविदा आधार पर जारी 5 लाख से अधिक मूल्य के ठेकों / क्रय आदेशों के ब्यौरे वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।
- क्रय प्रक्रियाएँ, तथा संकर्म ठेका मैनुअल में संशोधन किए गए और वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।
- शिकायत निवारण नीति तथा सचेतक नीति वेबसाइट पर डाल दी गई है।
- भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंध नीति बनाई गई तथा कार्यान्वयन हेतु जारी की गई। इसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

- निष्क्रिय पूर्तिकर्ताओं को हटाने के बाद पूर्तिकर्ताओं की निर्देशिका, कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई है ।
- कंपनी भर में फाइल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम कार्यान्वित की गई जिसमें कंपनी में सृजित कुल फाइलों का लगभग 95% हिस्सा शामिल है ।
- एपीआर की ऑन लाइन फाइलिंग सैप में सभी कार्यपालकों के लिए लागू की गई और कार्यपालकों द्वारा सैप में एपीआर द्वारा फाइलिंग किया जा रहा है ।
- सतर्कता माह की रिपोर्ट सैप द्वारा बनाई गई ।
- सतर्कता स्वीकृति सैप में समर्पित सतर्कता पोर्टल द्वारा स्वीकार की जाती है ।

सतर्कता स्थापना कंपनी के सभी लेन-देनों तथा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, न्यायसंगतता और समानता लाने के लिए कंपनी के सिस्टम और प्रक्रियाओं द्वारा जागरूकता पैदा करने तथा जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लगातार प्रयासरत है । वर्ष के दौरान किए गए कुछ मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं -

i) अक्तूबर/नवंबर 2017 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया । प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विशेष संबोधन का आयोजन करते हुए यह सप्ताह मनाया गया । बाहरी कार्यकलापों के भाग के रूप में बेंगलूरु जिले में नेलमंगला और डाबसपेट, गाज़ियाबाद के पास राजपुरा और महमूदपुर गाँव, आंध्रप्रदेश में निम्मलूरु गाँव और तेलंगाना राज्य में भोंगिर जिले के वेल्लांकी जिले में ग्रामसभाएं आयोजित की गई । बीईएल फैक्टरी के आस-पास स्थित स्कूलों और कॉलेजों के विद्यर्थियों को राष्ट्रीय एकता और भ्रष्टाचार विरुद्ध संदेशों से संबंधित लघु नाटिका और वीडियो फिल्म दिखाया गया । बीईएल शैक्षिक संस्थान के 750 विद्यार्थियों को शामिल करते हुए लघु नाटिका और प्रेरणात्मक वीडियो फिल्म के रूप में भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा भी दिलायी गई । सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में बीईएल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा वाकेथॉन और साइकिल रैली, बीईएल कर्मचारियों द्वारा मानव श्रृंखला, बेंगलूर के पीएसयू और पीएसबी के कर्मचारियों द्वारा वॉकिंग, वृक्षारोपण और पौधे का वितरण, सतर्कता स्लोगन बोर्ड का अनावरण और प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान श्रृंखला और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

ii) सीवीसी वेबसाइट में ई-शपथ लेने के अलावा आयोग की नई पहल के रूप में बीईएल-इंट्रानेट में ई-शपथ की सुविधा उपलब्ध कराई गई ।

iii) बीईएल के लगभग 3041 कर्मचारियों ने विश्व बैंक द्वारा आयोजित पब्लिक प्रापण पर ऑनलाइन प्रमाणित कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। लगभग 60 कार्यपालकों, जिन्होंने विशेष योग्यता के साथ सीपीपीपी पूरा किया, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट (आईआईएमएम) द्वारा आयोजित 'प्रोफेशनल डिप्लोमा इन पब्लिक प्रोक्यूर्मेंट' के अगले स्तर पाठ्यक्रम लिया जा सकता है। इसके अलावा, 173 कर्मचारियों ने विश्व बैंक द्वारा आयोजित सीपीसीएम (सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कान्ट्राक्ट मैनेजमेंट) सफलतापूर्वक पूरा किया ।

iv) कंपनी भर के कार्यपालकों के क्षमता बढ़ाने के लिए "अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा आरोप-पत्र तैयार करना", "सार्वजनिक खरीद में ईमानदारी, निष्ठा संधि और साइबर सुरक्षा", "कार्पोरेट के लिए साइबर सुरक्षा", "मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान" जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

निष्ठा-संधि

प्रापण संबंधी कार्यकलापों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा हाल ही में की गई एक पहल है सरकारी संगठनों में बृहत् मूल्य के ठेकों में निष्ठा-संधि को प्रारंभ करना । रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने प्रारंभिक रूप से ₹ 2,000 लाख तथा इससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों/ठेकों के लिए सभी विक्रेताओं/पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के साथ इस निष्ठा संधि को अपनाया है । मूल्य की इस ऊपरी सीमा को मार्च 2013 से घटाकर ₹ 1,000 लाख किया गया और मई, 2014 में घटाकर ₹ 500 लाख किया गया और फिर से सितंबर 2016 से घटाकर ₹ 400 लाख कर दिया और इसके बाद सितंबर 2017 में और भी घटाकर ₹ 300 लाख कर दिया ।

इस संधि में यह आवश्यक रूप से उल्लिखित है कि ठेके के किसी पहलू / अवस्था में किसी प्रकार की भ्रष्ट पद्धति का आश्रय न लेने के लिए दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों / अधिकारियों को प्रतिबद्ध करते हुए संभावित विक्रेताओं / बोलीकर्ताओं तथा प्रधान (बीईएल) के बीच एक करार किया जाएगा । केवल ऐसे विक्रेता / बोलीकर्ता जो प्रधान के साथ उक्त संधि के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं, को बोली की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा । किसी विशेष ठेके के संबंध में निष्ठा-संधि बोलियों को आमंत्रित करने की अवस्था से लेकर ठेके की अंतिम समाप्ति तक प्रचालित रहेगी । इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन, बोलीकर्ताओं की अयोग्यता और भावी कारोबारी लेन-देनों से निष्कासन में परिणामित होगा ।

सी.वी.सी. की सिफारिशों के अनुसार, कंपनी में निष्ठा-संधि के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए श्री एम.डी.पलियथ, आईडीएएस

(से. नि.) तथा श्री शंकर नारायण, उप सीएजी (से. नि.) को नियुक्त किया गया । वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, आईईएम द्वारा 294 ठेकों की समीक्षा की गई और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के साथ निर्धारित बैठकें की ।

एमएसएमई से प्रापण

आपकी कंपनी एमएसएमई से प्रापण को बढ़ाने पर ज़ोर देती आ रही है और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों / अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए सरकारी प्रापण नीति को कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2017–18 के दौरान कुल प्रापण में से, एमएसएमई पूर्तिकर्ताओं से प्रापण सार्वजनिक खरीद नीति की अपेक्षाओं अनुसार रहा।

एमएसएमई की सुविधा के लिए, कंपनी वेब–आधारित यथार्थ–काल केन्द्रीकृत ईआरपी प्रणाली (सैप) के माध्यम से कंपनी की प्रापण प्रणाली में विद्यमान विक्रेताओं को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत करने के हरसंभव प्रयास कर रही है । ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण फार्म कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट (www.bel-india.com) में उपलब्ध है। पंजीकरण की प्रक्रिया, बीईएल की ज़रूरतों को समझने, शिकायतों, यदि कोई हो, की रिपोर्ट करने आदि के संबंध में विक्रेताओं की मदद करने के लिए उद्योग प्रवर्तन तथा नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं । ऐसी कुछेक अन्य पहलों में शामिल हैं – आवधिक रूप से अद्यतन करते हुए तथा यूनिट / एसबीयू विशिष्ट उद्योग प्रवर्तन अधिकारियों के ब्यौरे के साथ उत्पादन योजना के आधार पर एमएसएमई के लिए कंपनी की प्रापण योजना के कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना, विभिन्न विक्रेता विकास कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनी, कार्यशाला अनुषंगी इकाइयों को अधिकतम प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक एस्टेट की स्थापना आदि में भाग लेना।

बीईएल ने बीईएल में एमएसएई विकास संस्थान द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2018 को चेन्नै में आयोजित राज्य स्तरीय एमएसएमई पूर्तिकर्ता विकास सम्मेलन में भाग लिया और एमएसएमई पूर्तिकर्ताओं के लिए स्वदेशीकरण हेतु विभिन्न मदों की प्रदर्शनी की है ।

बीईएल ने रक्षा उद्योग विकास सम्मेलन में भाग लिया, जो दिनांक 18 जनवरी 2018 को माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा चेन्नै में उद्घाटन किया गया था और एमएसई सहित देशी पूर्तिकर्ताओं के लिए स्वदेशीकरण हेतु विभिन्न मदों की प्रदर्शनी की है ।

बीईएल ने कोयंबत्तूर जिला लघु उद्योग संघ (सीओडीआईएसएसआईए) द्वारा 5 और 6 मार्च, 2018 के दौरान आयोजिच राक्षा स्वदेशीकरण प्रदर्शनी में भाग लिया और एमएसई सहित देशी पूर्तिकर्ताओं के लिए स्वदेशीकरण हेतु विभिन्न मदों की प्रदर्शनी की है ।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी ने सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया । राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों में शामिल हैं –

राजभाषा निरीक्षण – संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 16 फरवरी 2018 को केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, बेंगलूरु का राजभाषाई निरीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2018 को मछिलिपट्टणम यूनिट का और दिनांक 09 जनवरी 2018 को क्षेत्रीय कार्यालय वैजाग का निरीक्षण किया। कार्पोरेट राजभाषा अंकेक्षण टीम ने पंचकुला, चेन्नै और कोटद्वार यूनिटों तथा केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, बेंगलूरु, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता और बेंगलूरु कॉम्पलेक्स की ईडबल्यू एंड ए तथा कंपोनेंट एसबीयू का अंकेक्षण किया।

द्विभाषीकरण – कंपनी की सभी यूनिटों / कार्यालयों के प्रयोगार्थ, राजभाषा विभाग द्वारा मानव संसाधन विभाग के द्विभाषी मानक पत्राचार (भर्ती पूर्व से लेकर सेवानिवृत्ति के बाद तक) का एक विस्तृत दस्तावेज तैयार कर जारी किया। धारा 3(3) के दस्तावेज, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर, नियम 11 की मदें (लेखन सामग्री, संहिताएँ व मैनुअल, प्रक्रियागत साहित्य) कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों द्वारा राजभाषा नियमों के अनुसार द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

हिंदी माह समारोह – कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में सितंबर माह के दौरान हिंदी माह और हिंदी दिवस मनाया गया। माह के दौरान, कार्यपालकों/गैर–कार्यपालकों ने विभिन्न कार्यक्रमों / प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नराकास की प्रतियोगिताओं में विभिन्न यूनिटों, कार्यालयों और कार्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वालों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। सभी कर्मचारियों में विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया और कार्यपालकों/गैर–कार्यपालकों ने इन योजनाओं में भाग लिया।

एसएपी में राजभाषा और वेबसाइट –कंपनी भर में राजभाषा कार्यान्वयन सुकर बनाने और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए राजभाषा पोर्टल गरिमा मौजूद है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। यूनिटों / कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट एसएपी में ऑनलाइन प्राप्त की जा रही है। फाइल लाइफ़साइकिल मैनेजमेंट (एफ.एल.एम.) में हिंदी टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं। कंपनी की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है और इसे एक साथ अद्यतन किए जाने के प्रयास जारी हैं।

कार्पोरेट स्तर पर, बीईएल की द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक (रक्षा एवं असैनिक) शब्दावली तैयार करने की पहल की गई । वित्तीय वर्ष के दौरान कार्पो

रेट हिंदी पत्रिका नवप्रभा के दो अंकों (अर्धवार्षिक) का प्रकाशन किया गया। कंपनी भर में राजभाषा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सूचना कंपनी की वेबसाइट : www.bel-india.com <http://www.bel-india.com> पर डाली गई है । इसमें कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी, कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, बीईएल द्वारा धारित नियम, विनियम, मैनुअल तथा अभिलेख, कंपनी के अधिकारियों की निर्देशिका, वेतनमान, नागरिकों द्वारा कंपनी के बारे में अतिरिक्त सूचना का अनुरोध करने की प्रक्रिया तथा संबंधित अनुरोध प्रारूप शामिल हैं ।

वर्ष 2017–18 के दौरान, कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के 444 अनुरोध प्राप्त किए और उनका समाधान किया । इनमें से अधिकांश अनुरोध भर्ती, सेवा संबंधी मामले, तृतीय पक्षकार तथा वाणिज्यिक गुप्त सूचनाओं से संबंधित थे ।

मंडल की बैठकें / निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान, मंडल की नौ बैठकें आयोजित हुईं, जिनके विवरण कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का भाग हैं ।

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) में निम्नलिखित परिवर्तन हुए –

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति का दिनांक	समाप्ति का दिनांक
1	श्री मुक्का हरीश बाबु	स्वतंत्र निदेशक	11.09.2017	लागू नहीं
2	डॉ विजय एस मदान	स्वतंत्र निदेशक	11.09.2017	लागू नहीं
3	श्री सुरेंद्र एस सिरोही	स्वतंत्र निदेशक	11.09.2017	लागू नहीं
4	श्री कोशी एलेक्ज़ाडर	निदेशक (वित्त)	25.09.2017	लागू नहीं
5	श्रीमती कुसुम सिंह	सरकार नामित निदेशक	लागू नहीं	19.09.2017
6	श्री चंद्राकर भारती	सरकार नामित निदेशक	19.09.2017	30.10.2017
7	डॉ अमित सहाय	सरकार नामित निदेशक	30.10.2017	लागू नहीं
8	श्री गिरीश कुमार	निदेशक (बेंगलूर कॉप्लेक्स)	NA	20.02.2018

वर्ष के दौरान कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों में कोई बदलाव नहीं आया ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित प्र.प्र.का. श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री कोशी एलेक्ज़ाडर, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री एस.श्रीनिवास, कंपनी सचिव हैं ।

दिनांक 23 अप्रैल 2018 को सरकार नामांकित निदेशक श्रीमति जे. मंजुला की नियुक्ति की तथा डॉ अजीत टी कलघट्गी जो अधिवर्षिता पर 31 मई 2018 से अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, के स्थान पर 1 जून 2018 को श्री. महेश, निदेशक (अनुसंधान व विकास) की नियुक्ति की ।

निम्नलिखित अपर निदेशकों को 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है:–

श्री मुक्का हरीश बाबु, डॉ विजय एस मदान, श्री सुरेंद्र एस सिरोही, श्री कोशी एलेक्ज़ाडर, डॉ अमित सहाय, श्रीमती जे मंजुला और श्री महेश वी ।

श्रीमती आनंदी रामलिंगम सामान्य बैठक के समय चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं ।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण –

अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ तथा प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के संबंध में निम्नलिखित विवरण देते हैं –

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ–साथ लागू भारतीय लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं जो इतने उचित और दूरदर्शी हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की सच्ची और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं यथा 31 मार्च 2018 को और कंपनी का लाभ वर्ष की समाप्ति की तारीख को;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए, इस अधिनियम के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को सक्रिय और लाभप्रद कारोबार आधार पर तैयार किया है;

ङ) उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपने स्थान पर हैं, यह वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

च) सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ मौजूद हैं और वे पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं ।

उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा ऐसे कोई उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं जो भविष्य में कंपनी की सक्रिय और उसके प्रचालनों को प्रभावित करेंगे ।

वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएँ जो 31 मार्च, 2018 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुए हैं, कुछ नहीं हैं ।

संबंधित पक्षकार के लेन-देन

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके संबंधियों के साथ ऐसे कोई उल्लेखनीय संबंधित पक्षकार के लेन-देन नहीं थे जिनका कंपनी के हितों के साथ महत्वपूर्ण संघर्ष हो सकता था । संबंधित पक्षकारों के साथ ऐसे लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए थे, समानाधिकार आधार पर किए गए और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए । संबंधित पक्षकार के सभी लेन-देन लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष उनके अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, के लिए पेश किए जाते हैं । सदस्य संबंधित पक्षकार के लेन-देनों की जानकारी के लिए लेखों की टिप्पणियाँ देख सकते हैं । संबंधित पक्षकारों का लेन-देन कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com पर अपलोड कर दिया गया है। कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट **"अनुलग्नक 3"** के रूप में यहाँ दी गई है ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 जिन्हें कार्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा डीपीई द्वारा जारी विभिन्न स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाना है, के प्रावधानों के तारतम्य में, कंपनी ने सीएसआर और निर्वहनीयता नीति के अनुसार अनेक कार्यकलाप किए हैं । ये कार्यक्रम /पहल /परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-तखख के अनुरूप किए गए हैं जिन्हें हमारी सीएसआर और निर्वहनीयता नीति में विधिवत् रूप से शामिल किया गया है और जो हमारे सभी कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं । कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी की वेबसाइट: www.bel-india.com पर लगाई गई है ।

कंपनी के (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014, की अपेक्षाओं के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2015-16 के सीएसआर कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट **"अनुलग्नक 3"** के रूप में यहाँ दी गई है ।

लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को लागत के अभिलेख रखने आवश्यक हैं। तदनुसार, कंपनी द्वारा वर्णित लागत लेखे और अभिलेख रखे गए हैं।

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के तारतम्य में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मेसर्स सूरी एंड कं., सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को बेंगलूरु कॉम्पलेक्स, हैदराबाद और चेन्नै यूनिटों तथा कार्पोरेट कार्यालय के लेखों के लेखा परीक्षण के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है । मेसर्स वेद एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, गाजियाबाद को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए गाजियाबाद, पंचकूला और कोटद्वार यूनिटों के शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया । मेसर्स मलानी सोमानी चांडक एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, पुणे को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पुणे और नवी मुंबई यूनिटों के शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया । मेसर्स तुंगला एंड कं., सनदी लेखाकार,मचिलिपटनम को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मचिलिपट्टणम यूनिट के शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है ।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, कंपनी द्वारा अपने निर्माणी कार्यकलापों के संबंध में रखे गए लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा लागत लेखा परीक्षक द्वारा की जानी आवश्यक है । आपके निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश पर, कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मैसर्स जीएनवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु को कंपनी की लागत परीक्षा के लिए कंपनी का लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

सचिवालय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के तारतम्य में,

कंपनी ने कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु श्री तिरुपाल गोरिजे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (पीसीएस पंजीकरण सं. 6424) को नियुक्त किया है । सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट में **"अनुलग्नक 4"** में दी गई है ।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ सूचीबद्ध) नियम 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार अपने मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी है। यह सूचना दी जाती है कि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उक्त स्वतंत्र रिक्तियाँ भरने का कार्य नियुक्ति प्राधिकारियों अर्थात् भारत सरकार के पास लंबित हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षक का रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की "शून्य" टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अनुसार, फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणी का अंश **"अनुलग्नक 5"** में दिया गया है ।

कारोबारी जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 की अपेक्षाओं के तारतम्य में, कंपनी ने कारोबारी जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है । इस समिति के विवरण तथा विचारार्थ विषय, जोखिम प्रबंधन नीति आदि कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में वर्णित हैं तथा जोखिम प्रबंधन पर विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन परिचर्चा विश्लेषण रिपोर्ट में उपलब्ध है।

पारिश्रमिक नीति एवं मंडल का मूल्यांकन

मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन के चयन तथा नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक, मंडल के मूल्यांकन आदि के लिए एक नीति तैयार की है । इसके ब्यौरे कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में वर्णित हैं ।

सतर्कता तंत्र / सचेतक नीति

कंपनी में धोखाधड़ी और कुप्रबंधन, यदि कोई हो, के मामले से निपटने के लिए सचेतक नीति नामक सतर्कता तंत्र विद्यमान है । इस नीति के ब्यौरे कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में वर्णित हैं ।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से यह आवश्यक घोषणा प्राप्त की है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में वर्णित उनकी स्वतंत्रता का मानदंड पूरा करते हैं ।

प्रबंधन के विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और साथ ही सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर सरकारी (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के तहत अपेक्षित प्रबंधन के विच–ार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **"अनुलग्नक 6"** में दी गई है ।

ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण

अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के तहत आवृत्त होने वाले ऋणों, गारंटियों और निवेशों के विवरण वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है । प्रबंधन परिचर्चा विश्लेषण रिपोर्ट में अंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत टिप्पणी उपलब्ध कराई गई है।

लेखा परीक्षा समिति का संघठन

लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक नामत: सुश्री उषा माथुर, समिति की अध्यक्ष, डॉ. आर.के. शेवगांवकर, श्री मुक्का हरीश बाबु तथा सरकार द्वारा नामांकित निदेशक डॉ अमित सहाय सदस्यों के रूप में शामिल हैं और वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को मंडल द्वारा स्वीकार किया गया ।

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों में यह प्रावधान है कि इन दिशा–निर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसई को श्रेणीकृत किया जाएगा । डीपीई ने वर्ष 2016–17 के लिए बीईएल को 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की है । भारत के सिक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं का सूचीकरण) की शर्तों के अनुसार विनियम 2015 और डीपीई दिशा निर्देशों के तहत, कार्पोरेट अभिशासन पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा

अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ एक रिपोर्ट जारी की गई, जो इस रिपोर्ट के **"अनुलग्नक 7"** में दी गई है ।

निर्वहनीयता रिपोर्ट

सीपीएसई के लिए निर्वहनीय विकास पर डीपीई के दिशा-निर्देश, सीपीएसई के लिए यह अनिवार्य बनाते है कि वे 'स्टैंड अलोन रिपोर्ट' में अथवा वार्षिक प्रतिवेदन में एक पृथक अध्याय के रूप में अपने निर्वहनीय विकास संबंधी प्रयासों का प्रकटण करें । इस आवश्यकता के तारतम्य में, 'निर्वहनीय विकास' पर आपकी कंपनी के प्रयास इस रिपोर्ट के ङ्कअनुलग्नक-8 में दर्शाए गए हैं ।

कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने उच्च 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक प्रतिवेदन के भाग के रूप में, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट ('बी आर रिपोर्ट') शामिल करना अनिवार्य बनाया है । एसईबीआई की इस अनिवार्यता को एसईबीआई (एलओडीआर)विनियम 2015 केनियम 34(2)(एफ) के रूप में भी जोड़ा भी गया है । एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम 2015 में बी आर रिपोर्ट के लिए एक फार्मेट दिया गया है । इसमें पर्यावरण, सामाजिक तथा अभिशासन संबंधी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए, नौ मुख्य सिद्धांत की सूची तथा प्रत्येक सिद्धांत के तहत विभिन्न मुख्य घटक भी शामिल हैं । सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे इन नौ मुख्य सिद्धांतों तथा मुख्य घटकों के आधार पर नीतियाँ तैयार करें, कारोबारी कार्यकलापों में इन नीतियों को एकीकृत और अंत: स्थापित करने के लिए ढाँचा तैयार करें और कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्टों के रूप में प्राप्त उपलब्धियों को मापने और रिपोर्ट करने की व्यवस्था तैयार करें ।

आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 अपेक्षाओं का अध्ययन करने के बाद और कारोबारी तथा अभिशासन का परिवेश जिसमें बीईएल एक रक्षा पीएसयू के रूप में प्रचालित है, को ध्यान में रखते हुए कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया है । इस नीति की विशेषताएँ कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com <http://www.bel-india.com> में लगाई गई हैं। वर्ष के लिए कंपनी की कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट **"अनुलग्नक 9"** में दी गई है ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

आपकी कंपनी एक रक्षा पीएसयू होने के नाते, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम 8(3), 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के तहत रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को इसकी आवश्यकता नहीं क्यों कि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधिसूचना जीएसआर सं. 680(ई) दिनांक 4 सितंबर 2015 के अनुसार रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को छूट प्रदान की है ।

आभार

आपके निदेशक सभी ग्राहकों, विशेषकर रक्षा सेवाएँ तथा अर्द्ध-सैन्य बलों से प्राप्त मूल्यवान समर्थन के लिए हार्दिक सराहना व आभार प्रकट करते हैं और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं । आपके निदेशक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा डीआरडीओ के तहत आने वाली विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं से प्राप्त समर्थन, विशेषकर संयुक्त विकास कार्यक्रम तथा उनकी मदद से प्रस्तुत किए गए नए उत्पादों के लिए, अपना आभार व्यक्त करते हैं । आपके निदेशक भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवालय लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकरों, सहयोगकर्ताओं और विक्रेताओं के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं । आपके निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण प्रयासों की प्रशंसा करते हैं जिसके कारण वर्ष के दौरान कंपनी अच्छा कार्य-निष्पादन हासिल करने में सक्षम बनी । आपके निदेशक सभी शेयरधारकों / निवेशकों को कंपनी में विश्वास व भरोसा करने के लिए अपनी प्रशंसा व आभार व्यक्त करते हैं और आगामी वर्षों में कंपनी की सतत प्रगति में उनके निरंतर समर्थन और सहभागिता की आशा करते हैं ।

मंडल के लिए और मंडल की ओर से

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

बेंगलूरू
16 अगस्त 2018

अनुलग्नक 1

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का लाभांश वितरण

1. प्रस्तावना

बीईएल का शेयर भारत के राष्ट्रीय शेयर बाज़ार लि., मुंबई और बाम्बे शेयर बाज़ार लि. मुंबई में सूचीबद्ध है । 08 जुलाई 2016 में अधिसूचित, सेबी एलओडीआर (सूचीकरण का दायित्व एवं प्रकटण की आवश्यकता) (दूसरा संशोधन) विनियम के अनुसार, बाज़ार पूँजीकरण (प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को परिकलित) के आधार पर सूचीबद्ध सर्वोच्च पाँच सौ कंपनियों को लाभांश वितरण नीति, जो वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, बनाने की आवश्यकता है।

बीईएल बाज़ार पूँजीकरण मानदण्डों के अनुसार सूचीबद्ध सर्वोच्च 500 कंपनियों में से एक है और तदनुसार इसने अपनी लाभांश वितरण नीति तैयार की है । इस नीति में कंपनी के शेयरधारकों को और/या निर्वहनीय विकास के लिए लाभ को बनाए रखने हेतु लाभांश वितरण करने की सामान्य व्यवस्था निर्धारित है ।

2. नीति रूपरेखा

इस नीति का उद्देश्य बाहरी तथा आंतरिक कारकों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में विनिर्दिष्ट करना है, जिसमें ऐसी वित्तीय परिमापियां शामिल है, जिन पर लाभांश के वितरण, परिस्थितियाँ, जिसके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभंश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तथा अर्जने के प्रतिधारण एवं उपयोगिता संबंधी नीति पर विचार किया जाएगा । यह नीति प्रत्येक वर्ष में लाभांश संस्तुत करने के लिए सभी पर्याप्त घटकों, यानी, इस नीति में परिगणित घटकें और कंपनी के समग्र तात्पर्य के रूप में विचार किए जाने वाले अन्य कोई घटकों पर लिया गया बोर्ड का निर्णय का विकल्प नहीं होगा । हालाँकि, नीति में संशोधन के परिणामस्वरूप, ऐसे घटकों को वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी वेबसाइट में डाला जाएगा ।

यह नीति कंपनी द्वारा सेबी, एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और सेबी, डीपीई, दीपम, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा कंपनी पर लागू अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किया जाएगा ।

3. प्रभावी दिनांक

यह नीति वर्ष 2016-17 से प्रभावी होगी ।

4. अपवर्जन

यह नीति इन पर लागू नहीं होगी-

- लागू कानून के आधार पर पूर्ण रूप से आंशिक रूप से भुगतान किए गए बॉनस शेयर या अन्य कोई प्रतिभूतियों की स्थिति में लाभांश का वितरण;
- इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद द्वारा लाभांश का भुगतान के विकल्प के रूप में नकद का वितरण ।

5. लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाने वाले घटक

5.1 (a) अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, कंपनी द्वारा उस वर्ष के लिए कंपनी का लाभ से या पिछले कोई वित्तीय वर्ष में कंपनी का लाभ अथवा मूल्यह्रास का प्रावधान करने के बाद परिकलित वर्षों के अतिरिक्त कोई वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया जाएगा । हालांकि सामान्यतः, कंपनी कानून के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान करने के बाद और कंपनी के प्रारक्षण में अंतरित करने, जो भविष्य में विकास के लिए पर्याप्त माना जाएगा, के बाद केवल वर्तमान वर्ष के लाभ से लाभांश की घोषणा करने का निर्णय लिया जाएगा ।

(b) अंतरिम लाभांश कानून के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान और पूरा वित्तीय वर्ष के लिए लाभ का प्रबंधन अनुमान करने के बाद लेखा अपरीक्षित परिणामों के अनुसार लाभ के आधार पर होगा ।

(c) शेयरधारकों को अदा किया गया लाभांश पर कंपनी द्वारा देय लाभांश वितरण कर भी लाभांश का भुगतान के रूप में विचार किया जाएगा ।

5.2 कंपनी द्वारा घोषित लाभांश की मात्रा निम्नलिखित बाहरी और आंतरिक घटकों पर आधारित होगी-

(a) बाहरी घटकों के साथ-साथ आर्थिक पर्यावरण, बाज़ार की स्थिति, शेयरधारकों की अपेक्षा, सांविधिक आवश्यकताएं तथा समय-समय पर लागू सरकारी दिशा-निर्देशों सहित अन्य बातें भी लाभांश भुगतान से संबंधित निर्णय लेने में शामिल होंगे ।

(b) लाभांश के लिए विचार किए जाने वाले आंतरिक घटकों में कंपनी की लाभप्रदता, निवल संपत्ति, अनु. व. वि. परियोजनाएं और प्रसारण (कैपेक्स) के लिए धन की आवश्यकता, सहायक उद्यम/जेवी में निवेश, उपार्जन की स्थिरता, लाभांश की पूर्व-प्रवृत्तियाँ, ऋणदाता की बाध्यता और अन्य कोई घटक, जो लाभांश की घोषणा करने में प्रभावी होंगे ।

6. प्रतिधारित अर्जन का प्रयोग

कंपनी रणनीतिक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है और इस क्षेत्र को देशी और विदेशी दोनों की निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के कारण होने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी बाज़ार की स्थिति को बनाए रखने और अधिक महत्वपूर्ण ढंग से, अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रचालनों एवं पूँजीगत निवेश हेतु समुचित लाभों को प्राप्त करने की ज़रूरत को पूरी गंभीरता से समझती है । कंपनी में महत्वाकांक्षी कैपेक्स कार्यक्रम है और इसका विकास को बढ़ाने की दिशा में उपयोगकर्ताओं के साथ 'कोई लागत नहीं, कोई प्रतिबद्धता परीक्षण नहीं' का आयोजन के लिए विभिन्न अनु. व. वि. परियोजनाओं में निवेश इसके अलावा, वर्ष दर वर्ष बिक्री की प्रत्याशित उच्चतर प्रगति के साथ, बढ़ती कार्यशील पूँजीगत आवश्यकताओं को भी कंपनी के नकद और प्रारक्षणों से प्रगामी रूप से पूरा करना होगा ।

7. परिस्थितियाँ, जिनमें शेयरधारक लाभांश की प्रतीक्षा कर सकते है/नहीं कर सकते हैं ।

7.1 कंपनी अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान किया जा रहा है और भविष्य में भी यह जारी रहेगा, जब तक कोई प्रतिकूल परिस्थिति न हो ।

7.2 कंपनी के शेयरधारकों को निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए लाभांश की प्रतीक्ष कर सकते हैं/नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होंगी –

(i) लाभ की अपर्याप्तता की स्थिति में या जब भी कंपनी को हानि हुई हो;

(ii) जब भी कंपनी कारोबार के नए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पूँजी व्यय या निवेश किया या करने का प्रस्ताव रखा है, चाहे वह बीईएल स्वयं हो या संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी हो;

(iii) महत्वपूर्ण ढंग से उच्चतर पूँजी आवश्यकता धनापूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; अथवा

(iv) जब भी कंपनी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के लिए अधिक नकदी का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखती है;

(v) कोई अन्य परिस्थिति/घटना, जो निदेशक मंडल लाभांश घोषणा निर्णय के लिए संगत माना जा सकता है।

7.3 कंपनी सभी बाहरी और आंतरिक घटकों को ध्यान में रखते हुए तथा एक ओर लाभांश की घोषणा द्वारा शेयर धारकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिफल प्रदान करते हुए और दूसरी तरफ परियोजनाओं के उचित प्रतिधारण एवं निर्वहनीय विकास के लिए उन्हें साकार करते हुए भविष्य में शेयर धारकों की बढ़ती संपदा के बीच विवेक पूर्ण संतुलन स्थापित करते हुए लाभांश वितरण का निर्णय लेगी

8. शेयरों के विभिन्न वर्गों से संबंधित अपनाए जाने वाले मानदंड

कंपनी शेयरों का केवल एक ही वर्ग जारी किया है, यानी समान मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर, कंपनी के सभी सदस्यों को प्रति शेयर लाभांश की समान राशी प्राप्त करने के हक हैं ।

9. संशोधन

आवश्यकता होने पर निदेशक मंडल को किसी भी समय तथा/या कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों के अलावा सेबी सूचीबद्ध विनियम, 2015, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डीपीई, दीपम आदि के संगत दिशा–निर्देश तथा अन्य लागू संविधि में अनुवर्ती संशोधन के साथ समय–समय पर नीति की समीक्षा, संशोधन और सुधार किया जा सकता है ।

10. प्रकटीकरण

यह नीति सांविधिक आवश्यकताओं, यदि कोई हो को पूरा करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी वेबसाइट में डाली जाएगी ।

अनुलग्नक 2

प्रारूप सं.एओसी-II

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुवर्तन में)

तृतीय प्रावधान के अधीन विशिष्ट सहायक संव्यवहार के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं/करार संबंधी विवरण के प्रकटीकरण का प्रारूप

1. शून्य विस्तार आधार रहित संविदा या करार अथवा संव्यवहार का विवरण

(क) संबद्ध पक्षकार के नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
(ख) संविदा या करार अथवा संव्यवहार की प्रकृति - लागू नहीं
(ग) संविदा या करार अथवा संव्यवहार की अवधि - लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित संविदा या करार अथवा संव्यवहार की महत्वपूर्ण शर्तें, यदि कोई हो - लागू नहीं
(ङ) इस प्रकार की संविदा या करार अथवा संव्यवहार प्रारंभ करने का औचित्य - लागू नहीं
(च) बोर्ड के अनुमोदन की तारीख - लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में संदत्त राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं
(ज) धारा 188 के प्रथम प्रावधान के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प की तारीख - लागू नहीं

2. शून्य विस्तार आधार पर वास्तविक संविदा या करार अथवा संव्यवहार का विवरण

(क) संबद्ध पक्षकार के नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
(ख) संविदा या करार अथवा संव्यवहार की प्रकृति - लागू नहीं
(ग) संविदा या करार अथवा संव्यवहार की अवधि - लागू नहीं
(घ) मूल्य सहित संविदा या करार अथवा संव्यवहार की महत्वपूर्ण शर्तें, यदि कोई हो - लागू नहीं
(ङ) बोर्ड के अनुमोदन की तारीख - लागू नहीं
(च) अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं

मंडल के लिए व उसकी ओर से

बेंगलुरु
16 अगस्त 2018

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक 3

सीएसआर कार्यों पर रिपोर्ट

1. प्रगामी प्रस्तावित परियोजना या कार्यक्रम के अवलोकन तथा सीएसआर नीति व परियोजना या कार्यक्रम संबंधी वेब-लिंक संदर्भ के साथ कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा ।

   वेब-लिंक के अधीन कंपनी की वेब-साइट में कंपनी की सीएसआर नीति अपलोड की गई है-

   Weblink: http://bel-india.in / ContentPage.aspx?MId=17&CId=527&LId=1&link=527

2. **यथा तिथि 31.03.2018 को सीएसआर समिति का गठन**

   श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
   श्री आर एन बग्दलकर, सदस्य (निदेशक, मानव संसाधन)
   श्री नटराज कृष्णप्पा, सदस्य (निदेशक, अन्य यूनिटें)
   श्री एलेक्ज़ांडर कोशी, सदस्य (निदेशक, वित्त) (25.09.2017 से)
   डॉ. आर के शेवगांवकर, सदस्य, (स्वतंत्र निदेशक)
   श्री सुरेंद्र एस सिरोही (स्वतंत्र निदेशक) (30.10.2017 से)

3. **विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ** ₹ 1,73,768.54 **लाख**

4. **विनिर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद** 3 **में उल्लिखित राशि का** 2%**)** ₹ 3,475.37 **लाख**

5. **वित्तीय वर्ष** 2017-18 **के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण-**

   (क) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि; ₹ 1,439.45 लाख

   (ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो तो- ₹ 2059.16 लाख (आगे ले जाया गया)*

   (ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की गई राशि की रीति का विवरण नीचे दिया गया है-

   * डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित परियोजना के संबंध में व्यय के लिए शेष राशि के लिए लेखा पुस्तिका में परियोजना-वार प्रावधान दिया गया है।

(₹ लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	**अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**परियोजना का व्याप्ति-क्षेत्र**	**परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) परियोजनाओं या कार्यक्रम के क्रियान्वित राज्य का उल्लेख करें**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार**	**परियोजनाओं या कार्यक्रम पर व्ययित राशि उप-शीर्ष- (1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरि शीर्ष**	**रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय**	**खर्च की गई राशि-प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा**
1	सरकारी स्कूलों में कक्षा, शौचालय, रसोईघर, फर्नीचर, पेयजल और संबंधित अन्य कार्य, शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना का आवर्धन और सुविधा रख-रखाव **स्थिति- चालू**	शिक्षा	स्थानीय क्षेत्र- बेंगलूरु, कर्नाटक अन्य- वानरासी, कोलार जिला; तुंकूर जिले में के मतिगट्टा एवं तुरुवेकेरे; उत्तर कन्नड़ जिले में कारवार; कर्नाटक	956.95	299.14	299.14	प्रत्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परियोजना का व्याप्ति-क्षेत्र	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) परियोजनाओं या कार्यक्रम के क्रियान्वित राज्य का उल्लेख करें	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रम पर व्ययित राशि उप-शीर्ष- (1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरि शीर्ष	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि-प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा
2	अंगीकृत सरकारी आईटीआई में अवसंरचना का उन्नयन; शिक्षुओं को प्रशिक्षण; "स्किल इंडिया" के तहत सैनिक स्कूल, सतारा में "ई-लर्निंग और क्नोलेज सेंटर" की स्थापना **स्थिति- चालू**	शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल का विकास	स्थानीय क्षेत्र- पुणे व नवी मुंबई, महाराष्ट्र; मचिलिपटनम, आं.प्र.; बेंगलूरु, कर्नाटक; चेन्नै, त.ना.; हैदराबाद, तेलंगाणा; गाज़ियाबाद, यू.पी.; कोटद्वार, उत्तराखंड; पंचकूला, हरियाणा । अन्य- सतारा जिला, महाराष्ट्र, मेदक जिला, तेलंगाणा	1131.17	1028.96	1028.96	प्रत्यक्ष
3	वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओपीडी चिकित्सा सुविधा प्रदान करना; ऐंबुलेंस प्रदान करना **स्थिति- चालू**	स्वास्थ्य की देखभाल	स्थानीय क्षेत्र- कोटद्वार, उत्तराखंड अन्य- उधमपुर, जम्मु और कश्मीर	30.00	0.00	0.00	प्रत्यक्ष
4	विद्यमान जलाशयों का गाद निकालना, जाँच बाँध और सोलार पंपिंग प्रदान करना । **स्थिति- चालू**	पर्यावरणीय निर्वहनीयता	अन्य- नागरहोल वन, कर्नाटक	126.00	0.00	0.00	प्रत्यक्ष
5	सीसीटीवी कैमरा और जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के प्रतिभागियों को स्पोर्ट शू प्रदान करना **स्थिति- संपूर्ण**	ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र- कोटद्वार, उत्तराखंड और पंचकूला, हरियाणा	6.78	6.34	6.34	प्रत्यक्ष
6	ई-सागू- आई.टी. द्वारा चलित निजीकृत एग्री-फेसिलिटेटर **स्थिति- चालू**	ग्रामीण विकास	अन्य- रंगरेड्डी जिला, तेलंगाणा राज्य	34.00	18.00	18.00	प्रत्यक्ष
7	"स्वच्छ भारत अभियान" के तहत पूचिंग (खेबुचिंग) गाँव (फेस-ख) का विस्तृत एवं निर्वहनीय विकास **स्थिति- चालू**	ग्रामीण विकास	अन्य- तमेंग्लोंग जिला, मणिपुर	95.67	0.00	0.00	प्रत्यक्ष
8	"स्वच्छ भारत अभियान" के तहत स्कूल में सोलार लाइट, शौचालय, प्रयोगशाला और भोजनालय, जीएम हल्ली में जनजातीय कालोनी / हाड़ी और हुस्कुर हाड़ी के लिए बोरवेल, सामुदायिक केंद्र, रोड आदि का प्रावधान **स्थिति- चालू**	ग्रामीण विकास	अन्य- एच.डी. कोटे, मैसूरु जिला, कर्नाटक	137.00	0.00	0.00	प्रत्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	**अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**परियोजना का व्याप्ति-क्षेत्र**	**परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) परियोजनाओं या कार्यक्रम के क्रियान्वित राज्य का उल्लेख करें**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार**	**परियोजनाओं या कार्यक्रम पर व्ययित राशि उप-शीर्ष- (1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरि शीर्ष**	**रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय**	**खर्च की गई राशि-प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा**
9	"स्वच्छ भारत अभियान" के तहत चार राज्यों के अंगीकृत गाँवों में विकासात्मक कार्य; निम्मलूरु गाँव में बिटुमिनस रोड़ का निर्माण; आई.ए.एल.ए. में सुधार कार्य **स्थिति- चालू**	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास स्थानीय क्षेत्र- पुणे, महाराष्ट्र; गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश; पंचकूला, हरियाणा; मचिलिपटनम, आंध्र प्रदेश; हैदराबाद, तेलंगाणा अन्य- तिरुवण्णामलै जिला, तमिलनाडु	753.20	14.87	14.87	प्रत्यक्ष
10	"स्वच्छ भारत अभियान" के तहत शौचालय, हैंड-वाश, पेयजल आदि-सार्वजनिक सुख-सुविधाओं का प्रावधान स्थिति- चालू	साफ-सफाई	स्थानीय क्षेत्र- गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश; कोटद्वार, उत्तराखंड; बेंगलूरु, कर्नाटक	161.00	5.30	5.30	प्रत्यक्ष
11	सीएसआर प्रशासनिक परिव्यय -	-	-	66.84	66.84	66.84	-
	कुल			**3,498.61***	**1,439.45***	**1,439.45***	

* सीएसआर धन पर अर्जित ₹ 198.56 लाख के अलावा ।

6. **यदि कंपनी विगत तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत या उसके कोई भी हिस्सा खर्च करने में असमर्थ रही तो, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में व्यय न किए जाने का कारण कंपनी द्वारा दिया जाएगा ।**

   सीएसआर के माध्यम से दीर्घ-कालिक सामाजिक प्रभाव बनाने की दिशा में, कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष से अधिक सोपान आधार पर भुगतान के साथ एक वर्ष से अधिक अवधि की परियोजनाओं के विभिन्न पहल किया है । यह भी सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों के सामान है, जो सीपीएसई को सीएसआर कार्यक्रम एक परियोजना के रूप में एक वित्तीय वर्ष से अधिक करने के लिए अधिकार देते हैं । 2017-18 के दौरान उपगत पूर्व के वर्षों से संबंधित उक्त व्यय ₹ 1,020.23 परिकलित होता है ।

7. कंपनी के सीएसआर ध्येय तथा नीति के अनुपालन में सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग किया जाता है।

मंडल के लिए व उसकी ओर से

बेंगलुरु
16 अगस्त 2018

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक 4

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

किंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंध कार्मिक की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 का नियम सं. 9 के अनुवर्तन में

सेवा में,
सदस्य,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
आउटर रिंग रोड, नागवारा,
बेंगलूरु – 560045, कर्नाटक

हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (इसके आगे 'कंपनी' कही जाएगी) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट प्रथा के अनुसरण में सचिवालयीन लेखा–परीक्षा आयोजित की गई है । सचिवालयीन लेखा–परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई है कि जिससे कार्पोरेट व्यवहार/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए समुचित आधार तथा आगे हमारा अभिमत प्रकट करने में सहायता प्राप्त हो जाए।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तिकाएँ, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएँ, प्रारूप एवं फाइल की गई विवरणियाँ व अन्य अभिलेखों तथा कंपनी के अधिकारियों, अभिकर्ताओं, व प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा दी गई जानकारी की पडताल के आधार पर यह रिपोर्ट दी जाती है कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान आगे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा उनके पास समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएँ व यथावत अनुपालन–मैकानिसम उपलब्ध हैं।

निम्न प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तिकाएँ, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएँ, प्रारूप एवं फाइल की गई विवरणियाँ व अन्य अभिलेखों का निरीक्षण हमने किया है:–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) व उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') व उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 व उसके अंतर्गत बनाए गए उप–नियम;

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा उसके अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यक क्रय के लिए सृजित नियम व विनियम;

(v) भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 ('सेबि अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम व दिशा–निर्देश:–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का तात्विक अभिग्रहण व अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009; **(लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)**

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प पद्धति और कर्मचारी स्टॉक खरीद पद्धति) दिशा–निर्देश, 1999; **(लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम व सूचीकरण) विनियम, 2008; **(लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)**

(च) कंपनी अधिनियम व ग्राहक संबंध से संबंधित भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड **(शेयरों का निर्गम व अंतरण अभिकर्ता रजिस्ट्रार)** विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; **(लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी क्रय) विनियम, 1998;.

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य शर्तों के अनुपालन का भी निरीक्षण किया–

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक
(ii) स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी के लिए प्रयोज्य सूचीकरण करार/भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (आभार सूचीकरण व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम)

पुनरीक्षणाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त अधिनियम, नियमावली, विनियम, दिशा–निर्देश एवं मानकों का अनुपालन किया है ।

हम आगे रिपोर्ट की जाती है कि, कंपनी में उपलब्ध अनुपालन सिस्टम तथा उसके अनुवर्तन में संगत अभिलेख व दस्तावेजों के परीक्षण के परीक्ष–जाँच आधार पर कंपनी ने निम्नलिखित प्रयोज्य नियम/ दिशा–निर्देश/ नियमावली का अनुपालन किया है–

(i) सार्वजनिक उद्यम के विभाग के दिशा–निर्देश;
(ii) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश;
(iii) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/विनियम;
(iv) ई–वैस्ट (प्रबंधन व संचालन) नियमावली, 2016;

हम आगे रिपोर्ट की जाती हैं कि–

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशक, गैर–कार्यपालक निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया गया है। हालाँकि कंपनी को सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत पर्याप्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। यह सूचित किया गया कि उपरोक्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात भारत सरकार के पास लंबित है । पुनरीक्षण की अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन किया गया है।

निदेशक मंडल की निर्धारित बैठक के पूर्व समुचित सूचना दी गई है, कार्यसूची तथा उससे संबंधित विस्तृत टिप्पणियों की सूचना सात दिन पहले ही दी गई थी तथा कंपनी में बैठक से पूर्व उसकी कार्यसूची के संबंध में स्पष्टीकरण एवं अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रकार्यात्मक प्रणाली उपलब्ध है।

बैठक में अधिकतर निर्णय बहुमत से लिया जाता है तथा बैठकों के कार्यवृत्त स्वत:स्पष्ट हैं। यदि कोई भी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं हैं तो उसका भी उल्लेख किया जाता है।

आगे यह रिपोर्ट दी जाती है कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में प्रयोज्य विधि, नियमावली, विनियम तथा दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा कंपनी के प्रचालन व आकार का अनुवीक्षण के लिए पर्याप्त समुचित सिस्टम तथा प्रणाली उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा–परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने सदस्यों को 2:1 के अनुपात में (धारित एक इक्विटी शेयर के साथ दो इक्विटी शेयर) शेयर जारी किया है।

(i) 223,362,793 इक्विटी शेयर का ₹ 1/– का बॉनस इश्यू 1/-;
(ii) 20,397,780, इक्विटी शेयर का ₹ 1/– का पुनर्खरीद

	नाम एवं हस्ताक्षर	: तिरुपाल गोरिगे
बेंगलूरु	पदनाम	: कार्यरत कंपनी सचिव
23 मई 2018	स्टाम्प	: एफ़सीएस सं. 6680; सीपी सं.6424

टिप्पणी : इस रिपोर्ट को मेरे समसंख्यक पत्र के साथ संलग्न **अनुलग्नक–ए** के साथ पढ़ा जाए जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है ।

अनुलग्नक–ए

सेवा में,

सदस्य,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
आउटर रिंग रोड, नागवरा,
बेंगलूरु – 560 045, कर्नाटक

इस पत्र के साथ हमारी समसंख्यक रिपोर्ट पढी जानी है।

(1) सचिवालयीन अभिलेख के अनुरक्षण का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन अभिलेखों पर अपना विचार प्रकट करना हमारा दायित्व है।

(2) सचिवालयीन अभिलेखों की विषय–वस्तु की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए हमने आवश्यक लेखा–परीक्षा प्रथाओं व प्रक्रियाओं को अपनाई है। सचिवालयीन अभिलेखों में सही तथ्य सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों की पडताल परीक्षण आधार पर किया गया था। हमारा यह विश्वास है कि ह्मारे द्वारा अपनाई गई प्रथाओं व प्रक्रियाओं ने हमें औचित्यपूर्ण राय तैयार करने में सहायता प्रदान की है।

(3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेख एवं लेखा पुस्तिकाओं की शुद्धता व औचित्य की पडताल नहीं की।

(4) जब भी आवश्यक हो, कंपनी के लिए प्रयोज्य विधि, नियमावली, नियम व विनियम तथा आवश्यक कामकाज के अनुपालन के संबंध में कंपनी का प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

(5) निगमित व अन्य प्रयोज्य विधि, नियमावली, नियम व विनियम, मानक आदि के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारी पडताल परीक्षण के आधार पर कार्यविधि की जाँच तक ही सीमित थी।

(6) सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की प्रगामी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी के प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यों की सक्षमता या प्रभावात्मकता समर्थन है।

	नाम एवं हस्ताक्षर	: तिरुपाल गोरिगे
बेंगलूरु	पदनाम	: कार्यरत कंपनी सचिव
23 मई 2018	स्टाम्प	: एफ़सीएस सं. 6680; सीपी सं.6424

अनुलग्नक 5

वार्षिक विवरण का सार

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
किंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन)
नियमावली 2014 के नियम 12(1) का अनुवर्तनें

प्रारूप सं. एमजीटी – 9

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

सीआईएन	L32309KA1954GOI000787
पंजीकरण दिनांक	21 अप्रैल 1954
कंपनी का नाम	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
कंपनी का श्रेणी/ उप–श्रेणी	शेयर पूँजी की कंपनी
पंजीकृत कार्यलाय का पता और संपर्क विवरण	आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरू–560045 फोन न. 080-25039300
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि हो	इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विस प्रा.लि. 30, रमणा रेसीडेन्सी, चौथा क्रॉस, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर – 560 003 दूरभाष – 080 23460815 से 818

II. कंपनी की महत्वपूर्ण कारोबारी गतिविधियाँ

कंपनी के कुल वार्षिक कारोबार के 10% अंशदान प्रदत्त सभी व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाए

क्र स.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल विक्रयावर्त
1	रेडार	26515	(2017–18 के दौरान रक्षा क्षेत्र के लिए विक्रयावर्त का 85% अंशदान दिया)
2	संचार और सी41 सिस्टम	26303	
3	इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स	26700	

III. धारक, सहायक तथा सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्र स.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक, सहायक तथा सहयोगी	शेयर धारित का %	प्रयोज्य धारा
1	जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड, नं.60, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडस्ट्रियल पार्क, व्हाइटफ़ील्ड, बेंगलूर–560066.	U31909KA1996PTC020482	सहयोगी	26	2(6)
2	बीईल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइज़ लिमिटेड ईएल 30 जे ब्लॉक एमआईडीसी, भोसारी, पुणे–411026.	U31909PN1990GOI058096	सहायक (संपूर्ण स्वामित्व)	100	2(87)
3	बीईएल–थेलेस सिस्टम लिमिटेड, सीएनपी क्षेत्र, बीईएल इंडस्ट्रियल एस्टेट, जालहल्ली, बेंगलूरू–5600013.	U32106KA2014GOI076102	सहायक	74	2(87)
4	रक्षा नवोन्मेष संगठन ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालहल्ली, बेंगलूरु– 560 013.	U73100KA2017NPL102118	सहायक	50	2(6)

IV. शेयरधारिता स्वरूप (कुल इक्विटी के इक्विटी शेयर पूँजी विघटन का प्रतिशत)

i) वर्गवार शेयरधारण

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्रीय सरकार	1,523,042,911	-	1,523,042,911	68.19	1,627,374,928	-	1,627,374,928	66.79	-1.40
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) कार्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) किसी अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (क)(1):	**1,523,042,911**	**-**	**1,523,042,911**	**68.19**	**1,627,374,928**	**-**	**1,627,374,928**	**66.79**	**-1.40**
(2) विदेशी									
क) एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कार्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) किसी अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (क)(2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तकों के कुल शेयरधारिता (ए)=(क)(1)+(क)(2)	**1,523,042,911**	**-**	**1,523,042,911**	**68.19**	**1,627,374,928**	**-**	**1,627,374,928**	**66.79**	**-1.40**
ख. सरकारी शेयरधारिता									
(1) संस्थान									
क) म्यूच्यूअल फ़ंड/ यू.टी.आई	269,992,639	87,000	270,079,639	12.09	317,854,095	69,600	317,923,695	13.05	0.96
ख) बैंक / एफआई	3,431,166	-	3,431,166	0.15	8,336,028	-	8,336,028	0.34	0.19
ग) केंद्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वेंडर पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) वैकल्पिक निवेश निधि	105,890	-	105,890	0.00	1,114,563	-	1,114,563	0.05	0.05
छ) बीमा कंपनी	122,316,640	-	122,316,640	5.48	107,590,489	-	107,590,489	4.42	-1.06
ज) एफआईआई	148,635,753	-	148,635,753	6.65	156,860,836	-	156,860,836	6.44	-0.21
झ) विदेशी वेंचर पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ञ) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ख)(1):	**544,482,088**	**87,000**	**544,569,088**	**24.38**	**591,756,011**	**69,600**	**591,825,611**	**24.29**	**-0.09**
(2) गैर-संस्थान									
क) कार्पोरेट निकाय	79,513,928	9,030	79,522,958	3.56	82,114,665	9,933	82,124,598	3.37	-0.19
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) ₹ 1 लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारक शेयरधारित व्यक्ति	62,900,686	301,800	63,202,486	2.83	102,203,653	280,314	102,483,967	4.21	1.38
ii) ₹ 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारक शेयरधारित व्यक्ति	10093600	-	10093600	0.45	10753884	-	10753884	0.44	-0.01

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) न्यास	2,736,801	-	2,736,801	0.12	10,999,957	-	10,999,957	0.45	0.33
ii) एनआरआई	4,200,485	-	4,200,485	0.19	7,668,544	-	7,668,544	0.31	0.12
iii) निकासी सदस्य	6,259,451	-	6,259,451	0.28	3,352,811	-	3,352,811	0.14	-0.14
iv) एलएलपी	150	-	150	0.00	927	-	927	0.00	0.00
v) आईपीएफ खाता	-	-	-	-	7,210	-	7,210	0.00	0.00
vi) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	506	-	506	0.00	0.00
उप-कुल (ख)(2):	**165,705,101**		**166,015,931**	**7.43**	**217,102,157**	**290,247**	**217,392,404**	**8.92**	**1.49**
कुल सरकारी शेयरधारिता (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	**710,187,189**	**397,830**	**710,585,019**	**31.81**	**808,858,168**	**359,847**	**809,218,015**	**33.21**	**1.40**
ग. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल जोड़ (क+ख+ग)	**2,233,230,100**	**397,830**	**2,233,627,930**	**100.00**	**2,436,233,096**	**359,847**	**2,436,592,943**	**100.00**	**-**

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

शेयरधारकों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों पर वचनबद्ध/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों पर वचनबद्ध/भारग्रस्त शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	1,523,039,911	68.19	0.00	1,627,371,628	66.79	0.00	-1.40
प्रेम कुमार कटारिया	3000	0.00	0.00	3300	0.00	0.00	0.00
कुल	**1,523,042,911**	**68.19**	**0.00**	**1,627,374,928**	**66.79**	**0.00**	**-1.40**

iii) प्रवर्तकों के शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि परिवर्तन नहीं हैं तो कृपया स्पष्ट करें)

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	तारीख	शेयरधारण में वृद्धि/घटाव	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1,523,039,911	68.19	01/04/2017	-	-	1,523,039,911	68.19
				15/09/2017	-5,584,069	अंतरण	1,517,455,842	67.94
				03/10/2017	151,745,584	बोनस	1,669,201,426	66.72
				24/11/2017	-29,884,329	अंतरण	1,639,317,097	66.72
				01/12/2017	7,210	अंतरण	1,639,324,307	66.72
				23/03/2018	-11,945,469	पुनर्खरीद	1,627,378,838	66.79
				31/03/2018	**-**	**-**	**1,627,378,838**	**66.79**
2	प्रेम कुमार कटारिया	3,000	0.00	01/04/2017	-	-	3,000	0.00
				03/10/2017	300	BONUS	3,300	0.00
				31/03/2018	**-**	**-**	**3,300**	**0.00**

iv) प्रथम दस शेयरधारकों का शेयरधारण की प्रविधि (निदेशक,संवर्धक,तथा जीडीआर व एडीआर धारकों के अतिरिक्त)

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष 01.04.2017 के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष 31.03.2018 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**भारतीय जीवन बीमा निगम**				
	वर्ष के प्रारंभ में	117,231,380	5.25	117,231,380	5.25
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	(29,315,112)	(1.31)	87,916,268	3.61
	वर्ष के अंत में	-	-	**87,916,268**	**3.61**
2	**बिर्ला सन लाइफ़ ट्रस्टी कंपनी प्राइवट लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	28,622,450	1.28	28,622,450	1.28
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	24,353,352	1.09	52,975,802	2.17
	वर्ष के अंत में	-	-	**52,975,802**	**2.17**
3	**आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मूल्य फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	23771154	1.06	23,771,154	1.06
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	18,447,657	0.83	42,218,811	1.73
	वर्ष के अंत में	-	-	**42,218,811**	**1.73**
4	**एचडीएफसी ट्रस्टी कं. लि. ए/सी एचडीएफसी फोकस ईक्विटी फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	40,774,610	1.83	40,774,610	1.83
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	400,178	0.02	41,174,788	1.69
	वर्ष के अंत में	-	-	**41,174,788**	**1.69**
5	**रिलयंस कैपिटल ट्रस्टी कं लि. ए/सी रिलयंस कैपिटल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	51,187,800	2.29	51,187,800	2.29
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	(19,012,492)	(0.85)	32,175,308	1.32
	वर्ष के अंत में	-	-	**32,175,308**	**1.32**
6	**एसबीआई आर्बीट्रेज ओपरटूनिटी फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	32,431,300	1.45	32,431,300	1.45
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	(2,068,524)	(0.10)	30,362,776	1.25
	वर्ष के अंत में	-	-	**30,362,776**	**1.25**
7	**एलएटी मयूचल फंड ट्रस्टी लिमिटेड– एल एंड टी बिसिनेस साइकिल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	8,378,860	0.38	8,378,860	0.38
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	13,064,314	0.58	21,443,174	0.88
	वर्ष के अंत में	-	-	**21,443,174**	**0.88**
8	**कोटक इंफ्रास्ट्रेक्चर एंड एकोनमिक रिफोर्म फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	18,126,500	0.81	18,126,500	0.81
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	3,015,026	0.13	21,141,526	0.87
	वर्ष के अंत में	-	-	**21,141,526**	**0.87**
9	**डीएसपी ब्लाकरोक इक्विटी सेविंग्स फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	15,383,940	0.69	15,383,940	0.69
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	5,149,569	0.23	20,533,509	0.84
	वर्ष के अंत में	-	-	**20,533,509**	**0.84**
10	**एचडीएफसीएसएल शेयरधारक साल्वेंसी मार्जिन एकाउंट**				
	वर्ष के प्रारंभ में	9,595,182	0.43	9,595,182	0.43
	वर्ष के दौरान शोयरों का अंतरण / विक्रय / पुनर्खरीद/बॉनस इश्यू	5,465,696	0.25	15,060,878	0.62
	वर्ष के अंत में	-	-	**15,060,878**	**0.62**

V. निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण

प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
श्री एम वी गौतमा				
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/घटाव-				
12.09.2017 पर आवंटन (ओएफएस)	1,149	0.00	1,149	0.00
05.10.2017 पर आकलित बोनस शेयर	114	0.00	1,263	0.00
वर्ष के अंत में	-	-	**1,263**	**0.00**
डॉ अजित टी कलघट्गी				
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/घटाव-				
12.09.2017 पर आवंटन (ओएफएस)	1,149	0.00	1,149	0.00
05.10.2017 पर आंकलित बोनस शेयर	114	0.00	1,263	0.00
वर्ष के अंत में	-	-	**1,263**	**0.00**
श्री नटराज कृष्णप्पा				
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/घटाव-				
12.09.2017 पर आवंटन (ओएफएस)	1,149	0.00	1,149	0.00
05.10.2017 पर आंकलित	114	0.00	1,263	0.00
वर्ष के अंत में	-	-	**1,263**	**0.00**
श्रीमती आनंदी रामलिंगम				
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/घटाव-				
12.09.2017 पर आवंटन (ओएफएस)	1,149	0.00	1,149	0.00
05.10.2017 पर आकलित बोनस शेयर	114	0.00	1,263	0.00
वर्ष के अंत में	-	-	**1,263**	**0.00**
श्री आर एन बग्दलकर				
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/घटाव-				
12.09.2017 पर आवंटन (ओएफएस)	1,149	0.00	1,149	0.00
05.10.2017 पर आकलित बोनस शेयर	114	0.00	1,263	0.00
वर्ष के अंत में	-	-	**1,263**	**0.00**
श्री कोशी एलेक्ज़ाडर				
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/घटाव-				
12.09.2017 पर आवंटन (ओएफएस)	1,146	0.00	1,146	0.00
22.09.2017 पर खरीद	04	0.00	1,150	0.00
05.10.2017 पर आकलित बोनस शेयर	115	0.00	1,265	0.00
वर्ष के अंत में	-	-	**1,265**	**0.00**
एस श्रीनिवास				
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	0.00	शून्य	0.00
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/घटाव-				
12.09.2017 पर आवंटन (ओएफएस)	1149	0.00	1,149	0.00
05.10.2017 पर आंकलित बोनस शेयर	114	0.00	1,263	0.00
वर्ष के अंत में	-	-	**1,263**	**0.00**

VI. ऋणग्रस्तता

(₹ लाख में)

	निक्षेप के बिना सुरक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) पूँजीगत राशि	5,000	शून्य	37	5,037
ii) अदेय बकाया ब्याज	शून्य	शून्य	2	2
iii) अदेय प्रोद्भूत ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**5,000**	**शून्य**	**39**	**5,039**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
परिवर्धन	5,000	शून्य	शून्य	5,000
घटाव	(3,333)	शून्य	शून्य	(3,333)
निवल परिवर्तन	1,667	शून्य	शून्य	1,667
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) पूँजीगत राशि	6,667	शून्य	37	6,704
ii) अदेय बकाया ब्याज	शून्य	शून्य	2	2
iii) अदेय प्रोद्भूत ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**6,667**	**शून्य**	**39**	**6,706**

VII. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

A. एमडी, डबल्यूटीडी और / या प्रबंधक के पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	एम वी गौतमा	अजित टी कलघट्गी	गिरीश कुमार (२०.०२.२०१८ तक)	नटराज कृष्णप्पा
1.	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अधीन वेतन	7,219,845	7,152,639	5,632,241	6,053,471
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	39,600	668,776	443,387	588,830
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन				
	- लाभ की % के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	-अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य :				
	(क) सेवानिवृत्ति अनुलाभ	(651,165)	(177,728)	(148,880)	188,146
	(ख) उपरोक्त 1(ब) सहित (निवल अनुलाभ मूल्य) अन्य लाभ	14,556	75,118	27,011	121,528
	कुल	**6,622,836**	**7,718,805**	**5,953,759**	**6,951,975**

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	आनंदी रामलिंगम	आर एन बग्दलकर	कोशी एलेक्ज़ांडर * (०८.११.२०१६ से प्रभावी होते हुए)	कुल
1.	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अधीन वेतन	6,251,579	5,718,378	4,671,791	**42,699,944**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	548,126	336,273	16,740	**2,641,732**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
4.	कमीशन				
	- लाभ की % के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
	-अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
5.	अन्य :				
	(क) सेवानिवृत्ति अनुलाभ	(618,048)	(326,652)	817,263	**(917,064)**
	(ख) उपरोक्त 1(ब) सहित (निवल अनुलाभ मूल्य) अन्य लाभ	152,528	99,395	43,351	**533,487**
	कुल	**6,334,185**	**5,827,394**	**5,549,145**	**44,958,099**

* श्री कोशी एलेक्ज़ांडर 24 सितंबर 2017 तक सीएफओ के रूप में कार्य किया तथा 25 सितंबर 2017 से प्रभावी होते हुए निदेशक (वित्त) और सीएफओ के रूप में कार्यभार लिया ।

ख. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

1. स्वतंत्र निदेशक

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम							कुल मूल्य ₹
		डॉ भास्कर राममूर्ति	डॉ आर के शेवगांवकर	श्रीमती उषा माथुर	श्री शरद सांघी	श्री सुरेंद्र एस सिरोही	श्री मुक्का हरीशबाबु	श्री विजय एस मदान	
1.	- शुल्क - मंडल/समिति बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क	200,000	480,000	520,000	220,000	100,000	120,000	60,000	1,700,000
2.	- कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	- अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख)(1)	**200,000**	**480,000**	**520,000**	**220,000**	**100,000**	**120,000**	**60,000**	**1,700,000**

2. अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम		कुल मूल्य ₹
		श्रीमती कुसुम सिंह	श्री अमित सहाय	
1.	- मंडल/समिति बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य
2.	- कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य
3.	- अन्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	**शून्य**	**शून्य**	**1,700,000**

ग. एमडी/डबल्यूटीडी/प्रबंधक/पूर्णकालीन निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीइओ	सीएफओ**	कंपनी सचिव	कुल
1.	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अधीन वेतन	-	-	1,898,215	**1,898,215**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	-	-	241,958	**241,958**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-	-	शून्य	**शून्य**
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	शून्य	**शून्य**
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	शून्य	**शून्य**
4.	कमीशन				
	- लाभ की % के अनुसार	-	-	शून्य	**शून्य**
	-अन्य	-	-	शून्य	**शून्य**
5.	अन्य :				
	(क) सेवानिवृत्ति अनुलाभ	-	-	27,574	**27,574**
	(ख) उपरोक्त 1(ब) सहित (निवल अनुलाभ मूल्य) अन्य लाभ	-	-	172,411	**172,411**
	कुल	-	-	**2,340,158**	**2,340,158**

**भाग क सहित

VIII. जुर्माना/ दंड/ अपराधों की कंपाउंडिंग –

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/ कम्पाउंडिंग शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकरण	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरे दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कम्पाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कम्पाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कम्पाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में

बेंगलुरु
16 अगस्त 2018

एम वी गौतमा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक 6

प्रबंधन के विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट

(क) उद्योग संरचना तथा विकास कार्य, शक्तियाँ, कमजोरियाँ, सुअवसर तथा जोखिम, स्थिर निष्पादन तथा प्रगति सुनिश्चित करने हेतु नियोजित एवं क्रियान्वित महत्वपूर्ण पहल :

(क) अर्थ–व्यवस्था का सामान्य दृष्टिकोण, कंपनी में प्रचालित उद्योग, सरकारी बजट, विशेषकर रक्षा बजट, बाजार परिस्थितियाँ तथा कंपनी पर इनका प्रभाव, कंपनी के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम/ कार्य योजना;

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2016–17 में उत्तराधिकार में तीसरे वर्ष के लिए 7% से अधिक की जीडीपी वृद्धि दर्ज करने के बाद, 2017–18 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 6.5% होने का अनुमान है। 2017–18 के लिए इस वृद्धि के साथ भी, 2014–15 से 2017–18 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3% है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। जीएसटी की शुरूआत के अलावा, वर्ष में बैंकों की गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों, एफडीआई के उदारीकरण आदि से जुड़ी समस्याओं के सम ाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, इस प्रकार सुधारों की गति को मजबूत किया गया। कुछ वर्षों तक नकारात्मक क्षेत्र में रहने के बाद, 2016–17 के दौरान निर्यात में वृद्धि सकारात्मक हो गई और 2017–18 में और मजबूत हो गई।

हालांकि, कुछ देशों में संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को बढ़ाने के बारे में चिंताओं को व्यक्त किया गया है, लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि स्थिति कैसे सामने आती है। 2018 में विश्व विकास में मामूली सुधार की संभावना के साथ, जीएसटी में अधिक स्थिरता की उम्मीद, निवेश के स्तर में संभावित वसूली और चल रहे संरचनात्मक सुधारों में, अन्य में, उच्च वृद्धि और संतुलन पर समर्थन, देश के आर्थिक निष्पादन में 2018–19 में सुधार दिखनी चाहिए।

रक्षा

आईएचएस जेन के अनुसार, पिछले वर्ष के यूएसडी 1.57 ट्रिलियन के समक्ष 2018 में विश्व सैन्य खर्च यूएसडी 1.67 ट्रिलियन था। जैसा कि दुनिया भर में प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक परिस्थितियों में सुधार और निरंतर अस्थिरता दिखी गई है, आने वाले वर्षों में इसके बढ़ने की उम्मीद है ।

इस परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में, केंद्रीय बजट ने पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% की वृद्धि के साथ 2018–19 के रक्षा के लिए ₹ 2,79,305 करोड़ आवंटित किए हैं। 2017–18 में पूंजीगत व्यय का बजट ₹ 86,488 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 93,982 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि है। बड़े पैमाने पर दिए गए एमओडी की खरीद योजना में, पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। बजट आवंटन का लगभग पूर्ण उपयोग में दिखाई पड़ता है कि अधिकतर परियोजनाओं को नियोजित कर पूरा किया जा रहा है।

रक्षा सेवाओं में, भारतीय थल सेना का रक्षा बजट में प्रमुख हिस्सा होता है, इसके बाद वायु सेना और नौसेना का हिस्सा होता हैं। हालांकि, पूंजी व्यय के पक्ष से, नए उपकरणों/ प्रणालियों की खरीद के लिए वायुसेना को 55%, नौसेना को 52% और थल सेना को उनके बजट का 17% आवंटित किया गया।

हथलसेना, वायुसेना और नौसेना के पूंजी व्यय की वृद्धि क्रमश: 5.3%, 7.1% और 6.3% है। हालांकि आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत बजट की वृद्धि कम है, लेकिन इससे रक्षा बलों की चालू परियोजनाओं पर असर नहीं पड़ सकती है, हालांकि, नई खरीदी में कुछ देरी हो सकती है।

सरकार दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन कॉरिडोर स्थापित करने की भी योजना बना रही है, पहला चेन्नै और बेंगलुरु के बीच और दूसरा बुंदेलखंड क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। ₹ 20,000 करोड़ के निवेश के साथ, इससे 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की उम्मीद की जा रही है।

रक्षा और एयरोस्पेस को विनिर्माण में दो अंकों की वृद्धि को चलाने की क्षमता, महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक खिलाड़ी बनने के नवीनीकृत ध्यान के कारण मेक इन इंडिया संस्करण 2.0 के 'चैंपियन सेक्टर' तहत दस में से एक के रूप में अभिचिन्हित किया गया है।

रक्षा बजट 2018–19 ने रक्षा बजट के प्रधान 'मेक' के तहत ₹ 142 करोड़ प्रदान किए हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को बढ़ते स्वदेशी उत्पादन में अभिकल्प और विकास के लिए

वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इसके प्रमुख रक्षा कारोबार के अलावा, बीईएल ने गृहभूमि सुरक्षा, सौर, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा आदि जैसे विविधिकरण के साथ अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किया है। कंपनी गृहभूमि सुरक्षा, सौर आदि क्षेत्रों में प्रगति करने में सक्षम थी और बाजार अवसरों के आकलन के बाद अब बीईएल मानव रहित प्रणालियां, घटक, सोनोबुइज़ जैसे नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रही है ।

गृहभूमि सुरक्षा और स्मार्ट सिटी

भारत में गृहभूमि सुरक्षा बाजार केंद्रीय, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों में फैली हुई है। गृहभूमि सुरक्षा के प्रमुख खंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, अर्धसैनिक बल, पुलिस और शहरी क्षेत्र सुरक्षा, भू परिवहन, बंदरगाह एवं मैरीटाइम सुरक्षा आदि हैं।

2018-19 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन ₹ 107, 573 करोड़ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% से अधिक है और पुलिस बल के आधारिक संरचना में सुधार पर विशेष जोर देता है। सीमा सुरक्षा प्रबंधन गृहभूमी सुरक्षा सेगमेंट में उपलब्ध प्रमुख अवसरों में से एक है, जिसमें भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश सीमाओं आदि के साथ आवश्यक सीमा प्रबंधन समाधान शामिल हैं। बीईएल गृहभूमी सुरक्षा व्यवसाय के हिस्से के रूप में सीमा प्रबंधन समाधान आवश्यकताओं को संबोधित करने की योजना बना रहा है।

भारत सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमोचन किया गया, जिसमें 5 वर्षों में 100 शहरों को शामिल किया गया। स्मार्ट सिटी कारोबार के प्रमुख खंडों में स्मार्ट सुरक्षा, स्मार्ट अभिशासन, स्मार्ट गतिशीलता, स्मार्ट ऊर्जा, स्मार्ट स्वास्थ्य सुरक्षा, स्मार्ट अवसंरचना और बिल्डिंग आदि शामिल हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके अंतर्गत मंत्रालय ने केंद्रीय सहायता के साथ 99 स्मार्ट शहरों की घोषणा की है, को पिछले वर्ष की तुलना में 54% की वृद्धि के साथ 2018-19 के लिए ₹ 6,169 करोड़ आबंटित किए गए हैं। बीईएल ने वर्ष के दौरान गृहभूमि सुरक्षा और स्मार्ट सिटी कारोबार के लिए एक माइक्रो रणनीतिक कारोबार यूनिट का गठन किया। वर्ष के दौरान एसबीयू स्मार्ट सिटी खंड में कुछ महत्वपूर्ण आदेश हासिल करने में सक्षम रहा।

सौर

सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन और अन्य जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से यथा 100 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा के लक्ष्य के साथ वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू बिजली उत्पन्न करने का म हत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 2018-19 में सौर ऊर्जा के लिए ₹ 2045 करोड़ का बजट आवंटन निर्धारित किया गया है, जो पवन ऊर्जा के लिए 20% आवंटन की तुलना में कुल अक्षय ऊर्जा आवंटन का 54% है। यह इशारा करता है कि सरकार सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। घरेलू विनिर्माण लागत को कम करने में सहायता प्रदान करने के लिए सौर पैनलों और मॉड्यूल के विनिर्माण में जाने वाले सौर टेम्पर्ड ग्लास पर लगने वाले सीमा शुल्क पहले के 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है।

बीईएल ने अपनी पीवी सौर सुविधाओं को 10 मेगावाट मोनो क्रिस्टलीय सौर सेल और 10 मेगावाट स्वचालित सौर म ॉड्यूल विनिर्माणको उन्नत किया है और मेगावाट आकार सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है। बीईएल का नया स्वचालित मॉड्यूल प्लांट 60 और 72 दोनों सेलों के विन्यास में 320 वाट तक सौर मॉड्यूल का निर्माण करता है। यह मॉड्यूल रूफ टॉप और यूटीलिटी स्केल सौर ऊर्जा संयंत्र में अनुप्रयोग के लिए एमएनआरई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आईईसी प्रमाणीकरण के योग्य हैं।

बीईएल 8 राज्यों में फैले 17 स्थानों पर आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों के एस्टेट में कैप्टिव खपत के लिए 150 मेगावॉट की कुल क्षमता वाले यूटिलिटी स्केल सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित कर रहा है। 15 मेगावॉट क्षमता वाला पहला सौर ऊर्जा संयंत्र रहा है मेडक के आयुध विनिर्माणी कारखाने में स्थापित किया गया और संयंत्र द्वारा ग्रिड को बिजली प्रदान करना शुरू कर दिया है। उड़ीसा के बडमाल, बाउलुगर जिले में 7.5 मेगावॉट क्षमता और इटारसी में 10 मेगावाट वाले संयंत्र स्थापित किए गए हैं और जल्द ही ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज़ किए जाएंगे। जबलपुर और एचवीएफ अवदी में स्थापित होने वाले 10 मेगावाट और 6 मेगावाट के क्रमश दो और सौर संयंत्र स्थापना के विभिन् न चरणों में हैं।

निकट भविष्य में इस क्षेत्र से बीईएल के कारोबार में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद की जाती है। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए मल्टी जंक्शन सौर सेल के निर्माण के लिए इसरो द्वारा बीईएल को सूचीबद्ध किया गया है। इस संयंत्र की क्षमता लगभग 60,000 सेल प्रतिवर्ष होगी।

अंतरिक्ष

इसरो ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 60 मिशन लॉन्च किए और वर्ष 2018-19 से प्रति वर्ष औसतन 12-18 लॉन्च के साथ मिशन की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रहा है। इसरो को पिछले 3 वर्षों में औसतन 100 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने का सुअवसर प्राप् त हुआ है। इसरो की योजन-ाओं के अनुसार, अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) को जो पिछले वर्ष के ₹ 9,949 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 10,873 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

बीईएल ने उपग्रह संचार के ग्राउंड क्षेत्र में स्वंय को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है और अंतरिक्ष आधारित एसेट्स और पेलोड के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ अंतरिक्ष खंड में प्रवेश करना के लिए इच् छुक है । हाल में, उपग्रह एसेंबली, एकीकरण और परीक्षण के लिए बीईएल को इसरो द्वारा एक सहयोगी के रूप में चयनित किया गया ।

बीईएल इसरो के साथ सहयोग की तलाश कर रक्षा और अर्धसेना बलों के अनुप्रयोगों में संभावित उपयोग के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में जीएसएटी टर्मिनल, एनएवीईआईसी आरएक्स, हब्स आदि जैसे विभिन्न उत्पादों/ प्रणालियों के डिजाइन और विकास में अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है।

उद्योग संरचना और विकास

वर्तमान में, भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक है, जिसमें इसकी कई रक्षा आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। आयात की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए एमएसएमई और स्टार्ट-अप सहित निजी क्षेत्र से पर्याप्त भागीदारी के साथ भारत सरकार की दृष्टि रक्षा क्षेत्र में मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्रीय उद्योग विकसित करना है । इस संबंध में, नवोन्मेष के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम जैसे एमएसएमई / स्टार्ट-अप आदि द्वारा एक पर्यावरण प्रणाली के निर्माण के लिए इस तरह की दृष्टि को सक्षम करने के लिए कई पहल की हैं।

रक्षा मंत्रालय ने डीपीपी 2016 के हिस्से के रूप में भारतीय निजी क्षेत्र के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल (एसपी) प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक रूप से 4 सेगमेंट में एसपी का चयन किया जाएगा जैसे कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और बख्तरबंद लड़ने वाले वाहन (एएफवी) / मुख्य युद्ध टैंक (एमबीटी)।

रणनीतिक साझेदार घरेलू विनिर्माण बुनियादी ढांचे और प्रमुख प्रणालियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की तलाश करने के लिए वैश्विक ओईएम के साथ जुड़ जाएगा। मॉडल का उद्देश्य निजी क्षेत्र में पहचाने गए प्लेटफार्मों के विकास और निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना है।

सरकार भारत में सुविधाओं की स्थापना के लिए विदेशी ओईएम की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्वचालित मार्ग के तहत मौजूदा 49% से एफडीआई सीमाओं को और बढ़ाने की योजना बना रही है।

डीआरडीओ विकसित प्रौद्योगिकियां अब टीओटी और रॉयल्टी फीस के भुगतान पर निजी क्षेत्रों सहित भारतीय उद्योग को गैर-विशिष्ट आधार पर उपलब्ध कराई गई हैं।

इन बदलते कारोबारी परिदृश्यों के तहत, भारतीय रक्षा उद्योग में बीईएल अपने व्यापार स्तर में उभरते सामरिक साझेदारों, उपयोगकर्ताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श मे सुधार लाने और दीर्घकालिक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

(ख) एसडबल्यूओटी विश्लेषण

शक्तियाँ

- भारत में स्थापित रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स खिलाड़ी
- उत्तम प्रतिच्छाया, प्रतिष्ठा और कार्य नैतिकता परिवेश
- प्रौद्योगिकी तथा नव-उत्पाद विकास में परिणामित होने वाला सुदृढ़ बहु-आयामी अनु.एवं विकास
- अनुपूरक प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ संयुक्त विकास
- विनिर्माणी और गुणता आश्वासन के लिए उत्तम विनिर्माण सुविधाओं के साथ प्रतिबद्ध कार्य बल
- ईआरपी सहित सु-स्थापित प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ
- दशकों के अनुभव के फलस्वरूप रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रक्षेत्र ज्ञान तथा मूल दक्षताएं
- सशक्त उत्पाद समर्थन नेटवर्क के साथ व्यापक उत्पाद श्रृंखला
- रक्षा एवं सरकारी एजेंसियों के साथ अटूट संबंध
- सहयोगकर्ताओं से सक्रिय ज्ञानार्जन
- बृहत् और जटिल सिस्टम एकीकरण परियोजनाओं और टर्नकी समाधानों को निष्पादित करने में विशेषज्ञता और अनुभव
- बृहत प्रणाली एकीकरण परियोजनाओं में अनुभव एवं
- वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा निरंतर लाभार्जन
- ग्राहकों के लिए दीर्घकालीन प्रतिबद्धता

कमजोरियाँ

- कुछ नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अंतर
- रक्षा बाजार पर निर्भरता
- विपणन का समय - अत्याधिक
- कुछ खंडों में प्रौद्योगिकी के लिए डीआरडीओ पर निर्भरता
- कुछ जटिल प्रौद्योगिकियों के स्रोतण करने में कठिनाई

सुअवसर

- बढ़ती रक्षा एवं सुरक्षा आवश्यक्ताएं।
- रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए मेक इन इंडिया पर सरकार का ज़ोर।

- आधुनिकीकरण तथा प्रोन्नयन कार्यक्रमों तथा अनुरक्षण म रम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) की दिशा में प्रवर्धित रक्षा बजट आबंटन।
- केन्द्रीय पैरा-सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर वर्धित बल।
- सौर आधारित बिजली संयंत्रों और संबंधित गैर- रक्षा क्षेत्रों के लिए बढ़ता बाजार जैसे - गृहभूमि सुरक्षा, स्मार्ट सिटी तत्व, अंतरिक्ष, घटकों आदि

जोखिम

- प्रौद्योगिकी में द्रुत परिवर्तन
- निजी क्षेत्र के पक्ष में नीति हस्तक्षेप रक्षा क्षेत्र में भारतीय निजी उद्योग तथा विदेशी ओईएम के
- संयुक्त उद्यम सहित उनसे बढ़ती प्रतिस्पर्धा
- रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की खरीद

(c) कंपनी के निरंतर निष्पादन एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्धारित कार्यनीति, उद्देश्य तथा लक्ष्य सहित, क्रियान्वित/ नियोजित महत्वपूर्ण प्रमुख पहल

कंपनी ने निरंतर निष्पादन एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल शुरूआत की है -

(i) सह-विकास, सह-उत्पादन तथा विनिर्माण टीओटी के माध्यम से उभरते कारोबार के लिए रणनीतिक गठबंधन -

कंपनी अनेक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में कार्य कर रही है जैसे एईएसए आधारित आधुनिक रेडार, नौसेना रेडार, एयरबोर्न रेडार, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति स्यूट्स, वायु रक्षा प्रणालियाँ, भूमि, आकाशीय और अंतर्जलीय अनुप्रयोग के लिए मानवरहित प्रणालियां, पंडुब् बी-रोधी युद्ध-पद्धति प्रणालियां, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो, सी41 प्रणालियां, अक्रिय रात्रि दर्शी साधित्र, मल्टी-सेन्सर स्टेबिलाइज़ेशन प्रणालियाँ, सम्मिश्र उत्पादन विकास और विनिर्माण आदि।

कंपनी ने रक्षा प्रयोगशालाओं, आयुध निर्माणी बोर्ड, डीपीएसयू तथा अन्य प्रतिष्ठित वैश्विक और भारतीय कंपनियों/ एजेंसियों के साथ भारतीय रक्षा बलों के लिए इन उभरती आवश्यकताओं के लिए कई रणनीतिक गठबंधन किए हैं। इन विभिन्न उत्पादों/ प्रणालियों में, सतह से हवा में मारक मिसाइल (एसएएम) प्रणालियाँ, सीकर, वायु रक्षा रेडार (भू और नौसेना आधारित), सामरिक संचार प्रणालियां, रणभूमि प्रबंधन प्रणाली, सोनार प्रणाली, अगली पीढ़ी के रात्रि दृश्य उपकरण, गन उन्नयन/ न्यू गन प्रोग्राम, जड़त्वीय नौपरिवहन प्रणालियाँ, अधिक शक्तिशाली लेजर, मध्यम-ऊंचाई लंबी-दूरी क्षमता के मानवरहित वायु वाहन (यूएवी), इलेक्ट्रॉनिक गोला बारूद फ़्यूज़, भविष्य के लड़ाकू इंफेंट्री वाहनों से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियाँ (ऋखउत), सैटकॉम टर्मिनल आदि सम्मिलित हैं।

(ii) संयुक्त उद्यमों का सृजन (मौजूदा/उभरते कारोबारी क्षेत्र दोनों के लिए) -

संयुक्त उद्यम कंपनी, बीईएल-थेल्स प्रणाली लिमिटेड प्रचालन में है तथा भारतीय एवं वैश्विक बाजारों के लिए नागरिक और चुनिंदा रक्षा रेडारों के अभिकल्प, विकास, विपणन, आपूर्ति और समर्थन कार्य करती है। संयुक्त उद्यम कंपनी चुनिंदा परियोजनाओं के सह-विकास कार्यों में लगी हुई है। इसमें संयुक्त उद्यम द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक के रूप में बंदूक और मिसाइल प्रणाली के लिए बहु-लक्षित ट्रैकिंग अग्नि नियंत्रण रडार का संयुक्त विकास शामिल है।

कंपनी इस प्रकार के व्यापार में उभरते नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरक शक्तियों की प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम सहभागिता/ विशेष प्रयोजन वाहन व्यवस्था के लिए इसी तरह के भागीदार ढूँढ रही है।

(iii) संस्थागत अनुसंधान एवं विकास पर बल देना -

बदलते कारोबारी परिदृश्य में, रक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर अग्रसक्रिय रूप से स्वदेशी विकास करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में संस्थागत अनुसंधान एवं विकास के साथ सह-विकास का सशक्तीकरण कारोबार हासिल करने की कुंजी होगी। बीईएल ने डीआरडीओ/ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शिक्षा और अन्य संस्थानों के साथ कार्य स्तर में वृद्धि करने के साथ संस्थागत अनुसंधान तथा विकास के संवर्धन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। बीईएल लगातार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अनु व वि में अपने विक्रयावर्त का 8-10% निवेश कर रही है। योजना के अनुसार 2018-19 में नव निर्मित उत्पादन विकास और नवोन्मेष केन्द्र (पीडी एवं आईसी) पूरी तरह से परिचालित होंगे। बीईएल द्वारा नियुक्त प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी अपने संबंधित खंडों में प्रौद्योगिकी/ उत्पाद विकास के प्रयास कर रह हैं ।

बीईएल प्रौद्योगिकी मॉड्यूल / उत्पादों के विकास के लिए अधिक साझेदारों के साथ अपने सहयोगी अनु व वि प्रयासों पर और अधिक बल दे रही है।

(iv) निर्यात तथा समंजन पर बल –

कंपनी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की मंजूरी से लगातार मित्र देशों को उत्पाद और प्रणालियों के निर्यात की संभावनाओं की तलाश कर रही है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में तटीय निगरानी प्रणाली, भूमि आधारित रेडार, नौसेना वायु निगरानी रेडार, सोनार, संचार उपकरण, शस्त्र प्रणाली, ईडब्ल्यू प्रणाली, गन उन्नयन और रात्रि दर्शी डिवाइस आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कंपनी रक्षा मंत्रालय की विभिन्न आरएफपी में विदेशी पूर्तिकर्ता के समंजन दायित्वों के क्षेत्रों के अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 'बिल् ट टू प्रिंट', 'बिल् ट टू स्पेस' तथा 'क्रेता नामांकित उपकरण' पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बीईएल ने कई विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और लंबी अवधि के आपूर्ति श्रृंखला संबंधों की स्थापना हेतु प्रमुख वांतरिक्ष और रक्षा कंपनियों के साथ काम कर रही है ।

निर्यात कारोबार में वृद्धि लाने के क्रम में, बीईएल हनोई वियतनाम में विपणन कार्यालय खोल रही है। इसके अतिरिक्त, चयनित देशों में इसी प्रकार चरणबद्ध तरीके से कारोबारी अवसरों के आधार पर सम्रुपार विपणन कार्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है।

(v) आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना और सुविधाओं का विस्तार –

कंपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुसार इसकी आधुनिकीकरण एवं अपनी अवसंरचना के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। बीईएल विकास योजनाओं के अनुरूप क्षमता विस्तार और सुविधाओं के आधुनिकीकरण के भाग के रूप में अगले 3–4 वर्षों में लगभग 2,500 करोड़ रुपये के व्यय की योजना बना रही है। इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं में पालसुमुद्रम में रक्षा प्रणाली एकीकरण परिसर, निम्मलुरु में ईओ विनिर्माणी सुविधा और इब्राहिम्पट्टनम में भूमि आधारित ईडब्ल्यू सिस्टम, सीकर विनिर्माण सुविधा आदि शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी नए कारोबारी अवसर को आगे बढ़ाने के लिए देवनाहल्ली, बेंगलूर और नागपुर के नजदीक भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पालसमुद्रम में 900 एकड़ से अधिक भूमि–क्षेत्र में रक्षा प्रणाली एकीकरण कॉम्प्लेक् स की शुरुआत हो जाने पर यह देश में इस प्रकार की सबसे बड़ी सुविधा होगी। यह सुविधा बीईएल को अपने मिसाइल प्रणाली कारोबार के विस्तार करने और आगामी परियोजनाओं के लिए प्रणालियों और उप–प्रणालियों के निर्माण और एकीकरण करने में सक्षम करेगी। यह केंद्र एकीकरण हैंगर एवं रेडार और शस्त्र एकीकरण हेतु प्रबल स्टैंड, लक्ष्य समीकरण हेतु आरएफ विकिरण स्रोत, स्वचालित परीक्षण उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण हेतु साफ कक्ष, गैर–विस्फोटक एवं विस्फोटक एकीकरण भवन, मिसाइल भंडारण भवन, पर्यावरण परीक्षण कक्ष, अग्निशमन केंद्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, एस्टेट और प्रशासनिक भवन आदि जैसे सब अत्याधुनिक आधारिक संरचना के साथ होगा। प्रस्तावित परिसर स्वचालित निर्देशित वाहन और औद्योगिक रोबोट के साथ सामग्री संचलन तथा संचालन के लिए विश्वस्तरीय सुविधा से युक्त होगा। चूकि लगभग 500 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ विभिन्न परियोजनाएं परिपक्व हो रही है अत: अगले 2–3 वर्षों में इसका पहला चरण प्रक्रियाधीन रहेगी और यह सुविधा 3 से 4 चरणों में पूरी तैयार हो जाएगी।

कंपनी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के निम्मलुरू में रू. 250 करोड़ के निवेश के साथ आईआर सीकर, रात्रि दृश्य उपकरण तथा थर्मल इमेजिंग कैमरा निर्माण करने हेतु संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। अगले 3 वर्षों में इस संयंत्र के प्रचालित होने की संभावना है।

बीईएल बेलोप–पुणे में दऊ–4 से दठ–5 प्रौद्योगिकी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इमेज इंटेन्सिफायर प्रौद्योगिकी आधारित ट्यूबों की अवसंरचना सुविधा का उन्नयन भी कर रही है।

(vi) उत्पाद समर्थन कारोबार पर ध्यान केन्द्रित –

बीईएल का लक्ष्य उत्पाद समर्थन सेवा कारोबार पर ध्यान केंद्रित करना और महाप्रबंधक के नेतृत्व में भारत भर में क्षेत्रीय उत्पाद सहायता केंद्र (आरपीएससी) का विस्तार कर अपने उत्पाद समर्थन नेटवर्क का विस्तार करना है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास

चुनौतियाँ

अनु व वि में, बीईएल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक तेजी बनाए रखने के लिए तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों को समझने और उन्हें बीईएल द्वारा शीघ्र नियंत्रित, अनुकूलित और लागू करने की आवश्यकता है। दशकों से रक्षा पीएसयू होने के नाते, बीईएल रक्षा उपयोग के उत्पादों की

विश्वसनीयता, उत्तर जीविता और निर्वहनीयता के महत्व को समझती है। नागरिक बाजार के लिए प्रारंभ की गई नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित करने और रक्षा के लिए उन्हें अपनाना एक चुनौती है, जिसका बीईएल सतत सामना कर रही है। आकार, वजन, शक्ति और गुणता की आवश्यकताएं हमेशा अनु व वि को आगे बढ़ाती है। घटक स्तर पर, अनु व वि को एमएमआईसी, अत्यधिक एकीकृत प्रोसेसर आईसी, माइक्रोवेव सुपर-घटकों आदि की नई आवश्यकताओं पर कार्य करने की जरूरत है। उत्पाद स्तर पर, अनु व वि को विन्यास योग्य, बहुप्रकार्य और त्रुटि सह्यता उत्पाद बनाने की आवश्यकता है। सिस्टम एकीकरण विशेषज्ञता सहित परियोजना प्रबंधन में सिस्टम ऑफ सिस्टम के विशेषज्ञता की आवश्यकता है। घटकों के छोटे जीवनकाल के साथ, प्रतिपल सतर्क रहने की स्थिति में अप्रचालन एक मुद्दा है।

उपाय

इन सभी चुनौतियों के समर्पित आर एंड डी प्रयासों और कई पहलों के माध्यम से बीईएल द्वारा समाधान किया जाता है। बीईएल में अच्छी तरह से परिभाषित लघु, मध्य-अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों और रोडमैप है। बीईएल के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा आर एंड डी में निवेश किया जाता है। कंपनी भर में भविष्य के लिए आवशेयक विकास क्षेत्रों के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक तीन - वर्षिय रोल ऑन आर एंड डी योजना बनाई जाती है। इस दिशा में योग्यताएं विकसित की हैं। बीईएल बुनियादी, कोर और भविष्य प्रौद्योगिकि मॉड्यूलों पर ध्यान से चयनित विषयों के माध्यम से अपने इंजीनियरों को प्रशिक्षित करता है। बीईएल उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के माध्यम से भविष्य के विकास के लिए भी उजागर करता है। हाल ही में इस दिशा में बीईएल उत्कृष्टता अकादमी स्थापना की पहल की गई है। सेंट्रल डी एंड ई, केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और आर एंड डी लैब्स के अलावा, अपनी प्रत्येक व्यवसाय यूनिट से जुड़े बीईएल ने अनुसंधान और नवोन्वेषी को नए उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए एक उत्पाद नवोन्वेष और विकास केंद्र भी स्थापित किया है। बीईएल लगातार संस्थागत विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, बीईएल डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, वस्तु विशेषज्ञों, अकादमिक और एमएसएमई के साथ अवसर के आधार पर, साझेदारी लेता है।

बीईएल में, विश्वसनीयता, उत्तरजीविता और अनुरक्षण पहलुओं को प्रत्येक उत्पाद के अभिकल्प चरण से ही अंतर्निहित किया जाता है। आदिप्ररूप के निर्माण से पहले आर एंड एम विश्लेषण किया जाता है और यह आदिप्ररूप घटकों, सामग्रियों, प्रक्रियाओं आदि के संबंध में किसी भी कमी के निवारण के लिए पर्यावरणीय तनाव और परीक्षण किये जाते है। वज़न, ऊर्जा आवश्यकताएं, आकार इत्यादि के संबंध में उपायों की समीक्षा एवं समेकन के माध्यम से अभिकल्प को इष्टमीकृत किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास पहल :-

वर्ष 2017-18 के दौरान अनु. एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्रों में बीईएल द्वारा की गई कुछ नई पहल निम्नलिखित हैं -

- बीईएल के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की ओर उन्मुख करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों की मेजबानी करने के लिए बीईएल उत्कृष्टता आकादमी की स्थापना की गई है ।
- डीआरडीओ के साथ संयुक्त रूप से विकसित स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मारक मिसाइल का सफल फायरिंग परीक्षण
- बीईएल विनिर्मित रेडियो आवर्त सीकर सहित सतह से हवा में मारक स्वदेशी मिसाइल आकाश-। एस की सफल फायरिंग परीक्षण
- रूस्तम खख ड्रोन (मध्यम ऊंचाई लंबी सहनशक्ति मानव रहित एरियल वाहन - चअडए णअत) की सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण
- बेंगलुरू में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई है- ईएमसी परीक्षण सुविधा और बीईएल में विकसित प्रोटोटाइप उत्पादों और प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु निकट क्षेत्र परीक्षण सुविधा
- बीईएल ने रक्षा प्रदर्शनी 2018 में भारतीय थलसेना के लिए आठ नए उत्पादों की शुरूआत की। ये हैं- 100 एमबीपीएस रेडियो रिले, सुरक्षित मिलिट्री वायरलेस एरिया नेटवर्क (एसएमडब्ल्यूएलएएन), बहु प्रकार्य हस्त धारित थर्मल इमेजर (एमएफ-एचएचटीआई), लंबी दूरी वाले निगरानी प्रणाली (एलआरएसएएम), केमिकल एजेंट मॉनिटर (सीएएम), बहु प्रकार्य रिफ्लेक्स शस्त्र प्रणाली (एमआरडब्ल्यूएस), हल्के भार वाले कंपोजिट शेल्टर तथा खनन क्षेत्र रिकॉर्डिंग सिस्टम (एमएफआरएस)
- बीईएल ने इन्फ्रा रेड सीकर को उच्च गति के धूलकण, कण घर्षण और वर्षा के अपरदन से बचाने के लिए जस्ता सल्फाइड गुंबदों के निर्माण के लिए केमिकल वेपर डिपोजिशन (सीवीडी) नामक एक नई प्रक्रिया शुरूआत की।

- बीईएल ने बीईएल में विनिर्मित सभी ट्रांसड्यूसर के ध्वनिक माप / अंशांकन को पूरा करने के लिए एक उन्नत ध्वनिक परीक्षण सुविधा और ट्रांसड्यूसर पोजिशनिंग प्रणाली की स्थापना की है।
- बीईएल द्वारा इसके पुणे के संस्थापना में इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिलरी फ्यूज विनिर्माण सुविधा की स्थापना की गई है।
- गाजियाबाद में आईएसीसीएस के एकीकरण और परीक्षण के लिए समर्पित एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।
- बीईएल ने भारतीय नौसेना के लिए एक ऑनलाइन सूची प्रबंधन प्रणाली विकसित की है।
- बीईएल ने स्वदेशीकरण, अभिकल्प प्रयास, संस्थागत पुरस्कार और डीपीएसयू के उत्कृष्ट निष्पादन विभाग की श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2014-15 और 2015-16 का रक्षा मंत्री पुरस्कार, प्राप्त किया गया।
- बीईएल ने प्रौद्योगिकी नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास की श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 का एसओडीईटी पुरस्कार प्राप्त किया।
- अनु व वि इंजीनियरों ने आईआरएसआई, ईडब्ल्यूसीआई, इंट्रोमेट, आरएफ और माइक्रोवेव सम्मेलन आदि सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लिया।
- बीईएल कुल 216 संगठनों को पैनलकृत किया, जिसमें 27 सहयोगी अनु व वि सहयोगी, 128 अभिकल्प सेवा प्रदाता, 28 परामर्शदाता और 33 उत्पादन सेवा प्रदाता और अभिकल्प और उत्पादन दोनों का समर्थन करने के लिए 3 संगठन शामिल हैं।
- बीईएल ने 2016-17 में दायर 20 पेटेंट के मुकाबले 2017-18 में 25 पेटेंट दायर किए हैं ।

(d) विविधीकरण/विस्तारण योजनाएँ:

विविधीकरण की रणनीति के रूप में, कंपनी ने विकास में वृद्धि, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में अधिगृहीत शक्ति एवं क्षम ताओं का लाभ प्राप्त करने के लिए रक्षा संबद्ध तथा गैर-रक्षा क्षेत्रों में अवसरों की संभावनाओं की तलाश प्रारंभ की है। विगत 4-5 वर्षों में, कंपनी ने कुल कारोबार का औसतन 15% गैर-रक्षा कारोबार किया और आगामी वर्षों में कंपनी के कुल कारोबार में गैर-रक्षा शेयर की सहभागिता की बढ़ाने की भी योजना है।

कंपनी अपने कारोबार के अधिक विस्तार हेतु रक्षा तथा गैर-रक्षा के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रयासरत है। बीईएल द्वारा रक्षा में स्वदेशी सैम सिस्टम, एयरबोर्न रेडार, आईआर सीकर, रात्रि दर्शी उपकरण के लिए प्रतिबिंब तीव्रक ट्यूब एवं तापीय प्रतिबिंबन संसूचक, जड़त्वीय नौपरिवहन प्रणाली, जटिल नौवहन प्रणाली, लेजर आधारित डीईडब्ल्यू, सोनोबोयस, हेलमेट आरोहित प्रदर्शन प्रणाली और विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए डायरेक्ट इनफ्रेररर काउंटर उपायों आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक एम्युनिशन फ्यूज, हल् के भार वाले कंपोस्टि शेल्टर और मास्ट, मानव रहित प्रणालियों, साइबर सुरक्षा आदि विविधीकरण के क्षेत्र में प्रवेश किया है। बीईएल, पुणे में एक नई विनिर्माणी इलेक्ट्रॉनिक एम्युनेशन फ्यूज की स्थापना की गई है। रक्षा में साइबर सुरक्षा कारोबार अवसरों को प्राप्त करने के लिए बीईएल बेंगलूर मं एक नए वर्टिकल का गठन किया गया है। बीईएल, नवी मुंबई में घटकों के लिए एक विनिर्माणी सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

गैर रक्षा क्षेत्र में, क्रिटिकल अवसंरचना संरक्षण, एयर ट्रैफिक प्रबंधन रेडार, इंटेलिजेंट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली, सौर ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष ग्रेड सौर सेल, सैटेलाइट एकीकरण, स्मार्ट सिटी के अवसर आदि से जुड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

(e) जोखिम प्रबंधन, लागत कटौती और स्वदेशीकरण पर विशिष्ठ उपाय-

1. जोखिम प्रबंधन -

कंपनी में एक संस्थापित जोखिम प्रबंध नीति है, जो बोर्ड के निदेशकों द्वारा की गई सिफारिशों को सम्मिलित करने के बाद औपचारिक रूप से वर्ष 2015-16 में जारी की गई थी। जारी की गई नीति सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 की विनियम 21 की अपेक्षिताओं के अनुरूप है।

जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी में संबंधित कार्मिक के जोखिम प्रबंधन संरचना, भूमिकाओं और दायित्वों की रूपरेखा है। प्रौद्योगिकी, उत्पादन, बाजार, मानव संसाधन, वित्त आदि जैसे प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न जोखिमों के जोखिम पहचान, मूल्यांकन, प्राथमिकता, उपचार आदि के लिए एक व्यापक ढांचा भी इस नीति में परिभाषित की गई है।

नीति के अनुसार, बीईएल में जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक कॉर्पोरेट स्तर पर दूसरी यूनिट स्तर पर द्वीय स्तरीय जोखिम प्रबंधन संरचना की स्थापना की गई है। कॉपरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा म.प्र. (रणनीति योजना)/ का.ऑ. की अध्यक्षता में कार्पोरेट जोखिम की निगरानी की जाती है और म.प्र. (गुणता)/ का.ऑ द्वारा कॉर्पोरेट जोखिम चैंपियन के रूप में इसका समन्वयन किया जाता है। यूनिट जोखिम प्रबंधन समितियों (यूआरएमसी) द्वारा कॉर्पोरेट जोखिम चैंपियन का समर्थन किया जाता है। संबंधित एसबीयू/ यूनिट प्रमुखों द्वारा

यूआरएमसी के नेतृत्व किए जाते हैं और यूनिट जोखिम चैंपियन द्वारा समन्वयन किया जाता है, जिसमें चैंपियंस, अपर महाप्रबंधक (अ.म.प्र.) या वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (वरिष्ठ उ.म.प्र.) स्तर के होते हैं।

सीआरएमसी, यूआरएमसी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ कार्यपालक प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों द्वारा आयोजित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आवधिक रूप से आयोजित किए जा रहे हैं और ईआरएम प्रक्रिया में अब तक लगभग 627 कार्यपालक प्रशिक्षित किए गए हैं।

मंडल की 375वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निदेशक (बें.कॉ.) बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के अध्यक्ष और निदेशक (अ.यू.), निदेशक (वित्त), निदेशक (वपिणन) और महाप्रबंधक (रणनीति योजना)/ का.ऑ. सदस्य के रूप में हैं ।

यूनिटों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा प्रौद्योगिकी जोखिम, विपणन, वित्त और मानव संसाधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कुछ जोखिमों की पहचान की गई है। उचित नीतियों और प्रक्रियाओं की शुरूआत कर इन जोखिमों के समाधान किए जा रहे हैं जो विस्तृत विश्लेषण और पूर्ण परिभाषित प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय पर बल देते हैं। इससे अंतत: इससे निर्णय लेने के अवस्था में ही उचित जो-खिम को कम करने की प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सकेगा ।

परियोजनाओं के मूल्यांकन के समय, विभिन्न जोखिमों के प्रभाव को मापने के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है। समान रूप से, किसी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुमोदनकर्ता प्राधिकारियों को सूचित निर्णय के लिए अनिवार्य रूप से जोखिम विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्रमांक वित्तीय मंजूरी के लिए एक सुव्यवस्थित शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन है। इसके अतिरिक् त व्यापक पूर्तिकर्ता मूल्यांकन प्रक्रिया, खरीद प्रक्रिया, आदि की व्यवस्था है। विभिन्न कारोबारी प्रचालनों में जोखिम को कम करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट स्तर के जोखिम को कम करने के लिए कार्य योजनाओं की पहचान और सिफारिश के लिए सीआरएम सी नियमित रूप से बैठक कर रही है। इसके साथ ही यह बीईएल में ईआरएम कार्यान्वयन प्रक्रिया का आकलन करती है और इसको प्रभावी बनाने के लिए योजनाएं तैयार करती है।

समान रूप से, यूआरएमसी भी यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु समीक्षा बैठक आयोजित करती है और सीआरएमसी को इसकी रिपोर्ट अग्रेषित करती है।

ईआरएम प्रक्रिया को संस्थागत करने और कंपनी की संस्कृति के अनुसार जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2017 के दौरान, सीआरएमसी ने इसके दो एसबीयू (गा.बाद-एनसीएस और बें.कॉ.-मिलकॉम) में जोखिम पहचान कर इसकी जोखिम को कम करने के लिए पायलट परियोजना की शुरूआत की है। परामर्शदाता के शिक्षण और सिफारिशों को कंपनी भर की यूआरएमसी जोखिम प्रबंधन गतिविधियों और सीआरएमसी में शामिल किया गया है।

2. लागत कटौती –
सिविल एवं रक्षा दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी वातावरण के प्रवर्धन देखते हुए, बीईएल ने म हत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागत घटाने की रणनीति अपनाई है। क्रॉस प्रकार्य क्षेत्रों से सदस्यों के साथ सभी इकाइयों में लागत घटाव कार्य दल स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक यूनिट में कार्य दल लागत में कमी प्राप्त करने के लिए परियोजनाएँ तथा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लागत में कमी की गतिविधियों का विनिर्माण और गैर-विनिर्माण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उत्पादन, अभिकल्प, सामग्री प्रबंधन, प्रशासन, वित्त, सेवा आदि कारोबारी की सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित है। कंपनी में पहचान किए गए लागत में कमी के मानकों में डिजाइन परिवर्तन, नवोन्मेष, स्वदेशीकरण, सामग्री, श्रम, वैकल्पिक स्रोतण, बाहरी सेवाएं, प्रक्रिया और उपज सुधार, परक्रामण, गुणता पहल आदि शामिल हैं।

3. स्वदेशीकरण –
बीईएल हमेशा से स्वदेशीकरण के प्रयासों के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास करती है। स्वदेशीकरण गतिविधियों में, 'संस्थागत अनु व वि, सहयोगात्मक अनु. एवं विकास एवं डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, सी-डॉट, शैक्षिक संस्थाओं की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ संयुक्त विकास शामिल की गई है। स्वदेशीकरण पर और अधिक बल देने के लिए कंपनी ने बदलती प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति, ग्राहकों की आवश्यकताओं, आगामी कारोबार अपेक्षिताओं आदि के साथ गति बनाए रखने हेतु अधिक बृहत आधारिक संरचना, संसाधनों और सुविधाओं के साथ बेंगलूर में समेकित अत्याधुनिक कॉरपोरेट अनु. व वि. केन्द्र (उत्पाद विकास नवोन्मेष केनद्र) की स्थापना की है। इन सभी प्रयासों के साथ, वर्ष के दौरान कुल कारोबार का लगभग 89% स्वदेशी प्रौद्योगिकी से सृजित किए गए हैं।

(B) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं इसकी पर्याप्तता

बीईएल में आंतरिक नियंत्रण के लिए एक पर्याप्त प्रणाली है। इसने सभी वित्तीय और प्रचालन कार्यों को कवर करते हुए खरीद प्रक्रियाओं, उप-अनुबंध प्रक्रियाओं, कार्य अनुबंध प्रक्रियाओं, आईटी और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं, मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं, लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं, शक्तियों के उप-प्रतिनिधिमंडल आदि जैसी नीतियों और प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ीकरण किया है। इन नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, संचालन की निगरानी, और अनधिकृत उपयोग या हानियों, नियमों के साथ अनुपालन आदि से संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित लेखाकरण नियंत्रण बनाए रखने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। खरीद प्रबंधन गतिविधियों के हर चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू सभी प्रकार की खरीद के लिए फाइल प्रबंधन प्रणाली (एफएलएम) कार्यान्वित किया गया। भारतीय ए.एस. एवं कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के समान अनुपालन के लिए लेखा की तैयारी हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

बीईएल के पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा टीम है जो नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जांच और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद हैं। इसके अलावा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर बारीकी से नजर रखने के लिए कंपनी के पास बोर्ड की उप-समिति यथा लेखा नियंत्रण समिति (एसी) है। साथ ही, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीईएल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा के अधीन है।

बीईएल की आंतरिक लेखा-परीक्षा टीम प्रमुख विनिर्माण यूनिटों और कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित है जो बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित वार्षिक लेखा-परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लेखा-परीक्षा करती है। सभी आंतरिक लेखा-परीक्षा दल अपने टीम के प्रमुख को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और ऑडिटीस के उत्तरों / कार्रवाई की गई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, टीम के प्रमुख आवधिक आधार पर आंतरिक लेखा-परीक्षा के प्रमुख को लेखा परीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण मुद्दों का रिपोर्ट प्रस्तुत करते है। आंतरिक लेखा-परीक्षा के प्रमुख सुधारात्मक कार्यों के लिए विभिन्न स्तरों पर कंपनी के प्रबंधन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और आखिरकार कंपनी की अच्छी तरह से स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन की स्थिति को सूचित करते हुए बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार कंपनी के मुख्य गतिविधियों से जुड़े प्रमुख जोखिमों को कम करते हैं।

बीईएल का आंतरिक लेखा परीक्षा नियमित लेखा परीक्षा, प्रणाली समीक्षा, प्रक्रिया समीक्षा, डेटा विश्लेषण आदि के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच करता है और कंपनी की कानूनी, नियामक और आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का कार्यनिष्पादन समय-समय पर बोर्ड स्तर की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। तेजी से बदल रहे कारोबारी माहौल में कंपनी की प्रचालन को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति नियमित रूप से लेखा-परीक्षा योजनाओं, महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और समय-समय पर लेखांकन मानकों और नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करने के अनुपालन के लिए निर्देश जारी करती है।

(C) वित्तीय/प्रचालन निष्पादन –

1. रणनीति और उद्देश्य

आपकी कंपनी की वित्त पोषण रणनीति का मुख्य उद्देश्य लाभदायक विकास के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न करना है, पैसे के लिए मूल्य देना और शेयरधारकों के लिए धन की उत्पत्ति, उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना और वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं में जोखिम कम करने की अंतर्निर्मित रणनीतियों का निर्माण करना है।

2. निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ– (₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त
प्रचालन से राजस्व (निवल)	1,032,233	861,188
ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति से पहले कमाई (ईबीआईटीडीए)	199,973	176,171
(ईबीआईटीडीएमार्जिन (ईबीआईटीडीए / प्रचालन से राजस्व निवल)	19.37%	20.46%
कर पश्चात् लाभ	139,929	154,762
वस्तुसूची के दिनों की सं./ उत्पादन का मूल्य	181	206
कारोबार से प्राप्तियों के दिनों की सं./विक्रयावर्त	206	180
चालू अनुपात	1.45	1.61
ऋण इक्विटी अनुपात	0.01	0.01

3. 2017-18 के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण –

- वर्ष 2016-17 में ₹ 8,82,470 लाख से वर्ष 2017-18 में ₹ 10,08,484 की बढ़ोत्तरी के साथ कारोबार में 14% की वृद्धि दर्ज की गई।

- उत्पादन का मूल्य 2016-17 में ₹ 924,383 लाख से बढ़कर 2017-18 में ₹ 970,595 लाख हुआ है। लगभग 10% की वृद्धि।
- प्रचालन लाभ 2016-17 में ₹ 1,57,019 लाख से 2017-18 में ₹ 1,74,873 लाख हुआ है। लगभग 11% की वृद्धि।
- 2016-17 के कर पश्चात लाभ ₹ 1,39,929 की तुलना में 2017-18 में ₹ 1,54,762 है।
- 2016-17 में 17.54% के समक्ष 2017-18 में पीएटी में विक्रयावर्त अनुपात 13.88% है।
- 2016-17 में प्रति कर्मचारी विक्रयावर्त ₹ 90.83 लाख से 2017-18 में ₹ 103.69 लाख हुआ है।
- 2016-17 में प्रति अर्जित शेयर ₹ 5.70 के समक्ष 2017-18 में ₹ 6.03 है।
- 2016-17 में प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 31.85 के समक्ष 2017-18 में ₹ 33.62 है।
- 2016-17 में नेट वर्थ ₹ 7,50,854 लाख से बढ़कर 2017-18 में ₹ 7,76,101 लाख हो गया है।

(D) मानव संसाधन में विकास

बीईएल विभिन्न मानव संसाधन विकास पहलों के माध्यम से व्यक्तिक और टीम स्तर पर अपने कर्मचारियों के निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ज्ञानार्जन और संगठन विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में, सभी श्रेणी के कार्यपालकों के लिए आंतरिक और माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विशिष्ट कार्यक्रम और गुणता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ ज्ञानार्जन और विकास पहल नीचे उल्लिखित की गई हैं-

संरचित कार्यपालक विकास कार्यक्रम-

विभिन्न श्रेणी के माध्यम से प्रगति के रूप में कार्यपालकों में विकसित होने वाली प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित रूप से निम्नलिखित एसईडीपी आयोजित की जाती है। इन कार्यक्रमों में कुल 264 कार्यपालकों ने भाग लिया।

(क) ई-I/II श्रेणी के कार्यपालकों के लिए पदोन्नत कार्यपालकों के लिए पुन: अभिमुखी कार्यक्रम(आरओपीई)

(ख) ई-II/III श्रेणी के कार्यपालकों के लिए युवा कार्यपालकों के लिए (जेन वाई) के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम

(ग) ई-IV श्रेणी के कार्यपालकों के लिए उप प्रबंधक कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम (दीप)

(घ) ई-V श्रेणी के कार्यपालकों के लिए नेतृत्व त्वरण कार्यक्रम (लीप)

चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम (सीएएमपी)- महत्वपूर्ण परिवर्तन ड्राइविंग सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है जिसे किसी भी बड़े संगठन का सामना करना पड़ता है। यह आवश्यक है कि नए प्रतिमान व्यवसाय करने की स्थिति को प्रतिस्थापित करें। कार्यक्रम का लक्ष्य वैश्विक अधिकारियों के लिए आवश्यक हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की सोच और दृष्टिकोण को सरेखित करना है।

लक्षित दर्शक - उमप्र एवं उससे ऊपर के कार्यपालक

कवरेज- 105 वरिष्ठ कार्यपालकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया ।

आउटबांड लर्निंग प्रोग्राम (ओबीएल) - आउटबाउंड लर्निंग कार्यक्रम का महत्वपूर्ण लाभ टीम-कार्य और एक-दूसरे का सहयोग करना हैं। यह प्रशिक्षण प्रतिभागी को उसके आरामदायक क्षेत्र से दूर रखकर एक अनौपचारिक जोखिम मुक्त वातावरण में ले जाता है, जिससे प्रतिभागी को उसके भीतर छिपी क्षमता का प्रयोग करने और उसे बढ़ने में सक्षम बनाता है ।

लक्षित दर्शक- सभी श्रेणियों में विभिन्न प्रकार्यों की टीम

कवरेज- विभिन्न यूनिटों से 8 क्रॉस फंक्शनल टीम के 222 कार्यपालकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

रणनीति निर्माण और प्रतिस्पर्धी आसूचना (एसबीसीआई)- वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए रणनीति तैयार करना एक महत्वपूर्ण घटक है, कारोबार वृद्धि में लंबी जीत हासिल करने के लिए रणनीतिक कौशल का होना आवश्यक हैं। यह कार्यक्रम आईआईएम के संकाय द्वारा आयोजित की गई थी।

लक्षित दर्शक- उमप्र एवं उससे ऊपर के कार्यपालक

कवरेज: 65 वरिष्ठ कार्यपालकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

उद्यम जोखिम प्रबंधन- संभावित कारोबारी जोखिमों की पहचान करने और उसे कम करने के क्रम में एक वैचारिक संरचनात् मकता प्रदान करने के लिए, उद्यम जोखिम प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

लक्षित दर्शक - प्रबंधक एवं उससे ऊपर के कार्यपालक

कवरेज: इस कार्यक्रम में 126 कार्यपालकों ने भाग लिया है।

आपूर्ति चेन प्रबंधन - कच्चे माल के साथ-साथ तैयार माल की ओर दोनों सूची प्रबंधन और आपूर्ति चेन संचालन कंपनी की लाभप्रदता में प्रमुख योगदानकर्ता होने के अतिरिक्त कारोबार की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आईआईएम में 'आपूर्ति चेन प्रबंधन' पर तीन आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

लक्ष्य दर्शक: सामग्री प्रबंधन, उत्पादन नियंत्रण, उप अनुबंध, वित्त और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी।

कवरेज: प्रासंगिक क्षेत्रों के 84 अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

मानव संसाधन इतर कार्यपालकों के लिए मानव संसाधन– हमारे मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को एचआरएम की अवधारणाओं और सिद्धांतों/अभ्यासों को प्रभावी बनाने के लिए, आईआईएम में गैर मानव संसाधन कार्यपालकों के लिए मानव संसाधन पर 5 आवासीय कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

लक्षित दर्शक– प्रबंधक और उपरोक्त ग्रेड में गैर मानव संसाधन अधिकारी।

कवरेज – 128 अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया है।

गैर वित्त कार्यपालकों के लिए रणनीति वित्त– हमारे गैर–वित्त कार्यपालकों को वित्तीय विवरण विश्लेषण, बजटीय, कार्यशील पूंजी प्रबंधन और लागत प्रबंधन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आईआईएम के वरिष्ठ संकाय द्वारा गैर वित्त कार्यपालकों के लिए रणनीति वित्त पर 10 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

लक्षित दर्शक– प्रबंधक और उपर्युक्त श्रेणी के गैर वित्त कार्यपालक ।

कवरेज – इस कार्यक्रम में 240 कार्यपालकों ने भाग लिया।

वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए उन्नत कार्यक्रम (एपीएक्स)– हमने उन अपर महाप्रबंधकों के लिए एपेक्स कार्यक्रम आयोजन किया जो प्रबंधन अवधारणा और तकनीक में अंतर्दृष्टि प्रदान करने और बेहतर निर्णय लेने के समग्र परिप्रेक्ष्य के उद्देश्य, रणनीतियों को लागू करने और कार्यान्वयन करने के साथ बीईएल की रणनीति कारोबारी यूनिट/ रणनीति कार्यों को अग्रणी बनाने के दायित् वों का निर्वाह करेंगे ।

लक्षित दर्शक – अपर महाप्रबंधक गण ।

कवरेज– इस कार्यक्रम में 30 अपर महाप्रबंधकों ने भाग लिया।

वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए उन्नत रणनीति कौशल पर अनुकूलित कार्यक्रम (कॉम्पास)– कारोबार विकास में क्वांटम लीप प्राप्त करने हेतु रणनीति कुशलता होना एक आवश्यक शर्त है। वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए उन्नत रणनीति कौशल (कॉम्पास) पर एक गहन अनुकूलित कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

लक्षित दर्शक – वरिष्ठउमप्र

कवरेज – इस कार्यक्रम में वरिष्ठ उमप्र श्रेणी के 29 अधिकारियों ने भाग लिया।

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी)– ज्ञजटिल वैश्विक पर्यावरण में सिद्ध लीडर को रणनीति परिवर्तन का सामना करने के लिए सशक्त बनाना विषय पर एएससीआई, हैदराबाद द्वारा एएमपी का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में दो सप्ताह संस्थान परिसर के मॉड्यूल और 2 सप्ताह फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विसर्जन पर शामिल थे।

लक्षित दर्शक– महाप्रबंधक।

कवरेज – इस कार्यक्रम के लिए 4 महाप्रबंधक नामित किए गए थे।

कार्यपालकों की कोचिंग– हमने एक उच्

चतर प्रतिस्पर्धी कारोबार वातावरण में प्रचालन किया है और ऐसे में लिडरों का समुह बनाने की आवश्यकता पड़ती है। नेतृत्व विकास हस्त–क्षेप के भाग के रूप में, महाप्रबंधकों के लिए कार्यपालकों की कोचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

लक्षित दर्शक– महाप्रबंधक गण ।

कवरेज – इसमें 5 महाप्रबंधकों को शामिल किया गया था।

कोचिंग तत्व पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम (पीएसीई)– कार्यपालकों को कोचिंग में अवधारणाओं, कार्य–पद्धतियों और अभ्यासों की बेहतर समझ बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिससे कि वे अपनी टीम में अपने हृदय और मस्तिष्क को कार्यरत बनाए रखें।

लक्षित दर्शक– प्रबंधक और उससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालक।

कवरेज – इस कार्यक्रम में 228 कार्यपालकों ने भाग लिया।

परस्पर संघर्ष प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (टैक्ट)– हमारे कार्यपालकों को संघर्ष प्रबंधन के प्रमुख कौशल प्रदान करने के क्रम में परस्पर संघर्ष प्रबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

लक्षित दर्शक – उप प्रबंधक और उससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालक।

कवरेज – इस कार्यक्रम में 272 कार्यपालकों ने भाग लिया।

क्षमता विकास कार्यशालाएं (सीओडीई)– समूह की क्षमता अंतराल, पश्च ओडीसी को कम करने के लिए पहचान की गई दो क्षमताओं को संबोधित करने के लिए एक दिवसीय योग्यता विकास कार्यशाला कार्यकम का आयोजन किया गया ।

लक्षित दर्शक – उप अभियंता से प्रबंधक श्रेणी के कार्यपालक।

कवरेज – इस कार्यक्रम में 181 कार्यपालकों ने भाग लिया।

मिश्रित ज्ञानार्जन के लिए पहल (आई–ब्लेंड)– मिश्रित ज्ञानार्जन पद्धति जैसे आईएलटी, गैमिफिकेशन और ई–लर्निंग, अवधारणाओं को सशक्त बनाने, सुदृढता और वांछित दक्षताओं का मूल्यांकन करने जैसे वास्तविक जीवन अनुभव तैयार करने के उपयोग पर यह कार्यशालाएं आयोजित की गइ थी।

लक्षित दर्शक– उप अभियंता से प्रबंधक श्रेणी के कार्यपालकों के लिए।

कवरेज – 279 अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया

रंगमंच के माध्यम से सक्रिय ज्ञानार्जन(एक्ट)– रंगमंच आधारित प्रशिक्षण संचार और ज्ञानार्जन का सशक्त माध्यम है, जो प्रतिबिंब के

माध्यम से नाटकीय प्रदर्शन द्वारा कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए के साथ वास्तविक कार्यस्थल परिस्थितियों को जोड़ता है।

लक्षित दर्शक– सभी श्रेणी के कार्यपालक

कवरेज – इस कार्यक्रम में 103 कार्यपालकों ने भाग लिया।

योग और ध्यान के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए समर्पित पहल (दिव्यम)– कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि योग और ध्यान के उपयोग से तनाव प्रबंधन से मुक्त होकर स्वस्थ रहा जा सके ।

लक्षित दर्शक– सभी श्रेणी के कार्यपालक

कवरेज – इस कार्यक्रम में 207 कार्यपालकों ने भाग लिया।

संविदा कानून और संविदा प्रबंधन– संविदा समझौत, संविदा कानून और तकनीक, संविदा के सामान्य सिद्धांतों, पर व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए संविदा कानून और प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित की गई।

लक्ष्य दर्शक– एमएम, विपणन और वित्त विभाग के कार्यपालक।

कवरेज – इस कार्यक्रम में 35 कार्यपालकों ने भाग लिया।

वार्तालाप कौशल– हमारे कार्यपालकों में विश्वास के साथ बातचीत प्रक्रिया, बातचीत के लिए सही रणनीति विकसित के लिए करने एक आकार प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था।

लक्ष्य दर्शक– एमएम, विपणन और वित्त विभाग के कार्यपालक

कवरेज – इस कार्यक्रम में 35 कार्यपालकों ने भाग लिया।

बौद्धिक संपदा अधिकार – हमारे आर एंड डी कार्यपालकों को पेटेंटिंग और आईपीआर की प्रक्रिया समझने और आवश्यक बौद्धिक संपदा अधिकार दस्तावेजों को तैयार करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

लक्ष्य दर्शक– डी एंड ई के कार्यपालक

कवरेज – इस कार्यक्रम में 112 कार्यपालकों ने भाग लिया।

विभिन्न कार्यक्रम क्षेत्रों में हमारे इंजीनियरों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे / तकनीकी कार्यक्रमों के लिए नामांकन किए गए थे। कुछ कार्यक्रम रेडार सिग्नल और डेटा प्रोसेसिंग, स्मार्ट सामग्री, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, उन्नत धातु प्रसंस्करण और मूल्यांकन तकनीक, एरियल डिलिवरी और एयरबोर्न निगरानी प्रणाली, आधुनिक रेडार के लिए एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स, आईडी के लिए टेक्नोलॉजीज पर संगोष्ठी, अनधिकृत ड्रोन, माइक्रोवेव और आरएफ का ट्रैकिंग और निष्प्रभावन, मेटामटेरियल्स और अनुप्रयोग, फुतीले मोबाइल आधारित एंबेडेड एसडबल्यू विकास, रक्षा में आईटी – राष्ट्रीय संगोष्ठी डिजिटल बैटलफील्ड"।

प्रौद्योगिकी कौशल को समृद्ध करने और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संस्थागत प्रतिभा को विकसित करने के लिए डीआईएटी, पुणे में आयोजित रेडार व संचार और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एम टेक कार्यक्रम में 2 इंजीनियरों को नामित किया गया ।

नालंदा, बीईएल उत्कृष्टता अकादमी– माननीय रक्षा मंत्री, श्री अरुण जेटली ने 26 अगस्त, 2017 को नालंदा, बीईएल उत्कृष्टता अकादमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री अशोक कुमार गुप्ता, सचिव (रक्षा उत्पादन), श्री एम.वी. गौतमा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीईएल, और बीईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बीईएल उत्कृष्टता अकादमी छह एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, आईईटीई, आईएसआई, एएसक्यू आदि जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद से अभिकल्प किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तीन मुख्य क्षेत्रों– गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व के चारों ओर संरचित किया गया है।

2017–18 के दौरान अकादमी में आयोजित किए गए प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार थे– सूचना प्रौद्योगिकी–डेटा के साथ मौजूदा रुझान (डेटा एनालिटिक्स सहित), गोपनीयता, ईमानदारी और डेटा की उपलब्धता के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस), हाई पावर एम्पलीफायर अभिकल्प और एफपीजीए थे। सीआरई में 35 अधिकारियों को कवर करने वाले गुणवत्ता फ्रंट एएसक्यू प्रमाणन किया गया, सीआरक्यू/ओई में 35 कार्यपालक, सीक्यूई में 35 कार्यपालक, सीएमक्यू/ओई में 13 कार्यपालक, सीएसक्यूई पाठ्यक्रमों में 8 कार्यपालक और 146 कार्यपालकों ने पीएमपी, पीएमआई, यूएसए प्रमाणन प्राप्त किए हैं।

नए इंजीनियरों के लिए प्रवेश कार्यक्रम– बीईएल में 2017–18 के दौरान लगभग 265 परीविक्षा इंजीनियरों की नियुक्ति हुई और उन्हें प्रवेश कार्यक्रम में भेजा गया ।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस– अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में, सभी यूनिटों में योग सत्र आयोजित किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में, सभी यूनिटों में महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

यूनिटों में गुणता, सुरक्षा, तकनीक, कौशल विकास और अन्य संबंधित विषयों पर गैर–कार्यपालकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

अनुलग्नक 7

निगमित अभिशासन का प्रतिवेदन

अभिशासन का सिद्धांत और संहिता

बीईएल के निगमित अभिशासन का सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, समुचित प्रकटीकरण, न्यायिक अनुपालन, पारदर्शी निर्णय तथा हित के लिए संघर्षों के निवारण पर आधारित है । बीईएल, निगमित मूल्य व उद्देश्यों का पालन तथा एक निगमित नागरिक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह को महत्ता देती हैं तथा सभी स्तरों पर निरंतर नैतिक व उत्तरदायी नेतृत्व सुनिश्चित करती है। बीईएल ग्राहक संतुष्टि, वित्तीय दूरदर्शिता और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर विश्वास करती है । हमारी निगमित संरचना, व्यापार तथा प्रकटीकरण पद्धतियाँ निगमित अभिशासन के सिद्धांत के अनुरूप सरेखित हैं ।

बीईएल अपने सभी शेयरधारकों के लिए मूल्य संवर्धन की ओर सतत् रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए निगमित अभिशासन की मूल अपेक्षाओं से भी अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करती है । अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, बीईएल निगमित अभिशासन की अवधारणा को अक्षरश: कार्यान्वित कर रही है।

निदेशक बोर्ड

संगठन

कंपनी अधिनियम के अनुसार, बीईएल एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि इसकी कुल चुकता शेयर पूँजी का 66.79% हिस्सा भारत के राष्ट्रपति धारित करते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 के प्रावधान तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशा-निर्देशों (डीपीई के दिशा-निर्देश) के अनुसार, बोर्ड की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा प्रबंधन एवं नियंत्रण के बोर्ड के कार्यों को पृथक करने के लिए, बीईएल के निदेशक बोर्ड के संघटन में कार्यकारी निदेशकों का उचित मिश्रण है जिसका प्रतिनिधित्व सीएमडी सहित कार्यकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी निदेशक जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नामिती निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक करते हैं।

31 मार्च 2018 को बीईएल के निदेशक बोर्ड में सीएमडी सहित छ: पूर्णकालिक कार्यकारी (प्रकार्यात्मक) निदेशक, एक अंशकालिक सरकारी (गैर-कार्यकारी) निदेशक तथा सात अंशकालिक स्वतंत्र (गैर-कार्यकारी) निदेशक सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2018 को स्वतंत्र निदेशकों की दो और एक कार्यकारी निदेशक यानी निदेशक (बेंगलूरु कॉम्पलेक्स) की अस्थायी रिक्तियाँ हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार को अधिसूचना भेजी गई है। इन रिक्तियों को भरने का मामला रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

बैठकें तथा उपस्थिति

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की नौ बैठकें आयोजित की गई और ऐसी किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था । बोर्ड की बैठकें दिनांक 07अप्रैल 2017, 26 अप्रैल, 2017, 29 मई 2017, 31 जुलाई 2017, 10 अगस्त, 2017, 04 सितंबर, 2017, 30 अक्तूबर, 2017, 30 जनवरी, 2018 और 20 फरवरी, 2018 को आयोजित हुईं । यथा 31 मार्च 2018 को बोर्ड की बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा अन्य संस्थानों / समितियों में उनके द्वारा निदेशक का पद धारित करने की संख्या के विवरण नीचे दिए गए हैं –

क्र. सं.	निदेशकगण	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें सम्मिलित हुए	20 सितं. 2017 को आयोजित अंतिम वा.सा.बै. में उपस्थिति	पद धारित अन्य निदेशक*	सभी कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या**	
						अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यकारी) निदेशक							
1	श्री एम वी गौतमा	09	09	जी हाँ	02	शून्य	शून्य
2	डॉ. अजित टी कलघट्गी	09	09	जी हाँ	03	02	02
3	श्री नटराज कृष्णप्पा	09	08	जी हाँ	02	शून्य	02
4	श्री गिरीश कुमार (दिनांक 20.02.2018 से निदेशक नहीं)	09	07	जी हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
5	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	09	08	जी हाँ	02	शून्य	01

क्र. सं.	निदेशकगण	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें सम्मिलित हुए	20 सितं. 2017 को आयोजित अंतिम वा.सा.बै. में उपस्थिति	पद धारित अन्य निदेशक*	सभी कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या**	
						अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
6	श्री आर एन बग्दलकर	09	09	जी हाँ	01	शून्य	01
7	श्री कोशी अलेक्जेंडर (दिनांक 25.09.2017 को नियुक्त)	03	03	जी हाँ	03	शून्य	02
अंशकालिक सरकारी (गैर-कार्यकारी) निदेशक							
08	श्रीमती कुसुम सिंह (दिनांक 19.09.2017 से निदेशक नहीं)	06	00	ला.न.	शून्य	शून्य	शून्य
09	श्री चंद्राकर भारती (दिनांक 11.09.2017 को नियुक्त) (दिनांक 30.10.2017 से निदेशक नहीं)	शून्य	शून्य	जी नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
10	डॉ. अमित सहाय (दिनांक 30.10.2017 से नियुक्त)	03	03	ला.न.	01	शून्य	01
अंशकालिक स्वतंत्र (गैर-कार्यकारी) निदेशक							
11	डॉ. भास्कर राममूर्ति	09	07	जी नहीं	01	शून्य	शून्य
12	डॉ. आर के शेवगांवकर	09	08	जी नहीं	01	शून्य	01
13	श्रीमती उषा माथुर	09	09	जी हाँ	01	01	01
14	श्री शरद सांघी	09	05	जी नहीं	01	01	01
15	श्री मुक्का हरीश बाबू (दिनांक 11.09.2017 को नियुक्त)	03	03	ला.न.	01	शून्य	01
16	श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही (दिनांक 11.09.2017 को नियुक्त)	03	03	ला.न.	01	शून्य	शून्य
17	डॉ. विजय शंकर मदान दिनांक 11.09.2017 को नियुक्त)	03	02	ला.न.	01	शून्य	01

कंपनी के किसी भी निदेशक/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक का वर्ष के दौरान भी कंपनी से कोई वित्तीय संबंध नहीं रहा।

टिप्पणी : * प्राइवेट कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियों में निदेशक के पद को छोड़कर, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में निदेशक के पद।

** सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनिमय 26 के अनुसार, सरकारी लिमिटेड कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति तथा पणधारक संबंध समिति की अध्यक्षता / सदस्यता पर विचार किया जाता है ।

उपरोक्त निदेशक पदों की संख्या तथा समिति में पदाधिकारी की संख्या निदेशकों द्वारा यथा अधिसूचित हैं तथा यह संपुष्ट किया जाता है कि कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हैं अथवा जिन कंपनियों में वे निदेशक पद पर कार्यरत हैं, उनमें उन्होंने 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष रूप में कार्य नहीं किया है । कंपनी के कोई भी निदेशक 7 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक का पद धारित नहीं करते हैं।

कंपनी में कंपनी पर लागू सभी नियमों, जैसा कि कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, के अनुपालन रिपोर्ट की आवधिक समीक्षा करने में बोर्ड को सक्षम बनाने और अनुपालन न करने के मामलों को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा किए गए जाने वाले उपायों की उचित प्रणाली है। बोर्ड ने कंपनी द्वारा तैयार की गई अनुपालन रिपोर्ट की अर्ध-वार्षिक आधार पर समीक्षा की है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें व निबंधन कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

निदेशकों के लिए आयोजित कार्यपद्धति प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्यौरे

नव निदेशक के रूप में नियुक्ति के समय, उन्हें एक स्वागत पत्र दिया जाता है जिसके साथ कंपनी अनिधियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 तथा अन्य लागू विनियमों के तहत उनसे अपेक्षित अनुपालन के अतिरिक्त निदेशक के रूप में निष्पादन के लिए उनसे अपेक्षित कर्तव्य एवं दायित्वों के विवरण उन्हें सौंपे जाते हैं। निदेशक से संगत प्रकटीकरण प्राप्त किए जाते हैं और कंपनी का प्रबंधन नए निदेशकों को कंपनी, उसके कामकाज, विभिन्न नीतियों व प्रक्रियाओं, विभिन्न प्रभागों तथा उनकी भूमिका व दायित्व, अभिशासन एवं

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबद्ध अन्य संगत म हत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराती है। निदेशकों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित बोर्ड संबंधी पद्धतियों एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है और इनके लिए प्रायोजित किया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान निदेशकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित हैं जिसे कंपनी की वेबसाइट http://www.bel-india.in में अपलोड किया गया है:–

i. श्री कोशी एलेक्जांडर, निदेशक (वित्त) ने स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में दिनांक 16 और 17 नवंबर, 2017 को आयोजित कार्पोरेट गवर्नेंस प्रोग्राम में और बेंगलूरु में दिनांक 22 और 23 दिसंबर, 2017 को आयोजित एस.आई.आर.सी.–श्रेष्ठता के आई.सी.ए.आई. क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

ii. डॉ. विजय एस मदान, स्वतंत्र निदेशक ने गंगटोक में दिनांक 5 और 6 अक्तूबर, 2017 को आयोजित क्षमता निर्माण पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया।

बोर्ड की अनिवार्य समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 (द एक्ट) की धारा 177, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनिमय 18 तथा डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार की गई है । कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक और एक सरकारी निदेशक होते हैं । इसके अतिरिक्त, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, निदेशक (वित्त), निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स), निदेशक (अन्य यूनिटें) तथा महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा) को भी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है । लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक हैं । लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने 20 सितंबर, 2017 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया । लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय अधिनियम की धारा 177, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनिमय 18 तथा डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं ।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा निष्पादित कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य निम्नलिखित हैं –

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, समुचित और विश्वसनीय हैं।
- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं शर्तों की सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के भाग–ग की अनुसूची II में बताए गए अनुसार उसके विशेष संदर्भ के साथ तिमाही लेखा अपरीक्षित विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट / मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा प्रबंधन के साथ करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य–निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी करना।
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या अनुवर्ती संशोधन करना।
- अंतर–निगमित ऋण व निवेश की संवीक्षा करना।
- आवश्यकतानुसार उपक्रम या कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का म ूल्यांकन करना।
- सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य–निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करना जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, उसके कर्मचारियों और विभाग प्रमुख की वरिष्ठता, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग की संरचना और आवृत्ति भी शामिल है।
- किसी उल्लेखनीय प्रेक्षण और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना।
- ऐसे मामले जिनमें संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की विफलता हो, के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच–पड़ताल के निष्कर्षों की समीक्षा करना और ऐसे मामले की रिपोर्ट बोर्ड को करना।
- लेखा परीक्षा शुरु से पहले लेखा परीक्षा की प्रकृति और परिधि के बारे में और चिंता के क्षेत्र को अभिनिश्चित करने के ले लेखा परीक्षा के बाद चर्चा करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों से चर्चा करना।
- शेयरधारकों के भुगतान संबंधी महत्वपूर्ण चूक के कारणों पर विचार करना (घोषित लाभांश का भुगतान करने संबंधी) ।
- सचेतक व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा करना।

वर्ष 2017–18के दौरान लेखा परीक्षा समिति के संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी का विवरण नीचे दिया गया है –

सदस्य का नाम	श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति की आयोजित बैठकों में उपस्थिति				
		29 मई 2017	31 जुलाई 2017	30 अक्तूबर 2017	20 नवंबर 2017	30 जनवरी 2018
श्रीमती उषा माथुर	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती कुसुम सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ अमित सहाय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓
डॉ आर के शेवगांवकर	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	✓	✓
डॉ भास्कर राममूर्ति	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मुक्का हरीश बाबू स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓

नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनिमय 19 के प्रावधान के अनुसार किया गया है ।

वर्ष 2017–18 के दौरान उक्त समिति का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी का विवरण नीचे दिया गया है –

सदस्य का नाम	श्रेणी	आयोजित नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति					
		7 अप्रैल 2017	28 अगस्त 2017	4 सितंबर 2017	30 अक्तूबर 2017	23 जनवरी 2018	20 मार्च 2018
श्रीमती उषा माथुर, अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती कुसुम सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. अमित सहाय	सरकार द्वारा नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	छुट्टी के कारण अनुपस्थित
श्री शरद सांघी	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	✓
श्री एम वी गौतमा	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓

समिति द्वारा निष्पादित कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं –

- कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई के दिशा–निर्देशों तथा राष्ट्रपति के निर्देशों/ भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड को नीति की सिफारिश करना।
- कंपनी के कर्मचारियों के लिए कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन का अनुमोदन करना।
- बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी निदेशकों (ई.डी.) / महाप्रबंधकों (जी.एम.) का चयन करना।

पारिश्रमिक नीति/ कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण बीईएल के निदेशकों (सीएमडी सहित कार्यशील निदेशक) की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) / खोज समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है जिसमें नियुक्ति की अवधि, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आसान की हकदारिता आदि सहित वेतन मान के साथ–साथ नियुक्ति के निबंधन व शर्तें दर्शाई जाती हैं जो कंपनी के संबंधित नियमों के अधीन होते हैं। सीएमडी सहित कार्यशील निदेशकों के वेतनमान रक्षा मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (पदेन निदेशक के रूप में) रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और वे किसी पारिश्रमिक/ बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं।

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और वे सरकारी निदेशों/ सांविधिक नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए बैठक शुल्क के हकदार होते हैं।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (के.एम.पी.) तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तथा अन्य मामले बीईएल के भर्ती नियमों तथा प्रक्रियाएँ द्वारा नियंत्रित होते हैं और वे समय-समय पर निदेशक मंडल तथा/या सीएमडी द्वारा जारी किए जाने वाली नीतियों तथा निर्देशों के अधीन होते हैं। के.एम.पी. तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के वेतनमान रक्षा मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार नियंत्रित होते हैं। पारिश्रमिक नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com. पर उपलब्ध है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिनांक 08 नवंबर 2016 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की विशेष बैठक में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक पूर्णकालिक निदेशक, गैर स्वतंत्र निदेशकों तथा समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा स्वतंत्र की गई। नियोजन और योगदान का स्तर, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति, विभिन्न भागीदारों की हित सुरक्षा आदि जैसी कुछेक महत्वपूर्ण परिमापियों के आधार पर सीएमडी सहित सभी निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रयोग किया गया। स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया। निदेशकों ने इस मूल्यांकन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

निदेशक का नाम	वेतन	अनुलब्धियाँ	पीएफ़/वृद्धिशील उपदान/छुट्टी/ बेरेक्स में कंपनी का अंशदान	प्रोत्साहन राशि	पट्टा, किराया	कुल
श्री एम वी गौतमा	6,141,529	39,600	(627,630)	1,069,337	-	6,622,836
डॉ अजित टी कलघटगी	5,700,096	39,366	(143,589)	1,432,960	689,972	7,718,805
श्री गिरीश कुमार*	4,416,520	29,358	(148,880)	1,228,708	428,053	5,953,759
श्री नटराज कृष्णप्पा	4,828,849	42,104	203,314	1,224,010	653,698	6,951,975
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	5,306,038	32,400	(604,659)	946,708	653,698	6,334,185
श्री आर एन बग्दलकर	5,035,184	34,519	(322,931)	694,029	386,593	5,827,394
श्री कोशी एलेक्ज़ांडर**	2,709,015	24,810	656,173	495,151	-	3,885,149

* श्री गिरीश कुमार ने 20 फरवरी 2018 तक निदेशक के रूप में कार्य किया।

** श्री कोशी अलेक्जेंडर ने 24 सितंबर 2017 तक सीएफओ के रूप में कार्य किया और 25 सितंबर 2017 से प्रभावी होते हुए निदेशक (वित्त) और सीएफओ के रूप में कार्यभार लिया।

अंशकालिक सरकारी (गैर-कार्यकारी) निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए पारिश्रमिक या बैठक शुल्क नहीं दिया जाता । अंशकालिक स्वतंत्र (गैर-कार्यकारी) निदेशकों को बोर्ड/समिति की समिति की प्रति बैठक के लिए ₹ 20,000 का बैठक शुल्क दिया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की प्रदत्त उपस्थिति शुल्क का विवरण दिया गया है:-

(राशि ₹ में)

नाम	बोर्ड/समिति बैठकों के लिए प्रदत्त उपस्थिति शुल्क
श्रीमती उषा माथुर	520,000
डॉ. भास्कर मूर्ति	200,000
डॉ. आर.के. शेवगांवकर	480,000
श्री शरद सांघी	220,000
श्री मुक्का हरीश बाबू	120,000
श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही	100,000
डॉ. विजय शंकर मदान	60,000

कंपनी अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं देती है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है। वर्ष 2017-18 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

पणधारकों की संबंध समिति

पणधारकों की संबंध समिति का संघटन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनिमय 20 के अनुसार है ।

पणधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष श्री शरद सांघी हैं तथा श्री आर एन बग्दलकर और श्री नटराज कृष्णप्पा इस समिति के सदस्य हैं।

अधिनियम की धारा 178 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनिमय 20 के प्रावधान के अनुसार पणधारकों की संबंध समिति के विचारार्थ विषय निर्धारित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान 30 जनवरी 2018 को एक समिति की बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में अध्यक्ष एवं समिति के सदस्य उपस्थित हुए।

शेयरधारकों से अंतरण के अनुरोध व शिकायतें प्राप्त होते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें, जो मुख्य रूप से लाभांश के भुगतान तथा वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित थीं, वर्ष के दौरान निपटाई गई। 31 मार्च 2018 को कोई शिकायत लंबित नहीं थी। 2017-18 के दौरान निवेशकों की शिकायतों के ब्यौरे इस प्रकार हैं –

प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटाई गई शिकायतों की सं.	लंबित शिकायतों की सं.
06	06	कोई नहीं

अनुपालन एवं नोडल अधिकारी

श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं । उनका संपर्क विवरण इस प्रकार हैं –

श्री एस.श्रीनिवास, कंपनी सचिव,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय,
आउटर रिंग रोड, नागवारा,
बेंगलूरु – 560045
दूरभाष: 080 – 25039300 फ़ैक्स: 080 – 25039266
ई मेल : secretary@bel.co.in

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों तथा डीपीई दिशा-निदेशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व समिति गठित की गई है ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर) के विचारार्थ विषय में वर्तमान सीएसआर और निर्वहनीय नीति की समीक्षा करना और इसे अधिक व्यापक बनाना शामिल है ताकि कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII तथा समय-समय पर जारी किए जाने वाले डीपीई के दिशा-निदेशों में निर्दिष्टानुसार हों।

समिति के कुछ महत्वपूर्ण विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं –

- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति और कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करना और बोर्ड को इनकी सिफारिश करना;
- किए गए कार्यों पर होने वाले खर्च की राशि संस्तुत करना;
- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में कंपनी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना;
- कंपनी द्वारा प्रचालित कारोबार से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव पर बाहरी और स्वतंत्र निरीक्षण व मार्गदर्शन प्रदान करना;
- समय-समय पर कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करना।

31 मार्च 2018 को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी का विवरण नीचे दिया गया है –

सदस्य का नाम	श्रेणी	इन तारीखों को आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति	
		26 अप्रैल 2017	19 नवंबर 2017
श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	✓	✓
श्री नटराज कृष्णप्पा	कार्यकारी निदेशक	✓	✓
श्री आर एन बग्दलकर	कार्यकारी निदेशक	✓	✓
श्री कोशी एलेक्जांडर	कार्यकारी निदेशक	लागू नहीं	✓
डॉ आर के शेवगांवकर	स्वतंत्र निदेशक	✓	✓
श्री सुरेन्दर सिंह सिरोही	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	✓

कंपनी ने उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को दर्शाते हुए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं निर्वहनीयता नीति अपनाई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने शिक्षा और पर्यावरण धारणीयता को बढ़ाने के क्षेत्र में सीएसआर के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए।

जोखिम प्रबंध समिति

कंपनी अपने सशक्त जोखिम प्रबंध ढाँचे द्वारा कंपनी के कारोबार से संबंधित संभावित वर्तमान और भावी संभावित जोखिमों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने, प्राथमिकता तय करने और उनका प्रभाव कम करने का सतत् प्रयास करती है। सेबी (एलओडीआर)

विनियम 2015 के विनिमय 21 की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, बोर्ड स्तरीय समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष निदेशक (बेंगलूरु कॉम्पलेक्स) हैं और निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन) व म हाप्रबंधक (रणनीतिक योजना) इसके सदस्य हैं। बोर्ड 'जोखिम प्रबंध समिति' द्वारा जोखिम प्रबंध की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करते हैं, जिसमें आंतरिक निगमित जोखिम प्रबंध समिति द्वारा अभिचिह्नित जोखिमों का परीक्षण किया जाता है, कंपनी में जोखिम प्रबंध की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और जोखिम को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन एवं उसकी प्रभावशीलता की मानीटरी और समीक्षाएँ की जाती हैं। जोखिम प्रबंध नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in. में डाली गई है। जोखिम प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट के भाग के रूप में जोखिम प्रबंध प्रक्रिया पर एक आलेख प्रकाशित किया गया है।

यथा 31 मार्च 2018 को जोखिम प्रबंध समिति (आर.एम.सी.) का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की सहभागिता के विवरण इस प्रकार हैं –

सदस्य का नाम	वर्ग	29 नवंबर 2017 को आयोजित आर.एम.सी. की बैठक में उपस्थिति
श्री गिरीश कुमार,अध्यक्ष (20.02.2018 से निदेशक नहीं)	कार्यकारी निदेशक	✓
श्री नटराज कृष्णप्पा	कार्यकारी निदेशक	छुट्टी पर होने के कारण अनुपस्थित
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	कार्यकारी निदेशक	✓
श्री कोशी एलेक्ज़ांडर	कार्यकारी निदेशक	✓
श्रीमती हेमलता के	महाप्रबंधक (रणनीतिक योजना)	✓

अन्य गैर– आज्ञापक समितियाँ

बोर्ड की निम्नलिखित उप–समितियाँ गठित की गई –

अनु. व वि. समिति

अनुसंधान, विकास एवं अनु. व वि. के प्रमुख प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए अनु. व वि. समिति गठित की गई है जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, दो स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (अनु. व वि.) और निदेशक (वित्त) शामिल हैं।

पूँजी निवेश समिति

महत्वपूर्ण पूँजी निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने तथा उन्हें अनुम ोदित करने हेतु एक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स), निदेशक (अन्य यूनिटें) तथा निदेशक (वित्त) को शामिल करते हुए पूँजी निवेश समिति गठित की गई है ।

कंपनी सचिव उपरोक्त सभी समितियों के सचिव होंगे।

निवेश समिति

अल्पकालीन अधिशेष निधियों के अनुमोदन के लिए गठित निवेश समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक (अन्य यूनिटें) तथा निदेशक (वित्त) शामिल होते हैं ।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 26 नवंबर 2015 को निम्न मामलों के पुनरीक्षण हेतु स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई:

(i) गैर–स्वतंत्र निदेशकों तथा समग्र रूप से मंडल का कार्य–निष्पादन।

(ii) कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों की राय लेते हुए, कंपनी के अध्यक्ष का कार्य–निष्पादन।

(iii) कंपनी के प्रबंधन तथा मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणता, सामग्री और समय–सीमाएं, जो मंडल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी और औचित्यपूर्ण ढंग से करने के लिए आवश्यक हो ।

उपरोक्त बैठक में कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

आचार संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के 17(5) के विनिमय तथा डीपीई दिशा–निदेशों के अधीन सभी बोर्ड सदस्यों, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबारी आचार संहिता निर्धारित की है । यह कारोबारी आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com में अपलोड की गई है । 31 मार्च 2018 को बोर्ड के सभी सदस्य, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने इस कारोबारी आचार संहिता के अनुपालन की संपुष्टि की है । इस रिपोर्ट के साथ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा के साथ संलग्न है ।

सचेतक नीति

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद कपट या कंपनी की आचरण संहिता या नैतिक नीति का उल्लंघन से संबंधित रिपोर्टों के निपटान के लिए निदेशक एवं कर्मचारियों के लिए सजग व्यवस्था संस्थापित की है तथा सचेतक नीति अपनाई है।

सचेतक नीति द्वारा कर्मचारियों को अपनी समस्याएँ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा किसी भी कर्मचारी ने लेखा परीक्षा समिति के आकलन का अस्वीकार नहीं किया। सचेतक नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com में उपलब्ध है।

संबद्ध पार्टी संव्यवहार

संबद्ध पार्टियों के साथ सभी संव्यवहार सामान्य व्यापार से संबंधित है तथा वह मूल्य नियंत्रण के आधार पर है। कंपनी की वेबसाइट के http://bel-india.in / ContentPage.aspx?MId=17&CId=527&LId =1&link=527 से पार्टी संव्यवहार संबंधी नीति का आकलन किया जा सकता है।

भेदिया व्यापार की रोकथाम तथा उचित प्रकटण की संहिता

सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी में कंपनी की प्रतिभूतियों के भेदिया व्यापार की निगरानी, रिपोर्टिंग करने और उसकी रोकथाम को विनियमित करने के लिए तथा निवेशकों / सार्वजनिक को सूचना के पारदर्शी / व्यवस्थित प्रकटण / प्रचार के लिए आचार संहिता तथा प्रकटीकरण प्रक्रिया उपलब्ध है । यह संहिता सभी पदनामित व्यक्तियों, कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों के संपर्क में हैं जिन्हें कीमत संवेदन सूचना मिल सकती है तथा तथा सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 में यथा परिभाषित अन्य व्यक्तियों के संपर्क में हैं। इस कोड के कार्यान्वयन का दायित्व कंपनी सचिव पर है। आचार संहिता तथा स्वच्छ प्रकटीकरण प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in. पर डाला गया है।

प्रमुख सहायक कंपनियाँ

कंपनी के विगत आसन्न वर्ष या विगत वित्त वर्ष के समेकित निवल मूल्य के 20% अधिक निवल मूल्य के कोई सहायक कंपनी नहीं है। तदनुसार भौतिक सहायक कंपनी के लिए नीति बनाई गई है तथा उसे कंपनी की वेबसाइट http://bel-india.in/ContentPage.aspx?MId= 17&CId=527&LId=1&link=527 पर डाला गया है ।

सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा समिति व मंडल की बैठक में रखे गए हैं।

सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की प्रतियाँ धारित कंपनी की बोर्ड बैठक के समक्ष रखी गई हैं।

सामान्य बोर्ड बैठकें

अंतिम तीन सामान्य वार्षिक बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष	स्थान	तारीख व समय
2014-15	कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु - 560001	03 सितंबर 2015 सुबह 10:30 बजे
2015-16	कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु - 560001	22 सितंबर 2016 दोपहर 02:00 बजे
2016-17	कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु - 560001	20 सितंबर 2017 दोपहर 03:30 बजे

अंतिम तीन सामान्य वार्षिक बैठकों से संबंधित सूचनाओं से संबद्ध विशेष संकल्प सहित सभी संकल्प शेयरधारकों के द्वारा पारित किए हैं। अंतिम तीन सामान्य वार्षिक बैठकों के दौरान निम्न विशेष संकल्प पारित किए हैं -

- 03 सितंबर 2015 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में संस्था के बहिर्नियमों में पूँजी खंड परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किया।
- 03 सितंबर 2015 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में संस्था के अंतर्नियमों में पूँजी खंड में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किया।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पोस्टल बैलट द्वारा प्रस्तुत संकल्प - कोई नहीं

प्रकटीकरण

(क) कंपनी ने भौतिक रूप से ऐसे किसी उल्लेखनीय संबंधित पक्षकार लेन-देन नहीं किया है जिसका कंपनी के व्यापक हित के साथ संभावित दुष्प्रभाव न हो । फिर भी, संबंधित पक्षकारों के लेनदेन वार्षिक प्रतिवेदन के लेखा संबंधी टिप्पणी सं. 31 में प्रकट किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के कोई भी मामले नहीं थे और स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा पूँजी बाजार से संबंधित किसी माम ले पर कंपनी पर कोई दंड / अवक्षेप नहीं लगाए गए ।

(ग) कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित या आकस्मिक व्यय के अलावा कर्मचारियों / पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण संबधी, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व को पूरा करने संबंधी खर्च की कोई भी मद लेखा बहियों में नामें नहीं की गई।

(घ) निदेशक बोर्ड तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए उपगत व्यय कंपनी के नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य वेतन, भत्ते, परिलब्धि, अनुलाभ तथा बैठक शुल्क से संबधित हैं । निदेशक बोर्ड तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए कोई भी वैयक्तिक व्यय नहीं किए गए हैं ।

(ङ) कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय तथा उनमें वृद्धि के कारण, यदि कोई हो;

वर्ष 2017-18 में प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय विगत वर्ष के 3.74% की तुलना में इस वर्ष कुल व्यय का 3.68% थे।

राष्ट्रपति के निदेश एवं दिशा-निर्देश

कंपनी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गमित अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के आरक्षण संबंधी निदेशों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुसरण करते आ रही है । सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में स्थित विभिन्न यूनिटों / कार्यालयों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं । इस विषय से संबंधित कार्य करने वाले अधिकारियों को विषय पर उनके ज्ञान को अद्यतन करने तथा अपने कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षक स्टाफ़ का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 से देय था। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के वेतन पुनरीक्षण पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

तदुपरांत, बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा मंडल से दिनांक 01.01.2017 से लागू होने वाले वेतन पुनरीक्षण का अनुमोदन मांगा गया। बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने पर, डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश जारी करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। तदनुसार, मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 10.11.2017 से लागू करते हुए राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए। राष्टपति के निर्देश जारी करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.01.2017 से लागू करते हुए वेतन पुनरीक्षण कार्यान्वित किया गया।

संचार के माध्यम

कंपनी में इसके पणधारकों तथा निवेशकों के साथ संप्रेषण करने की एक मज़बूत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, यह संचार के बहुलक चैनलों का इस्तेमाल करती है जैसे स्टॉक एक्सचेंजों की ऑन-लाइन पोर्टल पर सूचना प्रसारित करना, प्रेस विज्ञप्ति, वार्षिक प्रतिवेदन तथा संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड करना।

लेखा अपरीक्षित तिमाही परिणामों की घोषणा तिमाही के अंत में पैंतालिस दिनों के भीतर की जाती है। लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम सेबी विनियमों की आवश्यकतानुसार, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से साठ दिनों के भीतर घोषित किए जाते हैं। उक्त वित्तीय परिणामों की घोषणा बोर्ड की बैठक जिसमें उन पर विचार किया जाता है और अनुमोदन प्रदान किया जाता है, के समाप्त होने से तीस मिनट के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम अग्रणी अंग्रेजी और हिंदी समाचार-पत्रों तथा अग्रणी क्षेत्रीय भाषा के अग्रणी कन्नड़ दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण वार्षिक प्रतिवेदन का भाग बनते हैं जिन्हें सांविधिक अवधि के भीतर और वार्षिक सामान्य बैठक से पहले सदस्यों को भेजा जाता है।

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, तिमाही / अर्धवार्षिक और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तथा प्रेस विज्ञप्तियों को भी कंपनी की वेबसाइट पर लगाया जाता है। वेबसाइट www.bel-india.in और इससे डाउनलॉड किया जा सकता है ।

कंपनी के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण तथा निष्पादन की झलकियाँ देते हुए विश्लेषकों को दिए गए प्रस्तुतीकरण कंपनी की वेबसाइट पर डाले जाते हैं जिससे संस्थागत निवेशकों, विश्लेषकों एवं अन्य शेयरधारकों को लाभ मिलता है।

कंपनी अपने कार्य-निष्पादन / प्रचालनों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना या कीमत संबंधी अन्य संवेदनशील सूचना सहित सेबी के विनियमों के विनियम 30 जिसे उसकी अनुसूची III के भाग-क के साथ पढ़ा जाना है, के तहत प्रकट करने हेतु आवश्यक सभी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करती है। सभी सूचनाएँ बीएसई के ऑनलाइन पोर्टल - बीएसई कार्पोरेट अनुपालन एवं सूचीकरण केंद्र (लिस्टिंग सेंटर) तथा एनएसई की इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एन.ई.ए.पी.एस.) पर तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑन-लाइन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाती हैं।

निदेशक मंडल ने स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ घटनाओं का महत्व निर्धारित करने की एक नीति को अनुमोदन प्रदान किया है । एक आंतरिक प्रबंध समिति जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव शामिल हैं, गठित की गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ, सूचना के महत्व का निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों को किए जाने वाले सभी प्रकटण कंपनी की वेबसाइट पर 'निवेशक - स्टॉक एक्सचेंज के प्रकटण' नामक शीर्षक में भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें वेबलिंक <http://bel-india.in/ContentPage.aspx?Mid=17Cid=423LId=1link=423 पर देखा जा सकता है।

सेबी ने निवेशकों को केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली नामत: सेबी कम्पलेन रेड्रेस सिस्टम (स्कोर्स) पर अपनी शिकायतें / समस्याएँ रखने की सुविधा प्रदान की है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ हैं - सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस, संबंधित कंपनियों द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए.टी.आर.) का ऑन-लाइन अपलोड करना तथा शिकायतों पर की गई कार्रवाई को निवेशकों द्वारा ऑन-लाइन और उसकी वर्तमान स्थिति देखना।

कंपनी की वेबसाइट पर निवेशक शीर्षक के तहत एक अलग खंड है जिसमें दावा न किए गए लाभांश की सूचना, तिमाही अनुपालन रिपोर्ट, वित्तीय परिणाम, कार्य-निष्पादन की झलकियाँ और निवेशक / सार्वजनिक के लिए हितकारी अन्य संबंधित सूचना दी जाती है।

कंपनी विश्लेषक और संस्थागत निवेश बैठकों के विवरण, बीएसई लिस्टिंग सेंटर पर तथा एनएई नीप्स पोर्टलों पर भी अपलोड करती है जब कभी कंपनी के प्रतिनिधि निवेशकों की किसी भी बैठक में भाग लेते हैं।

शेयर पूँजी की लेखा परीक्षा का समाधान

कंपनी नेशनल प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ कुल स्वीकृत पूँजी तथा कुल जारी व सूचीबद्ध पूँजी के समाधान हेतु प्रत्येक तिमाही में एक सेवारत कंपनी सचिव से शेयर पूँजी का समाधान लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करती है । इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यह संपुष्ट किया जाता है कि कुल जारी / प्रदत्त पूँजी भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या तथा एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ धारित डीमटीरियल किए गए शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप हैं । यह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बीईएल के शेयर सूचीबद्ध सभी स्टॉक एक्सचेंजों में अग्रेषित किया जाता है ।

कंपनी अर्धवर्ष के अंतराल में सेवारत कंपनी सचिव से ऐसा प्रमाणित करते हुए एक अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करती है कि सभी प्रकार से पूर्ण अंतरण निवेदनों को प्रक्रियागत किया गया है तथा अंतरण पृष्ठांकनों के साथ शेयर प्रमाण-पत्र उनके जमा करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कंपनी द्वारा जारी किया गया है । यह अनुपालन प्रमाण-पत्र बीईएल के शेयर सूचीबद्ध सभी स्टॉक एक्सचेंजों में अग्रेषित किया जाता है ।

स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण

बीईएल के शेयर वर्तमान में निम्नलिखित स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं -

(1) बीएसई लिमिटेड,
25वां तल, फिरोज जीजीबॉय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001

(2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लाक,
बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051

कंपनी ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है ।

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों को दिया गया स्टॉक कूट तथा कंपनी के इक्विटी शेयरों के डीमैट लेन-देन के लिए निक्षेपागारों द्वारा दी गई आईएसआईएन संख्याएँ नीचे दी गई हैं -

स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कोड
बीएसई लि.	500049
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	बी ई एल
आईएसआईएन	INE263A01024
सीआईएन	L32309KA1954GOI000787

निक्षेपागारों को अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए दोनों निक्षेपागारों नामतः एनएसडीएल तथा सीडीएसएल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान किया है ।

गैर-अनुपालन का विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत् गठित है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। बहरहाल, भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण का दायित्व एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए भारत सरकार को सूचना दी गई है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीईएल के सभी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति जिसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल होते हैं और ए.सी.सी. द्वारा अनुमोदित होते हैं, में समय लगता है जो कंपनी के नियंत्रण से परे है।

गैर-अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की गैर-अनिवार्य संस्तुति के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है -

- कंपनी में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (कार्यकारी) का पद है तथा कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है।
- कंपनी के वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा परीक्षा मत के साथ प्रकट किए जाते हैं।
- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण करने की प्रक्रिया अधिक सशक्त है तथा इसका विवरण " संप्रेषण के माध्यम " के तहत दिया गया है।
- महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सीधे रिपोर्ट करते हैं तथा लेखा परीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य हैं।

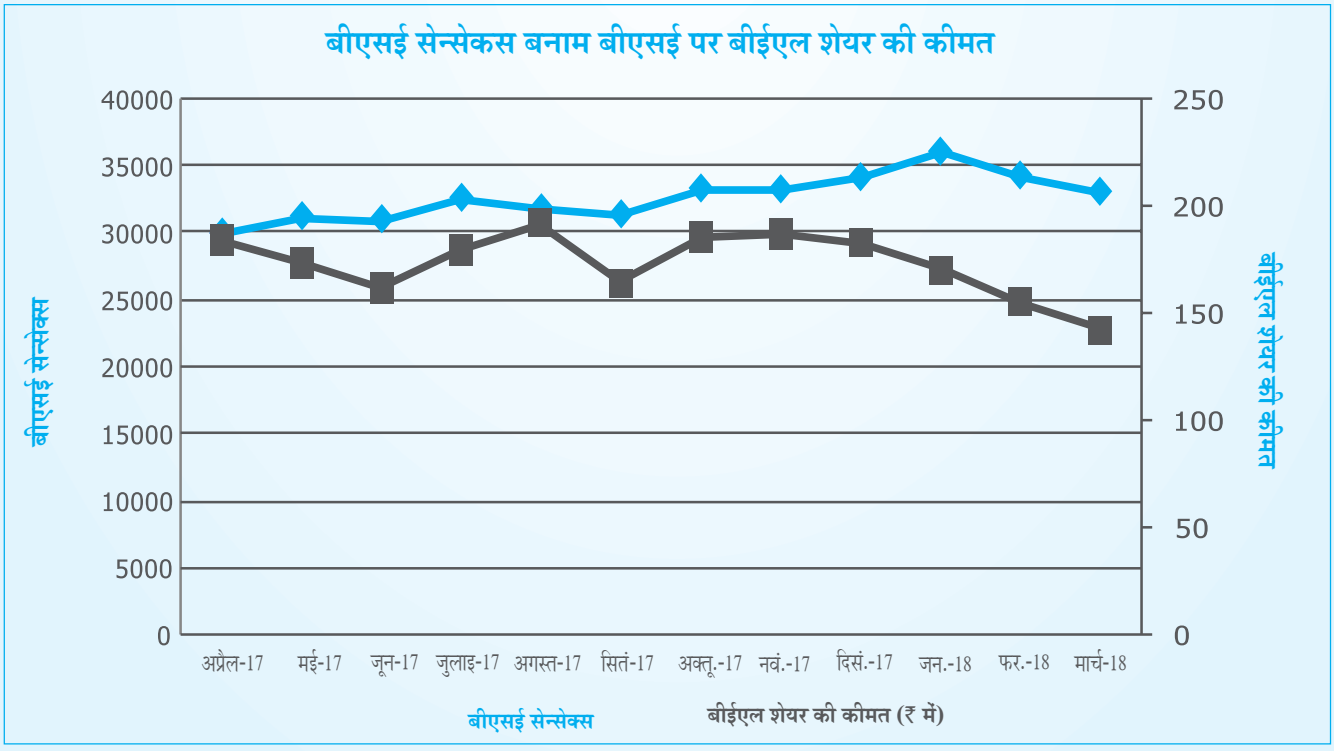
बाजार मूल्य के आँकड़े

बीएसई लिमिटेड (बी एस ई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) में कंपनी के शेयरों के उच्च / निम्न बाजार कीमतों के विवरण नीचे दिए गए हैं –

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक बीएसई की तुलना में बीएसई सेंसेक्स पर बीईएल शेयर मूल्य

माह	बीएसई सेंसेक्स समापन	बीईएल शेयर मूल्य			लेनदेन किए गए शेयरों की सं.	आवर्त (₹ लाख में)
		उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	समापन (₹ में)		
अप्रैल 2017	29918	184.40	158.50	182.75	9,234,186	16,139.73
मई 2017	31146	186.85	165.60	172.65	7,333,605	13,018.24
जून 2017	30922	177.10	157.70	161.35	11,581,970	19,373.61
जुलाई 2017	32515	179.60	161.15	178.95	8,708,228	15,049.04
अगस्त 2017	31730	194.70	161.45	190.70	7,425,889	13,511.21
सितंबर 2017	31284	199.20	162.00	163.55	6,946,606	12,918.22
अक्तू. 2017	33213	192.50	160.40	184.80	7,354,410	13,070.02
नवं. 2017	33149	192.95	174.20	186.20	6,316,926	11,582.61
दिसं. 2017	34057	189.50	172.00	182.05	4,561,805	8,329.28
जन. 2018	35965	185.15	167.25	169.40	16,940,160	29,873.66
फर. 2018	34184	171.20	140.00	154.55	9,281,358	14,273.56
मार्च 2018	32969	157.95	138.30	142.05	5,932,435	8,738.63

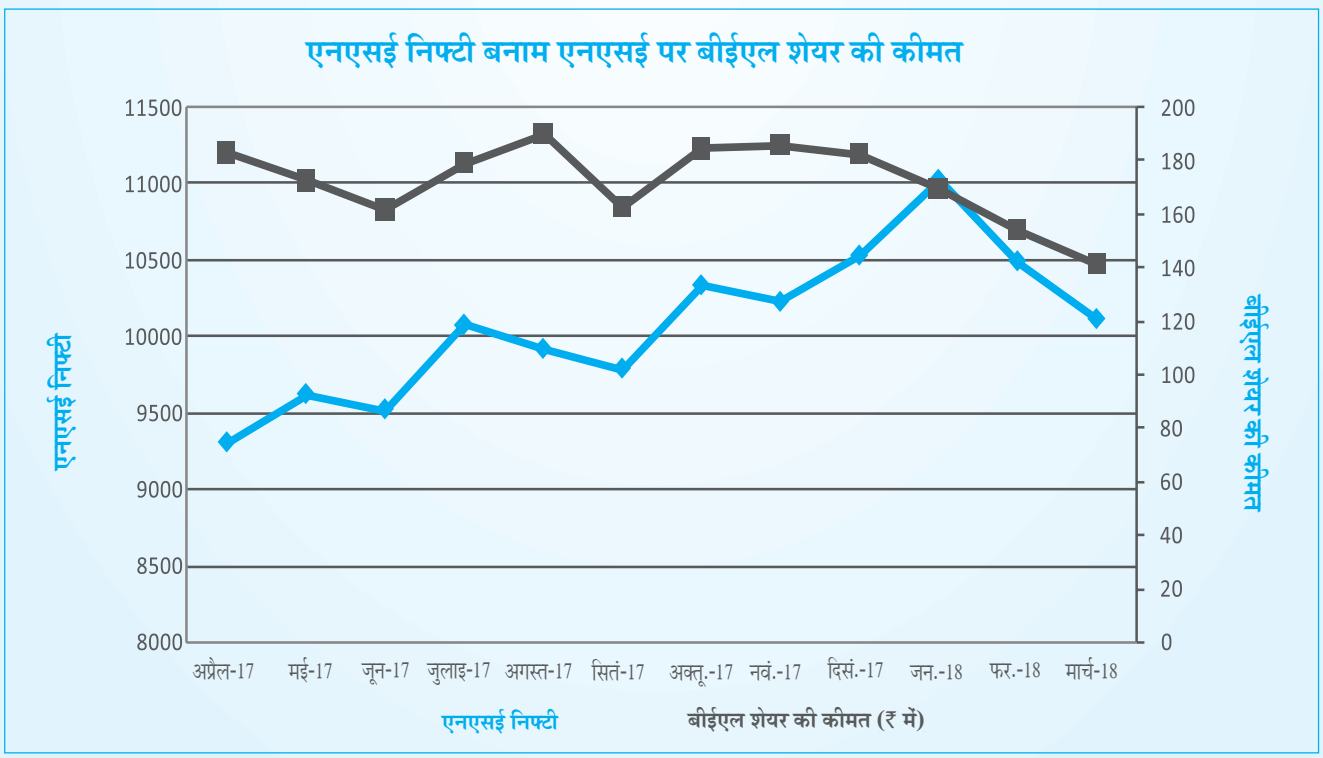
वर्ष 2017–18 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की समापन स्थिति के साथ बीएसई पर कंपनी के शेयर मूल्य के समापन कोटेशन की तुलना निम्नलिखित ग्राफ द्वारा प्रस्तुत है –



अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक एनएसई की तुलना में एनएसई निफ़्टी पर बीईएल शेयर मूल्य

माह	एनएसई निफ़्टी समापन	बीईएल शेयर मूल्य			लेनदेन किए गए शेयरों की सं.	आवर्त (₹ लाख में)
		उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	समापन (₹ में)		
अप्रैल 2017	9304	184.50	158.20	182.95	100,369,176	174,238.30
मई 2017	9621	186.90	165.50	172.65	62,150,025	110,063.83
जून 2017	9521	176.95	157.60	161.55	72,387,823	121,339.24
जुलाई 2017	10077	179.50	161.05	178.75	73,972,420	127,844.86
अगस्त 2017	9918	194.70	161.10	190.00	84,572,186	154,480.23
सितंबर 2017	9789	199.15	161.95	162.80	72,177,906	134,771.74
अक्तू. 2017	10335	192.40	160.25	184.60	78,315,736	136,643.73
नवं. 2017	10227	193.40	174.15	185.80	86,580,196	159,188.46
दिसं. 2017	10531	189.45	172.00	182.15	59,112,398	108,308.74
जन. 2018	11028	185.20	167.00	169.35	100,092,569	177,096.56
फर. 2018	10493	171.20	140.00	154.35	143,232,225	220,640.61
मार्च 2018	10114	157.95	138.05	141.45	71,962,017	105,851.07

वर्ष 2017–18 के दौरान एन एस ई निफ्टी की समापन स्थिति के साथ एन एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के समापन कोटेशन की तुलना निम्नलिखित ग्राफ द्वारा प्रस्तुत है –



चलनिधि

कंपनी के शेयर अति तरल हैं तथा भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में इनका सक्रियता के साथ लेन-देन किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आवर्त के संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं –

विवरण	बीएसई	एनएसई	कुल
लेनदेन किए गए शेयरों की सं.	101617578	1004924677	1106542255
मूल्य (₹ लाख में)	175,877.81	1,730,467.37	1,906,345.18

शेयर अंतरण

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., बेंगलूर जो सेबी में पंजीकृत श्रेणी ख पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट हैं, कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (आर.टी.ए.) हैं । सभी शेयर अंतरण / प्रेषण / विभाजन / समेकन / प्रतिलिपि शेयरों के निर्गमीकरण / अनुलिपि प्रमाण-पत्र/पता-परिवर्तन के अनुरोध / डीमटेरियल करने / रीमटेरियल करने के अनुरोध तथा शेयर से संबंधित मामले तथा लाभांश संबंधी सभी प्रश्नों, शिकायतों को अग्रेषित करने के लिए आरटीए का पता नीचे दिया गया है –

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.,
30, रमणा रेसीडेन्सी, चौथा क्रॉस,
सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरू – 560 003
दूरभाष – 080 23460815 से 818, फैक्स – 080 23460819
ई मेल – irg@integratedindia.in

शेयर अंतरण प्रणाली

अंतरण के लिए भेजे गए शेयर निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत किए जाते हैं । समुचित सुधार की मांग करते हुए आपत्तिजनक शेयर निर्धारित अवधि के भीतर लौटा दिए जाते हैं । कंपनी ने शेयर अंतरण संबंधी सभी अनुरोधों तथा संबंधित विषयों पर विचार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (अन्य यूनिटें) से समाविष्ट शेयर अंतरण समिति गठित की है । विनिर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत अंतरणों के अनुमोदन के लिए शेयर अंतरण समिति की बैठक आवधिक रूप से आयोजित की जाती है ।

यथा 31 मार्च 2018 को शेयरधारिता का स्वरूप –

क्र. सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1	केन्द्रीय सरकार	2	1627374928	66.79
2	म्यूच्युअल फ़ंड / यू टी आई	180	317923695	13.05
3	वित्तीय संस्थाएँ / बैंक	13	8336028	0.34
4	वैकल्पिक निवेश फंड	3	1114563	0.05
5	बीमा कंपनियाँ	22	107590489	4.42
6	विदेशी संस्थागत निवेशक	191	156860836	6.44
7	निगमित निकाय	1477	82124598	3.37
8	व्यक्ति	209846	113237851	4.64
9	न्यास	55	10999957	0.45
10	एन.आर.आई.	4561	7668544	0.31
11	विदेश के व्यक्ति	1	506	0.00
12	निकासी सदस्य	554	3352811	0.14
13	एल.एल.पी.	2	927	0.00
14	निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	1	7210	0.00
	कुल	**216908**	**2436592943**	**100.00**

यथा 31 मार्च, 2018 को 10 सर्वोच्च शेयरधारक

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	87916268	3.61
2	बिरला सन लाइफ़ॉ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	52975802	2.17
3	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल वेल्यू डिस्कवरी फंड	42218811	1.73
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कं. लि. ए/सी एचडीएफसी फोकस्ड इक्विटी फंड-पी	41174788	1.69
5	रिलायन्स कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लि. एसी रिलायन्स कैपिटल	32175308	1.32
6	एसबीआई आर्बिट्रेज अपार्च्युनिटीज़ फंड	30362776	1.25
7	एल एंड टी म्युच्युअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड - एल एंड टी बिज़नेस साइकल	21443174	0.88
8	कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड एकानॉमिक रिफार्म फंड	21141526	0.87
9	डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी सेविंग फंड	20533509	0.84
10	एचडीएएफ़सी शेयरहोल्डर सॉल्वेन्सी मार्जिन एकाउंट	15060878	0.62

यथा 31 मार्च, 2018 को शेयरधारिता का संवितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
500 तक	174486	80.44	22598964	0.93
501 - 1000	20465	9.43	15451430	0.63
1001 - 2000	12711	5.86	17423154	0.72
2001 - 3000	2819	1.30	6967858	0.29
3001 - 4000	1920	0.89	6582164	0.27
4001 - 5000	882	0.41	4065305	0.17
5001 - 10000	1806	0.83	12862099	0.53
10001 तथा उससे ऊपर	1819	0.84	2350641969	96.46
Total	**216908**	**100.00**	**2436592943**	**100**

शेयरों का अमूर्तीकरण

कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों का 99.99% निवेशकों द्वारा एन एस डी एल तथा सी डी एस एल में अमूर्तीकृत रूप में धारित है ।

बकाया जी डी आर/ए डी आर/वारंट – लागू नहीं

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि खाते को अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान जिन्हें निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) प्राधिकारी (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ('नियम') के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, कंपनी को सात वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद सभी अदत्त एवं दावा न किए गए लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा संस्थापित आई.ई.पी.एफ. को अंतरित करना है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार, ऐसे शेयर जिनके संबंध में लाभांश अदा नहीं किया गया है या शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आई.ई.पी.एफ. प्राधिकारी द्वारा बनाए गए डीमैट खाते को अंतरित किया जाना है। तदनुसार, कंपनी ने आई.ई.पी.एफ. नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, दावा न किए गए तथा अदा न किए गए लाभांश तथा ऐसे शेयर जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है, को अंतरित कर दिया है जिनके विवरण हमारी वेबसाइट www.bel-india.in पर दिए गए हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने अदत्त लाभांश खाते से ₹ 1,75,159/- की राशि (जिसमें से 2009-10 के अंतिम लाभांश का ₹ 1,16,437/- तथा 2010-11 के अंतरिम लाभांश का ₹ 58,722) आई.ई.पी.एफ. को अंतरित की है। वर्ष 2010-11 के लिए अदावी/ अदत्त अंतिम लाभांश (अंतिम) तथा वर्ष 2011-12 के लिए अंतरिम लाभांश वर्ष 2018-19 में आई.ई.पी.एफ. को अंतरित किया जाना है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.com <http://www.bel-india.com में एक पृथक पृष्ठ में 'निवेशक' शीर्ष के अधीन लाभांश भुगतान तथा अदत्त लाभांश के दावा करने संबंधी मार्गदर्शी सूचना के विवरण दिया है । शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अदत्त / अदावी लाभांश का दावा करने के लिए इसमें दिए गए दावा प्रारूप का उपयोग करें।

आई.ई.पी.एफ. को अंतरित शेयर

अधिनियम की धारा 124 के तहत यथा अपेक्षित, 7,210 इक्विटी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश का दावा सदस्यों द्वारा सात लगातार वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है, को वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आई.ई.पी.एफ.) को अंतरित किया है। अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी के साथ-साथ आई.ई.पी.एफ. की वेबसिट पर अपलोड किए गए हैं।

क्रेडिट श्रेणीकरण

आईसीआरए ने 2018-19 के लिए कंपनी की निम्नलिखित क्रेडिट श्रेणीकरण को पुनःसंपुष्ट किया है –

(i) ₹ 500 करोड़ के निधि आधारित सीमा क्रेडिट तथा ₹ 100 करोड़ की निधि आधारित सीमा (मीयादी ऋण) के लिए आईसीआरए एएए (जिसे आईसीआरए ट्रिपल ए कहा जाता है) का दीर्घकालीन श्रेणीकरण

(ii) ₹ 3,500 करोड़ की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा क्रेडिट के लिए आईसीआरए ए1+ (जिसे आईसीआरए ए-वन प्लस कहा जाता है) का अल्पकालीन श्रेणीकरण

(iii) ₹ 5 करोड़ के वाणिज्यिक कागज़ातों (सी.पी.) के लिए आईसीआरए ए1+ (जिसे आईसीआरए ए- वन प्लस कहा जाता है) का अल्पकालीन श्रेणीकरण

दीर्घकालीन श्रेणीकरण का दृष्टिकोण 'स्थिर' है । ये श्रेणीकरण दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन में उच्चतम क्रेडिट गुणता सूचित करते हैं । इन वर्गों में श्रेणीकृत क्रेडिटों में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन में निम्नतम क्रेडिट जोखिम होता है । श्रेणीकरण (i), (ii) तथा (iii) 15 फरवरी, 2019 तक वैध हैं ।

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीकरण का दायित्व एवं प्रकटण की आवश्यकताएँ) विनियम 2015 तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, इस वार्षिक प्रतिवेदन में सीईओ और सीएफओ के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं ।

अनुपालन

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 तथा डीपीई के निगमित अभिशासन के मानदंडों / दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है । कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों तथा सरकार को निगमित अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते आ रही है । सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के अपेक्षाओं के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अंतर्गत अपेक्षानुसार, कंपनी द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

डीपीई श्रेणीकरण

केन्द्रीय पीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अधीन यह प्रावधान दिया गया है कि केन्द्रीय पीएसई को इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर श्रेणीकृत किया जाएगा। वर्ष 2016-17 के लिए डीपीई ने बीईएल को 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की है ।

शेयर धारकों के लिए अतिरिक्त / सामान्य जानकारी

सामान्य वार्षिक बैठक

दिनांक : 25 सितंबर, 2018
समय : दोपहर 03:30 बजे
स्थान : कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक,
कुमार कृपा हाई ग्राउण्ड्स,
सी.एम. गेस्ट हाउस के आगे,
बेंगलूर– 560001

वित्तीय कैलेंडर 2018 – 19

वित्तीय वर्ष	: 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019
प्रथम तिमाही परिणाम	: जुलाई 2018 के अंत तक
द्वितीय तिमाही परिणाम	: अक्तूबर 2018 के अंत तक
तृतीय तिमाही परिणाम	: जनवरी 2019 के अंत तक
वार्षिक लेखा परीक्षित परिणाम	: मई 2019 के अंत तक
वार्षिक सामान्य बैठक	: सितंबर 2019

पुस्त बंदी

20 अगस्त 2018 से 24 अगस्त 2018 तक (दोनों दिनों को मिलाकर)

लाभांश भुगतान तिथि

घोषणा किए जाने के 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान किया जाएगा ।

संयंत्र स्थल –

(1) जालहल्ली पोस्ट,
बेंगलूर –560013 (कर्नाटक)
फोन – (080) 28382626
फैक्स – (080) 28382067

(2) साइट खत, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, भारत नगर पोस्ट,
गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)
फोन – (0120) 2777707, 2813500, 2814000
फ़ैक्स – (0120) 2776730, 2776733, 2770923

(3) प्लाट नं.405, औद्योगिक क्षेत्र, फेस खखख,
पंचकूला – 134113 (हरियाणा)
फोन – (0172) 3937252, 2591528, 3937400
फ़ैक्स – (0172) 2594548, 2591463

(4) बलभद्रपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल,
कोटद्वार – 246149, (उत्तराखंड)
फोन – (01382) 231171 से 231178
फ़ैक्स – (01382) 231132, 231135

(5) प्लाट नं.एल –1, एम. आई. डी. सी. औद्योगिक क्षेत्र,
नवी मुंबई – 410208 (महाराष्ट्र)
फोन – (022) 27412701
फ़ैक्स – (022) 27412888, 27412887

(6) एन डी ए रोड, पाषाण, पुणे – 411021 (महाराष्ट्र)
फोन – (020) 25865400, 22903000
फ़ैक्स – (020) 25865577, 22903313

(7) औद्योगिक क्षेत्र, नाचारम,
हैदराबाद – 500076 (तेलंगाणा)
फोन – (040) 27194700
फ़ैक्स – (040) 27171406

(8) पोस्ट बाक्स नं.26, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग,
मचिलिपट्टणम –521001 (आंध्र प्रदेश)
फोन – (08672) 223581, 2235832
फैक्स – (08672) 222640

(9) पोस्ट बाक्स नं. 981, नंदम्बाक्कम,
चेन्नै – 600 089 (तमिलनाडु)
फोन – (044) 22326906
फ़ैक्स – (044) 22326905

पंजीकृत कार्यालय / पत्राचार का पता –

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
सीआईएन: ङ32309घअ1954त्रज्ञख000787
पंजीकृत कार्यालय – आउटर रिंग रोड,
नागवारा, बेंगलूर – 560 045
फोन – (080) –25039300,
फ़ैक्स – (080) –25039233
ई–मेल : secretary@bel.co.in
वेबसाइट : www.bel-india.in

निगमित अभिशासन पर लेखा परीक्षक का प्रमाण–पत्र

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्य,

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सूचीकरण के दायित्व एवं प्रकटण की आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (ल) से (i) और अनुसूची त् के अनुच्छेद ग और घ तथा केन्द्र सरकार के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है ।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । इस उत्तरदायित्व में सेबी ('सूचीकरण विनियम') में निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा प्रक्रियाओं का अभिकल्प, समाविष्टि और अनुरक्षण शामिल होती है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन का परीक्षण करने तक सीमित है। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, न उन पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विशेष प्रयोजन की रिपोर्टों या प्रमाण–पत्रों पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, कंपनी के संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया है। इस मार्गदर्शी टिप्पणी में यह आवश्यकता होती है कि हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें। हमने ऐसी फर्मों के गुणता नियंत्रण के मानकों की लागू संबंधित आवश्यकताओं का पालन किया है जो लेखा परीक्षा करती हैं और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना तथा अन्य आश्वासनों तथा संबंधित सेवा नियोजनों की समीक्षा करती हैं।

विचार

हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने यथा लागू सूचीकरण विनिमयों के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (ल) से (ळ) में निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों तथा अनुसूची त के अनुच्छेद ग तथा घ की शर्तों का पालन किया है। बहरहाल, कंपनी को सूचीकरण विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करना है। सूचना दी गई है कि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार करती है और उक्त निदेशकों की रिक्तियों का भरा जाना भी नियुक्तकर्ता प्राधिकारी यानी भारत सरकार के पास लंबित है।

हमारा विचार है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यावहारिकता का आश्वासन है और न ही ऐसी दक्षता या प्रभावशीलता है जिससे प्रबंधन कंपनी का कामकाज संचालित करता है।

प्रयोग पर प्रतिबंध

यह प्रमाण–पत्र उक्त विनियमों का पालन करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए जारी किया जाता है, किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 004283एस

नटराजन वी.
साझेदार
सदस्यता संख्या 223118

बेंगलूरु
29 मई 2018

कारोबारी आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन संबंधी घोषणा

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 अधीन संगत प्रावधान तथा 22 जून 2007 के डीपीई का.ज्ञा सं. 18(8)/2005–जीएम के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निदेशों के अनुवर्तन में, कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचार संहिता व आचार नीति का अनुपालन अभिपुष्ट किया है ।

मंडल के लिए व उसकी ओर से

बेंगलूर
29 मई 2018

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

निगमित अभिशासन पर सेबी

(सूचीकरण का दायित्व एवं प्रकटण संबंधी आवश्यकताएँ) विनियमन, २०१५ के प्रयोजन व डीपीई के दिशा–निदेशों के तहत यथा अपेक्षित सीईओ एवं सीएफओ द्वारा प्रमाण–पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि –

(क) हमने 31.03.2018 को समाप्त अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा विश्वास और जानकारी है –

(i) इन परिणामों में कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को विलोपित नहीं किया गया है या ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो।

(ii) ये परिणाम समग्र रूप से कंपनी के कामकाज की सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं और विद्यमान भारतीय लेखांकन मानक, लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन में हैं ।

(ख) जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण के संस्थापन व अनुरक्षण का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन एवं अभिकल्प की त्रुटियों की सूचना लेखा परीक्षकों तथा प्रबंधन को दी है और उक्त त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाया है या उसके लिए प्रस्ताव रखा है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा प्रबंधन को निम्न सूचनाएँ दी हैं–

(i) अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ii) अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन; तथा

(iii) धोखाधड़ी, यदि कोई हो, की कोई महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में तथा जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका है, के शामिल होने की हमे जानकारी है।

कोशी एलेक्जांडर
निदेशक (वित्त)

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

बेंगलूर
29 मई 2018

अनुलग्नक 8

निर्वहनीयता रिपोर्ट

आपकी कंपनी अपने विभिन्न व्यावसायिक संचालन और गतिविधियों के ज़रिए योजनाबद्ध तरीके से पर्यावरणीय प्रबंधन और सतत विकास कार्यक्रमों के निर्वहन द्वारा सतत विकास के आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक दायित्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ सालों से इसने जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि जैसे गैर-परंपरागत ऊर्जा के उपयोग सहित संसाधन प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्रों में पर्याप्त संस्थागत विशेषज्ञता हासिल की है। कंपनी का प्रयास है कि वह इस विशेषज्ञता को और विकसित करें और अपने व्यावसायिक संचालन और गतिविधियों में सतत विकास पहलों को आगे बढ़ाएं। इस उद्देश्य को पूरा करने और भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सतत विकास की दिशा में एक नीति तैयार की है। बीईएल की सतत विकास नीति की मुख्य विशेषताएं उनकी वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं: www.bel-india.in

कंपनी के पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास प्रयास विशेषताएं निम्न अनुच्छेदों में किए गए है-

स्वच्छ प्रौद्योगिकी

प्रदूषण निवारण हेतु विनिर्माण प्रक्रिया में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अवध-रणाएं अपनाए जाते है। हमारे अनुसंधान और विकास विभाग हमेशा पर्यावरण के अनुकूल घटकों और प्रक्रियाओं की खोज में रहते हैं। हम रे कॉर्पोरेट मानकीकरण विभाग ने पर्यावरण-अनुकूल सामग्री, घटकों और विनिर्माण प्रक्रियाओं से संबंधित कई दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं जो पूरे कंपनी में उपयोग किए जाने वाले अविकल्पों में प्रयुक्त होते हैं। कॉर्पोरेट मानकीकरण विभाग ने यूरोपीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निर्दे शों के अनुरूप कई आरओएचएस (जोखिमी पदार्थों का प्रतिबंध) की मानकीकरण और कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। पिछले वर्षों के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए इंडक्टर्स / एल ई डी / कनेक्टर / रिले / माइक्रोसाइकिट्स और माइक्रोवेव घटक जैसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए , 33 नए आरओएचएस अनुपालन घटकों को शामिल किया गया है।

बीईएल जानती है कि प्रदूषण की रोकथाम मूल से ही करना होता है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रक्रियाओं में कई सुधार और संशोधन किए गए हैं। पीसीबी विनिर्माण और धातु परिष्करण प्रक्रियाओं में निम्न आरओए-चएस अनुपालन प्रक्रियाओं में से कई को प्रयुक्त किया गया है, निम्न धूम हलोजन केबल्स, निम्न वीओसी धातु परिष्करण ऑपरेशन (पॉली यूरेथेन) और वशसीशरीळपस प्रक्रिया में ट्राइक्लोरोइथायलीन के स्थान पर वैकल्पिक रसायन का उपयोग किया गया है। वर्ष के दौरान, जल चिलरों को पारस्परिक रूप से ऊर्जा कुशल स्क्रू चिलर के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2017-18 के दौरान 67000 किलोवाट की बचत हुई। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) एलपीजी की तुलना में पर्यावरणीय रूप से साफ है और इसलिए एलपीजी को कांपोनेंट्स एसबीयू के उत्पादन विभाग और खाना पकाने के अनुप्रयोगों में पीएनजी के साथ बदल दिया गया है।

वायु में उत्सर्जन

प्रक्रियाओं से उत्पन्न वायु उत्सर्जन उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायनों में कम प्रदूषण होता है। परिणाम फैक्टरी के भीतर विभिन्न स्थानों पर मापी जाने वाली परिवेश वायु गुणवत्ता द्वारा प्रमाणित हैं। प्लेटिंग बात के लिए प्रदान किए गए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के अतिरिक्त, कार्य क्षेत्रों पर चूषण फ़िल्टर भी प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान छोटे उपकरण पेंट बूथ के अलावा बड़े आश्रय वाले वाहनों को पेंट करने के लिए स्क्रबिंग सुविधा के साथ कुशल गीले पेंट बूथ बनाए गए हैं।

जल प्रदूषण

विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट जल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानदंडों के अनुरूप शुद्द किया जाता है। बीईएल इसके एक कदम आगे जाते हुए अपशिष्ट जल को पुन: प्रयोज्य मानकों के अनुरूप शुद्द करता है और फिर उत्पादन के प्रयोजनों के लिए इसे पुनर्नवीनीकरण करता है। इसी प्रकार, घरेलू अपशिष्ट जल का बागवानी के उद्देश्यों के लिए शुद्ध किया जाता है और पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। शुद्ध किए गए अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने के अलावा बीईएल बेंगलूरु कॉम्पलेक्स बागवानी प्रयोजनों के लिए बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) से 1 एमएलडी तृतीयक शुद्दित वाहित मल खरीद रहा है जिसके द्वारा 1 एमएलडी स्वच्छ पानी का उपयोग टाला जा रहा है। बीईएल दोड्डबोमासंद्रा झील, बेंगलुरु को फिर से जीवंत करने के लिए 10 एमएलडी वाहित मल शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर रहा है जिसमे से 2 एमएलडी का उपयोग बीईएल बागव-ानी और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों की बचत और भूजल का रिचार्ज होगा।

जोखिम अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

जोखिमी अपशिष्ट के संसाधन के लिए कम करें, पुन: उपयोग करें और पुनर्नवीनीकरण सिद्धांत का पालन किया जाता है। अपशिष्ट जल की विषाक्तता को दूर करने प्रक्रिया में कम मात्रा में जोखिमी कीचड़ उत्पन्न

करने वाले उचित रसायनों को मिलाकर और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाकर जोखिमी अपशिष्ट के सृजन को प्रक्रिया स्तर पर ही कम कर दिया जाता है। इसके अलावा साइनाइड मुक्त जस्ता और तांबा प्लेटिंग प्रक्रियाओं का उपयोग, चूना, ब्लीचिंग पाउडर और फेरस सल्फेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोलाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट और सोडियम मेटाबिसल्फेट का उपयोग से जोखिमी कीचड़ को बड़ेपैमाने में कम करने में मदद मिलता है। बीईएल ने एक विशेष, अच्छी तरह से संरक्षित जगह का निर्माण करके जोखिमी अपशिष्ट को सुरक्षित रखने / संभालने के लिए एक प्रणाली की स्थापना की है। बीईएल ने भूमि प्रदूषण ठोस जोखिमी अपशिष्ट के निपटारे के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उपचार, संग्रहण और निपटान सुविधा ऑपरेटरों के साथ करार किया है। पुनर्नवीनीकरण कचरे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के लिए अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। यह प्रणाली प्रभावी रूप से जोखिमी अपशिष्टों के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकती है।

ई–अपशिष्ट प्रबंधन

विनिर्माता के रूप में उत्पादों के निर्माण के दौरान उत्पन्न ई–अपशिष्ट को वैज्ञानिक प्रसंस्करण रीसाइक्लिंग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। जीवन काल समाप्त ई–अवशिष्ट जैसे कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को वैज्ञानिक प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। विस्तारित उत्पादनकर्ता दायित्व के तौर पर जीवन काल समाप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों जैसे ई–अवशिष्ट के उत्पाद वापस एकत्र किए जाते हैं और उत्पाद को खोलकर, ई–अवशिष्ट को प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रधिकृत एजेंसियों तक चैनल किया जाता है। उपयोग के अंत के बाद ई–अवशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उपयोगकर्ताओं को हैंडलिंग और निपटान दिशा–निर्देश प्रदान किए जाते हैं। जितना संभव हो सके आरओएचएस अनुपालन घटकों के उपयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में जोखिमी घटक को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बायोमेडिकल अपशिष्ट

बीईएल अस्पताल में उत्पन्न जैव चिकित्सा अवशिष्ट और चिकित्सा केंद्रों को नियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक रूप से एकत्रित और निपटान किया जाता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

बीईएल ने नगर निगम के ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान की सुविधा के लिए मूल पर उत्पन्न अपशिष्ट को अलग करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना की है। जैव–मेथननाइजेशन योजना के उपयोग के अलावा नगर निगम ठोस कचरे के शुद्धीकरण के लिए जैविक अपशिष्ट परिवर्तक का उपयोग किया जा रहा है। अवशिष्ट को कम करने, रीसायकल करने और पुन: उपयोग करने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है ताकि लैंडफिल भेजने के बजाय पेपर और प्लास्टिक को पुनर्नवीनीकरण और पुन: उपयोग किया जा सके। वर्ष के दौरान, 2.0 टन के अप–फ्लो एनारोबिक आधारित बायोगैस संयंत्र प्रारंभ किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 50 किलो / दिन समकक्ष एलपीजी की बचत हुई। खाद्य अपशिष्ट और हरित अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए प्रति टन 1.0 टन प्रति दिन कार्बनिक अपशिष्ट कनवर्टर स्थापित किया गया है। बेंगलूरु में एक अच्छी तरह से स्थापित ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा में प्रसंस्करण के लिए लैंडफिल योग्य कचरे भेजे जा रहे हैं।

ऑन साइट आपातकालीन योजना और प्रणालियां

आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाएं संयंत्र स्तर और कार्यस्थल स्तर पर मौजूद हैं, जिन्हें जोखिम मूल्यांकन, जोखिम कम करना और आपातकालीन प्रतिक्रिया को कवर करने वाली बहु–अनुशासनात्मक कार्य टीम के एकीकरण के साथ संस्थागत किया गया है। आपातकालीन योजना पर मॉक ड्रिल समय–समय पर व्यक्तिगत रणनीतिक व्यापार समूहों द्वारा निम्न के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है–

1. कार्य–निष्पादन एवं मरम्मत समूह
2. अग्नि शामक दल
3. सरक्षा दल
4. परिवहन दल
5. प्राथमिक चिकित्सा एवं मेडिकल समूह

और घटनाओं का अनुक्रम मॉक ड्रिल अभ्यास में सुधार के लिए दर्ज किया जाता है जबकि संगठन के उच्च अधिकारियों द्वारा योजना की निगरानी की जाती है।

घटना नियंत्रक दुर्घटना स्थल पर जाते हैं और बचाव टीमों के साथ समन्वय करते हैं और घटना के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाते हैं, यदि कोई हो।

स्टॉकटेकिंग बैठकों से प्राप्त ज्ञानार्जन को सुधार करने के लिए सु–धारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यान्वित किया गया।

जल प्रबंधन

जल लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप जल संरक्षण उपायों को हासिल किया जाता है। मांग के आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए डीस्मियरिंग प्रक्रिया के स्वचालन जैसे कई जल संरक्षण परियोजनाएं, बोर कुएं पानी ड्राइंग प्रणाली का स्वचालन, पानी के टैंकों के लिए स्तर नियंत्रक, कुशल पकवान धोने की व्यवस्था और वायु एजिटेशन के साथ स्विंग पानी के उपयोग को जल संरक्षण के लिए लागू किया जाता है। इन जल संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन से हर साल पानी की खपत में निरंतर कमी आई है। बोर कुओं के जल संचयन और अभिनव रिचार्जिंग हमें वर्षा जल सिंचाई और भूजल तालिका को

रिचार्ज करने में सक्षम बनाती है। बेंगलुरु इकाई में बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन जलाशय में लगभग 230 मिलियन लीटरों की वार्षिक उपज के साथ 170 मिलियन लीटर की क्षमता है। छत वर्षा जल संचयन ने पिछले वर्ष में 660 I3 वर्षा जल एकत्र किया था जिसका उपयोग सीधे आरओ पानी के सृजन के लिए किया जाता था। 480 केएल की संचयी क्षमता के जलाशयों को वर्षा जल के संग्रह और पुन: उपयोग के लिए बनाया गया है।

सतत विकास पहल

बीईएल ने वातानुकूलन, वायु संपीडन, प्रकाश प्रबंधन प्रणाली, प्राकृतिक डे लाइट कटाई, कार्बन पदचिह्न और पानी के पदचिह्न के क्षेत्रों में टिकाऊ विकास परियोजनाएं शुरू की है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, कैप्टिव उपभोग लिए कर्नाटक राज्य के दावणगेरे और हसन में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों से लगभग 25.8 मिलियन किलोवाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो बेंगलूरु कॉम्पलेक्स द्वारा उपभोग किए गए ऊर्जा का 85% योगदान देता है। कैप्टिव उपभोग के लिए सभी बीईएल इकाइयों की विभिन्न भवनों में 2,800 केडब्ल्यूपी छत पर ग्रिड से जुड़े सौर पीवी बिजली संयंत्र स्थापित किए गए थे। सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न बिजली बीईएल की सभी यूनिटों की ऊर्जा उपभोग का लगभग 8% योगदान करेगी।

बीईएल ने ऊर्जा कुशल रेट्रोफिट एलईडी रोशनी, डीएएलआई (डिजिटली एड्रेसटेबल लाइटिंग इंटरफेस) प्रकाश नियंत्रण प्रणाली, दिन के रोशनी की सिंचाई के लिए पाइप इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं भी शुरू की हैं। सभी नए भवनों में ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा उपयोग किया जा रहा है और सभी भविष्य की भवन एकीकृत आवास आकलन (जीआरआईएचए) रेटिंग अनुपालन के लिए ग्रीन रेटिंग को पूरा करने जा रही हैं।

पारिस्थितिकीय स्थिरता

पारिस्थितिक स्थिरता और सदाबहार हरियाली की ओर हमारी यात्रा बीईएल परिसर के प्रवेश द्वार से ही प्रारंभ होती है। कैंपस में लगभग 139,000 पौधों की विभिन्न प्रजातियां उगाई जाती हैं जो कि विभिन्न पक्षियों और अन्य जीवों को आवास देते हुए अपने फल और फूलों द्वारा समर्थन प्रदान करती है। खुले इलाके भी लॉन और झाड़ियों से ढके हुए हैं, लगभग 398,300 वर्ग मीटर लॉन और 25,000 मीटर झाडियां परिसर में पोषित हैं। हरी कालीन धूल को कम करने, गर्मी को अवशोषित करने, कम कार्बन सिंक और ताजा ऑक्सीजन की रिहाई में मदद करता है। बीईएल में 170 एकड़ जमीन पर फैला हुआ हरा वृक्षारोपण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की वनीकरण के प्रति वचनबद्धता का प्रतीक है।

बीईएल बेंगलूरु कॉम्पलेक्स ने 20 पेड़ों को प्रत्यारोपित करने का उपन्यास कदम उठाया है जो अन्यथा आज तक काटे गए होते। ये पेड़ बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। बीईएल ने 2017–18 के दौरान अपने वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 4700 पेड़ लगाए हैं।

अनुलग्नक 9

कारोबारी दायित्व रिपोर्ट

खंड क – कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L32309KA1954GOI000787
2.	कंपनी का नाम	:	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	:	आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु
4.	वेबसाइट	:	www.bel-india.in
5.	ई–मेल	:	secretary@bel.co.in
6.	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	:	2017-18
7.	क्षेत्र जिसमें कंपनी संचालित होती है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड–वार)	:	रेडार - 26515 संचार एवं सी4आई प्रणालियां - 26303 इलेक्ट्रो ऑप्टिक - 26700

8. तीन उत्पाद / सेवाएं जो कंपनी तैयार करती है / प्रदान करती है, की सूची दें (तुलन–पत्र के अनुसार) :
   i. रेडार
   ii. संचार एवं सी4आई प्रणालियां
   iii. इलेक्ट्रो–ऑप्टिक

9. कुल स्थानों की संख्या जहां कंपनी के कारोबार कार्यकलाप होते है :
   i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (मुख्य 5 के विवरण दें) :
      समुद्रपार कार्यालय: 03 नामत: न्यूयार्क (यूएसए), सिंगापूर एवं हनोई (वियतनाम).
   ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या :
      विनिर्माण कार्यालय: 09 नामत: बेंगलूरु (कर्नाटक), गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश), पंचकूला (हरियाणा), कोटद्वार (उत्तराखंड), पुणे एवं नवी मुंबई (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना) एवं मछलीपट्टणम (आंध्र प्रदेश) एवं चेन्नै (तमिलनाडु).

   क्षेत्रीय / विपणन कार्यालय: नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं विशाखपट्टणम

10. कंपनी द्वारा सेवा प्रदत्त बाज़ार – स्थानीय/ राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय :

    राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

खंड I : कंपनी के वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (आईएनआर) : ₹ 24,336 लाख
2. कुल विक्रयावर्त (आईएनआर) : ₹ 1,008,484 लाख
3. कर के बाद कुल लाभ (आईएनआर) : ₹ 139,929 लाख
4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (अलग से रखी राशि सहित) – : कंपनी द्वारा ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभों का 2.02%। सीएसआर गतिविधियों के लिए संलग्नक-3 प्रतिवेदन देखें।
5. मद सं.4 से संबंधित व्यय की गतिविधियों की सूची – : (सीएसआर गतिविधियों के लिए संलग्नक-3 देखें।)

खंड ग: अन्य विवरण:

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?

   हाँ।

   i. बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे।

   ii. बेल-थालेस सिस्टम लिमिटेड, बेंगलुरु।

2. क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी के बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या सूचित करें

   नहीं

3. क्या कोई अन्य स्वत्व/स्वत्वों (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है, क्या कंपनी की बीआर पहल में भाग लेते है? यदि हां, तो ऐसे स्वत्वों/संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें? 30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक

   कंपनी में आउटसोर्सिंग गतिविधि अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया द्वारा संचालित है। चूंकि गुणता, वितरण और लागत महत्वपूर्ण है, वाणिज्यिक दायित्व के अनुरूप कंपनी की आउटसोर्सिंग नीति के अनुसार दोषपूर्ण मुक्त विक्रेताओं के चयन और स्थापना के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाती है।

विक्रेता मूल्यांकन समिति की गतिविधियों में क्षमताओं और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन, गुणता मान्यता, पर्यावरण प्रमाणन, विक्रेताओं की ग्राहक सूची, बैंकरों के विवरण, विक्रेताओं के प्रमाण पत्र जैसे आईएसओ प्रमाणन और अन्य वैधानिक कर पंजीकरण आदि के साथ उनके पंजीकरण शामिल हैं। केवल उन विक्रेता जो इन शर्तों को पूरा करते है को कंपनी के अनुमोदित विक्रेता निर्देशिका (एवीडी) में शामिल किया जाएगा। कार्पो रेट मानकीकरण प्रभाग कंपनी के विक्रेता सूची का अनुरक्षण करता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक घटक मानकीकरण संगठन (एलसीएसओ) प्रमाणन के आधार पर रक्षा खरीद के लिए योग्य विक्रेताओं को भी मंजूरी देता है।

इसके अलावा, क्रय आदेश में सुरक्षा और पर्यावरण मानक नियम और शर्तों के अनुपालन के विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाते है। इसके अलावा, कंपनी ने पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को और सुनिश्चित करने के लिए ई-प्रापण, विक्रेताओं को ई-भुगतान, निष्ठा संधि इत्यादि भी कार्यान्वित किया है। विक्रेता रेटिंग तंत्र के आधार पर, गुणता, लागत, वितरण और निष्पादन के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। संक्षेप में, एवीडी में उपलब्ध विक्रेताओं के बहुमत (60% से अधिक) व्यावसायिक दायित्व के प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

खंड घ : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण:

a) बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण

- डीआईएन : 07715648
- नाम : श्री आर एन बग्दल्कर
- पदनाम : निदेशक (मानव संसाधन)

b) बीआर प्रमुख के विवरण

क्र. सं.	विवरण	ब्योरे
1.	डीआईएन (यदि लागू हो तो)	07715648
2.	नाम	श्री आर एन बग्दलकर
3.	पदनाम	निदेशक (मानव संसाधन)
4.	टेलिफोन नंबर	080-25039205
5.	ई-मेल आईडी	bagdalkarrn@bel.co.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजीएस के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हां/न में उत्तर दें) :

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपकी कंपनी में ..... की नीति/नीतियां है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या नीतियां संबंधित हितधारकों के परामर्श से बनाई जाती है?	सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए, व्यापक आंतरिक परामर्श के बाद नीति सूचीबद्ध की गई।								
3	क्या नीति कोई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है? यदि हां तो विवरण दें?	नीति सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए इबीआर रिपोर्ट और कारोबारी मामलों के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों पर कार्पोरेट मामलों के राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा–निर्देश मंत्रालय के सेबी दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।								
4	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां,तो क्या वह एमडी/स्वामी/सीईओ/ उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित नीति और कंपनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा अनुपालन के लिए कार्यालय आदेश के रूप में जारी की गई। हां। (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से फाइल अनुमोदन प्राप्त)								
5	क्या नीति के कार्यान्वयन हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/ अधिकारियों की निर्धारित समिति है?	हां। निदेशक (मानव संसाधन).								
6	नीति के ऑनलाईन प्रेक्षण का लिंग सूचित करें।	नीति कंपनी की वेबसाइट में पोस्ट की गई : www.bel-india.in ?निवेशक टैब के नीचे?.								
7	क्या सभी आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को नीति की अधिकारिक सूचना दी गई है ?	हां। सभी आंतरिक हितधारकों को संचारित किया गया।								
8	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के अनुपालन के लिए आंतरिक संरचना है?	हां।								
9	संबंधित नीति/नीतियों पर हितधारकों के शिकायतों के निवारण हेतु क्या कंपनी में शिकायत निवारण कार्यप्रणाली है?	हां।								
10	क्या इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने किसी आंतरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र अंकेक्षण / मूल्यांकन कार्य किया है।?	जी हा। कंपनी द्वारा सीएसआर नीति, यौन उत्पीड़न का निवारण, निरोध एवं प्रतिपूर्ति, सचेतक नीति, आचार संहिता नीतियों का नियमित समीक्षा किया जा रहा है।								

2a. यदि क्रमांक १ में किसी भी नीति के लिए उत्तर ?नहीं? है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें। (दो विकल्प तक टिक करें)।

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने नीतियों को समझा नहीं है	लागू नहीं चूंकि कंपनी सभी 9 सिद्धांतों के लिए नीतियां बनाई है।								
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्धारित सिद्धांतों के लिए नीतियां बनाकर उन्हे कार्यान्वित कर सके									
3.	कंपनी में कार्य के लिए पर्याप्त वित्तीय या जनशक्ति संसाधन नहीं है।									
4.	इसे अगले छह महीनों में पूरा करने के लिए योजना बनाई गई है।									
5.	इसे अगले एक वर्ष में पूरा करने के लिए योजना बनाई गई है।									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. बीआर से संबंधित शासन:

- सूचित करें कि किस अवधि में निदेशक बोर्ड, बोर्ड की समिति या सीईओ कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। 3 माह के भीतर, 3–6 माह में, वार्षिक रूप में, एक वर्ष से अधिक ?

  कंपनी ने जनवरी 2013 में अपनी बीआर रिपोर्ट नीति तैयार की। प्रारंभिक वर्षों में कार्यान्वयन देखने के बाद बीआर प्रदर्शन की समीक्षा अगले वर्षों में की जाती है।

- क्या कंपनी बीआर या निर्वहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?

  हाँ। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में बीआर रिपोर्ट और निर्वहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है और इसे www.bel-india.in वेबसाइट में ङ्गनिवेशक टैब के तहत पोस्ट करती है।

खंड ङ – सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या आचार शास्त्र, रिश्वत एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करता है।? हाँ/नहीं

   क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ विक्रेता/ ठेकेदार/ एनजीओ/ अन्य को विस्तारित किया जाता है?

   नीति में कंपनी को शामिल किया गया है। इसके अलावा, सभी विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ सेवा प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा समझौता करार किया है जो रु.500 लाख से अधिक के सभी आदेश/ ठेकों के लिए, जिसे सितंबर 2016 से घटाकर 400 और सितंबर 2017 से इसे घटाकर 300 लाख कर दिया गया है पर लागू होता है। यह समझौता मुख्यतः उत्तरव्यापी विक्रेता/बोली लगाने वालों और मूल बीईएल के बीच दोनो ओर के अधिकारियों/व्यक्तियों को ठेके के किसी भी दशा में किसी भी मामले में कोई भी भ्रष्ट आचरण से निषेदित करने के लिए वचनबद्ध करते हुए एक अनुबंध को परिकल्पित करता है। केवल वह विक्रेता/बोली लगाने वाले जो मूल कंपनी के साथ इस प्रकार के समझौते के लिए वचनबद्ध होते है को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी भी ठेके के लिए यह अखंडता समझौता बोलियों को आमंत्रित करने की दशा से ठेके की अंतिम समापन तक प्रचालन में होगा। इसके किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बोली लगाने वालों को अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्य के कारोबार से वर्जित कर सकता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत को संतुष्टिपूर्वक हल किया गया है? यदि है, तो लगभग 50 शब्द तक विवरण प्रदान करें।

   शिकायतों पर कार्रवाई डेटा के विवरण नीचे दी गई तालिका में संलग्न है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्राहक संतुष्टि स्तर बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास है। तदनुसार, उत्पाद समर्थन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कई पहल की गई हैं। उत्पाद समर्थन क्षेत्र का नेतृत्व महाप्रबंधक के पद के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। सभी समर्थन संबंधित मुद्दों का हल करने के लिए उत्पाद समर्थन निगरानी समूहों की स्थापना कंपनी भर में की गई है। शिकायत हैंडलिंग पर प्रगति की निगरानी हेतु थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए अपर महाप्रबंधक / वरिष्ठ उप महाप्रबंधक स्तर पर समर्पित वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। नागरिक उत्पाद खंड में भी ग्राहक शिकायतों को संबोधित करने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण दिया जाता है। विविध स्थानों पर क्षेत्रीय उत्पाद समर्थन केंद्र ग्राहक शिकायतों को तेजी से संबोधित करने एवं संपूर्ण भारत कवरेज भी प्राप्त करने हेतु काम कर रहे हैं । ऑन–लाइन शिकायतों को संभालने के लिए बेंगलुरू में ग्राहक समन्वय कक्ष स्थापित किया गया है। यह सुविधा इंटरनेट से जुड़े एसएपी के सीआरएम मॉड्यूल सहित टोल फ्री बीएसएनएल / एमटीएनएल नंबर के साथ लहस है। हमारे ग्राहक ग्राहक समन्वय सेल में लॉग–इन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, सीआरएम मॉड्यूल पंजीकृत शिकायत के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जनित करके ग्राहकों को ऑनलाइन शिकायत पर प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। सेल शीर्ष प्रबंधन के लिए शिकायतों के सारांश पर मासिक रिपोर्ट तैयार करता है।

   वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए शिकायतों का सारांश:

पंजीकृत शिकायतों की संख्या	हल किए गए शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
8757	8152 (93%)	605 (7%)

सिद्धांत 2

1. अपने उत्पादों या सेवाओं में से ऐसे 3 तक सूचीबद्ध करें जिनके अभिकल्प में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिम और / या अवसर शामिल हैं।

   निम्नलिखित उत्पादों को सामाजिक / पर्यावरण चिंताओं को हल करते हुए अभिकल्पित किया गया है :
   i. ईवीएम
   ii. वीवीपीएटी
   iii. भारत में स्मार्ट सिटी कारोबार अवसरों के लिए स्मार्ट एलिमेंट्स के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए प्रोटोटाइप मॉडल का विकास।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए उपयोग किए गए संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें, उत्पाद के प्रति इकाई (वैकल्पिक):
   i. संपूर्ण मूल्य श्रंखला में पिछले वर्ष के बाद से स्रोतण / उत्पादन / वितरण के दौरान कटौती?
   ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी)हासिल की गई कटौती?

   विनिर्माण प्रक्रिया निरंतर नहीं है और बहु चरणों / स्थानों पर एकीकरण किया जाता है, उत्पादन एकीकृत सर्किट (आईसी) से रेडार आदि के निर्माण तक भिन्न होता है, और इसलिए उत्पाद

विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह विद्युत ऊर्जा उपभोग में मापा जाता है।

3. क्या कंपनी के पास स्थायी स्रोतण (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं?

यदि हां, तो आपके निवेश का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से स्रोत किया गया था? इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।

हाँ

बीईएल कागज़ रहित कार्यालय की ओर बढ़ रही है और अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर रही है। बीईएल ई-प्रापण, फाइल लाइफसाइकल मैनेजमेंट (एफएलएम) सिस्टम और ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण प्रणाली को कारोबारी सुधार और टिकाऊ कारोबारी अभ्यास के रूप में लागू किया है।

कंपनी की पर्यावरण नीति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए तत्पर है। अभिकल्प, विनिर्माण से लेकर उत्पादों के निपटान तक एवं कंपनी के परिवहन स्रोतण सहित आधारभूत संरचना विकास गतिविधियों के लिए कंपनी भर में इसका पालन किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों की स्रोतण में और ऊर्जा अदक्ष उपकरणों की पहचान और प्रतिस्थापन में भी पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। सभी नव निर्मित भवन समेकित आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग (जीआरआईएचए) मानदंडों के अनुपालन में ऊर्जा कुशल होने के लिए अभिकल्पित है। अधिक से अधिक ऊर्जा नवीकरणीय प्रणालियों को लागू किया जा रहा है।

कंपनी ने टिकाऊ स्रोतण और पारस्परिक दीर्घकालिक लाभ के उद्देश्य से कंपनी की स्वीकृत विक्रेता निर्देशिका (एवीडी) में विक्रेताओं को शामिल करने के लिए कड़ी चयन तंत्र की स्थापना की है। कंपनी गुणता, लागत और वितरण सहित विभिन्न मानकों पर नियमित रूप से विक्रेताओं के निष्पादन की निगरानी कर उन्हे प्रतिपुष्टि देती है। टिकाऊ स्रोतण सुनिश्चित करने एवं समस्याएं, यदि कोई हो तो हल करने के लिए कंपनी नियमित रूप से विक्रेता सम्मेलन आयोजित करता है। कंपनी की छवि, नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक प्रथाओं, विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध इत्यादि सुनिश्चित करते हैं कि अधिकांश वस्तुओं में धारणीयता हो।

4. क्या कंपनी ने उनके आसपास के समुदायों समेत स्थानीय और छोटे उत्पादकों से सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाएं है?

हां, बीईएल मुख्य रूप से रक्षा आवश्यकताओं के लिए एवं चयनित गैर रक्षा बाज़ारों के लिए युक्तिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों / प्रणालियों के अभिकल्प, निर्माण और आपूर्ति कार्य करता है। कुल बिक्री में एक तिहाई से अधिक स्वदेशी विकसित उत्पादों से है।

स्वदेशीकरण सामग्री को बढ़ाने और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रोत्साहित करने के लिए, बीईएल रक्षा बलों को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का बाह्यस्रोतण कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक घटक और उपतंत्र, मैकेनिकल मदें, तार और केबल्स, रसायन और पेंट्स, पीसीबी संयोजन, फास्टेनर, कच्चे माल, प्लास्टिक सामग्री, कार्यालय फर्नीचर, दस्ती औज़ार, स्थापना और कमीशन, वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध सेवाएं इत्यादि जैसी सामान्य निवेश सामग्री एमएसएमई से प्राप्त किया जा रहा है। खरीद हेतु उत्पादों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान के लिए कंपनी एमएसई की वार्षिक सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भी भाग लेती है।

इसके अलावा, बीईएल में बेंगलुरू में छोटे उद्यमियों के स्वामित्व वाली 16 सहायक इकाइयां भी हैं। उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक इकाइयां स्थापित की गई। सहायक इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों में कास्टिंग्स, कंपोजिट्स, केबल हार्नेस, कोइल एंड ट्रांसफॉर्मर, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स जांच प्रणालियां, रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण, औद्योगिक टेलरिंग, ऊर्जा आपूर्ति और यूपीएस, रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद, शीट धातु उत्पाद, सौर उत्पाद, स्टेनलेस स्टील अनुकूलित उत्पाद और यातायात संकेत प्रणाली शामिल हैं।

सेवाओं में उन्नत वेल्डिंग, संयोजन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का परीक्षण, सीएनसी मशीनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण, पेइंटिंग और कोटिंग, उत्पाद सुधार और शीट धातु निर्माण शामिल हैं। अभिकल्प सेवाओं में शामिल हैं: संचार, उपकरण, कंपोजिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण, मशीन अभिकल्प, रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद, शीट धातु उत्पाद, शेल्टर और मैनपैक्स, सौर उत्पाद, औज़ार और जिग्स इत्यादि।

यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्थानीय और छोटे विक्रेताओं के क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए बीईएल मुफ्त में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

देश भर में मानक घटकों, सामग्रियों और उप-अनुबंध वस्तुओं के लिए कंपनी अद्यतन उत्पन्न करती है और एमएसई सहित स्वीकृत विक्रेता निर्देशिका (एवीडी) का अनुरक्षण भी करती है। यह छोटे और स्थानीय विक्रेताओं के लिए कंपनी की आवश्यकताओं के

अनुरूप होने की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार करके कंपनी के अनुमोदित विक्रेता के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। संबंधित स्थानीय विक्रेताओं से वस्तुओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एवीडी का सभी इकाइयों / एसबीयू द्वारा उपयोग किया जाता है।

विक्रेताओं को उनकी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने हेतु उनका मूल्यांकन गुणता रेटिंग और वितरण रेटिंग सहित विक्रेता रेटिंग तंत्र के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा कंपनी मूल्यांकन के लिए क्षमता और सामर्थ्य सहित विभिन्न मानकों पर कड़े मानदंड अपनाती है। पारस्परिक लाभ के लिए उपरोक्त से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों को कंपनी की वार्षिक विक्रेता बैठक के दौरान हल किया जाता है।

बीईएल की विभिन्न जांच सुविधाएं स्थानीय और छोटे उत्पादकों को भी उपलब्ध किए गए हैं।

5. क्या कंपनी के उत्पादों और रद्दी रीसाइकिल करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों और रद्दी के रीसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है (अलग से 5%, 5-10%, 10%)। इसके अलावा, विवरण प्रदान करें।

कंपनी अपने उत्पादों को रीसाईकिल नहीं करती है, क्योंकि अधिकांश उत्पादों का रणनीतिक / राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। एक बार इसे ग्राहकों को सौंपने के बाद उत्पाद को कंपनी में वापस नहीं किया जाता है।

उत्पाद / उपकरण के निर्माण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के निपटारे के लिए कंपनी ने अधिकृत रीसाइक्लिंग / हैंडलरों के माध्यम से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण अनुमोदित एजेंसियों को चैनलनाइजेशन के लिए अच्छी तरह से स्थापित तंत्र बनाया है। धातु रद्दी, प्रयुक्त तेल, सॉल्वैंट्स और कॉपर बेरिंग एट्चैंट्स को रीसाइक्लिंग और वसूली के लिए अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है। पेपर, प्लास्टिक पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा खाद्य अपशिष्ट को बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है।

विनिर्माण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जल को शुद्ध किया जाता है और उत्पादन उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से (100%) पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग किया जा रहा है।

सिद्धांत 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें : 9,726
2. कृपया अस्थायी, संविदाधीन,आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें : 7,868
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें : 2,055
4. कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें। : 229
5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है? : हाँ
6. कितने प्रतिशत के स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है? : 92.99%
7. कृपया विगत वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बलात् श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन- उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या सूचित करें।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रमिक / बलात् श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	01	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण नियोजन	शून्य	शून्य

8. नीचे उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष संरक्षा तथा कौशल-प्रोन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

क्र. सं.	श्रेणी	संरक्षा संबंधी पहलुओं पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का %	कौशल प्रोनयन पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का %
1.	स्थायी कर्मचारी	22.47	50.78
2.	स्थायी महिला कर्मचारी	24.35	67.13
3.	अनियत / अस्थायी / संविदाधीन कर्मचारी	24.54	9.07
4.	दिव्यांग कर्मचारी	20.30	46.53

सिद्धांत 4

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं : हाँ
2. बाह्य हितधारकों को मैप किया है? : हाँ
   उपरोक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कम जोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है? (i) अ.जा./ अ.ज.जा. कर्मचारी
   (ii) दिव्यांग कर्मचारी
   (iii) महिला कर्मचारी
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए विशेष पहल: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के प्रशस्य बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबंधन ने दिवंगत प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आईटीआई प्रमाणित पाठ्यक्रम सहित डिप्लोमा प्रमाणित पाठ्यक्रम से पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की है ।

एससी / एसटी कर्मचारियों के बच्चे जिनका माता-पिता द्वारा अपर्याप्त देखभाल हो और अपने घर में अध्ययन करने के लिए उचित सविधाएं नहीं हो उनकी उन्नति के लिए एक अध्ययन सुविधा केंद्र शुरू किया गया। प्रबंधन द्वारा कक्षाओं, फर्नीचर, पुस्तकालय, आदि जैसी सुविधाओं के साथ एक नए भवन का निर्माण किया गया ।

इसके अलावा एससी / एसटी कर्मचारियों को उनके वार्ड समेत प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, कंप्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि के लिए कोचिंग जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष पहल: बीईएल अपनी महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र में महिला नाम के मंच के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने, महिला कर्मचारियों के बीच बातचीत और विचारों और समस्याओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। यह मंच महिला कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने और संगठन के भीतर स्वस्थ कार्य परिवेश बनाने की दिशा में भी काम करता है।

बीईएल महिला कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता लाने संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अन्य अस्पतालों के समन्वय से नि: शुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित की जाती है। इसके अलावा, पोषण, आहार, जीवन शैली प्रबंधन इत्यादि पर जागरूकता बढ़ाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष पहल-

बीईएल विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भत्ता और सुविधाएं प्रदान करता है जिनमें मुफ्त परिवहन, कंपनी परिवहन का उपयोग न करने वालों के लिए वाहन भत्ता शामिल है, संचलन के लिए कारखाने के भीतर विशेष रैंप, जहां भी आवश्यक हो, विशेष शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए अनुग्रह समय और काम की जगह तक वाहन लेने के लिए अनुमति दी गई है। ऑर्थोपेडिकली विकलांग, श्रवण और दृष्टिहीन विकलांगों के लिए श्रवण सहायक उपकरण, कैलिपर, एल्यूमीनियम फोल्डिंग लकड़ी इत्यादि उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

सिद्धांत 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य को भी विस्तारित करती है?

   मानव अधिकारों को बीईएल में उपयोग की जाने वाली सभी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निहित किया गया है। मानव अधिकार कंपनी के सभी नीतियां, परस्पर विचार विमर्श एवं आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के साथ वाणिज्यिक संबंध (समूह / संयुक्त) की मौलिक प्राथमिकता है। मानव अधिकारों का सम्मान बीईएल में सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एक अचूक पहलू है और बीईएल की व्यावसायिक गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से कितने प्रतिशत को हल किया गया था?

   वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए शिकायतों का सारांश-

पंजीकृत शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
8757	8152 (93%)	605 (7%)

सिद्धांत 6

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य लोगों तक विस्तारित की गई है।

   सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है। इसके अलावा, कंपनी के उत्पादों के उपयोग के दौरान पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन में ग्राहक जागरूकता को बढ़ावा देती है। कंपनी अपने कारोबारी भागीदारों / विक्रेताओं / ठेकेदारों को अभिकल्प से निपटान तक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

2. क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए कंपनी में रणनीति / पहल हैं? हाँ / नहीं।

   हाँ। कंपनी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को ऊर्जा संरक्षण उपायों जैसे ऊर्जा कुशल चिलर, प्रकाश प्रबंधन प्रणाली, निर्माण प्रबंधन प्रणाली से हल करती है। ऊर्जा उत्पादन और कैप्टिव उपभोग के लिए हवा और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है? हाँ/ नहीं।

   हाँ। यह आईएसओ4001 मानकों के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के एक हिस्से के रूप में अच्छी तरह से स्थापित है।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?

हाँ। दावणगेरे में 2.5 मेगावाट और 8.4 मेगावाट और कर्नाटक राज्य में हसन में 3 मेगावॉट क्षमता वाली वायु मिल के माध्यम से वायु ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) का उत्पादन।

वर्ष 2017–18 के दौरान दावणगेरे और हसन, कार्बन क्रेडिट अर्जित इत्यादि में वायु ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का विवरण और इनके आरंभ से संचयी नीचे दिए गए हैं:

दावणगेरे 2.5 MW पवन ऊर्जा पावर संयंत्र (0.5 MWx5 सं.)

a. 2017–18 के दौरान कुल उत्पादन	:	33,42,825 किलोवॉट घंटे
b. 2017–18 के दौरान कुल ऊर्जा	:	30,20,701 किलोवॉट घंटे
c. CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्षों के 3,030 टन
d. कार्बन क्रेडिट	:	15,856 सीईआर
e. प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	3,60,05,950 किलोवॉट घंटे
f. संचयी CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्षों के 38,862 टन

हासन 3.0 मेगावॉट वायु ऊर्जा पावर संयंत्र (1.5 मेगावॉट x 2 सं.)

a. 2017–18 के दौरान कुल उत्पादन	:	55,33,200 किलोवॉट घंटे
b. 2017–18 के दौरान कुल ऊर्जा	:	50,10,304 घथ घंटे
c. CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्षों के 5,025 टन
d. कार्बन क्रेडिट	:	यूएनएफसीसी में पंजीकृत
e. प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	4,82,12,067 किलोवॉट घंटे
f. संचयी CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्षों के 57,510 टन

दावणगेरे 8.4 मेगावॉट वायु ऊर्जा पावर संयंत्र (2.1 मेगावॉट x सं.)

a. 2017–18 के दौरान कुल उत्पादन	:	1,95,48,600 KW घंटे
b. 2017–18 के दौरान कुल ऊर्जा	:	1,77,73,873 KW घंटे
c. CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्षों के 17,822 टन
d. कार्बन क्रेडिट साथ	:	यूएनएफसीसी के पंजीकृत किया जाना है
e. प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	3,26,84,883 KW घंटे
f. संचयी CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्षों के 37,739 टन

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हा/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

हाँ।

पीसीबी विनिर्माण और धातु परिष्करण प्रक्रियाओं में कई कम आरओएचएस अनुपालन प्रक्रियाएं लागू किए गए है, कम धुंआ हैलोजन केबल्स, कम वीओसी धातु परिष्करण प्रचालन (पॉली यूरेथेन) और डीग्रीजींग प्रक्रिया में ट्राईक्लोरोएथिलीन के स्थान पर वैकल्पिक रसायन का उपयोग किया गया है। हेक्सावालेन्ट आधारित प्रक्रिया और रसायन शास्त्र के स्थान पर मानक ट्राईवैलेंट क्रोमियम आधारित क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग रसायन और प्रक्रिया लागू की गई है। फास्टनर और शिकंजों के लिए आरओएचएस अनुपालन कैडमियम प्लेटिंग विकल्प पर तकनीकी श्रृंखला दस्तावेज जारी किया गया है। नौसेना प्रणालियों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य क्षेत्र में साइनाइड मुक्त रजत, जस्ता और तांबा प्लेटिंग। बेंगलूरु कॉम्पलेक्स में उत्पादन के लिए पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का परिचय।

बीईएल में 13.9 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र और 2800 किलोवाट पावर ग्रिड इंटरैक्टिव रूफ टॉप सौर पीवी पावर संयंत्र है। 2017–18 के दौरान पवन ऊर्जा संयंत्र द्वारा निष्पादित कुल हरी ऊर्जा 258 लाख यूनिट है और CO_2 उत्सर्जन से बचत है 25877 मी. है। ऊर्जा कुशल रेट्रोफिट एलईडी रोशनी, डीएएलआई (डिजिटली एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस) प्रकाश नियंत्रण प्रणाली, दिन प्रकाश सिंचाई के लिए स्काई लाइट पाइप जैसे अन्य ऊर्जा संरक्षण उपायों के अतिरिक्त। सभी नई इमारतों में ग्रीन भवन अवधारणा कार्यान्वित किया गया है और सभी भविष्य भवन एकीकृत आवास आकलन (जीआरआईएचए) रेटिंग अनुपालन के लिए ग्रीन रेटिंग को पूरा करने जा रही हैं।

बीईएल ने 2017–18 के दौरान अपने वनीकरण के उद्देश्य के लिए लगभग 4700 पेड़ लगाए हैं।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर हैं?

हाँ। इसकी बारीकी से निगरानी और रिपोर्ट की जा रही है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओं / कानूनी नोटिसों की संख्या लंबित है (अर्थात संतुष्टिपूर्वक समाधान नहीं किया गया है): शून्य, कंपनी के पर्यावरण और प्रबंधन का अच्छा रिकॉर्ड है।

सिद्धांत 7

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और मंडल या संघ का सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख का नाम दें
   क. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
   ख. सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई)
   ग. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
   घ. भारत के वाणिज्य और उद्योग के एसोसिएटेड चैंबर (एस-चेम)

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक सुधार या प्रगति के लिए वकालत की है? हा/नहीं; यदि हां व्यापक क्षेत्रों को निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स- शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)।

   जब भी नीति दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, तो सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नीतियों पर हमारे विचार को प्रकट करने के लिए संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में भी भाग लिया जाता है।

सिद्धांत 8

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहलों / परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया है? यदि हाँ इसका विवरण दें।

   हाँ। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, कंपनियों (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पॉलिसी) नियम -2014 और सीएसआर और निर्वहनीयता, 2014 पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप बीईएल-2017 की सीएसआर और निर्वहनीयता नीति तैयार की है। कंपनी अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व को पूरा करने के प्रयास में अपने मूल्यवान मूल्य का पीछा कर रही है। ।

   सामुदायिक विकास की दिशा में केंद्रित सीएसआर कार्यक्रमों / परियोजनाओं की रणनीति, योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक तीन-स्तरीय संगठन संरचना है।

   स्तर 1 :

   बोर्ड स्तरीय समिति का नेतृत्व सीएमडी करते है और सदस्य निदेशक (मानव संसाधन), निदेशक (अन्य इकाइयां), निदेशक (वित्त) और एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

   स्तर 2 :

   सर्वोच्च समिति की अध्यक्षता निदेशक (मानव संसाधन) करते है और सदस्य प्रमुख (मानव संसाधन / सीओ) और नोडल अधिकारी, प्रमुख (वित्त / सीओ), प्रमुख (मानव संसाधन / बेंगलूरु कॉम्पलेक्स) और प्रमुख (इंजीनियरिंग सेवाएं / बेंगलूरु कॉम्पलेक्स) है।

   स्तर 3

   कार्पोरेट कार्यालय में कार्यकारी समिति की अध्यक्षता महाप्रबंधक (मा.सं.) की होती है जो पूरे कंपनी में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग और समन्वय की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी भी है। बीईएल की प्रत्येक यूनिट में यूनिट स्तरीय समिति है जो परियोजनाओं की पहचान करती है, प्रस्ताव प्रस्तुत करती है और यूनिट में सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग और समन्वय की सुविधा प्रदान करती है।

   कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं कंपनी अधिनियम -2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप की जाती हैं, जिन्हें बीईएल-2017 की हमारी सीएसआर और स्थायित्व नीति में विधिवत् शामिल किया गया है और हमारे सभी सीएसआर कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किया गया है।

2. क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं संस्थागत टीम / स्वयं के फाउंडेशन / बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती हैं?

   कंपनी में सभी सीएसआर पहल संस्थागत टीमों के माध्यम से की जाती हैं। कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही सीएसआर पहल व्यापक रूप से निम्न क्षेत्रों में हैं:

   - शिक्षा
   - स्वास्थ्य देखभाल
   - साफ-सफाई
   - व्यावसायिक कौशल विकास
   - विरासत स्थलों का संरक्षण
   - ग्रामीण विकास
   - पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास

3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?

   सीएसआर कार्यक्रम / परियोजनाएं आमतौर पर कंपनी के यूनिटों के पड़ोस में चुनी जाती हैं। इन कार्यक्रमों / परियोजनाओं को कंपनी की इन-हाउस टीमों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीएसआर पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रमों / परियोजनाओं को लागू करने के लिए बीईएल ने कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले के 3 ग्राम पंचायत (जैसे मल्हार, माधवार और कडेचुर) को अपनाया (यह योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा पहचाने गए कर्नाटक राज्य के सबसे पिछड़े जिले है)। शुरुआत में बीईएल की ओर से मसामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बेंगलुरु द्वारा एक बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया । यादगीर में जिला प्रशासन को सीएसआर परियोजनाओं को सौंपने के बाद, बीईएल ने 2016-17 के दौरान उसी संस्थान द्वारा यादगीर में अपनी पहलों के प्रभाव आकलन अध्ययन का आयोजन किया। निष्कर्ष बताते हैं कि तीन अपनाएं गए पंचायतों में 21 गावों में सीएसआर कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव रहा है।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- आईएनआर में राशि और परियोजनाओं के ब्योरे दें?

वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों / परियोजनाओं पर ₹ 3,431.77 लाख की राशि निर्धारित की गई थी। साल के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रम सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट **अनुलग्नक 3** में दिए गए हैं।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इन समुदाय विकास पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया समझाएँ।

(i) बीईएल ने 8 राज्यों में 114 स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण करके सरकार की पहल स्वच्छ विद्यालय अभियान कार्यान्वित की है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना और सभी उम्र के स्कूल के बच्चों में स्वच्छता की आदतें पैदा करना है। इस पर विचार किया गया है कि इस पहल का एक प्रभावशाली प्रभाव होगा - बच्चे अपने स्कूलों, घरों और समुदायों में स्वस्थ आदतों के लिए परिवर्तन के स्रोत बन रहे हैं।

(ii) बीईएल ने पूरे भारत में फैले हमारे आठ राज्यों में यूनिटों के आस-पास नौ गांवों को अपनाकर स्वच्छ भारत अभियान में पूरी तरह से भाग लिया है और समग्र विकास में योगदान दिया है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल, शिक्षा और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में पहल किए गए हैं। उठाए गए विकास गतिविधियों में गावों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए बोरवेल, ओवरहेड टैंक, जल वितरण पाइपलाइन, सौर जल पंप, जल फ़िल्टर प्लांट और आरओ पीने की पानी की सुविधा का प्रावधान, मौजूदा जल निकायों की डी-सिल्टिंग, ओवर-हेड की सफाई टैंक इत्यादि। सार्वजनिक शौचालय, सीवेज और जल निकासी व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, कचरा संग्रहण, निपटान और अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान करना शामिल है।

(iii) बीईएल ने भारत सरकार के कौशल भारत ड्राइव के तहत भारत भर के आठ राज्यों में दस सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपनाया है। एक प्रौद्योगिकी संचालित कंपनी होने के नाते, बीईएल उन्हें अपने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करके, आवश्यक उपकरण, अत्याधुनिक उपकरणों और म शीनरी प्रदान करके मॉडल आईटीआई बनने के लिए उनके सफर में सहयोगी होगा। उद्योग अभिज्ञता, प्रबंधन सिद्धांतों और आवश्यक सूक्ष्म कौशल प्रदान करना, 5 'एस', हरी ऊर्जा, स्थिरता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण आदि जैसे बेंच-चिह्नित कार्यस्थल प्रथाओं के परिचय द्वारा जागरूकता छात्र के समग्र विकास के लिए किए गए कुछ हस्तक्षेप हैं, जिससे छात्र उद्योग के लिए तैयार हो जाते हैं।

(iv) आगे बढ़ते हुए, बीईएल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ विकास हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव रखता है। नागहरोल वन रिजर्व, कर्नाटक में वनस्पतियों और जीवों के लिए टिकाऊ पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण भी योजनाबद्ध है।

सिद्धांत 9

1. वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है।

31 मार्च 2018 तक कुल 605 शिकायतें लंबित हैं। यह पंजीकृत कुल शिकायतों का 7% प्रतिशत है। ग्राहक शिकायत का निपटान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंपनी इस तरह से दोषों का निवारण करता है कि उपकरण का डाउन टाइम न्यूनतम रहें। हमारी उत्पाद समर्थन टीम उत्पादों के स्थान के बहुत करीब स्थित हैं और कम समय में पहुंचने में सक्षम होंगे। 31 मार्च 2018 तक कोई कानूनी मामला लंबित नहीं है।

2. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य हद तक या उससे अधिक प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

बीईएल एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, उत्पाद की जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। इसलिए, उत्पाद की जानकारी का कोई प्रदर्शन नहीं है।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा दायर कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

इस वित्तीय वर्ष यानी 2017-18 और पिछले पांच वर्षों से हितधारक द्वारा दायर कंपनी के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।

4. क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि की पहल की है?

हाँ। एक स्वतंत्र ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण (सीएसएस) बाहरी एजेंसी के माध्यम से किया गया था, जैसे मेसर्स बीपीएमबीसी मार्केटिंग रीसर्च (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, बीईएल के उत्पादों और सेवाओं की गुणता पर ग्राहकों की धारणाओं को समझने के लिए। 2017-18 ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में 19 यूनिटों / एसबीयू से बीस उत्पादों को शामिल किया गया था। इसके लिए परिणाम अपेक्षित हैं। पिछले वर्ष 2016-17 के लिए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 83.8% (औसत) था।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें यथा 31 मार्च, 2018 का समेकित तुलन-पत्र, उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए व्यापक आय सहित लाभ व हानि का समेकित विवरण, इक्विटि में बदलाव के विवरण, तथा समेकित नकदी प्राप्ति विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं और इसमे इसी दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए गाज़ियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई एवं मछलीपट्टनम में कंपनी शाखाओं में शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित विवरणियां भी दर्ज किए गए है ।

स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में इन स्टैंडअलोन भारतीय. एस. वित्तीय विवरण जो अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाना है, के तहत निर्दिष्ट लेखा सिद्धांतों सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन, इक्विटि में बदलाव के समेकित विवरण तथा समेकित नकदी प्राप्ति की सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है ।

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए; उचित लेखा नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन करने जो उचित एवं दूरदर्शी हों; और ऐसे उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने और रखने के लिए जो ऐसे स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संगत लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, जो सच्ची तथा सही स्थिति प्रदान करते हैं और भौतिक मिथ्याकथनों, कपट या त्रुटि, से मुक्त हैं, जिनका उपयोग यथोक्त धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ किया गया हैभी इस दायित्व में शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है । यह लेखा परीक्षा करते समय, हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा के मानकों तथा मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है । इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण भौतिक अवास्तविक कथन से मुक्त हैं या नहीं, इसका औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन करते हैं ।

लेखा परीक्षा में स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और प्रकटणों के बारे में लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादनीय प्रक्रियाएँ शामिल हैं । चयनित प्रक्रियाएँ स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के भौतिक अवास्तविक कथन, छल या त्रुटि के कारण, की जोखिमों का मूल्यांकन सहित,लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं । ऐसे जोखिम मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक धारक कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संगत ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्प तैयार करने के लिए सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल हैं लेकिन यह विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से अनुकूल नहीं है कि धारक कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं । लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करने के साथ-साथ धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की औचित्यता का मूल्यांकन करना भी शामिल है ।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा का साक्ष्य तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त साक्ष्य जो नीचे दिए गए अन्य मामले नामक अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (क) में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संबंध में हैं, स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित है ।

विचार

हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाएँ यथा आवश्यक ढंग से प्रदान करते हैं और भारतीय ए.एस. सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप यथा 31 मार्च, 2018 का (व्यापक आय सहित) लाभ का समेकित विवरण, इक्विटी में बदलाव के समेकित विवरण, इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्राप्ति की सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं ।

अन्य मामले

(1) हमने कंपनी के स्टैंडलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में सम्मिलित छह शाखाओं के भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण नहीं कियाहै, जिनके वित्तीय विवरण स्टैंडलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के अनुसार यथा 31 मार्च 2018 तक रु. 562,962 लाख की कुल संपत्ति और उसी दिन को समाप्त वर्ष तक रु. 431,746 लाख के कुल राजस्व को दर्शाते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी राय जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है ।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है ।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के परिप्रेक्ष्य में भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा यथा अपेक्षितानुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, जहाँ तक लागू है, विवरण संलग्नक-ए में दे रहे हैं ।

(2) अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

(क) हमने ऐसी सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किया जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, लेखा परीक्षा करने के लिए आवश्यक थे ।

(ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है । बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नई इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालयों के खातों का लेखा परीक्षा हमारे द्वारा किया गया था, जबकि गाजियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई और माचीलीपट्टनम के लेखा-परीक्षा का निरीक्षण संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था। हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमारे द्वारा विचार की गई है। न्यूयॉर्क, सिंगापुर और अन्य कार्यालयों के मामले में, जहां हम नही गए, उन कार्यालयों से प्राप्त रिटर्न / रिकॉर्ड सत्यापित किए गए हैं और हमारे लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

(ग) अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत शाखा लेखा द्वारा लेखा-परीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों (गाजियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई और माचीलीपट्टनम इकाइयों)के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट की तैयारी में हमारे द्वारा उचित तरीके से निपटाया गया है।

(घ) इस रिपोर्ट के साथ व्यवहरित समेकित तुलन-पत्र, लाभ व हानि के समेकित विवरण इक्विटि में बदलाव के विवरण तथा समेकित नकदी प्राप्ति विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयार के प्रयोजनार्थ रखी गई कंपनी के खाता बहियों एवं हमारे द्वारा दौरा नही किए गए कार्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणियों के अनुरूप हैं ।

(ङ) हमारे विचार से, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का पालन करते हैं ।

(च) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक के अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक बी में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार –

(i) कंपनी ने यथा 31 मार्च 2018 को अपने स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव के विवरण प्रस्तुत किए है। – स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 30 (9) देखें।

(ii) कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर सामग्री के संभावित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखाकरण मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है – स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 21 देखें। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है – स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 30 (17) देखें।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है ।

(3) अधिनियम की धारा 143 (5) में अपेक्षितानुसार, हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पर विचार किया है, (संलग्नक सी)।

कृते **सूरी एन्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या – 004283ड

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

बेंगलूर
29 मई 2018

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ संलग्नक – ए

(समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

यथा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) कंपनी ने आम तौर पर अचल आस्तियों की स्थितियों सहित पूर्ण विवरण शामिल करते हुए अभिलेखों का उचित अनुरक्षण किया है।

(ख) जैसा कि हमें बताया गया है और हमारे रिकॉर्ड की परीक्षा के आधार पर, प्रबंधन ने आम तौर पर भौतिक सत्यापन के अपने चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अचल आस्तियों के एक हिस्से का भौतिक सत्यापन किया है, जिसे कंपनी का आकार और इसकी अचल आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित माना जाता है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ अचल आस्तियों की पुष्टि की गई थी और वर्ष के दौरान इस तरह के सत्यापन पर विसंगतियों, यदि कोई हो, को सही ढंग से निपटाया गया था। जैसा कि हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नही पाई गई।

(ग) जैसा कि हमें बताया गया है और हमारे रिकॉर्ड की परीक्षा के आधार पर, अचल आस्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर ही है, सिवाय स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण के टिप्पणी नोट 1 (xvi) (ए और डी) एवं .3 (xiii) में उल्लिखित को छोडकर ।

(ii) (तीसरे पक्ष के साथ स्टॉक और पारगमन में सामग्री को छोड़कर) कंपनी द्वारा उचित अंतराल पर वस्तुसूची मे वस्तुओं का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है। हमें सूचित किया गया था कि इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं। इस तरह के सत्यापन पर देखी गई विसंगतियों को खातों की किताबों में सही तरीके से निपटाया गया है।

उप–ठेकेदारों के साथ सामग्रियों के संबंध में, पुष्टि आम तौर पर प्राप्त की जाती है और पुस्तक के रिकॉर्ड के साथ मेल की जाती है। हालांकि, ऐसी वस्तुओं के मामले में जिनके लिए कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, कंपनी ने खातों की किताबों में पर्याप्त प्रावधान करके इसका निपटारा किया है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 18 9 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल सहायक कंपनी को असुरक्षित ऋण दिया है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 18 9 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल फर्मों या अन्य पार्टियों को ऋण नहीं दिया है।

(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा आयोजित लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 18 9 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल की गई सहायक कंपनियों को कंपनी द्वारा दी गई ऋण के निबंधन व शर्ते प्रत्यक्षतः कंपनी के हितों के प्रतिकूल नही है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अवधि निर्धारित की गई है और पुनर्भुगतान नियमित हैं।

(ग) अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध सहायक कंपनी को दिए गए ऋण के संबंध में कोई अतिदेय राशि नहीं है।

(iv) कंपनी सरकारी कंपनी होने के कारण, ऋण अधिनियम, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम के 73 से 76 के प्रावधानों और नियमों के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार या किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार चालू वर्ष में जनता से किसी भी निक्षेप को स्वीकार नहीं किया है । हमें सूचित किया गया था कि कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी न्यायालय या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

सभी निक्षेप परिपक्व और निपटाएं गए है, सिवाय 36.95 लाख, जिनमें से 36.50 लाख गार्निशी ऑर्डर ऑफ लोकायुक्त, बेंगलुरू के आदेश के कारण रखा गया है और शेष 0.45 लाख रुपये परिपक्व होने के बावजूद कानूनी मुद्दों के कारण निपटारा नही किया गया है।

(vi) हमने लागत, लागत के अनुरक्षण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनियों (लागत रिकॉर्ड्स और लेखा–परीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा रखी गई सामग्रियों, श्रम और लागत के अन्य सामान से संबंधित खाते की किताबों की व्यापक रूप से समीक्षा की है। और हम मानते हैं कि प्रत्यक्षतः, निर्धारित लागत खाते और रिकॉर्ड बनाए और अनुरक्षित किए गए है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की कोई विस्तृत परीक्षा नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii) (क) खाते की किताबों की हमारी परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी भविष्य निधि, आयकर, सामान और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लागू अन्य सांविधिक बकायों सहित सांविधिक बकायों को जमा करने में नियमित है। 31 मार्च 2018 को देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद सांविधिक बकाया शेष नहीं थे ।

(ख) (हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं प्रदान किए गए अबिलेखों के अनुसार यथा 31 मार्च 2018 को आयकर, बिक्री कर, सेवा कर और अन्य कर जो जमा नहीं किए गए हैं, के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ लाखों में)

संविधि का नाम	बकाया का प्रकार	संबंधित वित्तीय वर्ष	राशि	मंच जहा विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम	आयकर	2007-08 to 2017-18	137.99	टीडीएस परिमंडल एलटीयू
आयकर अधिनियम	मूल्यांकन आदेशों के अनुसार अस्वीकृत	2008-09, 2009-10, 2011-12 to 2013-14	2461.67	विभिन्न स्तर के अपील–प्राधिकारी, बैंगलूर
वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V	सेवा कर	2007-08, 2009-10 to 2011-12	397.08	सीमा, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सेसटैट)
वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V	सेवा कर	2010-11 to 2015-16	688.96	जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद के अयुक्त
सीएसटी	बिक्री कर बकाया और रियायती फॉर्म सी का लाभ, रियायती फॉर्म डी के लाभ की अनुमति नहीं है	1980-81, 1989-90	12.34	मामला उप आयुक्त (अपील) को भेज दिया गया
सीएसटी	सीएसटी	2005-06 to 2007-08	1346.14	बिक्री कर अपील अधिकरण
सीएसटी	सीएसटी 3ञ(1) के अनुलिपि की स्वीकृति	1991-92	1.51	3डी(1) की डुप्लिकेट प्रति की स्वीकृति के लिए डीसी (अपील) के साथ अपील दायर
सीएसटी अधिनियम 1956/ कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	बिक्री कर	2008-09, 2010-11 to 2014-15	443.64	डीसीसीटी (6.1), डीसीसीटी (6.2) एवं डीसीसीटी (6.3)
सीएसटी अधिनियम 1956/ कर्नाटक वीएटी अधिनियम, 2003	बिक्री कर	2008-09 to 2013-14 and 2015-16	85,079.37	संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर (अपील 6)
आंध्र प्रदेश राज्य वीएटी अधिनियम	बिक्री कर	2009-10	21.66	वाणिज्यिक कर अधिकारी, नंपल्ली, हैदराबाद
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	2009-10 to 2012-13	123.22	सीमा शुल्क सहायक आयुक्त
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	2012-13	25.45	सीमा शुल्क आयुक्त
ईएसआई अधिनियम, 1948	ईएसआई अंशदान,ब्याज और वसूली की लागत	1992-93, 1998-2001	30.43	आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय
ईएसआई अधिनियम, 1948	विलंब से जमाव हेतु ब्याज एवं नुकसानी	1996-97	3.52	पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय (चंडीगढ़)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	मोडवैट क्रेडिट, उत्पाद शुल्क	1991-92	29.69	अपील्स आयुक्त
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क पर ब्याज	2011-12 & 2012-13	243.87	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी)
खाली भूमि कर	खाली भूमि कर	1998-99 to 2003-04	10.35	निदेशक, नगर पंचायत निदेशालय, चैन्नई

(₹ लाखों में)

संविधि का नाम	बकाया का प्रकार	संबंधित वित्तीय वर्ष	राशि	मंच जहा विवाद लंबित है
तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2007-08 to 2009-10	36.52	उप वाणिज्यिक कर अधिकारी
बिक्री कर	बिक्री कर	2008-09	58.85	राजस्थान कर बोर्ड
बिक्री कर अधिनियम बिहार	बिहार बिक्री कर के तहत विवादपूर्ण कर	1995-96 to 1997-98	66.44	के लिए वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), चिरकुंडा, बिहार
नगर ज़मीन कर	नगर ज़मीन कर	1984-85 to 2002-03	41.44	प्रधान आयुक्त और भूमि सुधार के आयुक्त
व्यापार कर बकाया	करों के दर	2000-01 to 2001-02	361.16	माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल
कुल विवादपूर्ण राशि			**91,621.30**	
प्रोटेस्ट पेंडिंग अंतिम आदेश के तहत देय कुल राशी			**10,084.12**	

(viii) खाते की किताबों की हमारी परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार या डिबेंचर धारकों को बकाया राशि चुकाने में चूक नहीं की है।

(ix) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए सावधि ऋण वर्ष के दौरान प्रत्यक्षतः कंपनी द्वारा उसी प्रयोन के लिए उपयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए और वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई भी पैसे एकत्रित नही किए।

(x) पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी परीक्षा के दौरान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान हमने न तो कंपनी में या कंपनी द्वारा भौतिक धोखाधड़ी के किसी भी घटना को देखा है या रिपोर्ट किया गया है और न ही प्रबंधन द्वारा इस तरह के किसी भी मामले के बारे में सूचित किया गया है।

(xi) कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण , कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची वी के साथ पढ़ी गई धारा 197 द्वारा अनिवार्य प्रबंधकीय पारिश्रमिक के वितरण के संबंध में प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार सभी संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू होते हैं और लागू लेनदेन के विवरण भारतीय वित्तीय मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी अधिमान्य आवंटन या शेयरों की पूरी नियुक्ति या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किए हैं और इसलिए आदेश के खंड 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनियों की धारा 192 के प्रावधान अधिनियम, 2013 लागू नहीं हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते **सूरी एन्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या - 004283ड

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

बेंगलूर
29 मई 2018

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों के रिपोर्ट के साथ संलग्नक – बी

(समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंडेक्स वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–परीक्षा के साथ यथा 31 मार्च 2018 तक **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प , कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं जो कंपनी के नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे। लेखाकरण रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी इसमे शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पण और लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143(10) के तहत निर्धारित किया गया माना जाता है दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं और दोनो भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए है के अनुरूप यह लेखा परीक्षा आयोजित किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पण की आवश्यकता है कि हम नैतिकता का पालन करें और पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और अनुरक्षण किया गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक बातों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा निष्पादित करें।

हमारे लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा–परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करने और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो

(1) अभिलेखों का अनुरक्षण जो उचित विस्तार तक कंपनी की संपत्ति के लेन–देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करें:

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेन–देन दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की रसीदें और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और दिशा–निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

दुरभिसंधि की संभावना या नियंत्रणों की अनुचित प्रबंधन ओवरराइड सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, त्रुटि या कपट के कारण भौतिक ग़लतबयानी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकता है

विचार

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों जो कि भारत में निगमित है ने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में आंतरिक नियंत्रण के बारे में दिए गए मुख्य मुद्दों पर विचार कर सभी भौतिक सम्मानों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया है, और यथा 31 मार्च 2018 को आंतरिक रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 को प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे।

कृते **सूरी एन्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या - 004283ड

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

बेंगलूर
29 मई 2018

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक – सी

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वार्षिक खातों के लेखा–परीक्षा के दौरान जांच की जाने वाली दिशाओं को सूचित करने वाले दिशा निर्देश,

क्रं.	निर्देश/उप निर्देश	की गईकार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट टाईटिल/ पट्टा है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए टाईटिल/ पट्टा कार्य उपलब्ध नहीं हैं?	हां, कंपनी फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टा रखती है। तथापि, 1) फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के मामले में 1,074.42 एकड़, (बेंगलुरू परिसर, हैदराबाद और कोटद्वार इकाइयों) को मापने के मामले में, बिक्री कार्य अंतिमकरण / निष्पादन लंबित हैं। 2) 1.52 एकड़ (बेंगलुरू परिसर और पंचकूला इकाइयों) को मापने वाली जमीन के शीर्षक कार्यों मुकदमे के तहत हैं। 3) आकस्मिक देनदारियों में शामिल 22.375 एकड़ जमीन के लिए टीएसआईआईसी से अतिरिक्त मुआवजे के लिए ₹ 2.56 करोड़ की विवादित मांग।	शून्य
2	क्या ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि के छूट / राईट ऑफ के मामले हैं, यदि हां, तो कारण हैं और शामिल राशि।	साल भर के दौरान कुल राईट ऑफ अनुलग्नक में सूचितानसार ₹ 25,868 लाख तक।	संलग्नक 1
3	क्या तीसरे पक्षों के साथ रह गए वस्तूसूची एवं सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त आस्तियों के विवरण रखे जा रहे है।	हां, हमारे सत्यापन के आधार पर, तृतीय पक्षों के साथ रखे सूची के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए गए है और हमें सूचित किया गया था कि सरकार से उपहार के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी या अन्य अधिकारियों। शून्य	शून्य

अनुलग्नक 1

(₹ लाखों में)

क्र.	विवरण	राईट ऑफ की गई कुल राशि	प्रावधान / संचित मूल्य ह्रास के विरुद्ध राईट ऑफ की राशि	लाभ व हानि विवरण पर प्रभाव
1	राईट ऑफ किए गए अशोध्य ऋण / परिसमापित हानियां / अग्रिम	23,995	23,825	170
2	कच्चा माल, भंडार एवं घटक	1,873	1,824	49
3	अचल आस्ति राईट ऑफ	-	-	-
कुल राईट ऑफ		**25,868**	**25,649**	**219**

स्पीड पोस्ट द्वारा
गोपनीय

सं./No. नि./बी.ई.एल. लेखा(2017-18)/2018-19/245

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर - 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BANGALORE - 560 001.

दिनांक/ DATE. 23 जुलाई 2018

सेवा मे,
श्री एम.वी.गौतमा
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक,
मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
पी. ओ. नागवारा, आउटर रिंग रोड
बैंगलोर 560 045

महोदय,

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मै 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के मेसर्स - भरत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड , बैंगलोर के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षंक का " टिपण्णी प्रमाण पत्र " अग्रेषित करता हूँ।

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये।
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत आवश्यकतानुसार वार्षिक आम बैठक में रखा जाये ।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
23/7/2018
(एन. सुब्रमणीयन)
निदेशक (प्रशासन)

संलग्नः यथोपरि

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर - 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bangalore - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in

फैक्स /Fax : 080-2226 2491

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF M/S. BHARAT ELECTRONICS LIMITED, BENGALURU FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statements of **M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru** for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 May 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru** for the year ended 31 March 2018. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor, company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

23/07/18

(Santosh Kumar)
Principal Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru
Date: 23 July 2018

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF M/S. BHARAT ELECTRONICS LIMITED, BENGALURU FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of Consolidated Financial Statements of **M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru** for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 May 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of **M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru** for the year ended 31 March 2018. We conducted a supplementary audit of the financial statements of M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru, M/s. BEL Optronic Devices Limited, Pune and M/s. BEL-THALES Systems Limited, Bengaluru but did not conduct supplementary audit of the financial statements of M/s. GE BE Private Limited, Bengaluru for the year ended on that date. **Further, section 139(5) and 143(6)(b) of the Act are not applicable to M/s. GE BE Private Limited, Bengaluru being private entity for appointment of their Statutory Auditor or for conduct of supplementary audit. Accordingly, C&AG has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of this company.** This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

23/7/18

(Santosh Kumar)
Principal Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru
Date: 23 July 2018

तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1	160,441	125,476
(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	39,545	36,389
(ग) निवेश संपत्ति	3	11	12
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	257	43
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	43,735	29,242
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6	90,315	45,970
(ii) व्यापार प्राप्य	7	-	-
(iii) ऋण	8	4,577	3,718
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	2,855	3,151
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	43,117	53,228
(ज) वस्तुसूचियाँ	11	18,780	4,925
(झ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	12	21,587	11,299
		425,220	**313,453**
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तुसूचियाँ	11	458,772	485,576
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्य	7	570,458	435,488
(ii) नकद और नकद समतुल्य	13	73,822	268,596
(iii) बैंक शेष उपर्युक्त (ii) के अलावा	14	48	110,422
(iv) ऋण	8	2,724	4,328
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	139,986	26,993
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	24,994	9,991
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	153,066	60,766
		1,423,870	**1,402,160**
कुल परिसंपत्तियाँ		**1,849,090**	**1,715,613**
ईक्विटी और देयताएँ			
ईक्विटी			
(क) ईक्विटी शेयर पूँजी	16	24,366	22,336
(ख) ईक्विटी		751,735	728,518
		776,101	**750,854**

तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
देयताएँ			
(1) गैर–चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	**17**	3,298	827
(ख) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	**18**	3,333	1,667
(ii) व्यापार देय	**19**	5	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	**20**	123	72
(ग) प्रावधान	**21**	82,249	89,019
(घ) अन्य गैर–चालू देयताए	**22**	1,035	1,469
		90,043	**93,054**
(2) चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	**17**	86	20
(ख) वित्तयी देयताएँ			
(i) व्यापार देय	**19**	140,015	133,061
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	**20**	84,671	61,055
(ग) अन्य गैर–चालू देयताए	**22**	714,379	636,558
(घ) प्रावधान	**21**	43,795	41,011
(ङ) चालू कर देयताएँ (निवल)	**15**	-	-
		982,946	**871,705**
कुल साम्या एवं देयताएँ		**1,849,090**	**1,715,613**

उल्लेखनीय लेखा नीतियां और साथ–साथ टिप्पणी वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

यथा दिनांक रिपोर्ट के अनुसाभ संलग्न है ।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एस वी गौतमा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोशी अलेक्जाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदर
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

लाभ व हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं	वर्ष 31 मार्च 2017 तक	वर्ष 31 मार्च 2017 तक
I	प्रचालनों से राजस्व	23	1,040,061	914,044
II	अन्य आय	24	20,038	47,101
III	**कुल आय (I+II)**		**1,060,099**	**961,145**
IV	**व्यय**			
	(क) खपत सामग्री की लागत		460,182	429,653
	(ख) खपत भंडार और पुर्जों की लागत		3,764	3,288
	(ग) व्यापारगत स्टॉक की खरीद		49,680	50,281
	(घ) तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूची में परिवर्तन	25	37,889	(41,913)
	(ङ) उत्पाद शुल्क		7,828	52,856
	(च) कर्मचारी अनुलाभ व्यय	26	177,233	154,831
	(छ) वित्त लागत	27	127	1,178
	(ज) मूल्यह्रास और परिशोधन के व्यय	28	25,100	19,152
	(झ) अन्य व्यय	29	103,512	88,877
	कुल व्यय (क से झ)		**865,315**	**758,203**
V	**निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ (III - IV)**		**194,784**	**202,942**
VI	असाधारण मदें		**-**	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**194,784**	**202,942**
VIII	**कर व्यय**	10		
	- चालू कर		45,091	51,500
	- पूर्व के वर्ष		(481)	(873)
	- आस्थगित कर		10,245	(2,447)
	कराधान के लिए कुल प्रावधान		**54,855**	**48,180**
IX	**वर्ष के लिए लाभ (VII - VIII)**		**139,929**	**154,762**
X	**अन्य व्यापक लाभ / (हानि)**			
	लाभा एवं हानि के पश्चात् मद्दों को पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- निवल पारिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनःमापन		219	(13,890)
	- अन्य व्यापक आय द्वारा साम्या प्रलेखों		1	1
	- इन मद्दों से संबंधित आयकर		(75)	4,704
	कुल अन्य व्यापक लाभ/ (हानि) (कर का निवल)		**145**	**(9,185)**
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक लाभ (IX+X)**		**140,074**	**145,577**
	वर्ष के लिए शामिल लाभ एवं अन्य व्यापक लाभ			
XII	**प्रति साम्या शेयर अर्जन (प्रत्येक का ₹ 1 अंकित मूल्य)**	30(1)		
	(1) मूल [रुपये में]		**5.70**	**6.03**
	(2) परिवर्तित [रुपये में]		**5.70**	**6.03**

उल्लेखनीय लेखा नीतियां और साथ-साथ टिप्पणी वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

यथा दिनांक रिपोर्ट के अनुसाभ संलग्न है ।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदर
सदस्यता सं. 223118

बेंगलूरु
29 मई 2018

एस वी गौतमा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोशी अलेक्जाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

क. ईक्विटी शेयर पूंजी

	टिप्पणी सं.	मूल्य
यथा 1 अप्रैल 2016 को शेष	16	24,000
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
- वापस खरीदी गई शेयर		(1,664)
यथा 31 मार्च 2017 को शेष		22,336

	टिप्पणी सं.	मूल्य
यथा 1 अप्रैल 2017 को शेष	16	22,336
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
- जारी किए गए बोनस शेयर		2,234
- वापस खरीदी गई शेयर		(204)
यथा 31 मार्च 2018 को शेष		24,366

ख. अन्य ईक्विटी

	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण एवं अधिशेष				अन्य प्रारक्षण		कुल अन्य ईक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण*	पूँजीगत मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्राप्त अर्जन	अन्य व्यापक आय द्वारा साम्या प्रपण	अन्य व्यापक आय*	
यथा 1 अप्रैल 2016 को शेष		**4,669**	-	**456,122**	**415,805**	**1**	**(2,237)**	**874,360**
वर्ष के लिए लाभ					154,762			154,762
वर्ष के दौरान एडिशन						1	(9,186)	(9,185)
कुल		4,669	-	456,122	570,567	2	(11,423)	1,019,937
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	30(18)				(1,822)			(1,822)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरण				40,000	(40,000)			-
स्वामी के रूप मे मालिक के साथ लेन-देन								
लाभांश	16				(61,604)			(61,604)
लाभांश वितरण कर	16				(12,541)			(12,541)
वापस खरीदी गई शेयर	16		1,664	(217,116)				(215,452)
यथा 1 मार्च 2017 को शेष		**4,669**	**1,664**	**279,006**	**454,600**	**2**	**(11,423)**	**728,518**

ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण एवं अधिशेष				अन्य प्रारक्षण		कुल अन्य ईक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण*	पूँजीगत मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्राप्त अर्जन	अन्य व्यापक आय द्वारा साम्या प्रपण	अन्य व्यापक आय*	
1 अप्रैल 2017 को शेष		**4,669**	**1,664**	**279,006**	**454,600**	**2**	**(11,423)**	**728,518**
वर्ष के लिए लाभ					139,929			139,929
वर्ष के दौरान एडिशन						1	144	145
कुल		4,669	1,664	279,006	594,529	3	(11,279)	868,592
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	30(18)				(2,059)			(2,059)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरण				40,000	(40,000)			-
स्वामी के रूप मे मालिक के साथ लेन–देन								
लाभांश	16				(62,765)			(62,765)
लाभांश वितरण कर	16				(12,777)			(12,777)
जारी किए गए बोनस शेयर	16			(2,234)				(2,234)
वापस खरीदी गई शेयर	16		204	(37,226)				(37,022)
यथा 31 मार्च 2018 को शेष		**4,669**	**1,868**	**279,546**	**476,928**	**3**	**(11,279)**	**751,735**

* टिप्पणी सं. 16 (ख) देखें.

उल्लेखनीय लेखा नीतियां और साथ–साथ टिप्पणी वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

यथा दिनांक रिपोर्ट के अनुसाभ संलग्न है ।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एस वी गौतमा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोशी अलेक्जाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदर
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

नकदी प्राप्ति विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ	194,784	202,942
इनके लिए समायोजन –		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	25,100	19,152
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	1,638	1,164
सरकारी अनुदान से अंतरण	(659)	(1,378)
निवल पारिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति का पुनःमापन (निवल का कर)	219	(13,890)
ब्याज आय	(15,470)	(34,027)
लाभांश आय	(404)	(5,200)
वित लागत	127	1,178
सहयक को ऋण का उचित मूल्यांकन	(34)	(41)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विक्रय से प्राप्त लाभ	(135)	(192)
चालू पूँजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**205,166**	**169,708**
बढ़ोत्तरी / (कमी) में –		
व्यापार प्राप्तियाँ	(134,970)	(64,295)
ऋण	745	503
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(112,697)	(4,868)
अन्य परिसंपत्तियाँ	(102,588)	(17,578)
वस्तुसूचियाँ	12,949	(72,754)
व्यापार प्रदेय	6,959	16,860
अन्य वित्तीय देयताएँ	28,804	7,582
अन्य देयताएँ	77,387	(17,664)
प्रावधान	(3,987)	38,308
चालू कर संपत्तौ	7,892	(2,368)
प्रचालनों से सृजित नकद	**(14,340)**	**53,434**
अदा किए गए आय कर (निवल)	(67,714)	(64,924)
अनुदान की प्राप्ति	3,200	1,752
असाधारण मदें से पूर्व नकदी प्राप्ति	**(78,854)**	**(9,738)**
असाधारण मदें	-	-
प्रचालनीय कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(78,854)**	**(9,738)**
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण एवं अन्य अमूर्त परिसंपत्तियो का क्रय	(77,927)	(69,703)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विक्रय से उत्पन्न	135	212
अवधिक जमा राशियाँ एवं अन्य बैंक शेष में बढ़ोत्तरी / (घटाई)	110,374	359,100
सहायक में साम्या निवेश	(1,745)	(7,525)
अन्य में निवेश	(42,567)	(6,492)
प्राप्त ब्याज	15,470	34,027
लाभांश प्राप्त	404	5,200
निवेश कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**4,144**	**314,819**

नकदी प्राप्ति विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
उधार राशियाँ में से उत्पन्न / पुनःभुगतान	1,666	5,000
वापसी खरीद योजना के तहत शेयरों का क्रय	(37,226)	(217,116)
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	(2,461)	(2,455)
भुगतान की गई लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(81,916)	(67,744)
वित्त लागत	(127)	(1,178)
वित कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(120,064)**	**(283,493)**
नकदी तथा नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	**(194,774)**	**21,588**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**268,596**	**247,008**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**73,822**	**268,596**

टिप्पणी: वर्ष के दौरान वित्तीय कार्यकलापों की देयताओं के संबंध में गैर–नकद बदलावों की पहचान की गई है।

उल्लेखनीय लेखा नीतियां और साथ–साथ टिप्पणी वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

यथा दिनांक रिपोर्ट के अनुसाभ संलग्न है ।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एस वी गौतमा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोशी अलेक्जाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदर
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी 1
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2017 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 1 अप्रैल 2018 को	यथा 1 अप्रैल 2017 को संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष का मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि	11,640	1,267	-	**12,907**	-	-	-	**-**	**12,907**	**11,640**
पट्टाधारित भूमि	500	-	-	**500**	14	7	-	**21**	**479**	**486**
सड़क और पुलिया	468	20	-	**488**	56	30	-	**86**	**402**	**412**
भवन	28,433	11,997	-	**40,430**	2,351	1,697	-	**4,048**	**36,382**	**26,082**
संस्थापना	3,249	250	-	**3,499**	733	447	-	**1,180**	**2,319**	**2,516**
संयंत्र और मशीनरी	56,531	23,537	(21)	**80,089**	13,973	10,398	(21)	**24,392**	**55,697**	**42,558**
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	32,751	10,404	-	**43,155**	8,942	6,060	-	**15,002**	**28,153**	**23,809**
अनु. व वि. लैब के उपकरण	17,109	8,300	4	**25,405**	6,604	4,188	4	**10,788**	**14,617**	**10,505**
वाहन	294	213	-	**507**	120	94	-	**214**	**293**	**174**
कार्यालयीन उपस्कर	5,175	2,489	9	**7,655**	1,903	1,272	9	**3,166**	**4,489**	**3,272**
फर्नीचर, जुड़नार तथा अन्य उपकरण	5,343	1,531	1	**6,873**	1,355	836	1	**2,190**	**4,683**	**3,988**
प्रायोजित अनुसंधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियाँ	65	-	-	**65**	31	14	-	**45**	**20**	**34**
कुल	**161,558**	**60,008**	**(7)**	**221,573**	**36,082**	**25,043**	**(7)**	**61,132**	**160,441**	**125,476**
पिछले वर्ष	114,568	47,023	33	**161,558**	16,990	19,105	13	**36,082**	**125,476**	**97,578**

i. पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि में 2,064.29 एकड़ (2,064.29 एकड़) और पट्टाधारित भूमि में 290.26 एकड़ (290.26 एकड़) शामिल है।

ii. पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि में 7.11 एकड़ (7.11 एकड़) की ऐसी भूमि शामिल है जो वाणिज्यिक/ धार्मिक संगठनों को पट्टे पर दी गई है जो उनके कब्जे में है।

iii. पट्टाधारित भूमि में 90 वर्ष के लिए कोची में पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है और वर्ष 2008-09 में पूँजीकृत किया है ।

iv. केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे और हैदराबाद यूनिट की परिसंपत्तियों के संबंध में वर्ष के दौरान परिवर्धन में क्रमश: ₹ 1,982 (₹ 1,089), ₹ 15 (₹ 5) और ₹ 222 (₹ कुछ नहीं शामिल हैं, अनु. व वि. परिसंपत्तियों को प्राकृतिक कोड शीर्षों के तहत हिसाब में लिया गया है ।

v. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मूल्य में ₹ 1,026 (₹ 1,026) के पीओएस मशीन शामिल है, जो हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन है (परिचालन पट्टा)

vi. **साइट पुन:स्थापन का दायित्व**
पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों के संबंध में साइट पुन:स्थापन दायित्व के लिए टिप्पणी 21 देखें।
संयंत्र और मशीनरी के सकल ब्लॉक मूल्य में पवन चक्की तथा सौर शक्ति संयंत्रों से संबंधित ₹ 467 (₹ 83) का साइट पुन:स्थापन दायित्व शामिल है।

vii. **संविदाजन्य प्रतिबद्धता**
बकाया संविदाजन्य प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी 30(7) देखें।

viii. **मानी गई लागत**
भारतीय ए.एस. में संक्रमण करने पर (01.04.2015), इस ग्रूप को पिछले जीएएपी के अनुसार यथा 1 अप्रैल 2015 को मापित इसकी सभी संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों के वहनीय लागत को जारी रखने का विकल्प लिया गया और इस वहनीय मूल्य का उपयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मानी हुई लागत के लिए किया गया।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

संयंत्र और उपस्करों की मानी हुई लागत के लिए किया गया।

ix. **परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों का अपेक्षित उपयोग, तकनीकी एवं वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखने के बाद, मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं –

परिसंपत्ति का वर्ग	वर्ष
भवन	20 - 40
सड़क व पुलिया	20 - 40
संस्थापनाएँ	10
संयंत्र व मशीनरी	5 - 25
इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर	5 - 7
वाहन	4 - 5
कार्यालनीय उपस्कर	6 - 7
फर्नीचर व जुड़नार	6 - 10
अनु. व वि. लैब के उपकरण	5

x. **मूल्यह्रास / परिशोधन**

मूल्यह्रास का परिकलन परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी–रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है।

पट्टे की परिसंपत्तियों को उनकी प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल अथवा उनके संबंधित पट्टे की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, पर सीधी–रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

xi. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास / परिशोधन का परिकलन कंपनी की लेखा नीति सं. 8 के अनुसार किया गया है और लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। अन्य परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में अभिचिह्नित मूल्यह्रास की राशि कुछ नहीं (कुछ नहीं) है।

xii. **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

टिप्पणी 30(5) देखें.

xiii. **तृतीय पक्षकारों से प्रतिपूर्ति**

कुछ नहीं (कुछ नहीं)

xiv. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के प्रति असमायोजित पूँजीगत अग्रिम के संबंध में टिप्पणी 12 देखें।

xv. कुछ यूनिटों में सरकार से निशुल्क अर्जित भूमि को भारतीय ए.एस. 101 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

xvi. **पंजीकरण, लंबित मुकदमों आदि के ब्यौरे (मूल कंपनी)**

क. पंचकूला यूनिट से ₹ 197 (₹ 197) मूल्य के 86.60 एकड़ (86.60 एकड़) से संबंधित विलेख जिनमें राज्य सरकारों / उपक्रमों से भूमि के अंतरण / अनुदान के निबंधन शामिल हैं, को वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पंजीकृत किया गया । बहरहाल, टाउनशिप के लिए बीईएल द्वारा धारित ज़मीन के क्षेत्रफल में हुडा और पंजीकरण प्राधिकारी के अभिलेखों में 30.00 एकड़ (30.00 एकड़) से 28.60 एकड़ (28.60 एकड़) में सुधार कार्य प्रगति में है। 0.30 एकड़ (0.30 एकड़ की ज़मीन के संबंध में स्वत्व विलेख मुकदमेबाज़ी के तहत है।

ख. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा बीएलई हैदराबाद यूनिट को आवंटित भूमि के भौतिक कब्जे को सौंपने और मल्लपुर, हैदराबाद में 5.60 एकड़ (5.60 एकड़) जमीन के संबंध में और मामला मुकदमा दायर करने के मामले में लंबित निष्पादन , खातों की किताबों में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ₹ 65 (₹ 65) की राशि वाले एपीआईसी को दी गई भूमि की लागत पूंजीगत अग्रिम में शामिल है।

ग. रक्षा प्राधिकारियों के साथ हुई समझौता ज्ञापन पर निर्भर करते हुए, हैदराबाद यूनिट की स्थापना के लिए बीईएल को आवंटित एवं बीईएल के अधिकार में भूमि पर निर्मित संपत्ति को सम्बंधित शीर्षों के अधीन पंजीकृत किया गया हें. समुचित प्राधिकारी द्वारा लंबित नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप देने, 25.11 एकड़ (25.11 एकड़) के माप की भूमि की लागत का हिसाब लेखा पुस्तकों में नहीं लगाया गया हैं.

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

घ. एपीआईआईआईसी / टीएसआईआईसी कब्जे द्वारा आवंटित इब्रापत्तनम में 122.82 एकड़ (122.82 एकड़) भूमि पर विज्ञापन देने के लिए दिया गया है जिसके लिए बिक्री कार्य लंबित है (हैदराबाद यूनिट)। अनंतपुर जिला के पलसमुद्रम में 913.99 एकड़ (913.99 एकड़) भूमि के अनुकूलन के लिए अंतिम कार्यकाल के लिए बिक्री कार्य लंबित है एपी बीजी कॉम्प्लेक्स। 12.50 एकड़ जमीन (12.50 एकड़) कोटद्वारा यूनिट के लिए जमीन के अनुकूलन के लिए अंतिमकरण / निष्पादन के लिए बिक्री कार्य लंबित है।

ङ. सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद द्वारा मुआवजे की गई राशि के ₹256 (₹ 256) की मांग 25.375 एकड़ (22.375 एकड़) की भूमि के लिए 31.01.2015 की टीएसआईआईसी से अतिरिक्त मुआवजे की ओर प्राप्त हुई है जो कि मुफ्त पकड़ का हिस्सा है ऊपर वर्णित भूमि। मांग विवाद के तहत है और इसलिए, खातों के पुस्तकों में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

च. भूमि अधिग्रहण 1.24 एकड़ (1.24 एकड़) को सौंपने के बदले में सरकारी प्राधिकरणों द्वारा आवंटित 1.22 एकड़ (1.22 एकड़) की सीमा तक नि: शुल्क होल्ड भूमि मुकदमा (बैंगलोर कॉम्प्लेक्स यूनिट) के तहत है।

छ. कंपनी ने तीन स्थानों पर विंडमिल जेनरेटर स्थापित किया है। विंडमिल जनरेटर-I वर्ष 2006-07 में लीज लैंड पर पूंजीकृत। भूमि के लिए अपफ्रंट लीज किराया शून्य और लीज समझौता अंतिम रूप लंबित है। विंडमिल जेनरेटर-II को वर्ष 2007-08 में लीज्ड भूमि पर ₹36 के अपफ्रंट लीज किराए का भुगतान करके पूंजीकृत किया गया है जो अन्य परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक ऑपरेटिंग लीज है। भूमि के लिए लीज समझौता अंतिम रूप लंबित है। विंडमिल जेनरेटर-III को वर्ष 15-16 में लीज्ड भूमि पर पूंजीकृत किया गया है, जो ₹161 के अपफ्रंट लीज किराए का भुगतान कर रहा है जो अन्य परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक ऑपरेटिंग लीज है।

	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
टिप्पणी 2				
पूँजीगत चालू कार्य				
नगर विनिर्माण	21,320		23,642	
संयंत्र और मशीनरी	4,886		6,304	
अन्य	11,785		4,742	
ट्रांजिट में कैपिटल आइटम	1,555		1,702	
		39,546		**36,390**
कम: प्रावधान		(1)		(1)
		39,545		**36,389**

i. सिविल निर्माण में मुख्य रूप से उत्पादन संबंधित भवन, आर एंड डी भवन और कर्मचारी क्वार्टर शामिल हैं।

ii. निर्माण के तहत कर्मचारी क्वार्टरों के संबंध में पूंजी डब्ल्यूआईपी में ₹ 378 (₹ 1) ब्याज आय का शुद्ध की उधार लागत शामिल है। पूंजीकरण दर 8.15% प्रति वर्ष है

iii. संविदात्मक वचनबद्धता के संबंध में नोट 30(7) देखें।

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान किए गए असंगत पूंजीगत अग्रिम के संबंध में नोट 12 देखें।

टिप्पणी 3

निवेश संपत्ति

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास और परिशोधन				निवल वहन राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2017	अतिरिक्त /समायोजन वर्ष के दौरान	कटौती / समायोजन वर्ष के दौरान	यथा 31 मार्च 2018	संचित मूल्यह्रास / परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2017	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	14	-	-	**14**	2	1	-	**3**	**11**	**12**
कुल	**14**	-	-	**14**	**2**	**1**	-	**3**	**11**	**12**
पिछले वर्ष	**14**	-	-	**14**	**1**	**1**	-	**2**	**12**	**13**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

i. **लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त राशि**

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
a. किराए से आय	147	138
b. किराए पर आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष संचालन व्यय (आर एंड एम सहित)	-	-
c. उपरोक्त के अलावा अन्य संपत्ति से प्रत्यक्ष संचालन व्यय (आर एंड एम सहित)	-	-
d. मूल्यह्रास	1	1
e. गैर परिचालन व्यय की कटौती से पहले निवेश संपत्ति से लाभ	146	137

ii. संविदात्मक वचनबद्धता के लिए नोट संख्या 30 (7) देखें।

iii. **निवेश संपत्ति का उचित मूल्य**

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
भूमि	1962	1962
भवन	902	836

iv. भूमि में 1.36 एकड़ (1.36 एकड़) मूल कंपनी की फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है।

v. **उचित मूल्य का अनुमान**

मूल कंपनी ने निवेश संपत्ति के स्थान में समान गुणों के सरकारी मार्गदर्शन मूल्य (नगरपालिका मूल्य) के आधार पर निवेश संपत्ति का उचित मूल्य अनुमान लगाया है। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में शामिल किए गए हैं।

vi. **माना जाता लागत**

इंडस्ट्रीज़ एएस (01.04.2015) में संक्रमण पर, मूल कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी निवेश संपत्ति के वाहक मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है और निवेश संपत्ति की समेकित लागत के रूप में मूल्य का उपयोग किया है ।

vii. **संपत्ति के उपयोगी जीवन का आकलन**

मूल कंपनी ने अनुमान लगाए जाने के बाद मूर्त संपत्तियों की विभिन्न श्रेणियों (जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची II में दर्शाए गए उपयोगी जीवन से अलग हैं) के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है, संपत्ति के अपेक्षित उपयोग जैसे कारक, तकनीकी जोखिम और वाणिज्यिक अशुभता, आदि ।

मूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

संपत्ति का वर्ग	वर्ष
भवन	40

viii. **मूल्यह्रास**

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।
लाभ और हानि के वक्तव्य में मूल्यह्रास की राशि को खर्च के रूप में मान्यता दी गई है।

ix. **लेखा मूल्यह्रास की विधि**

मूल्यह्रास की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की जाती है और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

x. **परिसंपत्ति की हानि**

चूंकि निवेश संपत्ति का उचित मूल्य अपने वाहक मूल्य से अधिक है, इसलिए हानि का कोई संकेत नहीं है।

xi. **निवेश संपत्ति की विश्वसनीयता पर प्रतिबंध**

भूमि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

xii. **संबंधित पार्टी लेनदेन**

निवेश संपत्ति में सहायक कंपनी बीईएल थैलेस सिस्टम लिमिटेड को रद्द करने योग्य ऑपरेटिंग पट्टे के तहत 0.31 एकड़ (0.31 एकड़) को मापने वाली भूमि और भूमि शामिल है, नोट 31 देखें।

xiii. **पंजीकरण लंबित, मुकदमेबाजी आदि का विवरण,**

शून्य (शून्य).

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

टिप्पणी 4

अन्य अमूर्त संपत्तियां

विवरण	सकल वहन राशि				ऋण परिशोधन				निवल वहन राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2017	अतिरिक्त / समायोजन वर्ष के दौरान	कटौती/समायोजन वर्ष के दौरान	यथा 31 मार्च 2018	संचित परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2017	ऋण परिशोधन वर्ष के लिए	कटौती /समायोजन वर्ष के दौरान	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
अमूर्त संपत्ति – अन्य										
सॉफ्टवेयर लाइसेंस/ कार्यान्वयन उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)	127	106	-	**233**	84	56	-	**140**	**93**	**43**
अन्य (विकास लागत)*	-	164	-	**164**	-	-	-	**-**	**164**	**-**
कुल	**127**	**270**	**-**	**397**	**84**	**56**	**-**	**140**	**257**	**43**
पिछले वर्ष	**107**	**20**	**-**	**127**	**38**	**46**	**-**	**84**	**43**	**69**

* वर्ष के लिए अमूर्तकरण में आईएनआर 4497 जो पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है शामिल है और यह पूर्णांकित आंकड़ा है।

i. **माना जाता लागत**

इंडस्ट्रीज़ एएस (01.04.2015) में संक्रमण पर, समूह ने पिछले सभी जीएएपी के अनुसार मापा गया 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी अमूर्त संपत्तियों के वाहक मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है और अन्य अमूर्त संपत्तियों की समेकित लागत के रूप में मूल्य का उपयोग किया है ।

ii. **अनुमानित उपयोगी जीवन**

अन्य अमूर्त संपत्ति मूल कंपनी के अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है

Asset Class	वर्ष
सॉफ्टवेयर लाइसेंस / कार्यान्वयन उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)	3
अन्य (विकास लागत)	10

iii. **ऋण परिशोधन**

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर अमूर्तकरण की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

अमूर्तकरण की राशि लाभ और हानि के वक्तव्य में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

iv. **लेखा परिशोधन की विधि**

अमूर्तकरण की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की जाती है और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

v. संविदात्मक वचनबद्धता के लिए नोट 30 (7) देखें।

vi. **परिसंपत्ति की हानि**

नोट 30 (5) देखें।

vii. संपत्ति के शीर्षक पर प्रतिबंध समझौते की शर्तों द्वारा शासित है।

viii. अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास व्यय की कुल राशि के लिए नोट 30 (8) देखें।

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 5		
विकासाधीन अमूर्त संपत्ति		
आंतरिक रूप से विकसित *	43,723	29,230
अन्य		
सॉफ्टवेयर लाइसेंस / कार्यान्वयन उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)	12	12
	43,735	**29,242**

* अन्य विकास एजेंसियों को वित्त पोषण शामिल है।

i. संविदात्मक वचनबद्धता के लिए नोट संख्या 30 (7) देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 6		
निवेश		
सहायक को दिए गए ऋण का उचित मूल्य निर्धारण		
बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे	190	156
(I) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (अनिश्चित)		
(ए) सहायक (लागत पर)		
(i) बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे		
6,631,367 (5,922,635) इक्विटी शेयर ₹100 प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान किया	12,325	10,581
(ii) बीईएल-थाल्स सिस्टम्स लिमिटेड, बेंगलुरु		
4,263,538 (4,263,538) 100 रुपये के इक्विटी शेयरों को पूरी तरह चुकाया गया	4,264	4,264
प्रत्येक 1000 रुपये के 500 (500) इक्विटी शेयरों का पूरी तरह चुकाया गया		
(बी) एसोसिएट (लागत पर)		
जीई-बीई प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु		
प्रत्येक 10% के 2,600,000 (2,600,000) इक्विटी शेयरों का भुगतान किया गया	260	260
(सी) अन्य (एफवीओसीआई पर) (नीचे नोट ळीं देखें)		
मन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लिमिटेड, हैदराबाद		
प्रत्येक 1000 रुपये के 500 (500) इक्विटी शेयरों का पूरी तरह चुकाया गया	7	7
(II) अन्य निवेश (अनिश्चित)		
(a) सहकारी समितियों में निवेश (लागत पर)*		
कफ परेड पर्सोपोलिस परिसर सहकारी समिति, मुंबई		
40 (40) प्रत्येक ₹50 का भुगतान पूरी तरह चुकाया गया	-	-
सुख सागर प्रेमिसेस को-आप. सोसाइटी, मुंबई		
पूर्ण चुकता ₹50 प्रत्येक के 10 (10) शेयर		
श्री.सप्त रत्न को-आप. सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई		
पूर्ण चुकता ₹50 प्रत्येक के 10 (10) शेयर	-	-
दलामल पार्क को-आप. सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई		
पूर्ण चुकता ₹50 प्रत्येक के 5 (5) शेयर		
चंद्रलोक को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, पुणे		
पूर्ण चुकता ₹50 प्रत्येक के 30 (30) शेयर	-	-
(b) अन्य (एफवीटीपीएल पर)		
भारतीय जीवन बीमा निगम (नोट देखें ii)	73,269	30,702
	90,315	**45,970**

* आईएनआर 4750 पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है INR 4750 पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पूर्णांकित किया गया है। वही हाउसिंग सोसायटी में अपने विनियमन के उपनियमों अनुसार अधिग्रहित शेयर के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	2017-18	2016-17
ia. उद्धृत निवेश और बाजार मूल्य के कुल मूल्य	-	-
ib. गैर उद्धृत निवेश का कुल मूल्य	90,315	45,970
ic. निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	-	-

ii. कंपनी ने एलआईसी के नई छुट्टी अवकाश योजना और नई समूह सुपरन्यूएशन कैश संचय योजना में क्रमश: अपनी छुट्टी एनकैशमेंट और बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी योगदान स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) देनदारियों का निवेश किया है नोट 21 देखें

iii. वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट 33 देखें।

iv. a. कंपनी को मन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के इक्विटी शेयरों के एफवीओसीआई में निर्दिष्ट निवेश है क्योंकि यह ये इक्विटी शेयर उन निवेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रणनीतिक उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक के लिए आयोजित किए जाने का इरादा रखते हैं। निवल आस्ति मूल्य विधि के आधार पर निवेश का उचित मूल्य नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2018 को उचित मूल्य	2017–18 के दौरान मान्यता प्राप्त लाभांश आय	31 मार्च 2017 को उचित मूल्य	2016–17 के दौरान मान्यता प्राप्त लाभांश आय
मन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लिमिटेड में निवेश	7	-	7	-

b. कंपनी ने अब तक इन निवेशों पर कोई भी लाभांश प्राप्त नहीं किया है।

c. 2017–18 के दौरान कोई रणनीतिक निवेश का निपटारा नहीं किया गया था, और इन निवेशों से संबंधित इक्विटी के भीतर किसी भी संचयी लाभ या हानि का कोई स्थानान्तरण नहीं था।

v. **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए नोट 31 देखें ।

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 7		
व्यापार प्राप्तियां		
गैर चालू		
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	120,650	126,610
कम: प्रावधान	(120,650)	(126,610)
उप कुल (ए)	**-**	**-**
चालू		
सुरक्षित, जिन्हे अच्छा माना गया	43	26
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	570,415	435,462
उप कुल (बी)	**570,458**	**435,488**
कुल (ए + बी)	**570,458**	**435,488**

i. **वित्तीय उपकरण**
वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**
समूह के लेखांकन नीति संख्या 30 के साथ हानि के प्रावधान किए गए हैं।

iii. **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**
संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए नोट 31 देखें।

iv. **सुरक्षा, हाइपोथेकेशन आदि**
नोट नंबर 35 देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 8		
ऋण		
गैर चालू		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
सुरक्षा जमा	1,841	1,796
कर्मचारियों को ऋण	645	671
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण*	2,091	1,251
	4,577	**3,718**
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
सुरक्षा जमा	114	99
कम: प्रावधान	(114)	(99)
	-	-
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	1	1
कम: प्रावधान	(1)	(1)
	-	-
अन्य को ऋण	132	132
कम: प्रावधान	(132)	(132)
	-	-
उप कुल (ए)	**4,577**	**3,718**
चालू		
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
सुरक्षा जमा	1,284	1,054
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण* (अर्जित ब्याज सहित)	1,266	3,124
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	174	150
उप कुल (बी)	**2,724**	**4,328**
कुल (ए+बी)	**7,301**	**8,046**

*वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम राशि ₹ 4,650 (₹ 5,000) है।

i. वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट 33 देखें।

ii. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह के लेखांकन नीति संख्या 30 के साथ हानि के प्रावधान किए गए हैं।

iii. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए नोट 31 देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 9		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों		
गैर चालू		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
दूसरों के लिए अग्रिम	-	1
व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य प्राप्तियां	87	21
अन्य परिसंपत्तियां	2,768	3,129
	2,855	**3,151**
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
अन्य को अग्रिम	13	1
कम: प्रावधान	(13)	(1)
	-	**-**
अर्जित आय	-	240
कम: प्रावधान	-	(240)
	-	**-**
व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य प्राप्तियां	24	30
कम: प्रावधान	(24)	(30)
	-	**-**
अन्य परिसंपत्तियां	74	74
कम: प्रावधान	(74)	(74)
	-	**-**
उप कुल (ए)	**2,855**	**3,151**
वर्तमान		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
कर्मचारियों को अग्रिम	100	189
अन्य को अग्रिम	5	3
अर्जित आय	134,457	20,792
ब्याज अर्जित किया गया लेकिन सावधि जमा पर देय नहीं है	3,649	5,346
व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य प्राप्तियां	368	205
अन्य परिसंपत्तियां	1,407	458
उप कुल (बी)	**139,986**	**26,993**
कुल (ए+बी)	**142,841**	**30,144**

i. **वित्तीय उपकरण**
वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**
समूह के लेखांकन नीति संख्या 30 के साथ हानि के प्रावधान किए गए हैं ।

iii. **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**
संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में अन्य संपत्तियों में ₹13 (₹ 13) की शुद्ध ले जाने वाली राशि को सक्रिय उपयोग में नहीं रखा गया है और मूल कंपनी से संबंधित निपटान के लिए लंबित है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 10		
स्थगित कर संपत्तियां (निवल)		
स्थगित कर संपत्तियां	64,211	65,553
स्थगित कर देनदारियां	21,094	12,325
	43,117	**53,228**

i. **आयकर लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त**

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
आयकर व्यय:		
- वर्तमान अवधि	45,091	51,500
- पिछले वर्षों से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	(481)	(873)
स्थगित कर:		
- उत्पत्ति और अस्थायी अंतरों का प्रत्यावर्तन	10,245	(2,447)
कुल स्थगित कर व्यय / (लाभ)	**10,245**	**(2,447)**
आयकर व्यय	**54,855**	**48,180**

ii. **आयकर अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त**

विवरण	यथा 31 मार्च 2018			यथा 31 मार्च 2017		
	कर से पहले	कर (व्यय) लाभ	कर का निवल	कर से पहले	कर (व्यय) लाभ	कर का निवल
निवल परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) का पुनर्मूल्यांकन	219	75	144	(13,890)	4,704	(9,186)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	1	-	1	1	-	1
कुल	**220**	**75**	**145**	**(13,889)**	**4,704**	**(9,185)**

iii. **सीधा इक्विटी में आयकर मान्यता प्राप्त**

31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में सीधे कोई आयकर मान्यता प्राप्त नहीं है।

iv. **प्रभावी कर दरों का सुलह**

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	दर	राशि	दर	राशि
कर से पूर्व लाभ		194,784		202,942
मूल कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग कर कर का प्रभाव	34.61%	67,411	34.61%	70,235
अनुसंधान और विकास व्यय पर अतिरिक्त कटौती	-6.55%	(12,759)	-9.07%	(18,404)
कर छूट आय	-0.07%	(140)	-0.89%	(1,800)
कर प्रोत्साहन	-0.30%	(584)	-0.84%	(1,700)
पिछले वर्षों से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	-0.25%	(481)	-0.43%	(873)
गैर-कटौती योग्य व्यय	0.28%	555	0.19%	389
अन्य	0.44%	853	0.16%	333
प्रभावी कर दर	28.16%	54,855	23.74%	48,180

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

v. **आस्थगित कर (आस्तियों) और देयताओं निम्नलिखित के कारण हुई हैं:**

विवरण	स्थगित कर (परिसंपत्ति)		स्थगित कर देयता		निवल स्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयताएं	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
व्यापार प्राप्तियां	(11,255)	(11,637)	-	-	(11,255)	(11,637)
इन्वेंटरी	(11,658)	(10,708)	-	-	(11,658)	(10,708)
प्रावधान अन्य	(17,949)	(14,015)	-	-	(17,949)	(14,015)
कर्मचारी लाभ	(22,567)	(28,414)	-	-	(22,567)	(28,414)
अन्य अमूर्त संपत्तियां	(203)	(261)	-	-	(203)	(261)
स्थगित राजस्व	(373)	(440)	-	-	(373)	(440)
अन्य परिसंपत्तियां	-	-	1	4	1	4
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	-	16,904	12,269	16,904	12,269
आईसीडीएस समायोजन	(206)	(78)	9	-	(197)	(78)
इक्विटि निवेश	-	-	1	1	1	1
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	10	51	10	51
अन्य अमूर्त संपत्तियां	-	-	4,169	-	4,169	-
कुल	**(64,211)**	**(65,553)**	**21,094**	**12,325**	**(43,117)**	**(53,228)**
(संपत्ति)/देयताओं को सेट ऑफ करना	21,094	12,325	(21,094)	(12,325)	-	-
निवल स्थगित कर (संपत्ति)/देयता	**(43,117)**	**(53,228)**	**-**	**-**	**(43,117)**	**(53,228)**

vi. **स्थगित कर संपत्ति और देयताओं का संचलन**

विवरण	यथा 1 अप्रैल 2017 को शेष	2017–18 के दौरान हानि एवं लाभ में अभिचिह्नित	2017–18 के दौरान ओसीआई में अभिचिह्नित	यथा 31 मार्च 2018 को शेष
व्यापार प्राप्तियां	(11,637)	382	-	(11,255)
इन्वेंटरी	(10,708)	(950)	-	(11,658)
प्रावधान अन्य	(14,015)	(3,934)	-	(17,949)
कर्मचारी लाभ	(28,414)	5,981	(134)	(22,567)
अन्य अमूर्त संपत्तियां	(261)	58	-	(203)
स्थगित राजस्व	(440)	67	-	(373)
अन्य परिसंपत्तियां	4	(3)	-	1
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	12,269	4,635	-	16,904
आईसीडीएस समायोजन	(78)	(119)	-	(197)
इक्विटि निवेश	1	-	-	1
अन्य वित्तीय देयताएं	51	(41)	-	10
अन्य अमूर्त संपत्तियां	-	4,169	-	4,169
कुल	**(53,228)**	**10,245**	**(134)**	**(43,117)**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	यथा 1 अप्रैल 2016 को शेष	2016–17 के दौरान हानि एवं लाभ में अभिचिह्नित	2016–17 के दौरान ओसीआई में अभिचिह्नित	यथा 31 मार्च 2017 को शेष
व्यापार प्राप्तियां	(12,219)	582	-	(11,637)
इन्वेंटरी	(10,811)	103	-	(10,708)
प्रावधान अन्य	(12,124)	(1,891)	-	(14,015)
कर्मचारी लाभ	(19,980)	(3,730)	(4,704)	(28,414)
अन्य अमूर्त संपत्तियां	(332)	71	-	(261)
स्थगित राजस्व	(444)	4	-	(440)
अन्य परिसंपत्तियां	1,121	(1,117)	-	4
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	8,598	3,671	-	12,269
आईसीडीएस समायोजन	62	(140)	-	(78)
इक्विटि निवेश	1	-	-	1
अन्य वित्तीय देयताएं	51	-	-	51
कुल	**(46,077)**	**(2,447)**	**(4,704)**	**(53,228)**

vii. **अपरिचितकृत स्थगित कर (संपत्ति) / देयताएं**

31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्थगित कर (संपत्ति) / देयता को मान्यता नहीं दी गई है, इस पर कोई अस्थायी अंतर नहीं है।

viii. **कर घाटे आगे बढ़े**

कोई कर हानि नहीं है जिस पर 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी गई है।

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 11		
इन्वेंटरी		
अप्रचलित		
कच्चे माल और घटक	51,548	35,012
जोड़ें: ट्रांजिट में कच्चे माल और घटक	218	288
कम: प्रावधान	(33,103)	(30,621)
	18,663	**4,679**
प्रगति कार्य	27	208
बिक्री के लिए माल	75	55
जोड़ें: ट्रांजिट में व्यापार में स्टॉक	1	2
कम: प्रावधान	(76)	(57)
	-	**-**
स्टोर और स्पेयर	166	133
कम: प्रावधान	(119)	(112)
	47	**21**
लूज टूल्स	100	85
जोड़ें: ट्रांजिट में लूज टूल्स	-	5
कम: प्रावधान	(57)	(73)
	43	**17**
उप कुल (ए)	**18,780**	**4,925**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
वर्तमान		
कच्चे माल और घटक	264,071	246,931
जोड़ें: ट्रांजिट में कच्चे माल और घटक	14,948	19,394
कम: प्रावधान	(7)	(78)
	279,012	**266,247**
प्रगति कार्य	144,561	167,461
तैयार माल	16,570	17,815
जोड़ें: ट्रांजिट में समाप्त माल	6,121	19,720
	22,691	**37,535**
बिक्री के लिए माल	9,312	10,329
जोड़ें: ट्रांजिट में व्यापार में स्टॉक	1	537
	9,313	**10,866**
स्टोर और स्पेयर	2,199	2,358
जोड़ें: ट्रांजिट में स्टोर और स्पेयर	6	14
	2,205	**2,372**
लूज टूल्स	781	892
जोड़ें: ट्रांजिट में लूज टूल्स	-	30
	781	**922**
डिस्पोजेबल स्क्रैप	209	173
उप कुल (बी)	**458,772**	**485,576**
कुल (ए+बी)	**477,552**	**490,501**

i. कच्चे माल और घटकों में ₹ 9756 (₹ 13,023) शामिल है जो उप-ठेकेदारों के पास की सामग्रियाँ है जिनमें से ₹ 409 (₹ 177)पुष्टीकरण और समाधान पर निर्भर है। ₹ 409 (₹ 177) के समक्ष, ₹ 408 (₹ 177) की राशि का प्रवधान किया गया।

ii. वर्ष के लिए स्टॉक सत्यापन विसंगतियां निम्नानुसार हैं: ₹ 473 (₹ 1609) की कमी और ₹ 367 (₹ 1254) के अधिशेष। लंबित सुलह, ₹ 107 (₹ 399) की राशि प्रदान की गई है।

iii. वस्तुसूतियों का मूल्यांकन कंपनी लेखा नीति सं.18 के अनुसार किया गया है।

iv. a. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालयन ने 05.11.2007 से 31.03.2012 तक (05.11.2007 से 31.03.2012) की सत्यापन अवधि के लिए दावणगेरे जिला, कर्नाटक में 2.5 मे.वा. की ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 15856 टन (15856) सीओ2ईक्यू कार्बन क्रेडिट प्रदान किया है। इन कार्बन क्रेडिट को तैयार माल के तहत ₹ 2 (₹ 2) के मूल्य पर शामिल किया गया है।सीईआर को आईसीएआई द्वारा सीईआर पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा यथा आवश्यक लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

b. प्रमाणीकरण के तहत सीईआर: शून्य (शून्य) सीईआर.

c. वर्ष के दौरान उत्सर्जन कटौती उपकरणों का मूल्यह्रास एवं प्रचालन लागत:

	2017-18	2016-17
i. मूल्यह्रास	266	269
ii. उत्सर्जन कटौती उपकरणों की प्रचालन लागत	100	92
कुल	**366**	**361**

v. **सुरक्षा, मालबंधन आदि**
टिप्पणी सं.35 देखें।

vi. **लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय**
₹ 5938 (₹ 2662) की निवल वसूली मूल्य के लिए वस्तुसूची की रईट डुन लाभ और हानि विवरण में अभिचिह्नित किया गया है।

vii. वर्, के दौरान वस्तुसूची के रआट डाउन का कोई रिवर्सल नही बनाया गाया है, जिसे पिछले वर्ष के खर्च के रूप में अभिचिह्नित की गई थी।

viii. **संपत्ति की हानि**
वस्तुसूची के लिए प्रावधान कंपनी के लेखा नीति सं. 18 के अनुरूप है।

ix. कंपनी के ₹ 12,968 (₹ 5,066) की सामग्री भौतिक रूप से ग्राहक परिसर में स्थित है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 12		
अन्य परिसंपत्तियां		
अप्रचलन		
राजधानी अग्रिम	21,296	10,926
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
खरीद के लिए अग्रिम	323	446
कम : प्रावधान	(323)	(349)
	-	**97**
अन्य		
सीमा शुल्क, बंदरगाह ट्रस्ट और अन्य सरकारी अधिकारियों के पास शेष	216	1,489
कम: प्रावधान	(98)	(1,389)
	118	**100**
प्रीपेड खर्चे	10	6
दावा प्राप्य खरीद	847	1,553
कम : प्रावधान	(847)	(1,553)
अन्य – परिसंपत्तिया	163	170
कम : प्रावधान	**-**	**-**
उप कुल (ए)	**21,587**	**11,299**
वर्तमान		
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
कर्मचारियों को अग्रिम	655	502
खरीद के लिए अग्रिम	82,534	21,851
अन्य		
सीमा शुल्क, बंदरगाह ट्रस्ट और अन्य सरकारी अधिकारियों के पास शेष	47,799	24,135
प्रीपेड खर्चे	3,150	2,673
प्रीपेड कर	10,604	1,159
दावा प्राप्य खरीद	5,423	4,483
अन्य प्राप्तिया	2,901	5,963
अन्य – परिसंपत्तियां	-	(3)
कम : प्रावधान	**2,901**	**5,963**
उप कुल (बी)	**153,066**	**60,766**
कुल (ए+बी)	**174,653**	**72,065**

i. **परिसंपत्ति की हानि**
समूह की लेखांकन नीति संख्या 13 के साथ वित्तीय परिसंपत्ति की हानि के प्रावधान किए गए हैं।

ii. **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**
संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए नोट 31 देखें।

टिप्पणी 13		
नकद एवं नकद समतुल्य		
बैंकों में शेष राशि	16,820	47,588
हाथ मे नकद	2	8
मियादी जमा	57,000	221,000
	73,822	**268,596**

i. नकद और नकद समकक्षों में मूल परिपक्वता अवधि के साथ तीन महीने तक सावधि जमा शामिल है। तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा बैंक शेष में शामिल की गई है। (नोट 14 देखें)
ii. वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट संख्या 33 देखें।
iii. नकदी और नकद समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 14		
बैंक शेष [उपर्युक्त (ii) के अलावा]		
मियादी जमा	-	104,000
अवैतनिक लाभांश खाता	48	6,422
	48	**110,422**

i. वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट संख्या 33 देखें।
ii. कंपनी के पास बारह महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ कोई सावधि जमा नहीं है।
iii. बैंक शेष के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

टिप्पणी 15		
वर्तमान कर संपत्तियां (निवल)		
आयकर का अग्रिम भुगतान	24,994	9,991
	24,994	**9,991**
वर्तमान कर देयता (निवल)		
कराधान के लिए प्रावधान	-	-
	-	**-**

टिप्पणी 16

a. साम्या शेयर पूँजी

i. **प्राधिकृत पूँजी**

2,500,000,000 (2,500,000,000) साम्या शेयर ₹ 1 प्रत्येक के (₹ 1) के प्रत्येक	25,000	25,000

ii. **जारी किए गए, अभिदत्त और पूर्ण चुकता पूँजी**

2,436,592,943 (2,233,627,930) साम्या शेयर ₹ 1 प्रत्येक के (₹ 1) प्रत्येक	24,366	22,336

iii. **अवधि के आरंभ एवं अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान**

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	2,233,627,930	22,336	240,000,000	24,000
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (बोनस शेयर)	223,362,793	2,234	-	-
कम: वर्ष के दौरान पुनः खरीद किए गए शेयर	20,397,780	204	16,637,207	1,664
वर्ष के दौरान शेयरों का उप वर्गीकरण (₹ 10 से ₹ 1 प्रति साम्या शेयर)	-	-	2,010,265,137	-
समाक्षाधीन अवधि के अंत में बकाया शेयर	2,436,592,943	24,366	2,233,627,930	22,336

iv. **5% से अधिक धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा आयोजित कंपनी में शेयर**

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %
भारत सरकार	1,627,374,928	66.79%	1,523,039,911	68.19%
भारतीय जीवन बीमा निगम *	-	-	117,231,380	5.25%

* वर्ष के दौरान 5% से भी कम धारण करता है

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

v. **पिछले वर्ष को दौरान बोनस शेयरों के रूप में पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित किए गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग**

	2015-16
	शेयरों की संख्या
बोनस शेयरों के रूप में पूरी तरह से आबंटित किए गए चुकती इक्विटि शेयर	160,000,000

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 और 2016-17 के दौरान बोनस शेयर का कोई आबंटन नही हुआ था।

vi. **पिछले 5 वर्षों के दौरान खरीद वापस की गई शेयरों की कुल संख्या और वर्ग**

	2016-17
	शेयरों की संख्या
पुनः खरीद किए गए साम्य शेयर	16,637,207

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान शेयरों की कोई खरीद वापस नहीं हुई थी।

vii. **पुनःखरीद :**

a. 30 जनवरी, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने से कंपनी के इक्विटी शेयरों की कुल संख्या के 0.83% का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र शेयरधारकों से ₹1 प्रत्येक के 20397780 इक्विटी शेयरों की खरीद के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है (रिकॉर्ड दिनांक यथा 09.02.2018 को)। निविदा प्रस्ताव के माध्यम से, प्रस्ताव आधार पर ₹182.50 प्रति शेयर की दर से बायबैक की पेशकश की गई थी। खरीददारी 23.03.2018 को ₹37226 के नकद बहिर्वाह के साथ 20397780 शेयरों की खरीद के साथ समाप्त हुई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 को धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने सामान्य रिजर्व से विनियमन के रूप में वापस खरीदे गए शेयरों का मामूली मूल्य होने के नाते ₹204 पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व को हस्तांतरित किया है।

b. अंकित मूल्य ₹10 के साथ 16637207 इक्विटी शेयरों की संख्याऋ 1295 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹1305 प्रति शेयर के लिए वापस खरीदी गई, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,17,116 का कुल नकद बहिर्वाह हुआ। कंपनी अधिनियम, 2013 को धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने सामान्य रिजर्व से विनियमन के रूप में वापस खरीदे गए शेयरों का मामूली मूल्य होने के नाते ₹1664 की राशि पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व को स्थानांतरित कर दिया है।

viii. पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल कंपनी ने नकद में भुगतान किए बिना भुगतान के अनुबंध के अनुसार पूरी तरह से भुगतान के रूप में कोई भी शेयर आवंटित नहीं किया है

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
ix. शेयर/विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्प और अनुबंध/वचनबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर	शून्य	शून्य
x. कॉल का कुल मूल्य अवैतनिक (निदेशकों सहित और कंपनी के अधिकारी)	शून्य	शून्य
xi. शेयर जब्त	शून्य	शून्य

xii. **प्रत्येक वर्ग के शेयरों के लिए संलग्न शर्तें, अधिकार, प्राथमिकताए और प्रतिबंध**

a. मूल कंपनी में केवल एक प्रकार के शेयर यानी साम्या शेयर है

b. साम्या शेयर का प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात मे मतदान में एक वोट का हकदार है।

c. प्रत्येक शेयर धारक को मूल कंपनी द्वारा घोषित लाभंस प्राप्त करने का अधिकार है।

d. मूल कंपनी के समापन पर, साम्या शेयरधारक कानून के अनुसार, सभी अधिमान राशियों के संवितरण के बाद, मूल कंपनी की शेष परिसंपत्तियों के वसूल किए गए मूल्य, यदि कोई हो, को प्रापेत करने का हकदार होगा। यह संवितरण शेयरधारकों द्वारा साम्या शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

xiii. **आंतरिम लाभांश, अंतिम लाभांश**

	वर्ष 31 मार्च 2018 अंत	वर्ष 31 मार्च 2017 अंत
वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए क्रमशः अंतिम लाभांश।	23,453	34,800
वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम लाभांश क्रमशः।	39,312	26,804
लाभांश वितरण कर	12,777	12,541

b. प्रारक्षण की प्रकृति एवं प्रयोजन

i. **पूँजी प्रारक्षण**

पूँजीगत प्रारक्षण बनाए रखा आय से स्थानांतरण द्वारा कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के बराबर राशि बनाया गया है। प्रारक्षण का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ii. **पूँजी विमोचन प्रारक्षण**

वापस खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि से सामान्य प३रक्षण से स्थानांतरित पूँजीगत प्रारक्षण को किया जाता है। प्रारक्षण का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

iii. **अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटि निवेश (ओसीआई)**

समूह के अन्य व्यापक आय में कुछ इक्विटू निवेश के उचित मूल्य में बदलाव को पहचानने के लिए चुना है। इस आरक्षित में उचित मील्य में बदलाव जमा हो गया है। अगर निवेश को मान्यता दी जाती है तो संचित राशि को बरकरार रखा आयय में स्थानांतरित किया जाएगा।

iv. **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**

अन्य व्यापक आय वह लाभ या हानियां है जो अभी साधित नहू हुए और जिन्हे लाभ व हानि विवरणियों मे शामिल नही किया गया। इसमें मुख्य रूप से शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / संपत्ति (कर का शुद्ध) का पुनर्मूल्यांकन होता है।

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 17		
स्थगित आय		
अप्रचलित		
सरकारी अनुदान – स्थगित	3,298	827
उप कुल (ए)	**3,298**	**827**
वर्तमान		
सरकारी अनुदान – स्थगित	86	20
उप कुल (बी)	**86**	**20**
कुल (ए+बी)	**3,384**	**847**

i. प्रस्तुति की विधि के लिए लेखांकन नीति १६ देखें।
ii. प्राप्त अनुदान की प्रकृति मूल कंपनी निम्नानुसार हैं:
   a) सौर ऊर्जा संयंत्र की तरफ व्यवहार्यता गैप फंडिंग - ₹ 2,915 (₹ 375).
   b) रूफ टॉप सौर प्रणालियों की ओर केंद्रीय वित्त सहायता - ₹ 36 (₹ 29).
   c) अनुसंधान गतिविधियों की ओर वित्त सहायता। - ₹ 433 (₹ 443).

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017

टिप्पणी 18
उधारी

सुरक्षित

बैंकों से सावधि ऋण	3,333	1,667
	3,333	**1,667**

i

बैंकों से सावधि ऋण	**2017-18**	**2016-17**
तुलन पत्र तिथि पर कुल देयता	6,666	5,000
कम: दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता *	(3,333)	(3,333)
कम: सावधि ऋण पर अर्जित ब्याज और बकाया	-	-
गैर वर्तमान उधार	3,333	1,667

* नोट 20 के तहत दिखाया गया

ii. **सुरक्षा की प्रकृति**
नोट 35 देखें।

iii. **पुनर्भुगतान की शर्तें**
मूल कंपनी के मामले में राशि जून 2017 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली 12 तिमाही किश्तों में चुकाई जा सकती है और मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में समाप्त होती है।

iv. **ब्याज का दर।**
कंपनी के मामले में 8.15% p.a. प्रति वर्ष आरबीआई / एसबीआई दिशानिर्देश और समूह की जोखिम रेटिंग के आधार पर संशोधन के अधीन।

v. **तुलन पत्र तिथि के अनुसार अवधि और डिफ़ॉल्ट की राशि**
शून्य

टिप्पणी 19
व्यापार देय

गैर चालू		
- अन्य	5	-
उप कुल (ए)	**5**	**-**
चालू		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	2,003	1,488
- अन्य	138,012	131,573
उप कुल (बी)	**140,015**	**133,061**
कुल (ए+बी)	**140,020**	**133,061**

i. यथा 31 मार्च 2018 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास (एमएसएमई) अधिनियम,2006 के तहत यथा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय संबंधि सचना नूच् दी गई है

विवरण	**2017-18**	**2016-17**
a. मूलधन और उस पर देय ब्याज जो यथा 31 मार्च को अदत्त बनी हुई है :		
मूलधन *	2,105	1,573
ब्याज	4	5
b. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस के बाद किए गए भुगतानों के साथ-साथ कंपनी द्वारा अदा की गई ब्याज की राशि :		
मूलधन	4	43
ब्याज **	1	-
c. वलंब का अवधि के लिए देय ब्याज तथा प्रदेय (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान किया गया लेकिन निर्धारित दिन के बाद) परन्तु अधिनियम के तहत विनिर्दिष्य ब्याज को जोड़े बिना।	1	1

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	2017-18	2016-17
d. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के अंत में प्रोद्भूत तथा अदत्त रहने वाले ब्याज	10	9
e. ब्याज जो उत्तरवर्ती वर्षों में भी देय और प्रदेय बनी हुई है, उस तारीख तक दब एमएसएम ऊडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती-योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजन से, यता उपर्युक्त ब्याज की देय राशियों की भुगतान वास्तव मे लघु उद्यमों को नही कर दिया जाता।	2	3

* टिप्पणी 20 के तहत दिखाई गई देय भी शामिल है।

** ब्याज आईएनआर 3,278 पूर्ण आंकड़ा प्रतिनिधित्व करता है शामिल है जिसे राउंड ऑफ किया गया है।

ii. पिछली वर्ष में किए गए प्रावधानों की अवधि ₹ 43,339 पूर्ण आंकड़े को प्रतिनिधित्व करता है (₹ 8) के दौरान रिवर्स कर दिया गया है, क्योंकि बाद में सत्यापन पर, राशि का भुगतान नही किया गया था।

iii. यह सूचना से पूर्तिकर्ताओं के संबंध में उस सीमा तक दी गई है जहाँ तक उन्हे कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कूप में अभिचिह्नित किया जा सकता है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरो, कर दिया गया है।

iv. **वित्तीय प्रलेख**

वित्तीय प्रलेखों के वर्गीकरण हेतु टिप्पणी 33 देखें।

v. **संबंधित पक्षकार प्रकटन**

संबंधित पक्षकार प्रकटन के लिए टिप्पण 31 देखें।

vi. व्यापार प्रदेय से संबंधित मुद्रा एवं तरलता जोखिम के लिए टिप्पणी 34 देखें।

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 20		
अन्य वित्तीय देयताएं		
गैर चालू		
सुरक्षा जमा राशियां	123	72
उप कुल (ए)	**123**	**72**
चालू		
सुरक्षा जमा राशियां	8,093	3,145
दीर्घकालीन ऋण के चालू परिपक्व [1]	3,333	3,333
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नही - अवधिक ऋण [1]	-	1
व्यापार प्रदेय पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज [2]	10	9
अन्य गैर व्यापार देय	13,268	8,229
अदत्त परिपक्व जमा राशिया	37	37
अदत्त लाभांश	48	6,422
एमएसएमई को गैर व्यापार देय राशि [2]	102	85
बकाया व्यय	58,728	38,717
अन्य देयताएं	1,052	1,077
उप कुल (बी)	**84,671**	**61,055**
कुल (ए+बी)	**84,794**	**61,127**
यथा तुलन पत्र की तारीख को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली राशि	शून्य	शून्य

[1] (टिप्पणी 18 देखें)

[2] (टिप्पणी 19 देखें)

i. **वित्तीय प्रलेख**

वित्तीय प्रलेखों के वर्गीकरण हेतु टिप्पणी 33 देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 21		
प्रावधान		
अप्रचलित		
कर्मचारी लाभ		
उपदान *	(1,464)	-
दीर्घकालिक मुआवजा अनुपस्थिति	19,687	33,380
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहायक स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	41,523	37,701
अन्य		
भारी अनुबंध के लिए प्रावधान	3,889	5,679
निष्पादन वारंटी के लिए प्रावधान	18,095	12,124
साइट रेस्टोरेशन दायित्व के लिए प्रावधान	519	135
उप कुल(ए)	**82,249**	**89,019**
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
अनुदान*	(1,703)	1,504
दीर्घकालिक मुआवजा अनुपस्थिति	1,893	2,825
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहायक स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	3,349	3,103
कर्मचारी वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	12,500	14,513
अन्य		
भारी अनुबंध के लिए प्रावधान	5,936	2,906
निष्पादन वारंटी के लिए प्रावधान	21,820	16,160
उप कुल (ए)	**43,795**	**41,011**
कुल (ए+बी)	**126,044**	**130,030**

i. **वर्ष 2017–18 के प्रावधानों का संचलन**

	निष्पादन वारंटी	दुर्वह ठेका	साइट पुनःस्थापन दायित्व
यथा 1 अप्रैल को	28,284	8,585	135
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	31,823	6,458	384
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि (नीचे नोट v देखें)	-	-	-
वर्ष के दौरान उलट दी गई अप्रयुक्त राशि	20,192	5,218	-
यथा 31 मार्च को	**39,915**	**9,825**	**519**
वर्ष 2016–17 के प्रावधानों का संचलन			
यथा 1 अप्रैल को	17,644	14,089	135
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	20,713	1,207	-
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि (नीचे नोट v देखें)	109	-	-
वर्ष के दौरान उलट दी गई अप्रयुक्त राशि	9,964	6,711	-
यथा 31 मार्च को	**28,284**	**8,585**	**135**

ii. **वारंटियों के लिए प्रावधान – लेखा नीति संख्या 20 के अनुसार।**

वारंटी के लिए प्रावधान उन उत्पादों के संबंध में किया जाता है जिनकी सामान्य वारंटी अवधि बकाया है। चूंकि वारंटी प्रावधान अवधि उत्पाद से उत्पाद में भिन्न होती है, वारंटी अवधि की औसत अवधि के आधार पर सामरिक व्यापार यूनिट (एसबीयू) स्तर पर प्रावधान किया जाता है। प्रावधान व्यय किए जाने वाले संभावित खर्चों के प्रवृत्ति पर आधारित अनुमान को आधार पर किया जाता है। प्रावधान वारंटी की अनुमानित लागत के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

iii. **साइट पुनःस्थापन के लिए प्रावधान – लेखा नीति सं. 23के अनुसार.**
पट्टादाता के साथ लीज समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, मूल कंपनी को भूमि को अपनी मूल स्थिति में वापस करना आवश्यकत है। तदनुसार साइट रेस्टोरेशन दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है। आवश्यक प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्ष के अंत में समायोजन की आवश्यकता होती है.
प्रावधान रेस्टोरेशन की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

iv. **भारी अनुबंध के लिए प्रावधान – लेखांकन नीति संख्या 5 और 23 के अनुसार।**
मूल कंपनी द्वारा दर्ज कुछ अनुबंधों के संबंध में, यह उम्मीद की जाती है कि अनुबंध को पूरा करने की संभावित लागत अनुबंध के लिए प्राप्त / प्राप्य राजस्व से अधिक होगी। ऐसे मामलों में, अपेक्षित घाटे के संबंध में प्रावधान किया गया है। आवश्यक प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्ष के अंत में समायोजन की आवश्यकता होती है। वर्तमान मूल्य में होने वाली नुकसान की सर्वोत्तम अनुमान पर प्रावधान मापा जाता है।

v. पारंभिक प्रावधान को जमा की गई राशि।

vi. वारंटी लागत के संबंध में प्राकृतिक कोड शीर्ष हेतु ₹ 8030 (₹ 8016) की राशि डेबिट किया गया है।
साइय पुनःस्थापन उत्तरदायित्व के संबंध में प्राकृतिक कोड शीर्ष हेतु शून्य (शून्य) की राशि डेबिट किया गया है।

* यथा 31 मार्च 2018 को दायित्व पर योजना संपत्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

(A) उत्तर रोज़गार अनुलाभ दायित्व

(i) उपदान :

उपदान एक्ट, 1972 के भुगतान के अनुसार मूल कंपनी भारत में कर्मचारियों को उपदान प्रदान करती है। मूल कंपनी के कर्मचारियों के लिए उपदान योजना है, जो एक वित्त पोषित योजना है। प्रत्येक वर्ष, मूल कंपनी उपदान ट्रस्ट को फंड दायित्वों पर परिसंपत्तियों की कमी की सीमा तक भेजती है, जो वास्तविक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित होती है। उपदान योजना के अनुसार, मूल कंपनी में न्यूनतम पंच वर्ष तक निरंतर सेवा प्रदान करने के पश्चात कर्मचारी के रोज़गार समय के समाप्ति पर उपदान का भुगतान किया जाता है। सेवा के हर पूर्ण वर्ष या उसके छह महीने से अधिक के लिए, मूल कंपनी अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता के आधार पर पंद्रह दिनों के वेतन की दर से कर्मचारी को उपदान का भुगतान करेगी।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल अनुलाभ सथा वित्त-पोषित स्थिति और बीमांकक द्वारा प्रदान किए गए प्रकटन रिपोर्ट में यथा प्रस्तुत योजना के लिए लुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशियों का सार प्रस्तुत किया गया है–

	विवरण	2017-18	2016-17
i)	**अनुलाभ देयता की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :**		
	वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	39195	35664
	चालू सेवा लागत	742	672
	ब्याज लागत	2706	2749
	पूर्व सेवा लागत	23577	-
	अदा किए गए अनुलाभ	(3220)	(3452)
	अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	योजित देयताएं - हानि / (लब्धि) कीवित्तीय मान्यताओं मे परिवर्तन	(4332)	3375
	योजित देयताएं - हानि / (लब्धि) की अनुभव समायोजन	2744	187
	यथा अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**61412**	**39195**
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	37691	36736
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	3588	2897
	एंशदान	27504	1500
	अदा किए गए अनुलाभ	(3220)	(3452)
	अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	(618)	10
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**64945**	**37691**
	निश्चित अनुलाभ (परसंपत्ति)/देयता	**(3533)**	**1504**
	परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव	**366**	**-**
	निवल निश्चित अनुलाभ (परसंपत्ति)/देयता	**(3167)**	**1504**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	2017-18	2016-17
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय**		
	चालू सेवा लागत	742	672
	निवल निश्चित अनुलाभ दायित्व पर निवल ब्याज	(882)	(148)
	पूर्व सेवा लागत	23577	-
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय (₹ 23,437 में से, ₹ 5,500 की राशि 2016-17 में प्रदान किया गया था)	23437	524
iv)	**अन्य व्यापक आय विवरण में अभिचिह्नित राशि(पुनःमापन) :**		
	योजित दायित्व पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	(1588)	3562
	योजित परिसंपत्तियां-(लब्धि)/हानि पर बीमांकिक रिटर्न एवं ब्याज के बीच अंतर	618	(10)
	तुलन-पत्र परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	366	-
	अन्य व्यापक आय विवरण में अभिचिह्नित राशि :	(604)	3552
v)	**तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशियां :**		
	यथा अवधि के अंत मेंदेयता का वर्तमान मूल्य	61412	39195
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	64945	37691
	वित्तपोषित स्थिति अधिशेष / (कमी)	**3533**	**(1504)**
	वर्ष के लिए अभिचिह्नित हानि / (लाभ)	**366**	**-**
	यथा वर्ष 31 मार्च को तुलन-पत्र के अनुसार हानि / (लाभ)	**(3167)**	**-**
vi)	**योजित परिसंपत्तियां**		
	योजित परिसंपत्तियों के वर्ग निम्नलिखित है :		
	राज्य सरकार की प्रतिभूतिया	1.91%	4.70%
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	1.34%	2.33%
	उच्च गुणता के कारेपोर्ट बॉंड	1.95%	5.00%
	बीमाकर्ता के पास निवेश	93.89%	87.97%
	अन्य (बैंक शेष)	0.91%	0.00%
vii)	**बीमांकिक मान्यताएं:**		
	बट्टागत दर	7.72%	7.20%
	क्षतिपूर्ति स्तर में वृद्धि का दर	7.00%	7.50%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	7.72%	7.20%
	अनुमानित औसत भविष्य कार्यकारी	16.00	15.20
viii)	भुगतान करने हेतु अंशदान पर सर्वोत्तम अनुमान		
	वत्तीय अवधि के आरंभ के दौरान, तुलन-पत्र के बाद अनुदान के तहत भुगतान करने हेतु अंशदान पर सर्वोत्तम अनुमान शून्य (1504) है.		
ix)	**संवेदनशीलता विश्लेषण :**		
	बट्टा दर (0.50% संचलन) मे वृद्धि	8.22%	7.70%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ दायित्व में वृद्धि / (कमी)	(2450)	(1618)
	बट्टा दर (0.50% संचलन) मे कमी	7.22%	6.70%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ दायित्व में वृद्धि / (कमी)	2641	1748
	वेतन बढ़ोत्तरी दर (0.50% संचलन) मे वृद्धि	7.50%	8.00%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ दायित्व में वृद्धि / (कमी)	1119	239
	वेतन बढ़ोत्तरी दर (0.50% संचलन) मे कमी	6.50%	7.00%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ दायित्व में वृद्धि / (कमी)	(1192)	(252)

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

(ii) बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ योजना (बीईआरईसीएचएस):

मूल कंपनी में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ योजना बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ योजना (बीईआरईसीएचएस), है जो वित्त- पोषण रहित योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले या वीआरएस लेनेवाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुलाभ ऐसे कर्मचारियों को प्राप्त होती जो योजना के सदस्य बनते है और ये अनुलाभ केवल कर्मचारी और उनकी पत्नी / उनके पति को ही प्राप्त होगा। कंपनी अंतःरोगी उपचार के लिए बीमा रक्षा लेती है। वार्षिक बीमा प्रीमियम के अतिरिक्त, कंपनी बाह्यरोगी उपचार के लिए दवाइयों की लागत का 60% और नैदानिक परीक्षणों की लागत का 75% खर्च वहन करती है और विशिष्ट रोगों के उपचार के लिए कंपनी बीमा कवरेज के अतिरिक्त, उपचार की पूरी लागत वहन करती है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल अनुलाभ सथा वित्त-पोषित स्थिति और बीमांकक द्वारा प्रदान किए गए प्रकटन रिपोर्ट में यथा प्रस्तुत योजना के लिए लुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशियों का सार प्रस्तुत किया गया है-

	विवरण	2017-18	2016-17
i)	**अनुलाभ देयता में परिवर्तन :**		
	वर्श के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य (पीवीओ)	40804	29705
	चालू सेवा लागत	2134	1553
	ब्याज लागत	2889	2282
	आदा किए गए अनुलाभ	(1340)	(3075)
	अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	योजित देयताओं - हानि / (लब्धि) की वित्तीय मान्यताओं मे परिवृतन	2410	3933
	योजित देयताओं - हानि / (लब्धि) की अनुभव समायोजन	(2025)	6406
	यथा अवधि के अंत मे देयता का वर्तमान मूल्य	**44872**	**40804**
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित मूल्य	-	-
	अंशदान	1340	3075
	अदा किए गए अनुलाभ	(1340)	(3075)
	अन्य व्यापक आय मे अभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	-
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
iii)	**लभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय:**		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	2134	1553
	निश्चित अनुलाभ दायित्व पर ब्याज	2889	2282
	योजित परसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	-	-
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल व्यय	**5023**	**3835**
	[व्यय : ₹ 1,340 (3,075), प्रावधान : ₹ 3,683 (761)]		
iv)	**अन्य व्यापक आय के विवरण में अभिचिह्नित राशि (पुनःमापन) :**		
	योजित दायित्व पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	385	10338
	अन्य व्यापक आय विवरण में अभिचिह्नित राशि :	385	10338
v)	**तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशियाँ :**		
	यथा अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	44872	40804
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्त पोषित स्थिति	(44872)	(40804)
	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित देयता (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	**44872**	**40804**
	अगले बारह महीनों के अंदर भुगतान करने को अभिचिह्नित	3349	3103
	बारह महीनों के बाद भुगतान करने को अभिचिह्नित	41523	37701

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	2017-18	2016-17
vi)	**प्रधान मान्यताएँ :**		
	बट्टे का दर	7.72%	7.20%
	स्वास्त्य देखभाल की लागतों में वृद्धि दर	5.50%	3.90%
	संघर्षण दर	1.00%	1.30%
vii)	**सेवा लागत तथा ब्याज लागत के कुल पर मानी गई स्वास्थ्य देखबाल लागत प्रवृत्ति दरों में तथा निर्धारित अनुलाब देयता में एक प्रतिशत बिंदु वृद्धि का प्रभाव :**		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के कुल पर प्रभाव	744	684
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	5734	5504
	सेवा लागत तथा ब्याज लागत के कुल पर मानी गई स्वास्थ्य देखबाल लागत प्रवृत्ति दरों में तथा निर्धारित अनुलाब देयता में एक प्रतिशत बिंदु वृद्धि का प्रभाव :		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के कुल पर प्रभाव	(544)	(558)
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	(4193)	(4488)
viii)	**संवेदनशीलता विश्लेषण :**		
	बट्टागत दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	8.22%	7.70%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ मे वृद्धि / (कमी)	(2408)	(2276)
	बट्टागत दर (0.50%संचलन)में कमी	7.22%	6.70%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ मे वृद्धि / (कमी)	2661	2536
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	6.00%	4.40%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ मे वृद्धि / (कमी)	2729	2607
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन) में कमी	5.00%	3.40%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ मे वृद्धि / (कमी)	(2212)	(2355)

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज की कमी

कर्मचारी भविष्य निधि को मूल कंपनी के प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति देय प्रबंधन का अंशदान मूल कंपनी का योगदान देता है।

मूल कंपनी ने यथा 31 मार्च 2018 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि तारीख पर ब्याज की कमी की ओर कोई देयता नही है (योजना के निबंधनों से इस प्रकार संबंधित कि ट्रस्ट की ओर से ऐसी कोई अनिवार्यता नही है कि वह भविष्य निधि के शेषों पर अतिरिक्त ब्याज के माध्यम से अधिशेष के किसी भाग, यदि हो, को संवितरित करें)।

	विवरण	2017-18	2016-17
i)	**अनुलाभ देयताओं की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :**		
	यथा वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	201968	177013
	चालू सेवा लागत	32606	28590
	ब्याज की लागत	13913	13683
	पूर्व की सेवा लागत (गैर-निहित अनुलाभ)	-	-
	पूर्व की सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	बीमांकिक (लब्धि) / हानि	76	(1134)
	अदा किए गए अनुलाभ	(17448)	(16184)
	यथा अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**231115**	**201968**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	विवरण	2017-18	2016-17
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	205961	180950
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	18534	16675
	अंशदान	29176	24841
	अदा किए गए अनुलाभ	(17448)	(16184)
	योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लब्धि / (हानि)	(299)	(321)
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**235924**	**205961**
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय**		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	32,606	28590
	ब्याज की लागत	13,913	13683
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	(18,534)	(16675)
	अवधि में अभिचिह्नित निवल बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	375	(813)
	पूर्व सेवा लागत (गैर-निहित अनुलाभ)	-	-
	पूर्व सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय	**28360**	**24785**
iv)	**तुलन पत्र में अभिचिह्नित राशियाँ :**		
	यथा अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	231,115	201968
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	235,924	205961
	अंतर	**(4809)**	**(3993)**
	आभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धियाँ) / हानियाँ	-	-
	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित देयता	-	-
v)	**चालू अवधि के लिए राशि :**		
	देयता का वर्तमान मूल्य	231,115	201968
	योजित परिसंपत्तियां	235,924	205961
	अधिशे,/ (कमी)	4,809	3993
	योजित देयताओं पर अनुभव समायोजन - (हानि)/ लब्धि	(114)	1173
	योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि)/ लब्धि	(299)	(321)
vi)	**यथा मार्च 31 को परिसंपत्तियों के वर्ग :**		
	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभीतियाँ	31.17%/54.25%	39.78%/51.42%
	उच्च गुणता के कार्पोरेट बाँड	56.60%/41.33%	47.38%/43.63%
	म्यूचुअल फंड्स	4.85%/2.06%	4.60%/1.78%
	अन्य (पैसा बाज़ार उपकरण)	7.38%/2.36%	8.24%/3.17%
	कुल	100%/100%	100%/100%
vii)	**प्रधान मान्यताएं :**		
	बट्टागत दर	7.72%	7.20%
	वेतन बढ़ोत्तरी दर	7.00%	7.50%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	8.75%	8.75%

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

B. दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति

मूल कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति योजना है जो एक वित्त-पोषण रहित योजना है। कंपनी के कर्मचारी दो प्रकार की दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियों के हकदार है-कार्यपालकों के मामले में वार्षिक अवकाळ (ए.एल) और अर्ध वेतन अवकाश (एच.एल.) और गैर-कार्यपालकों के मामले में वार्षिक अवकाश (ए.एल.) और बीमारी अवकाश (एस.एल)। इस योजना में कर्मचारियों को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर, बीआरएस लेने पर या मृत्यु पर, प्राप्त न किए गए अवकाश (कार्यपालकों के मामले में एस.एल. और एच.एल. तथा गैर-कार्यपालकों के मामले में ए.एल. और एस.एल.) के समक्ष क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था है। ए.एल का नकदीकरण सेवा के दौरान या इस्तीफा देने के समय भी किया जा सकता है।

निम्नलिखित सारणी में लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल अनुलाभ व्यय् के घटकों तथा बीमांकिक द्वारा प्रदान किए गए प्रकटन रिपोर्ट में यथा प्रस्तुत, योजना के लिए तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशि का सार प्रस्तुत किया गया है-

	विवरण	2017-18	2016-17
i)	**लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय :**		
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल व्यय [2017-18 नकदीकृत अवकाश : ₹14320, प्रावधान : ₹14625] (2016-17 नकदीकृत अवकाश : ₹ 1004, प्रावधान: ₹9983)	(305)	10987
ii)	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित की जाने वाली राशियां :		
	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसारें	21580	36205
iii)	**बीमांकिक मान्यताएं :**		
	बट्टे का दर	7.72%	7.20%
	क्षतिपूर्ति स्तर मे वृद्धि का दर	7.00%	7.50%
iv)	पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी सभी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टू की पूरी राशि लेने की उम्मीद नही करता है या अगले 12 महीनों में भुगतान की आवश्यकता नही है। निम्नलिखित रकम वह प्रतिबंधित दर्शाती है जो कि अगले 12 महीनों में/12 महीनो से अधिक के भीतर लिया जाएगा या भुगतान की जा सकती है।		
	चालू छुट्टी उत्तरदायित्व अगले 12 महीने के भीतर निपटान करने के उम्मीद है।	1893	2825
	छुट्टी उत्तरदायित्व 12 महिने के बाद निपटान करने की उम्मीद है।	19687	33380
		21580	**36205**

C. पेंशन योजना

कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के लाब के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन लाभ योजना मिल गई है, जिसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना के लिए वार्षिक आधार पर योगदान किया जाता है।

इस संबंध में निर्धारित नियमों के मुताबिक, इस योजना के तहत कर्मचारियों के लिए लाभ उपलब्ध है।

परिभाषित लाभ योजना (यानी उपदान और बीईआरईसीएचएस) से उत्पन्न विशिष्ट या असामान्य जोखिमों का वर्णन विवरण

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित जोखिम इस प्रकार है: -

दो रिपोरेटिंग अवधि के बीच दीर्घकालिक सरकारी बांड दर में संचलन जो छूट दर को प्रभित करेगा और इसके परिणामस्वरूप दायित्वों के वर्तमान मूल्य।

वित्तीय वर्ष के माध्यम से वास्तविक अनुभव के मुताबिक मूल्यांकन के लिए उच्च / निम्न वेतन वृद्धि / लाभ का जोखिम।

हालांकि, दोनो जोखिमों को नियमित आधार पर कम किया जा सकता है, क्योंकि वार्षिक मानकों के आधार पर प्रत्येक वर्ष के बाद आंकलन किया जाता है।

परिसंपत्ति-दायितव मिलान रणनीतियों का वर्णन विवरण

कंपनी की उपदान योजना वित्त पोषित योजना है। इस योजना का समर्थन करने वाले संपत्ति मुख्य रूप से बीमाकर्ता-प्रबंधित धन है। इसीलिए कंपनी को इस योजना के लिए परिसंपत्ति-देयता मिलान को लागू करने के मामले में सीमित लचीलापन है।

कंपनी के बाद के सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना अप्रतिबंधित योजना है इसलिए संपत्ति-देयता मिलान रणनीतियां इस योजना के लिए प्रासंगिक नही है।

वित्त पोषण की व्यवस्था और धन नीति का विवरण

कंपनी का उपदान योजना वित्त पोषित योजना है। इस योजना का समर्थन करने वाली योजना परिसंपत्तियों का 93.89% (87.97%) बीमाधारक प्रबंधित परिसंपत्तियां है और 3.25% (7.03%) योजना संपत्तियां केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश की गई है फंड में वार्षिक अंशदान सामान्य तौर पर घाटे के बराबर सेट होता है जैसा कि लाभ दायित्वों के पूर्ववर्ती बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रकट किया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना बीईआरईसीएचएस गैर वित्त पोषित योजना है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 22		
अन्य देयताएं		
गैर चालू		
आस्थगित राजस्व – ग्राहक अनुदान	1,035	1,469
उप कुल (ए)	**1,035**	**1,469**
चालू		
आस्थगित राजस्व – ग्राहक अनुदान	240	231
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम/प्रगति भुगतान	704,501	608,312
सांविधिक देयताएँ	4,791	22,437
आस्थगित देयताएँ	2,620	2,182
अन्य	2,227	3,396
उप कुल (बी)	**714,379**	**636,558**
कुल (ए+बी)	**715,414**	**638,027**

i. **संबंधित पक्षकार प्रकटण**

संबंधित पक्षकार प्रकटण के लिए टिप्पण 31 देखें।

	31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु		31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेत	
टिप्पणी 23				
प्रचालन से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री (सकल उत्पाद ड्यूटी सहित)	907,367		800,065	
सेवाओं से आय	101,117		82,405	
		1,008,484		882,470
प्रचालन से राजस्व में निर्माण अनुबंध के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व शामिल है।टिप्पणी 30(4) देखें।				
अन्य प्रचालनीय राजस्व				
रद्दी की बिक्री		693		882
परिवहन से प्राप्तियां		289		321
किराए से प्राप्तियां		640		615
कैंटीन से प्राप्तियां		877		810
एकत्रित विद्युत प्रभार		174		148
एकत्रित जल प्रभार		59		59
वापस लिए गए प्रावधान				
– दुर्वह संविदा	-		5,504	
– संदिग्ध ऋण, एलडी	12,108		11,297	
– वस्तुसूची	5,353		2,737	
– ऋण एवं अग्रिम	2,019		186	
– उत्पाद ड्यूटी– अन्य *	887		-	
– अन्य	-		168	
		20,367		19,892
सरकारी अनुदान		659		1,378
अन्य अनुदान		425		437
विविध		7,394		7,032
		1,040,061		**914,044**

* उत्पाद ड्यूटी के लिए टिप्पणी 30 (13) देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	31मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
टिप्पणी 24		
अन्य आय		
आवधिक जमा राशियों से ब्याज आय	15,470	34,027
दीर्घकालिक निवेशों से आय (लाभांश)	404	5,200
स्टाफ/आयकर वापसी/अन्य से ब्याज आय	719	847
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से लाभ	135	192
विदेशी मुद्रा विभेदक आय	2,911	6,406
कीराय आय - निवेश संपत्ति	147	138
विवध (व्यय का निवल)	252	291
	20,038	**47,101**

विदेशी मुद्रा लब्धि / हानि विदेशी मुद्रा के लेन देनें को दर्ज करने की तारीख और उनके निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच किए गए विदोशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों से उत्पन्न दर विचलन के कारण है।

लागत पर मान्यता प्राप्त सहायक और सहयोगियों से आय का प्रतिनिधित्व करता है।

* संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए नोट 31 देखें।

टिप्पणी 25

तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियों में परिवर्तन

चालू कार्य:				
समापन सूची	144,588		167,669	
प्रारंभिक सूची	167,669		149,307	
		23,081		(18,362)
तैयार माल:				
समापन सूची	22,691		37,535	
प्रारंभिक सूची	37,535		13,839	
		14,844		(23,696)
रद्दी :				
समापन सूची	209		173	
प्रारंभिक सूची	173		318	
		(36)		145
		37,889		**(41,913)**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	31मार्च 2018 वर्ष अंत हेत		31मार्च 2017 वर्ष अंत हेत	
टिप्पणी 26				
कर्मचारी अनुलाभ व्यय				
वेतन, मजदूरी एवं बोनल / उपदान		128,700		122,816
सेवानिवृत्ति अनुलाभ व्यय				
अनुदान	17,937		6,024	
भविष्य निधि और पेंशन निधि की ओर अंशदान	9,447		8,033	
बीईएल अधिवार्षिता (पेंशन) योजना के प्रति प्रबंधन का अंशदान	4,644		3,599	
बीईएल से.नि. कर्मचारी अंशदान स्वास्थ योजना के लिए प्रावधान	3,683		761	
		35,711		18,417
कल्याण व्यय वेतन [₹ 956 (₹ 854) भ.नि. ₹83 (₹ 79)] सहित		12,822		13,598
		177,233		**154,831**

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिको के पारिश्रमिक हेतु टिप्पणी सं. 31 देखे।

''मूल कंपनी के संबंध में वेतन परिशोधन अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के लिए प्रवधान किया गया है''।

टिप्पणी 27				
वित्त लागत				
ब्याज व्यय				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देयों पर ब्याज	2		3	
आय कर पर ब्याज	15		-	
अन्य ब्याज व्यय	85		1,150	
		102		1,153
अन्य उधार लागतें				
ऋण संसाधि प्रभार		25		25
		127		**1,178**

*टिप्पणी 18 20 देखें

टिप्पणी 28				
मूल्यह्रास और परिशोधन के व्यय				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूलह्रास / परिशोधन		25,043		19,105
निवेश संपत्ति पर मूलह्रास / परिशोधन		1		1
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परशोधन		56		46
		25,100		**19,152**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

		31मार्च 2018 वर्ष अंत हेत		31मार्च 2017 वर्ष अंत हेत
टिप्पणी 29				
अन्य व्यय				
बिजली एवं ईंधन		3,130		3,156
जल प्रभार		355		370
रॉयल्टी एवं तकनीकी सहायता		724		407
किराया		2,763		2,691
दर और कर		755		1,263
बीमा		1,017		819
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षा शुल्क	18		12	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	5		2	
अन्य सेवाएं(प्रमाणीकरण शुल्क)	3		2	
व्ययों का प्रतिपीर्ति	4		6	
		30		22
लागत लेखा परईक्षा शुल्क		4		4
मरम्मत एवं अनुरक्षण :				
भवन	2,726		2,309	
संयंत्र एवं मशिनरी	1,161		1,189	
अन्य	7,080		5,781	
		10,967		9,279
बैंक प्रभार		341		433
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री		451		510
विज्ञापन एवं प्रचार		1,561		1,341
यात्रा खर्च		10,268		8,455
वैन एवं टैक्सियों को भाड़े पर लेने के प्रभार		1,421		1,332
उत्पाद खर्च - अन्य *		-		1,195
पैकिंग एवं अग्रेषण		2,281		1,416
बट्टे खाते में डाले गए संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम	23,995		7,228	
घटाएं: प्रवधानों को प्रभारित	(23,825)		(7,224)	
		170		4
अप्रचलन/अनावश्यक सामग्रियों के लिए प्रावधान		9,598		7,071
संदिग्ध ऋणों, निर्णीत हर्जानों, ग्राहक के दावों तथा अस्वीकृतियों के लिए प्रावधान		29,816		25,558
संदिग्ध अग्रिमों, दावों के लिए प्रावधान				
निष्पादन वारंटी के लिए प्रावधान (निवल)		172		806
प्रावधान - दुर्वह संविदा (निवल)		11,631		10,749
झींळीळेप षेी पर्शीी लेपीरलीं (पर्शी)		1,240		-
अप्रचलन तथा व्यतिरेक के कारण कच्चे माल, भंडार और घटकों के बट्टा खाते में डालना	1,873		670	
घटाएं: प्रवधानों के प्रभारित	(1,824)		(639)	
		49		31
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व		1,573		1,035

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

	31मार्च 2018 वर्ष अंत हेत	31मार्च 2017 वर्ष अंत हेत
अन्य:		
अन्य विविध प्रत्यक्ष व्यय	8,575	5,629
विक्रय पश्चात सेवा	573	391
टेलिफोन्स	864	707
संगोष्ठियों एवं पाठ्यक्रमों पर व्यय	766	1,015
अन्य विक्रय व्यय	1,407	370
विविध	4,538	4,232
	16,723	12,344
	107,040	**90,291**
घटाएं: लागत कार्य को आबंटित व्यय	(3,528)	(1,414)
	103,512	**88,877**

वायु ऊर्जा को आबंटित नेटेड ऑफ

i. विदेशी लेनदेन लाभ / हानि एसे लेनदेन की रिकॉर्डिंग और निपटान य रिपोर्टिंग की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा में लेनदेन पर होने वाले दर विविधताओं के कारण है।

ii. * टिप्पणी 30(13) देखें।

टिप्पणी 30
लेखों की सामान्य टिप्पण्याँ

1. **ईक्विटि शेयर प्रति अर्जन**

a.	**जारी प्रचालनों से**		
	प्रति शेयर मूल अर्जन (आईएनआर)	5.70	6.03
	प्रति शेयर परिवर्तन अर्जन (आईएनआर)	5.70	6.03
b.	प्रति शेयर अर्जन मूल और परिवर्तन आय की गणना में संख्याओं के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि	139,929	154,762
c.	प्रति शेयर र्जन मूल और परिवर्तन औय कंप्यूटिंग में इस्तेमाल	2,456,487,764	2,565,292,103

2. अनुपालन का विवरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानको के अनुसार तैयार किए गए है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) नियम 3, 2015, और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष तक और उसके लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी (लेखा मानकों) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किया गया था, अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित।

3. प्रचालन चक्र

कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची खखख की आवश्यकता के अनुसार, संचालन चक्र लागू होने पर सामरिक व्यापार इकाई (एसबीयू) / यूनिट स्तर पर निर्धारित किया गया है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

4. निर्माण संविदा

	विवरण	यथा 31 मार्च 2018 के लिए	यथा 31 मार्च 2017 के लिए
a.	वर्ष के दौरान अभिचिह्नित ठेका राजस्व	154,622	17,338
b.	अनुबंध राजस्व को पूर्ण ता पद्धति के प्रतिशत का उपयोग करके मान्यता दी गई थी। ठेकों के अनुमानित कुल लागत के लिए वर्ष के अंत तक अनुबंधों पर होने वाली वास्तविक लागत का अनुपात पूरा करने के चरण का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया था।	-	-
c.	31 मार्च तक खर्च की कुल राशि	123,716	17,681
d.	31 मार्च तक अभिचिह्नित लाभ (आकल्मिकता के लिए निवल पर प्रवधान)	34,345	1,773
e.	यथा 31 मार्च को प्राप्त अग्रिम राशि एवं बकाया	103,693	126,802
f.	प्रतिधारण की राशि	-	-

5. संपत्ति की हानि

कंपनी के कैश जेनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के रूप में माना जाने वाले प्रत्येक भौगोलिक समग्र विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियों की हीनि के संकेतों का विश्लेषण किया है। आंतरिक और बाह्य कारकों के आकलन के आधार पर, यूनिट में से अपनी परिसंपत्तियो की हानि के संकेत नही पाए है और इसलिए कोई भी प्रवधान आवश्यक नही माना जाता है।

6. अल्पवधिक उधार राशियां

a. कंपनी के कंसोर्टियम बैंकर्स (एसबीआई लीड बैंक) द्वारा ₹ 400000 की कार्यशील पूँजी की सीमा मंज़ूर कर दी गई है। स्वीकृत राशि में ₹ 50,000 की निधि आधारित सीमा और ₹ 350,000 की गैर निधि आधारित सीमा शामिल है।

b. फंड आधारित सीमा पर देय ब्याज दर एसबीआई 1 वर्ष एमसीएलआर दर से जुड़ी है। यथा 31.03.2018 को ब्याज दर के रूप में देय 8.15% प्र.व. है.

c. उपयोग की गई राशि मांग पर देय है। 31.03.2018 तक उपयोगिता शून्य (शून्य) है।

d. उपरोक्त मंजूरी की सीमा कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों के ढ़ांचे द्वारा सुरक्षित है।

7. ठेका प्रतिबद्धताएं

	विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
a.	पूंजीगत खाते पर निश्पादित होने वाले ठेके की अनुमानित राशि और 31 मार्च को उपलब्ध नही कराया गया है।		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	44,392	41,301
	निवेश संपत्ति	-	-
	अमूर्त परिसंपत्तियां	5,892	7,278
b.	नवेश संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव या वृद्धि के लिए अनुबंधीय प्रत्बद्धता।	-	-
c.	अन्य प्रतिबद्धताएं अर्थात 31 मार्च को गैर-रद्ध करने योग्य संविदात्मक प्रतिबद्धताओं (यानी, रद्ध करने के परिणामस्वरूप इसके जुड़ाव के लिए अधिक से अधिक जुर्माना होगा)	-	-

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

8. अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय:

वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर कंपनी ने संबंधित प्राकृतिक वर्गीकरण में शामिल किया है:

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
व्यय		
सामग्री	27,603	24,879
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	49,184	34,375
मूल्यह्रास	5,588	4,308
अन्य	11,476	11,508
सकल व्यय	**93,851**	**75,070**

नोट: उपर्युक्त व्यय में ₹ 14,930 शामिल है, जिसे वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक खातों के वर्ष (संदर्भ नोट्स) के दौरान चार्ज नहीं किया गया है।

9. आकस्मिक देयताएं:

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावें	110,241	118,388
बकाया साख पत्र	28,452	30,281
अन्य	2,060	2,860
ग्राहक के अनपेक्षित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो गई है, पर 31 मार्च तक अनंतिम निर्णीत हर्जाने	23,289	16,053

कन्वर्जेंट बिल्लिंग परियोजना के संबंध में कंपनी को एमटीएनएल द्वारा ₹80,670 (₹ 80,670) का दावा किया गया ।

10. आकस्मिक परिसंपत्तियां:

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
शून्य	-	-

11. शेषों का पुष्टीकरण

व्यापार से प्राप्तियां, व्यापार प्रदेय, अग्रिम और जमा राशियां के संबंध में शेषों के पुष्टीकरण का निवेदन करते हुए पत्र भेजे गए है। जहाँ कही उत्तर प्राप्त हुए है, उनका समाधान प्रगति में है और जहाँ कही आवश्यक समझा जाएगा, प्रावधान किए जाएंगें।

12. श्रम विवाद

श्रम मामलों के संबंध में, जैसा कि मामलों को अभी तक तय नहीं किया गया है, देयता, यदि कोई है, तो पता नहीं है। हालांकि, ऐसी देयता सामग्री होने की उम्मीद नहीं हैं।

13. उत्पाद शुल्क

एक्साइज ड्यूटी – अन्य समाप्त सामानों पर उत्पाद शुल्क के बढ़ते प्रावधान, स्क्रैप की बिक्री पर उत्पाद शुल्क आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

14. 01.07.2017 से माल और सेवा कर (जीएसटी) के परिचय के परिणामस्वरूप, उत्पाद शुल्क पर उत्पाद शुल्क अब लागू नहीं है और इसलिए 1 जुलाई 2017 को सकल टर्नओवर से प्रभावी होते हुए का हिस्सा नहीं है।

15. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के द्वारारक्षा उत्पादों में कार्यरत कंपनियों को सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

16. प्रतिधारण बिक्री

प्रतिधारण बिक्री का मूल्य (यानी, ग्राहकों के अनुरोध पर और उनके जोखिम पर कंपनी के साथ बनाए रखा सामान) वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर में शामिल है ₹ 76,400 (₹ 104,791)।

उपरोक्त में से पूर्व कार्य बिक्री का मूल्य ₹ 37,110 (₹ 93,526) है ।

17. विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आईसीएआई की घोषणा के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रकटीकरण की आवश्यकता है, 31 मार्च 2018 तक प्रमुख मुद्रा-वार एक्सपोजर नीचे दिया गया है। विदेशी मुद्राएं लाखों में दिखायी जाती हैं (पिछले वर्ष के आंकड़े ब्रैकेट में दिखाए जाते हैं)।

मुद्रा	देय		प्राप्तियों		दल का दायित्व*	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपया समतुल्य	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपया समतुल्य	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपया समतुल्य
यूएसडी	807	52,767	33	2,104	302	19,879
	(874)	(56,906)	(266)	(17,006)	(384)	(25,153)
यूरो	141	11,288	12	943	195	15,963
	(216)	(15,503)	(12)	(828)	(163)	(11,498)
जीबीपी	21	1,900	-	-	34	3,147
	(17)	(1,441)	-	-	(7)	(558)
जेवैईएन	631	395	-	-	3	2
	(31)	(18)	-	-	(18)	(11)
एसजीडी	3	154	-	-	-	-
	(1)	(33)	-	-	-	-
सीएचएफ	55	3,814	-	-	1	95
	(60)	(3,906)	-	-	(2)	(101)
केनैडियन डॉलर 1	1	27	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
अन्य	2	1,242	-	1,031	-	-
	(19)	(590)	-	(358)	-	(3)
कुल(रु)		**71,587**		**4,078**		**39,086**
		(78,397)		**(18,192)**		**(37,324)**
ऊपर से बाहर ग्राहकों से एक्सचेंज रेट विविधता खंड द्वारा कवर की गई राशि		23,898		-		9,590
		(33,835)		-		(17,886)

* क्रेडिट और पूंजी प्रतिबद्धताओं के बकाया पत्रों से संबंधित एक्सपोजर शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने फर्म प्रतिबद्धताओं के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव को कवर करने के लिए फॉरवर्ड अनुबंधों में प्रवेश नहीं किया है। 31.03.2018 को कोई बकाया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं।

18. सीएसआर व्यय से संबंधित प्रकटीकरण

a. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि ₹ 3,475 (₹ 2,972) है।

b. **वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खर्च की गई राशि:**

क्र.सं	विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है	कुल	अनुचित राशि के लिए स्वीकृति	सीएसआर ग्रैंड कुल
i)	किसी भी संपत्ति का निर्क्षण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
ii)	उपरोक्त (ळ) के अलावा अन्ङ्क उद्देश्ङ्क	1,411	227	1,638	2,059	3,697
		(1,106)	(58)	(1,164)	(1,822)	(2,986)

उपरोक्त व्यय में ₹ 65 (₹ 129) के सीएसआर प्रशासन ओवरहेड शामिल हैं जिन्हें कर्मचारी लाभ व्यय के तहत समूहीकृत किया गया है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

19. वापस नही करने वाले प्रचालन पट्टे प्रकटन:

a. **पट्टाकार से:**

भविष्य निम्न पट्टे किराया प्राप्य

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
एक वर्ष से कम नही;	335	352
एक वर्ष के बाद एवं पाँच वर्ष से कम;	922	1,319
पाँच वर्ष के हाद	1	1

कंपनी ने गैर रद्द करने योग्य प्रचालन लीज़ के तहत विभिन्न संगठनों को भूमी के कुछ हिस्सों को किराए पर लिया है। पट्टों में विभिन्न शर्तों, वृद्धि खंड, पट्टा नवीकरण आदि है। नवीकरण पर, पट्टे की शर्तो को पुनः बातचीत की जाती है।

ग्रुप ने आकस्मिक किराया के रूप में किसी आय को मान्यता नही दिया है।

b. **पट्टेदार के रूप से:**

भविष्य निम्न पट्टे किराया प्रदेय

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
एक वर्ष से कङ्क नही;	-	-
एक वर्श के बाद एवं पाँच वर्ष से कङ्क;	-	-
पाँच वर्ष के बाद	-	-

मूल कंपनी ने गैर-रद्द करने योग्य ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज पर जमीन ली है। पट्टे के पास विभिन्न शर्तें, वृद्धि खंड, लीज नवीनीकरण अधिकार आदि हैं। नवीनीकरण पर, पट्टे की शर्तों को फिर से बातचीत की जाती है।

मूल कंपनी ने आकस्मिक किराए के रूप में किसी भी खर्च को मान्यता नहीं दी है।

20. दिसंबर 2015 के दौरान चेन्नई इकाई बाढ़ से प्रभावित हुई थी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी में बाढ़ से संबंधित नुकसान शामिल हैं। ₹ 1,581 (₹ 1,000) की राशि अंतिम निपटारे के रूप में प्राप्त हुई थी और लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, स्क्रैप वस्तुओं के संबंध में दावे निपटारे की ओर ₹ शून्य (₹ 32) की राशि प्राप्त हुई थी

21. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश नहीं पहचाना गया मूल कंपनीं

निदेशकों ने प्रति शेयर आईएनआर 0.40 (आईएनआर 1.05) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता हैं

प्रस्तावित लाभांश आने वाली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है और यदि मंजूरी दे दी जाएगी तो लगभग 11,750 (लाभांश वितरण कर सहित) का नकद बहिर्वाह होगा।

22. ब्रैकेट में आंकड़े पिछले वर्षों से संबंधित हैं।

23. समेकित वित्तीय विवरण में सभी आंकड़े निकटतम लाखों तक राउंड ऑफ किए जाते हैं जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता है।

24. 29 मइ 2018 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए गए मुद्दों के लिए समेकित भी.ले.मा वित्तीय विवरणों को मंजूरी दे दी गई थी।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

टिप्पणी 31
संबंधित पक्षकार लेन–देन

a. **सहायक और सहयोगी**

एंटिटि का नाम	कारोबार का स्थान	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार		गैर–नियंत्रण अधिकारी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार		प्रमुख गतिविधियां
		यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	
बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइस लिमिटेड (बीईएलओपी) – सहायक	भारत	100%	100%	-	-	छवि तीव्रता ट्यूबों का निर्माण और आपूर्ति।
बीईएल – थाल्स सिस्टम लिमिटेड – सहायक	भारत	74%	74%	26%	26%	रक्षा और नागरिक रडार के डिजाइन, विकास, आपूर्ति और समर्थन।
जीई बीई प्रिवेट लिमिटेड	भारत	26%	26%	74%	74%	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण

b. **प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिको के ब्यौरे**

i. **प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिकों के नाम**

श्री एम वी गौतमा, सीएमडी
श्री आर एन बग्दलकर, निदेशक मा.सं.
श्री कोशी अलेक्ज़ेंडर, निदेशक वित्त एवं सीएफओ निदेशक (वित्त) 25.09.2017 से]
डॉ. अजित टी कलघट्गी, निदेशक अ एवं वि
श्री नटराज कृष्णप्पा, निदेशक अन्य यूनिट]
श्रीमति आनंदी रामलिंगम, निदेशक विपणन]
श्री गिरीश कुमार, निदेशक बीजी परिसर 20.02.2018 तक]
श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव

ii. **प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिको के पारिश्रामिक**

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
अल्पकालिक कर्मचारी अनुलाभ	481	352
रोज़गारोत्तर अनुलाभ	12	37
दीर्घकालिक कर्मचारी अनुलाभ	(20)	59
समापन अनुलाभ	-	-
शोयर धारित भुगतान	-	-
कुल	**473**	**448**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

c. **प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिको के अलावा, संबंधिक पक्षकारों के लेन–देन नीचे दिए गए है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए है):**

विवरण	सहायक कंपनी		सहयोगी	ग्रैंड कुल
	बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइस लिमिटेड (बेलोप	बेल–थाल्स सिस्टम लिमिटेड	जीई बीई प्राई. लि.	
सामान की खरीद	5,057	-	-	**5,057**
	(6,001)	-	-	**(6,001)**
सामानों की बिक्री *	4	-	2,652	**2,656**
	-	-	(3,197)	**(3,197)**
सेवाएं प्राप्त	-	302	-	**302**
	-	(109)	-	**(109)**
सेवाएं प्रदान की गईं	-	289	-	**289**
	-	(118)	-	**(118)**
किराया प्राप्त (लीज)	-	37	-	**37**
	-	(36)	-	**(36)**
ब्याज आय	474	-	-	**474**
	(596)	-	-	**(596)**
निवेश पर लाभांश आय	144	-	260	**404**
	-	-	(5,200)	**(5,200)**
ऋण वितरित	492	-	-	**492**
	(1,039)	-	-	**(1,039)**
शेयरों की खरीद	1,744	-	-	**1,744**
	(4,919)	(2,606)	-	**(7,525)**
31.03.2018 को ऋण बकाया (ब्याज सहित) **	3,420	-	-	**3,420**
	(4,445)	-	-	**(4,445)**
31.03.2018 को बकाया व्यापार देय	2,539	118	-	**2,657**
	(4,709)	(107)	-	**(4,816)**
31.03.2018 को बकाया व्यापार प्राप्तियां	2	4	869	**875**
	-	(123)	(766)	**(889)**
31.03.2018 को इक्विटी में निवेश	12,515	4,264	260	**17,039**
	(10,737)	(4,264)	(260)	**(15,261)**
31.03.2018 को बकाया खरीद के लिए अग्रिम	2,288	-	-	**2,288**
	-	-	-	**-**

* शून्य का प्रतिनिधित्व करता है (आईएनआर 7,763) पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है जिसे राउंड ऑफ है।

d. संबंधित पक्षों से निपटाए गए सभी लेनदेन सैनिय मंजूरि के आधार पर है।

e. सभी बकाया शेष असुरक्षित है। अगले 6 महिनों के भीतर नकद में सभी बकाया शेष राशि (ऋण के अलावा) चुकाने योग्य है।

f. एमओडी से शेष राशि की प्राप्ति के लंबित, एक्सडी–4 द्वितीय ट्यूबों के लिए टीओटी की ओर भुगतान करने के लिए बीईएलओपी को सक्षम करने के लिए कंपनी ने अप्रैल 2013 में बीईएलओपी के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है, ताकि अस्थायी रूप से ₹ 10,416 ₹ 26,040 कम ₹ 15,624 की राशि को वित्त पोषित किया जा सके। 31.03.2018 तक, बीओएलओपी को ₹ 9, 851 (₹ 9,503) की राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें से एमओडी से ₹ 7,109 (₹ 6,401) की राशि प्राप्त हुई है। ₹ 2,742 (₹ 3,102) की शेष राशि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत दिखाया गया है – नॉन करंट। (नोट 9 देखें)।

समझौते के मुताबिक, वित्तीय वर्ष के दौरान धन की लागत के लिए बीएलओपी से ₹ 221 (₹ 273) की राशि वसूल की गई है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

g. **संबंधित दलों के लिए ऋण**

1. कंपनी ने जुलाई 2015 में अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकता को अस्थायी रूप से 310003.2016 तक पूरी तरह से वितरित किया गया था और 31.03.2018 तक ₹1,872 बकाया राशि के लिए बीओएलओपी के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है। नियम और शर्तों के अनुसार:
   i) शेष राशि जुलाई 2016 से त्रैमासिक किस्तों में चुकाई जाएगी।
   ii) ब्याज की बकाया राशि पर बीईएल की उपज पर मासिक आधार पर, बकाया ऋण राशि पर ब्याज लगाया जाएगा।
2. कंपनी ने अगस्त 2016 में बीईएलओपी के साथ ₹ 4,600 के टर्म लोन को फंड करने के लिए एक समझौते में प्रवेश किया है 31.03.2018 को ₹1,531 वितरित किया गया है। नियम और शर्तों के अनुसार:
   i) मूल राशि अगस्त 2019 से ३६ बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी।
   ii) मासिक आधार पर बकाया ऋण राशि पर ब्याज का शुल्क, उसके जमा पर उपज की बीईएल की दर या पांच साल की भारत सरकार बॉन्ड, जो भी अधिक हो, पर ब्याज दर उपज पर ब्याज लगाया जाएगा।
3. ** बकाया ऋण में नीचे बाजार दर पर सहायक (बीईएलओपी) को दिए गए ऋण के खाते में समायोजित ₹63 (₹70) शामिल नहीं है

h. **कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति सहित प्रबंधन अनुबंध**

बीईएल के दो अधिकारी को बीईएलओपी (सहायक) को नियुक्त किया गया है और बीईएल के आठ अधिकारियों को बीईएल–थाल्स सिस्टम लिमिटेड (सहायक) को नियुक्त किया गया है और उनकी वेतन और अन्य लागत का भुगतान बेलोप और बेल–थैल्स सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। क्रमशः रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान।

i. **सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन**

चूंकि बीईएल रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण में एक सरकारी इकाई है, इसलिए कंपनी ने सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ 24 wrt संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में इंडस्ट्रीज़ के तहत आवश्यक विस्तृत खुलासे से छूट प्राप्त की है। हालांकि 24 के रूप में इंडस्ट्रीज़ के तहत आवश्यक, निम्नलिखित व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन हैं:

1. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान शेयरों की संख्या 11945469 (13828771) की वापसी।
2. 151745884 (120028420) बोनस शेयरों की संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में जारी की गई थी।
3. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 42,221 (₹ 44,735) की राशि को लाभांश के रूप में भुगतान किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी के टर्नओवर के लगभग 85% (90%), लगभग 99% (76%) व्यापार प्राप्तियां और ग्राहक के अग्रिम के लगभग 84% (70%) सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के संबंध में हैं।

j. बीईएलओपी के संबंध में इक्विटी में निवेश में ऋण का उचित मूल्यांकन शामिल है।

टिप्पणी 32

अन्य एसोसिएट में हित:

a. सहायक कंपनी:

एंटिटि का नाम	जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड
व्यवसाय / निगमन का स्थान	भारत
स्वामित्व ब्याज का %	26%
संबंध	एसोसिएट
ले जाने वाली राशि	20,458 (18,387)

ईक्विटि शेयर के प्रत्येक धारक को वोट ऑन शो ऑफ हेड्स एवं उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या पर हकधार है।

एसईओएट में निवेश का उचित मूल्य खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी अनिश्चित है।

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड चिकित्सा उपकरणों का निर्माता है और इसके उत्पाद बीईएल बेंगलुरु और बीईएल पुणे इकाई के घटक एसबीयू के व्यापार खंड का पूरक हैं।

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी की ब्याज की राशि

तुलन पत्र का सार	बीईएल – थेलेस सिसटम्स लि.	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
गैर – चालू परसंपत्तियां	21,643	16,165
चालू परिसंपत्तियां		
नकद एवं नकद समतुल्य	1,309	1,941
अन्य परिसंपत्तियां	71,409	63,063
कुल चालू परिसंपत्तियां	**72,718**	**65,004**
कुल परिसंपत्तियां	**94,361**	**81,169**

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

तुलन पत्र का सार	बीईएल – थेलेस सिसटम्स लि.	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
गैर-चालू देयताएं		
व्यापार देनदारियों के अलावा वित्तीय देनदारियां	5	33
अन्य देनदारियां	1,599	772
कुल गैर-वर्तमान देनदारियां	**1,604**	**805**
वर्तमान देनदारियां		
व्यापार देनदारियों के अलावा वित्तीय देनदारियां	165	156
अन्य देनदारियां	13,906	9,490
कुल मौजूदा देनदारियाँ	**14,071**	**9,646**
कुल देयताएँ	**15,675**	**10,451**
निवल परसंपत्तियां	**78,686**	**70,718**
शुद्ध संपत्ति का कंपनी का हिस्सा	**20,458**	**18,387**

लाभ एवं हानि विवरण का सार	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
राजस्व	82,898	81,348
ब्याज आय	3,027	3,476
मूल्यह्रास और परिशोधन	2,288	1,795
ब्याज व्यय	57	26
आयकर खर्च	5,128	5,191
इस वर्ष का लाभ	9,146	10,130
अन्य व्यापक आय	26	(20)
कुल व्यापक आय	9,172	10,110
लाभ का कंपनी का हिस्सा	2,378	2,634
ओसीआई की कंपनी का हिस्सा	7	(5)
कुल व्यापक आय का कंपनी का हिस्सा	2,385	2,629

कंपनी को ₹ 260 (₹ 5,200) का लाभांश मिला ।

ले जाने की रकम की सुलह

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रारँभिक निवल परिसंपत्तियां	**18,387**	**22,017**
इस वर्ष का लाभ	2,378	2,634
अन्य व्यापक आय	7	(5)
लाभांश भुगतान (लाभांश वितरण कर सहित)	314	6,259
समापन निवल परिसंपत्तियां	**20,458**	**18,387**

एसोसिएट के संबंध में प्रतिबद्धताओं और आकस्मिक देयताएं

विवरण	जीई बीई प्रा. लि. (लेखा परीक्षित)	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूंजी प्रतिबद्धता	313	271
अन्य प्रतिबद्धताओं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताए	1,531	1,567

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

टिप्पणी 33

वित्तीय प्रलेखों – उचित मील्य मापन

1 **लेखापरीक्षा वर्गीकरण एवं उचित मील्य**

वित्तीय परसंपत्तियां एवं देयताएं के स्वीकृत राशि एवं उचित मूल्य निम्नलिखित सूची मे दर्शाए गए है।

विवरण		यथा 31 मार्च 2018			यथा 31 मार्च 2017		
		एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन							
I	**निवेश**						
i	ईक्विटी प्रलेख – माना एफ्लूअंट ट्रीटमेंट प्लैंट लि.	-	7	-	-	7	-
ii	अन्य निवेश						
a.	भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी) में निवेश(अवकाश नकदीकरण एवं बीईआरईसीएचएस के लिए)	73,269	-	-	30,702	-	-
	उप कुल	**73,269**	**7**	**-**	**30,702**	**7**	**-**
	उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन नही						
II	व्यापार प्राप्तियां	-	-	570,458	-	-	435,488
III	ऋण						
a	सुरक्षा जमा राशियां	-	-	3,125	-	-	2,850
b	संबंधित दलों के लिए ऋण	-	-	3,357	-	-	4,375
c	कर्मचारियों को ऋण	-	-	819	-	-	821
d	अन्य को ऋण	-	-	-	-	-	-
IV	नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	73,822	-	-	268,596
V	अन्य बैंक शेष	-	-	48	-	-	110,422
VI	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां						
a	कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	100	-	-	189
b	अन्य को अग्रिम	-	-	5	-	-	4
c	गैर व्यापार प्राप्तियां	-	-	455	-	-	226
d	प्रोद्भूत आय	-	-	134,457	-	-	20,792
e	प्रोद्भूत ब्याद पर टर्म डिपॉज़िट पर देय नही	-	-	3,649	-	-	5,346
f	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	4,175	-	-	3,587
	अन्य निवेश						
a	सबकारी संस्थानों, आवास संस्थानों आदि में निवेश.*		-	-	-	-	-
b	सहायक कंपनियों में निवेश	-	-	16,779	-	-	15,001
c	एसोसिएट्स में निवेश	-	-	260	-	-	260
	उप कुल	**-**	**-**	**811,509**	**-**	**-**	**867,957**
	कुल	**73,269**	**7**	**811,509**	**30,702**	**7**	**867,957**

* आईएनआर 4,750 (आईएनआर 4,750) पूर्ण आंकड़े को प्रतिनिधित्व करता है जो राउंड ऑफ किया गया है।

नोट : सहायक कंपनियों (बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस निमिटेड और बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेज) में निवेश का अनुमान भा.ले.मा. 101 के तहत उपलब्ध विकल्पो के साथ लागत में किया गया है। साथ ही, एसोसियेट (जीई-बीई प्राइवेट लिमिटेड) में निवेश का खर्च निवेश भा. ले. मा.101 के तहत उपलब्ध विकल्प के साथ किया गया है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण		यथा 31 मार्च 2018			यथा 31 मार्च 2017		
		एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागन	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागन
उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं का मापन							
कुल		-	-	-	-	-	-
उचित मील्य पर वित्तीय देयताओं का नही मापन							
I	उधार राशियां	-	-	3,333	-	-	1,667
II	व्यापार प्रदेय	-	-	140,020	-	-	133,061
III	अन्य वित्तीय देयताएं						
a	सुरक्षा जमा राशियां	-	-	8,216	-	-	3,217
b	दीर्घकालिक ऋण पर चालू परिपक्व	-	-	3,333	-	-	3,333
c	ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं है – टर्म ऋण	-	-	-	-	-	1
d	ब्याज अर्जित किया गया लेकिन व्यापार भुगतान योग्य नहीं है	-	-	10	-	-	9
e	अन्य व्यापार प्रदेय	-	-	13,268	-	-	8,229
f	अवैतनिक परिपक्व जमा	-	-	37	-	-	37
g	अदत्त लाभांश	-	-	48	-	-	6,422
h	एमएसएई को गैर व्यापार प्रदेय	-	-	102	-	-	85
i	बकाया व्यय	-	-	58,728	-	-	38,717
j	अन्य देयताएं	-	-	1,052	-	-	1,077
	कुल	-	-	**228,147**	-	-	**195,855**

2 **उचित मूल्य अनुक्रम**

वित्तीय प्रलेखों में जहाँ भी प्रयोज्य उचित मूल्य मापन हेतु अनुक्रम स्तर का उपयोग नीचे दिए गए है:

विवरण		नोट	यथा 31 मार्च 2018			यथा 31 मार्च 2017		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
I	**उचित मूल्य पर मापन वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं– आवर्तक उचित मूल्य मापन**							
A	वित्तीय परिसंपत्तियां							
i	एफवीपीएल में वित्तीय निवेश	6	-	73,269	-	-	30,702	-
ii	एफवीओसीआई पर वित्तीय निवेश– अनकोटेड	6	-	-	7	-	-	7
II	**प्रोदभूत लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं**	इन परिसंपत्तियों का भार उठाते हुए मूल्य के रूप में कोई अलग उचित मूल्य नही बताया जाता है और देयताएं उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है।						

स्तर 1: पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है।

स्तर 2: वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नही किया जाता है मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके नीर्धारित किया जाता है जो निरीक्षण योग्य बाजार डोटा के उपयोग को अधिकतम करते है और इकाई विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करते है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ अवेषनीय बाजार डेटा पर आधारित नही है, तो उपकरण 3 स्तर में शामिल है। यह सूचीबद्ध न किए गए इक्विटि शेयरों का मामला है।

3 **उचित मूल्य निर्धारण हेतु उपयुक्त मूल्यांकन तकनीक :**

a. एलआईसी निवेश – (स्तर 2)
एलआईसी से प्राप्त योजना के मूल्यांकन रिपोर्ट आधारित।

b. मेसर्स माना एफ्लुअंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. – (स्तर 3)
बीईएल ने मेसर्स माना की इक्विटि प्रतिभूतियों में निवेश किया है, जो एक असूचीबद्ध कंपनी है। मेसर्स माना में निवेश की कंपनी की लागत केवल ऋ 5 (जारी शेयर पूंजी की ऋ 163). कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए नेट एसेट वैल्यू पद्धति का विकल्प चुना है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

टिप्पणी 34
वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) **जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं नीतियाँ**

वित्तीय साधनों के परिणामस्वरूप कंपनी ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम (विनिमय दर, ब्याज दरों और मूल्य जोखिम में उतार-चढ़ाव) का व्यापक रूप से सामना करती है।

निदेशक मंडल की संपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी के जोखिम पँबंधन ढांचे की स्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण है।होर्ड ने इस उद्देश्य से जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है, जो जोखिम प्रबंधन नीतियों के विकास और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। कंपनी की एक स्थापित जोखिम प्रबंधन नीति है जो जोखिम प्रबंधन संरचना की रूपरेखा करती है और पहचान, मूल्यांकन, प्राथमिकता, वित्त और संचालन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न जोखिमों के उपचार के लिए व्यापक ढ़ांचा प्रदान करती है।

कंपनी के पास एक केंद्रीकृत ट्रेजरी कार्य है जो कि बोर्ड द्वारा तैयार की गई है

ii) **बाजार जोखिम**

बाजार का जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा जैसे बाजार मूल्य में बदलाव होते है, ब्याज दरें ग्रुप की आय या वित्तीय साधनों की अपनी होल्डिंग्स के मूल्य को प्रभावित करती है। बाजार जोखिम को प्रबंधत करना और नियंत्रित करना है पैरीमीटर, जबकि वापसी का अनुकूलन।

समूह की गतिविधियां यह मुख्य रूप से विदेशी विनिमय दरों के आंदोलनों (मुद्रा जोखिम और ब्याज जोखिम पर नीचे दिए टिप्पणियां देखें) में होने वाले परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती है।

मुद्रा जोखिम

बीईएल विदेशी मुद्रा संचालन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम खासकर अमेरिकी डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और स्विस प्रैंक जैसे विदेशा मुद्रा में खरीदी और बिक्री से संबंधित होता है इसका खुलासा करता है। विदेशी मुद्रा जोखिम मौजूदा और भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मुद्रा मानी जाती है जो कि केंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नही है।

कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा कार्यान्वित एक बोर्ड अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है जो इस जोकइम के लिए कंपनी के जोखिम को नियमित आधार पर समीक्षा करती है। जोखिम प्रबंधन नीति खुली विदेशी मुद्रा नीति के 50% तक बचाव व्यवस्था की सिफारिश करती है। हालांकि बचाव व्यवस्था मे प्रवेश करने का निर्णय प्रासंगिक डेटा आदानों के आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बाहरी विशेषज्ञ सलाहकार की सलाह दी जाती है। .

कंपनी का निर्यात आय ज्यादातर एक निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में प्रेषण द्वारा महसूस होता है, जिसका उपयोग विदेसी मुद्रा मे किए जाने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है, जिसका निर्यात पर मुद्रा जोखिम को कम किया जा सकता है। वार्षिक विदेशी मुद्रा विनिमय के लगभग 25% (30%) की सीमा को आयात संबंध में संबंधित ग्राहक संविदा में एक्सचेंज दर विविधता (एआरवी) भाग द्वारा कवर नही किया जाता है और इसलिए मुद्रा जोखिम के लिए खुले है। इन आयातों को मामले दर के आधार पर नीति और जोखिम को कवर करने के लिए उचित निर्णय मामले के आधार पर मानदंड किया जाता है। जहां भी जरूरत हो कंपनी की मुद्रा जोखिम नीति आगे की आवश्यकता के मुताबिक जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था अनुबंध का समर्थन करती है।

31 मार्च 2018 के अनुसार कोई बकाया अग्रेषित अनुबंध नही है। कंपनी ने 2017-18 के दौरान किसी भी अग्रिम अनुबंध में शामिल नही है। मुख्य मुद्राओं के मामले में विदेशी मुद्रा के संबंध में समूह का एक्सपोशर के विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	यथा 31.03.2018				यथा 31.03.2017			
	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	सीएचएफ	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	सीएचएफ
व्यापार प्रदेय	807	141	21	55	874	216	17	60
व्यापार प्राप्य	33	12	-	-	266	12	-	-
निवल एक्सपोज़र	774	129	21	55	608	204	17	60

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

विनिमय दर में होमे वाले लाभ या हानियों की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में निहित वित्तीय साधनों से होती है। प्रमुख मुद्राओं के संबंध में संवेदनशीलता की विविधता नूचे दी गई है। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अन्य सभी परिवर्तनशील लगातार हे रहते है।

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
यूएसडी – 5% बढ़ोत्तरी	2,530	1,979
यूएसडी – 5% घटाई	(2,530)	(1,979)
यूरो – 5% बढ़ोत्तरी	516	732
यूरो – 5% घटाई	(516)	(732)
जीबीपी – 5% बढ़ोत्तरी	95	72
जीबीपी – 5% घटाई	(95)	(72)
सीएचएफ – 5% बढ़ोत्तरी	191	195
सीएचएफ – 5% घटाई	(191)	(195)

ब्याज पर जोखिम

ब्याज दर जोखिम या तो उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम या नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है।उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेश के उचित मूल्यो में होने वाले बदलावो का जोखिम है। नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है ताकि बाजार में बायाज दर की उतार चढ़ाव के वजह से चलायमान ब्याज वाले उपकरणो के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर उधार:

कंपनी को 31.03.2017 को रु.10,000/– का टर्म लोन मंजूर कर दिया गा है (31 मार्च 2018 तक बकाया रु.6,666/– है) इस ऋण पर देय ब्याज एसबीआई के न्यूनतम व्यवसायिक ऋण दर – एमसीएलआर पर आधारित है। (एसबीआई वार्षिक आधार पर लगाए गए ब्याज को रीसेट करने के लिए योग्य है)। यदि ब्याज दर 1% तक बढ़ जाती है तो रु.67 की नकदी का एक अतिरिक्त बहिर्वाह होगा और यदि ब्याज दर 1% कम हो जाती है तो रु.50 नकदी प्रवाह की बचत होती है हालाकि, लाभ पर कोई प्रभाव नही पडता कुयूकि ब्याज घटक का पूंजीकरण होता है क्यूंकि उधार पूंजीगत व्यय के प्रति है।

इसके अलावा मूल कंपनी को ऋ4,00,000 की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर कर दी गई है। स्वीकृत सीमा में ऋ50,000 की फंड आधारित सीमा औरऋ 350,000 की गैर–निधि आधारित सीमा शामिल है। ऋ 50,000 की फंड आधारित सीमा का उपयोग वर्ष के दौरान नहीं किया गया है 31 मार्च 2018 तक बकाया शून्य है (31 मार्च 2017 शून्य है)। गैर–निधि आधारित सीमा के संबंध में 31.03.2018 को बकाया राशि ऋ175565 (ऋ 165376) है। एसबीआई की 1 साल की एमसीएलआर दर के आधार पर ब्याज देय है। चूंकि उधार लेना शून्य है क्योंकि ब्याज दरों में संभावित परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सहायक कंपनी बीईएलओपी के मामले में एसबीआई (लीड बैंक) और एक्सिस बैंक के कंसोर्टियम बैंकरों द्वारा ऋ4,600 / – की कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी दे दी गई है। ब्याज दर 8.45% प्रति वर्ष है। (एक्सिस बैंक) और 8.35% प्रति वर्ष (एसबीआई)।

साम्या मूल्य जोखिम

साम्या मूल्य जोखिमके संबंध में कंपनी का निवेश नगण्य है क्यूंकि इसके औचित्व निवेश (सहायक और सहयोगी के अलावा) नगण्य है।

iii) **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम हैकि कंपनी को वित्तीय देनताहियो से जुडी दायित्व को पूरा करने में कठिनाइयो का सामना करना पड सकता है, नकदी और अन्य वित्तीय संपत्ति याजोखिम के ज़रिए कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में कठिनाइयो का सामना करना होगा। तरलता जोखिम के लिए कंपनी का अनावरण बहुत कम है क्यूंकि इसमे एक विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से पर्याप्त दायित्वो का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रति भूतिया बनाए रखता है। जब आवश्यक हो वित्त पोशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा, नकद ऋण सुविधा और अल्प कालिक उधार की प्रकृति में अपनी चालू कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और विकास की ज़रूरतों के लिए उपयोग किया जाता है।

कंपनी अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करती है मुख्य रूप से आंतरिक रूप से उत्पन्न नकदी प्रवाह के माध्यम से जो कि राजकोष द्वारा मुख्य बिंदु पर नगराणी रखी जाती है। विभिन्न प्रचालन यूनिटों से नकद पूर्वानुमान के रोलिंग की एक स्थापित प्रक्रिया है जो देयताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह को अंकित करने का आधार बनाती है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

नीचे दी गई तालिकाकंपनी की वित्तीय देनदारियो का विश्लेषण करती है, जो उनके अनुबंद संबंधी परिपक्वता पर आधारित होती है। बताया गया राशि संविदात्मक और रियायती नकदी प्रवाह है।

यथा 31 मार्च 2018

विवरण	3 महीनों से कम	3 से 6 महीन	6 महीनें से 1 वर्ष	1 और 2 वर्ष के भीतर	2 और 5 वर्ष के भीतर	कुल
उधार राशियां	-	-	-	3,333	-	3,333
व्यापार प्रदेय	119,046	7,509	13,460	-	5	140,020
दीर्घकालिक ऋण के चालू परपक्व	833	834	1,666	-	-	3,333
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	8	-	2	-	-	10
अन्य वित्तीय देयताएं	72,197	2,141	6,991	91	32	81,452

यथा 31 मार्च 2017

विवरण	3 महीनों से कम	3 से 6 महीन	6 महीनें से 1 वर्ष	1 और 2 वर्ष के भीतर	2 और 5 वर्ष के भीतर	कुल
उधार राशियां	-	-	-	1,667	-	1,667
व्यापार प्रदेय	130,403	691	1,967	-	-	133,061
दीर्घकालिक ऋण के चालू परपक्व	833	834	1,666	-	-	3,333
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	7	-	2	-	-	9
अन्य वित्तीय देयताएं	57,050	68	595	46	26	57,785

31 मार्च 2018 को कंपनी में कोई बकाया डेरवेटिव्स नही है।

iv) **ऋण जोखिम**

उस जोखिम को दर्शाता है कि एक कौंटर पार्टी अपने दायित्व संबंधी दायित्वों पर चूक जाएगी जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। ग्राहको से ऋण जोखिम, बैंको के साथ नकदी और नकद समकक्ष, सुरक्षा जमा और ऋण से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

कंपनी के ऋण जोखिमको जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा एक कारपोरेट स्तर पर प्रबंधित किया जाता है जिसने अपने ग्राहको और अन्य प्राप्तियो के लिए क्रेडिट नीति मानदंडो की स्थापना की है। व्यापार प्राप्तियो की महत्वपूर्ण मात्रा सरकारी / सरकारी विभागो, सार्वजनिक क्षेत्रकी कंपनियो (पीएसयू) की वजह से होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ऐसी प्राप्तियो के साथ जुडे क्रेडिट जोखिम नही मिलता है। गैर सरकारी व्यापार प्राप्तियो के मामले में, सामान्य तौर पर बिक्री ग्राहक द्वारा स्थापित क्रेडिट पत्र के आधार पर किया जाता है जिससे क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है।

कुछ मामलो में, ग्राहक की शोधन क्षमता का आकलन करने के बाद और ऋण योगायता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारणो से बाज़ार की स्थितियो के आधार पर ग्राहको के ऋण को बढ़ाया जाता है।आग्रिम भुगतान बैंक गैरंटी के प्रतिकूल किए जाते है जो इस तरह के भुगतान से जुडे ऋण जोखिम को सुरक्षित रखते है। वित्तीय परिसंपत्तियो पर नुकसान हानि (मुख्य रूप से मुआवज़ा किए गए नुकसानो का विलंबित प्रत्याहरण और अन्य अस्वीवर्तको के लिए लगाए जाने वाले नुकसान) अनुबंदित नियो आदि कारको और अनय संकेतको के बाद किया गया है।

बैंको के साथ नकद और नकद समकक्ष 1वर्ष तक की परिपक्वता आवधि के परिप्रेक्ष्य अवधि के साथ अल्प कालिक जमा के रूप मे है। कंपनी की एक अच्छी तरह से संरचित जोखिम निवारण नीति है जिसके तहत प्रत्येक बैंक के लिए अपनी कुल मूल्य और कमाई क्षमता के आधार पर निर्धारित सीमाए है, जो कि आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। कंपनी ने जमाओं पर बैंकों से डीफॉल्ट के कारण किसी भी प्रकार की हानि नही की है।.

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियो के संबंध में ऋण जोखिम नगण्य है क्यूंकि वे ज्यादातर सरकारी विभाग/ पार्टियो के कारण होते है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

बेलऑप (शत प्रतिशत सहयोगी कंपनी) के मामले में (यथा31.03.2018) को 3,420 (₹4,445) का बकाया है। सहायक कंपनी ब्याज, मूल सहित बकाया को नियमित रूप से चुका रही है और इस मामले में कोई भी ऋण जोखिम नही है।

v) **पूंजी प्रबंधन**

कंपनी का पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य शेयर धारको को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करने के लिए एक मज़बूत पूंजी आधार बनाए रखना है और कंपनी की क्षमता बढ़ती चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता सुनिश्चित करना है।कंपनी के पास ऋण के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए एक रूढ़ीवादी ष्टिकोण है, लेकिन यह उचित समय पर इस विकल्प का लाभ उठाने और इश्टतम पूंजी संरचना को बाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस संपूर्ण उद्देश्य के तहत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 में बोनस शेयर जारी करके पूंजी आधार का विस्तार किया है और वित्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में शेयरो को वापस खरीदा है (टिप्पणी 16 देखे)। कंपनी के एक अच्छे तरह से परिभाषित लाभांश वितरण नीति है जिसमे लाभांश के वितरण के लिए ढांचा और भविष्य के विकास और शेयर धारको के धन को बढ़ाने के लिए अधिशेष है। कंपनी ने क्वार्टर्स के निर्माण के लिए बैंक से रु.10,000 का ऋण लिया है (यथा 31 मार्च 2018 को बकाया रु.6,666 (रु.5,000)) (टिप्पणी 18 एवं 20 देखे)। कंपनी ने कुछ बैंको के साथ रु.4,00,000 की उधार सीमा को मंजूरी दी है।

पूँजी जुटाने का अनुपात:

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
निवल ऋम	6,666	5,000
कुल साम्या	776,101	750,854
साम्या अनुपात हेतु निवल ऋण	0.01:1	0.01:1

टिप्पणी 35

सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियां

मियादी ऋण एवं चालू पूँजी उधार राशियां के लिए सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियों का स्वीकृत राशि:

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
(i) वस्तुसूचियाँ	458,772	485,576
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	570,458	435,488
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	73,820	268,588
(iv) बैंक शेष उपर्युक्त (iii) के अलावा	-	104,000
(v) डेऋण	2,724	4,328
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	139,986	26,993
(vii) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	139,312	56,934
सुरक्षा हेतु गिरवी कुल चालू परसंपत्तियाँ	**1,385,072**	**1,381,907**

उधार राशि के विवरण हेतु टिप्पणि सं. 18 एवं 20 देखें।

टिप्पणी 36

महत्वपूर्ण अनुमान और फैसले

वित्तीय विवरणों का तैयारी करते समय, प्रबंधन ने कुछ निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाए है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की मात्रा को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते है।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए संशोधनों को भविष्य में मान्यता प्राप्त है।

लेखा नीतियों के आवेदन करते समय किए गए फैसले वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसके तहत सामग्री समायोजन में जिसके परिणामस्वरूप होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है-

लेखों की टिप्पणियाँ

(₹ लाखों में)

i) **अनुसंधान और विकास व्यय – लेखा नीति सं. 10 – (टिप्पणी सं. 5 देखें)**

नही लागत नही प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परियोजनाओं और संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास संबंधी व्यय जो कि विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से क्षतिपूरण नही किए जाते है, परियोजना के पूरे होने तक आगे ले जाए जा रहे है।

ii) **परिभाषित लाभ दायित्व का अनुमान – मुख्य बीमांकिक मान्यताएं – टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

iii. **वारंटी दावों के प्रावधान का आकलन – (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

वारंटी प्रवधान गणना में प्रवृत्ति आधारित विश्लेषण के आधार पर औसत वारंटी लागत का आकलन शामिल है। यदि विविध अनुमान लगाया जाए, तो वह उसी मान्य व्यय को प्रभावित करेगा।

iv. **वेतन संशोधन प्रावधान – (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

गैर कार्यपालकों के संबंध में वेतन संशोधन 01.01.2017 से प्रभावी होते हुए देय है। संशोधित वेतन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 01.04.2017 से 30.03.2018 की अवधि के लिए प्रत्याशित देयता के उचित आकलन के आधार पर प्रावधान बनाए गए है।

v. **राजस्व की मान्यता – (टिप्पणी संख्या 23 देखें)**

पूर्णता विधि का प्रतिशत अनुबंध पूरा करने के लिए अनुमानित कुल लागतों के वास्तविक लागत के आधार पर पूरा होने के चरण का अनुमान लगाया जाता है। अगर विविध अनुमान लगाटा जाए, तो यह उसी संबंधित राजस्व को प्रभावित करेगी।

टिप्पणी 37
हाल ही की लेखांकन घोषणाएं

A. भा.ले.मा. 115– ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व:

28 मार्च, 2018 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने भा.ले.मा. 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को अधिसूचित किया है। यह मानक 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए लागू होगा। मानक संक्रमण के दो तरीकों की अनुमति देता है।

1.भा.ले.मा. 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्ववर्ती।

2. शुरुआती आवेदन की तारीख को मान्यता प्राप्त मानक को शुरू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्ववर्ती रूप से।

कंपनी इस अवधि को 1 अप्रैल, 2018 को पूर्वव्यापी रूप से मानकीकृत आय के उद्घाटन संतुलन (या इक्विटी के अन्य घटक, उचित के रूप में) के समायोजन के रूप में मानक के रूप में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ इस मानक को अपनाएगी। कंपनी वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

B. भा.ले.मा. 21 को परिशिष्ट बी, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अग्रिम विचार :

28 मार्च, 2018 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 1 अप्रैल, 2018 से कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2018 को भा.ले.मा 21 (विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव) को अधिसूचित किया है। यह संशोधन संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसका हिस्सा) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारित करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख को स्पष्ट करता है वह तारीख है जब किसी इकाई को विदेशी मुद्रा में अग्रिम विचार प्राप्त होता है या भुगतान किया जाता है। कंपनी वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। हालांकि, प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

स्टैंडेलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

कारपोरेट जानकारी

संलग्न वित्तीय विवरणों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। कंपनी भारत में एक सार्वजनिक कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमितहै। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर भारत में दो मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों पर सूचीबद्ध हैं। पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के कारोबार का मुख्य स्थान बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में स्थित है।

कंपनी रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रणालियों का निर्माण और आपूर्ति करता है। रक्षा क्षेत्र के अलावा, कंपनी का नागरिक बाजार में भी सीमित उपस्थिति है।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के तारतम्य में, लेखा के प्रोद्भूत आधार पर, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत, जैसा यहाँ बताया गया है उसे छोड़कर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं । जी ए ए पी में आज्ञापक लेखा मानक (एएस) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अधिसूचित, जहाँ तक लागू हों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान समाहित होते हैं और इन्हें सतत् रूप से लागू किया गया है ।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

जी ए ए पी के अनुरूप भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि प्रबंधन प्राक्कलन व पूर्वानुमान करे जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों व देयताओं की राशियों, भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटण तथा रिपोर्ट करने की अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व व व्ययों की राशियों को प्रभावित करते हैं । यद्यपि ऐसे प्राक्कलन सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित व विवेकसम्मत आधार पर किए जाते हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं और ऐसे अंतर उस अवधि में अभिचिह्नित होते हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3. माप का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्न मूल्यों और देनदारियों को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है:

- व्युत्पन्न वित्तीय विवरण, यदि कोई हो
- वित्तीय संपत्तियां और देनदारिया जो उचित मूल्य पर मापा जाने योग्य है।
- परिभाषित हितलाभ संपत्ति / देयताएं परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में पहचाना जाता है जो योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य है।

4. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपया (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

5. राजस्व का अभिचिह्नन

(i) **माल बिक्री**

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल, निवल प्राप्तियां, व्यापार बट्टा और परिमाण छूट के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

राजस्व तब अभिचिह्नित की जाती है जब बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल ग्राहक को हस्तांतरित कर दिए गए है, न प्रबंधन का योगदान जारी रखा जाता है और न ही माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, प्राप्तियों की वसूली संभव है और लागत की राशि और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। जोखिम और प्रतिफलों के हस्तांतरण के लिए उचित समय का निर्धारण बिक्री समझौते के इनको-शर्तों के आधार पर किया जाता है।

(ii) **पूर्व कार्य ठेके**

पूर्व-कार्य ठेके के मामले में, राजस्व को तब अभिचिह्नित किया जाता है जब निर्दिष्ट सामान पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद, यदि आवश्यक हो, ठेके के लिए बिना किसी शर्त के विनियमित होते हैं।

(iii) **एफओआर ठेके**

एफ ओ आर ठेकों के मामले में, जब माल पूर्व निरीक्षण व स्वीकृति के बाद क्रेता को पारेषण के लिए वाहक को सौंपा जाता है, यदि विनिर्दिष्ट हो, और एफ ओ आर गंतव्य ठेकों के मामले में, यदि लेखा अवधि के भीतर माल का गंतव्य पर पहुँचने की उचित अपेक्षा हो । राजस्व का अभिचिह्नन तब भी किया जाता है जब कंपनी ग्राहक के अनुरोध पर माल को अपने पास रखती है।

(iv) **बिल और होल्ड बिक्री**

बिल-एंड-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक स्वत्व लेता है तो राजस्व अभिचिह्नित किया जाता है, बशर्ते कि:

- यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;
- जब राजस्व अभिचिह्नित किया जाता है तो उस समय वस्तु तैयार है, खरीदार को वितरण के लिए वस्तु पहचाना गया हैऔर वितरण के लिए तैयार किया जाता है;
- खरीदार विशेष रूप से स्थगित वितरण निर्देशों को स्वीकार करता है;
- सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

(v) **निर्माणी ठेका**

ठेका राजस्व में ठेका में सहमत प्रारंभिक राशि और ठेका कार्य, दावों और प्रोत्साहन भुगतान उस हद तक शामिल है कि वे संभवतः राजस्व में परिवर्तित होंगे और उन्हे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ठेका राजस्व उसके पूर्ति दशा के अनुपात में मापा जाता है। पूर्ति दशा का मूल्यांकन रिपोर्ट करने की तिथि तक पूरे किए गए कार्य की वास्तविक लागत और ठेका पूरा करने की अनुमानित कुल लागत के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

यदि परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है और जहां यह संभव है कि लागत वसूल की जाएगी, तो राजस्व लागत की सीमा तक अभिचिह्नित किया जाता है।

जब यह संभव है कि पूरा ठेका लागत कुल ठेका राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो पूरा होने पर अपेक्षित नुकसान तुरंत खर्च के रूप में पहचाना जाता है।

(vi) **मूल्य वृद्धि और विनिमय दर परिवर्तन दावा**

ठेकों के मामले में जहां ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त प्राप्ति निर्धारित और अनुमोदित किया जाना है, ऐसे अतिरिक्त राजस्व ग्राहक (ओं) से पुष्टि प्राप्त होने पर पहचाने जाते है।

(vii) **बंडलित ठेका**

बंडलित ठेका के मामले में, जहां स्थापना और कमीशन या किसी अन्य अलग पहचानने योग्य घटक के लिए अलग शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है, कंपनी लेनदेन के अलग-अलग पहचान योग्य घटकों (माल और स्थापना और कमीशन इत्यादि की बिक्री) के लिए मान्यता मानदंड लागू करती है और उनके संबंधी उचित मूल्य के आधार पर उन अलग-अलग घटकों को राजस्व आवंटित करता है।

(viii) **एकाधिक तत्व**

ऐसे मामलों में जहां स्थापना और कमीशन या कोई अन्य अलग पहचान योग्य घटक निर्धारित किया जाता है और उसके लिए कीमत अलग-अलग सहमत होती है, तो कंपनी लेनदेन और आवंटन के अलग-अलग पहचाने गए घटकों (माल और स्थापना और कमीशन इत्यादि की बिक्री) के लिए मान्यता मानदंड लागू करती है। उनके संबंधी उचित मूल्य के आधार पर उन अलग-अलग घटकों का राजस्व पहचाना ता है।

(ix) बिक्री में बिक्री कर / मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल नही है और 30.06.2017 तक उत्पाद शुल्क शामिल है। 01.07.2017 से, बिक्री में सामान और सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है।

(x) **सेवाओं से राजस्व**

अनुरक्षण ठेका से संबंधित राजस्व संचय आधार पर म ान्यता प्राप्त है। अन्य निश्चित मूल्य ठेका (सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाओं से राजस्व सहित) के लिए, राजस्व रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन पूर्ति दशा के अनुपात में पहचाना जाता है। अन्य श्रेणी की सेवाओं के संबंध में राजस्व सेवा प्रदान करने के बाद मान्यता प्राप्त है।

(xi) **ब्याज आय**

ब्याज आय प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर अभिचिह्नित किया जाता है।

(xii) **लाभांश आय**

जब हितलाभ प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय पहचानी जाती है।

(xiii) **किराया आय**

प्रचालन पट्टे से उत्पन्न होने वाली रकम आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर होती है जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति के अनुरूप है या अन्यथा उचित नहीं होती है।

(xiv) **ड्यूटी वापसी**

निर्यात पर ड्यूटी वापसी दावें दावों को अधिमानित करने पर हिसाब किए जाते है।

(xv) **अन्य आय**

अन्य आय विशेष रूप से उपर्युक्त नहीं है, अर्जित आधार पर पहचाने जाते है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूँजीगत चालू कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शुरू में लागत पर और बाद में लागत कम संचित मूल्यह्रास और संचयी हानि नुकसान, यदि कोई हो, पर मापा जाता है । इस उद्देश्य के लिए लागत में संपत्ति को अपने स्थान और स्थिति में लाने के लिए सभी जिम्मेदार लागत शामिल हैं। यदि किसी प्रावधान के लिए मान्यता मानदंड पूरा हो जाता है, तो उसके उपयोग के बाद संपत्ति के विघटन के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित संपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

अचल आस्ति जो प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि तक उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है की लागत, कार्य-प्रगति पूंजी के रूप में प्रकट होती है।

कार्य-प्रगति पूंजी में आपूर्ति-सह-निर्माण ठेका, साइट पर प्राप्त और स्वीकार्य पूंजीगत प्राप्तियों का मूल्य, पारगमन में और निरीक्षण के तहत पूंजीगत वस्तुओं और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो तुलन पत्र की तिथि तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं ।

7. अमूर्त आस्ति , विकास के तहत अमूर्त आस्ति

आंतरिक प्रयोग के लिए अर्जित किए गए और भविष्य के उल्लेखनीय आर्थिक अनुलाभों में परिणामित होने वाले साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) की लागत को लेखा पुस्तकों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है जब वह प्रयोग हेतु तैयार हो । अमूर्त परिसंपत्तियाँ जो यथा तुलन-पत्र की तारीख पर आशयित प्रयोग हेतु तैयार नहीं हैं, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ के रूप में वर्गीकृत की गई हैं ।

विकास कार्य की लागत जो पूर्ण हो गई है, जहां भी योग्य हो, , एक अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है।

जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अग्रनयन राशि में कंपनी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय के लिए कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि शामिल है।

8. मूल्यह्रास / परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है। तकनीकी आकलन के आधार पर कंपनी, अनुमानित उपयोगी जीवन पर भवन, संयंत्र और उपकरण और अन्य परिसंपत्ति वर्गों के कुछ सामानों को कम करती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची खख में निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग हैं। प्रबंधन का मानना है कि इनका अनुमानित उपयोगी जीवन यथार्थपूर्ण हैं और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाते हैं जिन पर संपत्ति का उपयोग होने की संभावना है।

जहाँ किसी परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत, परिसंपत्ति की कुल लागत में उल्लेखनीय है और उस भाग का उपयोगी जीवनकाल शेष संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से अलग है, तो उस उल्लेखनीय भाग के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण अलग से किया जाता है और ऐसे उल्लेखनीय भाग का मूल्यह्रास उसके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा विधि द्वारा किया जाता है ।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर उनकी उपलब्धिता की तारीख से किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और परिशोधन विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समय-समय पर की जाती है।

9. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई भी वस्तु को और शुरू में मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण भाग को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक हितलाभ की उम्मीद नहीं की जाती है तब अस्वीकार किया जाता है । परिसंपत्ति की पहचान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी हितलाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) संपत्ति को पहचानने पर हितलाभ और हानि के प्रकटीकरण में शामिल किया जाता है।

10. अनुसंधान और विकास व्यय

(i) अनुसंधान गतिविधि पर व्यय उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जब इसे खर्च किया जाता है।

(ii) विकास व्यय (विशिष्ट विकास के अलावा – सह बिक्री ठेका और ग्राहक के अनुरोध पर शुरू की गई विकास परियोजनाओं), उनके खर्च किए गए समय पर व्यय के रूप में पहचाना जाता है । विकास पर विकास व्यय – सह – बिक्री ठेका और ग्राहक के अनुरोध पर शुरू की गई विकास परियोजनाओं पर अन्य बिक्री अनुबंधों के समान व्यवहार किया जाता है।

संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास व्यय जिन्हें विकास भागीदार द्वारा पूरी तरह से मुआवजा नहीं दिया जाता है, जहां कंपनी को उत्पादन एजेंसी के रूप में नामांकित किया जाता है और भविष्य के आर्थिक लाभों की अपेक्षा की जाती है।

जहां ऐसी विकास परियोजनाएं ग्राहक आदेश में शामिल नहीं होती हैं, इस तरह की परियोजनाओं के संबंध में बुक किए गए कुल व्यय को परियोजना की समाप्ति के वर्ष में पहचाना जाता है।

(iii) अन्य विकास गतिविधियों (बाहरी एजेंसियों के सहयोग से संयुक्त विकास गतिविधि सहित) के लिए किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया जाता है, को भारतीय ए.एस. 38 मानदंडों में निर्दिष्टानुसार मान्यता प्राप्त पोने पर पहचाना जाता है और जब उत्पाद या प्रक्रिया विकसित की जाती है तो तकनीकी और व्यावसायिक रूप से उपयोग करने योग्य होने की उम्मीद है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री करते हैं, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक हितलाभ उत्पन्न करने की संभावना है ।

(iv) ग्राहक से उद्धरण के अनुरोध पर आधारित कोई लागत सं प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परीक्षणों में भाग लेने के लिए विकास परियोजनाओं पर किए गए व्यय को परीक्षणों के समापन तक आगे बढ़ाया जाता है और प्राप्त होने वाले आदेशों पर उन्हें आवंटित किया जाएगा। यदि ग्राहक आदेश आगामी नहीं है या परियोजना बंद होने पर, यदि उसके उपयोग से या उससे अधिक आर्थिक हितलाभ की अपेक्षा की जाती है तो राशि पूंजीकृत हो जाएगी या चार्ज ऑफ की जाएगी।

11. तकनीकी ज्ञान पर खर्च

तकनीकी जानकारियों पर किए गए व्यय को हितलाभ और हानि के विवरणी में दर्शाया जाता है जब तक कि वह एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता के लिए या तो अलग-अलग या अन्य परिसंपत्तियों / व्यय के संयोजन के साथ मान्यता प्राप्त नहीं करता है।

12. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, पर मापा जाता है।

13. गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह मूल्यांकन करती हैकि क्या कोई परिसंपत्ति कमज़ोर होने के कोई संकेत है। अगर कोई संकेत मौजूद है, या जब परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसे माना जाता है जो परिसंपत्ति या नकद-पैदा करने वाली यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य कम उसके निपटान लागत और उपयोग के दौरान उसके मूल्य से जो भी अधिक हो। एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए पनर्पाराप्ति योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक की परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह अन्य परिसंपत्तियों या संपत्ति के समूह से उत्पन्न नकदी प्रवाह से अधिकतर स्वतंत्र नही है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को कमज़ोर माना जाता है और इसको वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग के दौरान मूल्य का आकलन करने में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उस समय प्रचलित बाज़ार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करने वाले, राशि का मूल्य, और परिसंपत्ति के विशेष जोखिम के साथ उसका उचित मूल्य कम निपटान लागत निर्धारित कर पूर्व कर छूट दरों का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य को भुनाए जाते है।

हानि के प्रावधान का उत्थान तब किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या नकद सृजनन यूनिट (सूजीन) की अनुमानित सेवा क्षमता में उस संपत्ति के लिए हानि का आखरी बार मान्यता प्राप्त तारीख के बाद हुईपुनर्मूल्यांकन से यह निर्धारित हो कि उपयोग या बिक्री से उसके मूल्य में वृद्धि हुई है।

14. पट्टों

पट्टें को उसकी प्रारंभिक तिथि पर उसे वित्तीय प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

(i) **कंपनी को पट्टेदार के रूप में**

वित्त पट्टों को उनकी उचित मूल्य या पट्टे के प्रारंभ पर न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्यों में से कम पर पंजीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि पर सीधे सीधे आधार पर हितलाभ और हानि के विवरण में एक खर्चे के रूप में पहचाना जाता है, सिवाय जब पट्टा भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ा है या अन्यथा उचित है।

(ii) **कंपनी को एक लीसर के रूप में**

प्रचालन पट्टे से आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर पहचाना जाता है सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति के कारण हो या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई हो , तो उन्हे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाना जाता हैं।

वित्त पट्टे के मामले में, पट्टेदारों से प्राप्य राशि को कंपनी का पट्टों में निवल निवेश के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टे की आय लेखाकरण अवधि के लिए आवंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित किया जा सके।

15. उधार लागत

ऐसी परिसंपत्ति जिसके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयारी में पर्याप्त समय लग रहा हों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने वाली लागत को उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से में पूंजीकृत किया जाता है। सामान्य उधार लेने की लागत को योग्य परिसंपत्तियों में उस संपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर को लागू करके पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीकरण दर विशिष्ट उधारों को छोडकर सामान्य उधार के लिए लागू उधार लेने की लागत का भारित औसत है। अन्य सभी उधार लेने की लागत संबंधित अवधि में लिए जाते है। एक इकाई द्वारा धन उदार लेने पर लागु ब्याज और अन्य लागतें उधार व्यय माने जाते है। उधार लेने की लागतों को समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लेने की लागत में शामिल किए जाते है।

16. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदान उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरू में निर्धारित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अचल आस्थि के अधिग्रहण के कारण आस्तगित आय में उपलब्ध राशि को संबंधित आस्थि का ह्रास मूल्य के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदानों

तक सीमित करते हुए हितलाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

रजस्व व्यय के कारण आस्तगित आय में उपलब्ध राशि को कुल मंजूर लागत और निधीकरण के अनुपात अनुमान के अनुसार व्यय और सरकारी अनुदान तक सीमित रखते हुए वहित हितलाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

17. संयुक्त उद्यम और सहसदस्यों में निवेश

कम्पनी अपने सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में अपने हितों को लागत के अनुसार अलग-अलग वित्तीय विवरण में दर्शाता है।

18. वस्तु सूचियां

प्रयोज्य रद्दी को छोडकर कंपनी के सभी वस्तु सूचियां मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर मूल्यित किए जाते है। रद्दी अनुमानित निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यित किया जाता है। सामग्री की लागत का भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके पता लगाया जाता है।

कार्य प्गति प्रगति और तैयार माल की लागत में सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उपयुक्त उपरी प्रभार शामिल हैं। कारखानों में तैयार किए गए सामानों में लागू उत्पाद शुल्क शामिल है। वस्तु सूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है जो पांच वर्ष से अधिक पुराना हो, जो आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

19. आय कर

आयकर में मौजूदा और स्थगित कर शामिल हैं।

(i) **वर्तमान कर**

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देनदारियां कराधान प्रधिकारियों से अपेक्षित वसूली की या भुगतान की राशि पर मापे जाते है। राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून उन रिपोर्टिंग तारीखों पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और हितलाभ और हानि के विवरण में नहीं।

(ii) **आस्थगित कर**

आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर और उनकी आगे लाई गई राशि के साथ बैलेंस शीट विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी घटाया अस्थायी अंतर, आगे लाए गए अप्रयुक्त कर क्रेडिट, और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि संभवतः कर योग्य हितलाभ उपलब्ध होगा, जिसके स्थान पर कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य हितलाभ उपलब्ध होगा।

20. वारंटियों के लिए प्रावधान

निष्पादन की गारंटी और प्रति सामान / बेची गई वस्तुओं की मरम्मत के कारण व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

21. विदेशी मुद्राएं

कंपनी द्वारा विदेशी मुद्राओं में लेन-देन शुरू में मान्यता के लिए उनके पहली बार उत्तीर्ण होने की तारीख पर संबंधित मुद्रा विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में निहित मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या परिवर्तन पर होने वाले अंतर हितलाभ और हानि विवरण में पहचाने जाते हैं। गैर-मौद्रिक वस्तुएं जो कि विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापे जाते है, प्रारंभिक लेन-देन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

22. कर्मचारी हितलाभ

(i) संबंधित सेवाओं को प्रतिपादन के लिए पूरी तरह से बारह महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी हितलाभ अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनमे मुख्य रूप से शामिल हैं (ए) मजदूरी और वेतन; (बी) अनुपस्थिति की अल्पकालिक मुआवजे; (सी) लाभ-शेयरिंग, प्रोत्साहन और बोनस और (घ) गैर-मौद्रिक हितलाभ जैसे कि चिकित्सा देखभाल, सब्सिडी वाले परिवहन, कैंटीन सुविधाएं आदि, जो कि गैर बुनावट आधार पर निर्धारित है और संबंधित सेवाओं की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त है।

(ii) दीर्घावधिक मुआवजा अनुपलब्धता जैसे कि वार्षिक छुट्टी, सिक लीव और आधा वेतन छुट्टी निर्धारित वार्षिक दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर अनुमानित आधार के आधार पर निर्धारित होता है, जो अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हैं और बैलेंस शीट में निहित प्रावधान का।

(iii) कर्मचारियों को उपदान और कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान के लिए बढ़ती देयता को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि और अनुमोदित ट्रस्ट सेट में वित्त पोषित योजना संपत्ति के उचित मूल्य का उपयोग करके वास्तविक आधार पर सालाना निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है। उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए

भविष्य निधि के मामले में मासिक योगदान किया जाता है और उपदान के मामले में एकमुश्त योगदान होता है।

(iv) बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना बीईआरईसीएचएस के तहत वृद्धिशील दायित्व, प्रति वर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमित वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसके लिए प्रदान किया जाता है।

(v) प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत में कर्मचारियों के संदर्भ में वर्ष के लिए बीमांकिक देयता निर्धारित की जाती है।

(vi) बीमांकिक हितलाभ और हानि और योजना की परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न और संपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर), अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत पहचाना जाता है। निवल परिभाषित देयता (आस्तियों) पर निवल ब्याज व्यय की गणना निवल परिभाषित देयता (आस्ति) को मापने के लिए उपयोग करने वाले छूट दर को वर्ष के दौरान योगदान और हितलाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में युक्त निवल परिभाषित देयता (आस्ति) पर लागु कर के किया जाता है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित हितलाभ योजना से संबंधित अन्य व्यय हितलाभ और हानि विवरणी में पहचाने जाते हैं।

जब किसी योजना का हितलाभ बदल जाता है या जब कोई योजना कम हो जाती है, तो पिछली सेवा से संबंधित हितलाभ में परिणामी परिवर्तन या कटौती पर हितलाभ या हानि हितलाभ और हानि विवरणी में तुरंत पहचानी जाती है।

(vii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान होने पर आय पर राजस्व का भुगतान किया जाता है।

(viii) निश्चित अंशदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना और अधिशेष पेंशन योजना संचालित करती है जिन्हें परिभाषित योगदान योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए, कंपनी कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर स्वतंत्र रूप से प्रशासित निधि में योगदान देता है। इन योगदानों को हितलाभ और हानि के बयान में दर्ज किया गया है। कंपनी की देनदारी इन फंडों के लिए किए गए योगदान की सीमा तक ही सीमित है

23. प्रावधान

पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यह संभावित है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह को दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है दायित्व की राशि जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरण के लिए, बीमा ठेका के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन केवल जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित है। प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के मुनाफे और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई ठेके के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। प्रावधान ठेका समाप्त करने की अपेक्षित वर्तमान लागत और ठेके को जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत दोनो मूल्यों में से कम पर मापा जाता है। प्रावधान स्थापित होने से पहले कंपनी उस ठेका से जुड़ी आस्तियों पर हानियों को पहचानती है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर जो, जब उपयुक्त हो, तो दायित्व के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है, की दर का उपयोग करके बुनाएं जाते है। जब बुनाना को लागु किया जाता है, समय के पारित होने के कारण प्रावधान में वृद्धि वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

24. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण आईएनडी एएस ७ में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधियों के अनुसार तैयार किया गया है।

25. उचित मूल्य मापन

कंपनी कुछ वित्तीय साधनों जैसे डेरिवेटिव और अन्य वस्तुओं को प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर अपने वित्तीय विवरणियों में उचित मूल्य पर प्रस्तुत करती है।

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे निम्नतम स्तर निवेश के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए जाते हैं जो पूरे उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1 – उद्धृत कीमतें (बिना समायोजित समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल किए गए उद्धृत कीमतों के अलावा जो परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्ष रूप से (कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न निविष्टियां।)

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए निविष्टियां, जो कि अवलोकन योग्य बाज़ार डेटा (अप्रभावित निविष्टियों) पर आधारित नहीं हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट, जो कि अवलोकन योग्य बाज़ार डेटा (अप्रभावित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

26. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) **प्रारंभिक मान्यता और मापन**

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता हैं। उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिनको लाभ या हानि में उचित मूल्य पर अभिलेखित नही किया गया है, उनके अधिग्रहण के दौरान हुई लेन-देन की लागत को उस परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

(ii) **बाद के मापन**

बाद के माप के उद्देश्यों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर मापा ऋण साधन,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा ऋण साधन,
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी उपकरणों।

(iii) **डीरिकग्निशन**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा अस्वीकृत हो जाता है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है।

(iv) **व्यापार और अन्य प्राप्य**

प्राप्य प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाता है। अगर कोई भी संकेत है कि उन संपत्तियों को कमजोर किया जा सकता है, तो वे हानि के लिए समीक्षा की जाती हैं।

27. अग्रेषित संविदा

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए आगे की मुद्रा अनुबंधों जैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय साधनों की शुरुआत उस तारीख को उचित मूल्य पर की जाती है जिस पर एक व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। डेरिवेटिव को वित्तीय संपत्ति के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देनदारियों के रूप में उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

28. एम्बेडेड व्युत्पन्न

एम्बेडेड व्युत्पन्न, यदि आवश्यक हो, मूल ठेका से अलग होकर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

29. नकद और नकद समतुल्य

नकद में हाथ में नकदी और मांग जमा शामिल हैं नकद सम तुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश है जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है, जो कि मूल्य में परिवर्तन का एक तुच्छ जोखिम है।

बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के तहत उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

30. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इंड-एएस 109 के मुताबिक, कंपनी क्रेडिट जोखिम वाले वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि को मापने एवं पहचानने के लिए अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करता है।

(i) समय पर सरकारी / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से बकाया राशि को आम तौर पर ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

(ii) कानूनी कार्यवाही में जहां देय राशि विवादित होती है, वहां प्रावधान किया जाता है अगर कोई निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है, भले ही वह उच्च अधिकारियों / न्यायालयों के लिए अपील पर हो।

(iii) समय की महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया की समीक्षा की जाती है और मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

हानि भत्ता (या उत्क्रमण) लाभ / हानि विवरणी में व्यय / आय के रूप में पहचाना जाता है।

31. वित्तीय देयताएं

(i) **प्रारंभिक मान्यता और मापन**

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप से, जैसा उपयुक्त हो, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है ।

ऋण, उधार और देनदारियों को उनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेहुए , लेनदेन लागत के निवल पर पहचाना जाता है।

(ii) **बाद के मापन**

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं:

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर दी गई वित्तीय देयताएं शामिल हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हैं, जिन्हें इंड-एएस 109 में परिभाषित हेजिंग रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी व्यापार के लिए आयोजित किया जाता है, जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाता है। लाभ और हानि के बयान में व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि पहचाने जाते हैं।

(iii) **ऋण और उधार**

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए ब्याज-आधारित ऋण और उधार को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से।

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी जाती है।

(iv) **व्यापार और अन्य भुगतान**

देयताएं भविष्य में माल या सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशि के लिए मान्यता प्राप्त हैं, चाहे वे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किए गए हों या नहीं.

32. वित्तीय साधनों का पुन: वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वितरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय साधनों के लिए जो ऋण के साधन हैं, पुनर्व्यवस्थित केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार म ॉडल में बदलाव होता है अगर कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्व्यवस्थित करती है, तो यह पुनर्विकरण संभावित रूप से लागू होता है।

33. वित्तीय साधनों का ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताएँ ऑफसेट किए जाते है और तुलन-पत्र में निवल राशि की सूचना दी जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूमी रूप से अधिकार है और निवल आधार पर समझौता करने, एक साथ संपत्ति की वसूली करने और देनदारियों का निपटान करने का इरादा है।

34. इक्विटी धारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी को इक्विटी धारकों को नकद या गैर नकद वितरण बनाने की जिम्मेदारी है जब वितरण अधिकृत है और वितरण कंपनी के विवेक पर अब नहीं है।

35. त्रुटियां और अनुमान

यदि -इंड एएस में परिवर्तन के कारण परिवर्तन की आवश्यकता होती है और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगी तो कंपनी ऐसे लेखा नीतियों को संशोधित करती है। लेखा नीतियों में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं ।

लेखा अनुमान में बदलाव, जिसके परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देयताएं की मात्रा में परिवर्तन या लाभ और हानि का ब्यौरा में परिवर्तन हो तो उसे बदलाव की अवधि (ओं) में संभावित रूप से लागू किया जाता है।

भौतिक त्रुटियों के पहचाने जाने पर पिछली पूर्व अवधि की संपत्ति, देयताएं और इक्विटी में तुलनात्मक रूप से संशोधन किए जाते है, जिसमें त्रुटि पहचानी गई है। प्रस्तुत किए गए शुरुआती काल के शुरुआती शेष को भी पुन: अभिलेखित किया गया है।

36. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए मूल एवं परिवर्तन प्रति शेयर अर्जन डेटा दर्शाती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित करके सामान्य शेयरधारकों की भारित औसत संख्या द्वारा, उस समय के दौरान बकाया साधारण शेयरों से की जाती है, जो अपने शेयरों के लिए समायोजित होते हैं। परिवर्तित प्रति शेयर अर्जत कमाई सामान्य इक्विटी धारकों के लिए मुनाफे या हानि का समायोजन करके और बकाया साधारण शेयरों की वेटेड औसत संख्या, सभी शेयरों के लिए समायोजित, सभी पतली संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए निर्धारित करके निर्धारित की जाती है।

37. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

समायोजन घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आगे की मौजूद स्थितियों के सबूत प्रदान करते हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठने वाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन कार्यक्रमों का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन अभिलेखित किया गया है।

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **सुरी एन्ड को.**
सनदी लेखाकार
फार्म पंजी. सं. 004283S

नटराजन
साझेदर
सदस्यता सं. 223118

बेंगलूरु
29 मई 2018

एस वी गौतमा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोशी अलेक्जाण्डर
निदेशक (वित्त)एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (एतत्पश्चात धारककहा गया है) और उसके सहयोगी कंपनियां (धारक और सहयोगी कंपनियों को मिलाकर एतत्पश्चात समूह कहा गया है) और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों के संलग्न समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण को लेखापरीक्षित किया है जिसमें यथा 31 मार्च 2018 का समेकित तुलन-पत्र, (व्यापक आय सहित) लाभ व हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में बदलाव के समेकित विवरण, इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्राप्ति विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं (एतत्पश्चात समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण कहा गया है)।

समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (एतत्पश्चात अधिनियम कहा गया है) की अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में इन समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण जो अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाना है, के तहत निर्दिष्ट लेखा सिद्धांतों सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन, इक्विटि में बदलाव के समेकित विवरण, तथा समेकित नकदी प्राप्ति की सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है ।

समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए; उचित लेखा नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन करने जो उचित एवं दूरदर्शी हों; और ऐसे उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने और रखने के लिए जो ऐसे भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संगत लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, जो सच्ची तथा सही स्थिति प्रदान करते हैं और भौतिक मिथ्याकथनों, कपट या त्रुटि, से मुक्त हैं, जिनका उपयोग यथोक्त धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ किया गया है, के लिए उत्तरदायी है ।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है । यह लेखा परीक्षा करते समय, हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा के मानकों तथा मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है ।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की है । इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण भौतिक अवास्तविक कथन से मुक्त हैं या नहीं, इसका औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन करते हैं ।

लेखा परीक्षा में समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों और प्रकटणों के बारे में लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादनीय प्रक्रियाएँ शामिल हैं । चयनित प्रक्रियाएँ समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के भौतिक अवास्तविक कथन, छल या त्रुटि के कारण, की जोखिमों का मूल्यांकन सहित,लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं । ऐसे जोखिम मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक धारक कंपनी के समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संगत ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं जो ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्प तैयार करने के लिए सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल हैं लेकिन यह विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से अनुकूल नहीं है कि धारक कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं । लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करने के साथ-साथ धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की औचित्यता का मूल्यांकन करना भी शामिल है ।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा का साक्ष्य तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त साक्ष्य जो नीचे दिए गए अन्य मामले नामक अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (क) में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संबंध में हैं, समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित है ।

विचार

हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाएँ यथा आवश्यक ढंग से प्रदान करते हैं और भारतीय ए.एस. सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप यथा 31 मार्च, 2018 का (व्यापक आय सहित) लाभ का समेकित विवरण, इक्विटी में बदलाव के समेकित विवरण, इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्राप्ति की सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं ।

अन्य मामले

(1) हमने दो सहायक कंपनियों के भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च,2018 को रु. 51,729 लाख की कुल परिसंपत्तियों तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 12,478 लाख के कुल राजस्व तथा रु. 5,237 लाख का निवल नकदी प्राप्ति दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में बताया गया है । इन समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनी बीईएल थेलेस सिस्टम्स लिमिटेड के रु. 259 लाख की हानि को समायोजित करने के बाद, समूह के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के उसके हिस्से के रु. 911 लाख के निवल लाभ भी शामिल हैं जिनके भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों के लिए समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण में रु. 20,458 लाख की परिसंपत्ति को स्वत्वों में निवेशस्वरूप दर्शाया गया है और इसमे (रु. 2,385लाख का अन्य व्यापक आय सहित) निवल लाभ में स्वत्वों का हिस्सा शामिल है जिनके भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

इन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनके रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार के अनुसार तथा जहाँ तक वे इन सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटणों तथा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) तथा (11) के परिप्रेक्ष्य में हमारी रिपोर्ट से संबंधित हैं, और जहाँ तक वे कथित सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों से संबंधित हैं, एकमात्र रूप से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं ।

अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य तथा उनकी रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के आधार पर उपर्युक्त मामलों के संबंध में, समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट पर हमारे विचार संशोधित नहीं किए गए हैं ।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, जहाँ तक लागू है, हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमने ऐसी सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किया जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, कथित समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा करने के लिए प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।

ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है ।

ग) इस रिपोर्ट के साथ व्यवहरित समेकित तुलन-पत्र, (अन्य व्यापक आय सहित) लाभ व हानि के समेकित विवरण, इक्विटि में बदलाव के समेकित विवरण तथा समेकित नकदी प्राप्ति विवरण, समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजार्थ रखी गई खाता बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारे विचार से, उक्त समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप है और पढ़ेजाने वालें अधीन कंपनी लेखा) नियमों का पालन करते हैं ।

ङ) यह समूह एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों का सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान इस पर लागु नही होते।

च) समूह और उसके सहयोगी और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक क में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार -

i. समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुद्दों के प्रभाव को प्रकट करते हैं -समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30 (11) का संदर्भ लें।

ii. समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों ने दीर्घ कालिक ठेकों में महत्वपूर्ण पूर्वानुमान हानियों के लिए लागु कानून या लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रावधान बनाया है -समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 21 का संदर्भ लें। समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों के पास कोई व्युत्पन्न ठेका नहीं है।

iii. भारत में निगमित समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है ।

कृते **सुरी एन्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या - 004283एस

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

बेंगलूर
29 मई 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक
(सम दिनांक के हमारे रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

यथा 31 मार्च 2018 और उसी दिन को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों का हमारे लेखा परीक्षा के संयोजन में हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है जो कि उस तारीख पर भारत में निगमित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों जो कि भारत में निगमित है, का निदेशक मंडल भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में आंतरिक नियंत्रण के बारे में दिए गए मुख्य मुद्दों पर विचार कर संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं जो अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे,कंपनी के नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता , और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी इसमे शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ले-खापरीक्षा पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पण और लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143(10) के तहत निर्धारित किया गया माना जाता है दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं और दोनो भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए है के अनुरूप यह लेखा परीक्षा आयोजित किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पण की आवश्यकता है कि हम नैतिकता का पालन करें और पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और अनुरक्षण किया गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक बातों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा निष्पादित करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, भौतिक कम जोरी के जोखिम का आकलन करने और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण और नीचे दिए गए अन्य मामलों के परिच्छेद में उल्लिखित रिपोर्टों के संदर्भ में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण,, धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो

(1) अभिलेखों का अनुरक्षण जो उचित विस्तार तक कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करें:

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेन-देन दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की रसीदें और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

दुरभिसंधि की संभावना या नियंत्रणों की अनुचित प्रबंधन ओवरराइड सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, त्रुटि या कपट के कारण भौतिक ग़लतबयानी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकता है।

विचार

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों जो कि भारत में निगमित है ने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में आंतरिक नियंत्रण के बारे में दिए गए मुख्य मुद्दों पर विचार कर सभी भौतिक सम्मानों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया है, और यथा 31 मार्च 2018 को आंतरिक रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 को प्रभावी रूप से परिचालन कर रहे थे।

अन्य मामले

वित्तीय़ रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनीय प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट जहाँ तक ये दो सहायक कंपनियों तथा एक एसोसिएट कंपनी से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां है, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है ।

कृते **सुरी एन्ड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या - 004283एस

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

बेंगलूर
29 मई 2018

समेकित तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं	वर्ष 31 मार्च 2018 तक	वर्ष 31 मार्च 2017 तक
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1	168,959	134,128
(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	44,397	41,419
(ग) निवेश संपत्ति	3	11	12
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	14,934	15,970
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	49,608	32,862
(च) एसोसिएट में निवेश		20,458	18,387
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6	73,277	30,709
(ii) व्यापार प्राप्य	7	-	-
(iii) ऋण	8	2,519	2,500
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	2,891	5,997
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	43,006	52,895
(झ) वस्तुसूचियाँ	11	18,780	4,925
(ञ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	12	23,028	13,174
		461,868	**352,978**
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तुसूचियाँ	11	461,576	488,167
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्य	7	569,311	436,826
(ii) नकद और नकद समतुल्य	13	80,443	269,981
(iii) बैंक शेष उपर्युक्त (ii) के अलावा	14	3,664	112,738
(iv) ऋण	8	1,458	1,204
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	140,261	27,074
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	24,883	9,801
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	151,685	60,859
		1,433,281	**1,406,650**
कुल परिसंपत्तियाँ		**1,895,149**	**1,759,628**
ईक्विटी और देयताएँ			
ईक्विटी			
(क) ईक्विटी शेयर पूँजी	16	24,366	22,336
(ख) अन्य ईक्विटी		777,202	751,241
कंपनी के स्वामियों के लिए स्रोतजन्य कुल ईक्विटी		**801,568**	**773,577**
गैर–नियंत्रक ब्याज		1,303	1,372
कुल ईक्विटी		**802,871**	**774,949**

समेकित तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं	वर्ष 31 मार्च 2018 तक	वर्ष 31 मार्च 2017 तक
देयताएँ			
(1) गैर–चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	**17**	18,59 9	17,238
(ख) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	**18**	3,333	1,667
(ii) व्यापार देय	**19**	5	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	**20**	123	72
(ग) प्रावधान	**21**	82,393	89,150
(घ) अन्य गैर–चालू देयताएँ	**22**	1,035	1,469
		105,488	**109,596**
(2) चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	**17**	86	20
(ख) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	**18**	1,370	1,358
(ii) व्यापार देय	**19**	136,807	129,737
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	**20**	88,378	66,031
(ग) अन्य चालू देयताएँ	**22**	715,278	636,230
(घ) प्रावधान	**21**	44,871	41,707
(ङ) चालू कर देयता (निवल)	**15**	-	-
		986,790	**875,083**
कुल ईक्विटी और देयताएँ		**1,895,149**	**1,759,628**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

संलग्न इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ांडर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

लाभ व हानि का समेकित विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	23	1,048,516	922,070
II	अन्य आय	24	19,573	42,011
III	**कुल आय (I+II)**		**1,068,089**	**964,081**
IV	**व्यय**			
	(क) खपत सामग्री की लागत		460,670	429,760
	(ख) खपत भंडार और पुर्जों की लागत		4,089	3,400
	(ग) व्यापारगत स्टॉक की खपत		49,680	50,281
	(घ) तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	25	37,450	(42,006)
	(ङ) उत्पाद शुल्क		8,436	55,236
	(च) कर्मचारी अनुलाभ व्यय	26	178,757	155,944
	(छ) वित्त लागत	27	219	1,288
	(ज) मूल्यह्रास और परिशोधन के व्यय	28	27,172	21,163
	(झ) अन्य व्यय	29	105,913	90,758
	कुल व्यय (क से झ)		**872,386**	**765,824**
V	**असाधारण मदों, ईक्विटी विधि के अंतर्गत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ (III - IV)**		**195,703**	**198,257**
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	ईक्विटी विधि के अंतर्गत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ **(V - VI)**		**195,703**	**198,257**
VIII	**कर व्यय**	10		
	- चालू कर		45,436	51,757
	- पूर्व के वर्ष		(481)	(873)
	- आस्थगित कर		10,023	(2,330)
	कराधान का कुल प्रावधान		**54,978**	**48,554**
IX	**ईक्विटी विधि के अंतर्गत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से से पहले लाभ (VII - VIII)**		**140,725**	**149,703**
X	ईक्विटी विधि के अंतर्गत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ का हिस्सा		2,378	2,634
XI	**वर्ष का लाभ (IX+X)**		**143,103**	**152,337**
XII	**अन्य व्यापक आय / (हानि)**			
	मदें जिन्हें लाभ या हानि के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति का पुनर्मापन		236	(13,955)
	- अन्य व्यापक आय द्वारा प्राप्त ईक्विटी विलेख		1	1
	- ईक्विटी विधि के अंतर्गत परिकलित एसोसिएट की अन्य व्यापक आय का हिस्सा (कर का निवल)		7	(5)
	- इन मदों से संबंधित आय कर		(77)	4,704
	कुल अन्य व्यापक आय / (हानि) (कर का निवल)		**167**	**(9,255)**

लाभ व हानि का समेकित विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
XIII	**वर्ष की कुल व्यापक आय (XI + XII) जिसमें वर्ष का लाभ तथा अन्य व्यापक आय शामिल है**		**143,270**	**143,082**
XIV	**निवल लाभ / (हानि) जो इनके स्रोतजन्य है**			
	(क) कंपनी के स्वामी		**143,172**	**152,358**
	(ख) गैर नियंत्रक ब्याज		**(69)**	**(21)**
	अन्य व्यापक आय जो इनके स्रोतजन्न है			
	(क) कंपनी के स्वामी		**167**	**(9,255)**
	(ख) गैर नियंत्रक ब्याज		**-**	**-**
	कुल व्यापक आय जो इनके स्रोतजन्य है			
	(क) कंपनी के स्वामी		**143,339**	**143,103**
	(ख) गैर नियंत्रक ब्याज		**(69)**	**(21)**
XV	**प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन (₹ 1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) –**	**30(1)**		
	(1) मूल [रुपये में]		**5.83**	**5.94**
	(2) परिवर्तित [रुपये में]		**5.83**	**5.94**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

संलग्न इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ांडर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

ईक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख में)

	टिप्पणी सं	राशि
1 अप्रैल 2016 को शेष		24,000
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	16	
- शेयरों की पुनर्खरीद		(1,664)
31 मार्च 2017 को शेष		22,336

	टिप्पणी सं	राशि
1 अप्रैल 2017 को शेष		22,336
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
- बोनस शेयर जारी करना	16	2,234
- शेयरों की पुनर्खरीद		(204)
31 मार्च 2018 को शेष		24,366

ख. अन्य ईक्विटी

	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष					अन्य प्रारक्षण		गैर-नियंत्रक ब्याज	कुल अन्य ईक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण*	सहायक कंपनी के समेकन पर पूंजीगत प्रारक्षण*	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय द्वारा ईक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय*		
1 अप्रैल 2016 को शेष		**4,669**	**362**	-	**456,122**	**441,703**	**1**	**(2,241)**	**477**	**901,093**
वर्ष का लाभ		-	-	-	-	152,337	-		(21)	152,316
समेकन संबंधी समायोजन		-	-	-	-	(1,026)	-		-	(1,026)
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-	-	-	1	(9,256)	916	(8,339)
कुल		4,669	362	-	456,122	593,014	2	(11,497)	1,372	1,044,044
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)		-	-	-	-	(1,834)	-	-	-	(1,834)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	40,000	(40,000)	-	-	-	-
पूँजीगत प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्वामी के रूप में अपनी क्षमता में किए गए लेनदेन										
लाभांश	16	-	-	-	-	(61,604)	-	-	-	(61,604)
लाभांश वितरण कर	16	-	-	-	-	(12,541)	-	-	-	(12,541)
शेयरों की पुनर्खरीद	16	-		1,664	(217,116)	-	-	-	-	(215,452)
31 मार्च 2017 को शेष		**4,669**	**362**	**1,664**	**279,006**	**477,035**	**2**	**(11,497)**	**1,372**	**752,613**

ईक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष					अन्य प्रारक्षण		गैर-नियंत्रक ब्याज	कुल अन्य ईक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण*	सहायक कंपनी के समेकन पर पूंजीगत प्रारक्षण*	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय द्वारा ईक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय*		
1 अप्रैल 2017 को शेष		**4,669**	**362**	**1,664**	**279,006**	**477,035**	**2**	**(11,497)**	**1,372**	**752,613**
वर्ष का लाभ		-	-	-	-	143,103	-	-	(69)	143,034
समेकन संबंधी समायोजन		-	-	-	-	(439)	-	-		(439)
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-	-	-	1	166	-	167
कुल		4,669	362	1,664	279,006	619,699	3	(11,331)	1,303	895,375
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)		-	-	-	-	(2,072)	-		-	(2,072)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	40,000	(40,000)	-		-	-
पूँजीगत प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	-	-	-		-	-
स्वामी के रूप में अपनी क्षमता में किए गए लेनदेन										
लाभांश	16	-	-	-	-	(62,765)	-		-	(62,765)
लाभांश वितरण कर	16	-	-	-	-	(12,777)	-		-	(12,777)
बोनस शेयर जारी करना	16				(2,234)					(2,234)
शेयरों की पुनर्खरीद	16	-	-	204	(37,226)	-	-		-	(37,022)
यथा 31 मार्च 2018 को शेष		**4,669**	**362**	**1,868**	**279,546**	**502,085**	**3**	**(11,331)**	**1,303**	**778,505**

* टिप्पणी सं. 16 (ख) देखें.

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

संलग्न इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ांडर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

समेकित नकदी प्राप्ति विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
एसोसिएट के हिस्से के बाद लेकिन असाधारण मदों व कर से पहले लाभ	198,081	200,891
इनके लिए समायोजन –		
मूल्यह्रास और परिशोधन के व्यय	27,172	21,163
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	1,638	1,035
सरकारी अनुदान से अंतरण	(2,116)	(2,776)
निवल निर्धारित अनुलाभ देयता/ परिसंपत्ति का पुनर्मापन	236	(13,955)
ब्याज की आय	(15,906)	(34,348)
वित्त की लागत	219	1,288
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री से लाभ	(135)	(192)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होने से पहले प्रचालनीय लाभ	**209,189**	**173,106**
निम्नलिखित में बढ़ोत्तरी/ (कमी) –		
व्यापार प्राप्य	(132,485)	(64,635)
ऋण	(273)	(140)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(110,081)	(7,606)
अन्य परिसंपत्तियाँ	(100,680)	(14,939)
वस्तुसूचियाँ	12,736	(72,856)
व्यापार देय	7,075	13,452
अन्य वित्तीय देयताएँ	27,537	12,409
प्रावधान	(3,591)	38,265
अन्य देयताएँ	78,613	(17,702)
चालू कर परिसंपत्ति	7,896	(2,369)
प्रचालनों से सृजित नकद	**(4,064)**	**56,985**
अदा किया गया आय कर (निवल)	(68,142)	(64,982)
अनुदान की प्राप्ति	3,549	1,903
असाधारण मदों से पहले नकदी प्राप्ति	**(68,657)**	**(6,094)**
असाधारण मदें	-	-
प्रचालनीय कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(68,657)**	**(6,094)**
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(80,711)	(79,399)
अल्पसंख्यक हित	-	583
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों से प्राप्ति	153	212
जमा राशियों तथा अन्य बैंक शेष के परिप्रेक्ष्य में बढ़ोत्तरी/ (कमी)	109,074	358,584
अन्य निवेश	(45,065)	(2,863)
प्राप्त ब्याज	15,906	34,348
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(643)**	**311,465**

समेकित नकदी प्राप्ति विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
उधार से प्राप्ति / चुकौती (निवल)	1,678	3,519
पुनर्खरीद योजना के तहत शेयरों की खरीद	(37,226)	(217,116)
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय	(2,473)	(2,455)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(81,998)	(68,340)
वित्त की लागत	(219)	(1,288)
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(120,238)**	**(285,680)**
नकद और नकद समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी) (क+ख+ग)	**(189,538)**	**19,691**
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	**269,981**	**250,290**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**80,443**	**269,981**

वर्ष के दौरान वित्त संबंधी कार्यकलापों के कारण देयताओं के संबंध में अभिचिह्नित गैर-नकदी परिवर्तन कुछ नहीं हैं।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

संलग्न इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ांडर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(₹ लाख में)

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2017 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 1 अप्रैल 2018 को	यथा 1 अप्रैल 2017 को संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष का मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ समायोजन	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि	11,640	1,267	-	**12,907**	-	-	-	**-**	**12,907**	**11,640**
पट्टाधारित भूमि	518	-	-	**518**	14	7	-	**21**	**497**	**504**
सड़क और पुलिया	468	20	-	**488**	56	30	-	**86**	**402**	**412**
भवन	28,822	12,091	-	**40,913**	2,405	1,727	-	**4,132**	**36,781**	**26,417**
संस्थापना	3,314	251	-	**3,565**	752	455	-	**1,207**	**2,358**	**2,562**
संयंत्र और मशीनरी	66,060	23,799	(17)	**89,876**	15,346	11,155	(27)	**26,528**	**63,348**	**50,714**
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	32,751	10,729	-	**43,480**	8,942	6,067	-	**15,009**	**28,471**	**23,809**
अनु. व वि. लैब के उपकरण	17,109	8,300	4	**25,405**	6,604	4,188	4	**10,788**	**14,617**	**10,505**
वाहन	294	213	-	**507**	120	94	-	**214**	**293**	**174**
कार्यालयीन उपस्कर	5,249	2,501	9	**7,741**	1,922	1,288	7	**3,203**	**4,538**	**3,327**
फर्नीचर, जुड़नार तथा अन्य उपकरण	5,391	1,546	1	**6,936**	1,361	843	(5)	**2,209**	**4,727**	**4,030**
प्रायोजित अनुसंधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियाँ	65	-	-	**65**	31	14	-	**45**	**20**	**34**
कुल	**171,681**	**60,717**	**(3)**	**232,401**	**37,553**	**25,868**	**(21)**	**63,442**	**168,959**	**134,128**
पिछले वर्ष	123,652	48,077	48	**171,681**	17,715	19,866	28	**37,553**	**134,128**	**105,937**

i. पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि में 2064.29 एकड़ (2064.29 एकड़) और पट्टाधारित भूमि में 293.64 एकड़ (293.64 एकड़) शामिल है।

ii. पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि में 7.11 एकड़ (7.11 एकड़) की ऐसी भूमि शामिल है जो वाणिज्यिक/ धार्मिक संगठनों को पट्टे पर दी गई है जो उनके कब्जे में है।

iii. मूल कंपनी की पट्टाधारित भूमि में कोच्चि में 90 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गई और वर्ष 2008–09 में पूँजीगत भूमि शामिल है। सहायक कंपनी बेलॉप ने दिनांक 25.11.1991 को ₹ 21 की लागत पर 95 वर्षों के लिए एमआईडीसी से 3.38 एकड़ भूमि पट्टे पर अर्जित की है जिसे नए निबंधन व शर्तों पर अतिरिक्त 95 वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

iv. केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे और हैदराबाद यूनिट की परिसंपत्तियों के संबंध में वर्ष के दौरान परिवर्धन में क्रमश: ₹ 1,982 (₹ 1,089), ₹ 15 (₹ 5) और ₹ 222 (₹ कुछ नहीं शामिल हैं, अनु. व वि. परिसंपत्तियों को प्राकृतिक कोड शीर्षों के तहत हिसाब में लिया गया है ।

v. इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के मूल्य में ₹ 1,026 (₹ 1,026) मूल्य की मूल कंपनी की पीओएस मशीनें शामिल हैं जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में हैं (प्रचालनीय पट्टा)।

vi. **साइट पुन:स्थापन का दायित्व**
पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों के संबंध में साइट पुन:स्थापन दायित्व के लिए टिप्पणी 21 देखें।

vii. संयंत्र और मशीनरी के सकल ब्लॉक मूल्य में पवन चक्की तथा सौर शक्ति संयंत्रों से संबंधित ₹ 467 (₹ 83) का साइट पुन:स्थापन दायित्व शामिल है।

viii. **संविदाजन्य प्रतिबद्धता**
बकाया संविदाजन्य प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी 30 (10) देखें।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

ix. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. में संक्रमण करने पर (01.04.2015), इस ग्रूप को पिछले जीएएपी के अनुसार यथा 1 अप्रैल 2015 को मापित इसकी सभी संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों के वहनीय लागत को जारी रखने का विकल्प लिया गया और इस वहनीय मूल्य का उपयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मानी हुई लागत के लिए किया गया।

x. **परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों का अपेक्षित उपयोग, तकनीकी एवं वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखने के बाद, मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं –

परिसंपत्ति का वर्ग	वर्ष
भवन	20 - 40
सड़क व पुलिया	20 - 40
संस्थापनाएँ	10
संयंत्र व मशीनरी	5 - 25
इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर	5 - 7
वाहन	4 - 5
कार्यालनीय उपस्कर	6 - 7
फर्नीचर व जुड़नार	6 - 10
अनु. व वि. लैब के उपकरण	5

सहायक कंपनियों तथा एसोसिएट के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अनुसार प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अपनाया गया है –

परिसंपत्ति का वर्ग	वर्ष
बेलॉप	
संयंत्र और मशीनरी – निरंतर प्रक्रम संयंत्र	15
बीईएल थालेस	
संयंत्र व मशीनरी	5 - 15
इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर	5
कंप्यूटर सिस्टम	5

xi. **मूल्यह्रास / परिशोधन**

मूल्यह्रास का परिकलन परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी–रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है।

पट्टे की परिसंपत्तियों को उनकी प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल अथवा उनके संबंधित पट्टे की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, पर सीधी–रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

xii. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास / परिशोधन का परिकलन कंपनी की लेखा नीति सं. 8 के अनुसार किया गया है और लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। अन्य परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में अभिचिह्नित मूल्यह्रास की राशि 3 (कुछ नहीं) है।

xiii. **परिसंपत्तियों की अनर्जकता**

टिप्पणी 30(8) देखें.

xiv. **तृतीय पक्षकारों से प्रतिपूर्ति**

कुछ नहीं (कुछ नहीं)

xv. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के प्रति असमायोजित पूँजीगत अग्रिम के संबंध में टिप्पणी 12 देखें।

xvi. कुछ यूनिटों में सरकार से निशुल्क अर्जित भूमि को भारतीय ए.एस. 101 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

xvii. **पंजीकरण, लंबित मुकदमों आदि के ब्यौरे (मूल कंपनी)**

क. पंचकूला यूनिट से ₹ 197 (₹ 197) मूल्य के 86.60 एकड़ (86.60 एकड़) से संबंधित विलेख जिनमें राज्य सरकारों / उपक्रमों से भूमि के अंतरण / अनुदान के निबंधन शामिल हैं, को वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पंजीकृत किया गया । बहरहाल, टाउनशिप

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

के लिए बीईएल द्वारा धारित ज़मीन के क्षेत्रफल में हुडा और पंजीकरण प्राधिकारी के अभिलेखों में 30.00 एकड़ (30.00 एकड़) से 28.60 एकड़ (28.60 एकड़) में सुधार कार्य प्रगति में है। 0.30 एकड़ (0.30 एकड़ की ज़मीन के संबंध में स्वत्व विलेख मुकदमेबाज़ी के तहत है।

ख. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा बीएलई हैदराबाद यूनिट को आवंटित भूमि के भौतिक कब्जे को सौंपने और मल्लपुर, हैदराबाद में 5.60 एकड़ (5.60 एकड़) जमीन के संबंध में और मामला मुकदमा दायर करने के मामले में लंबित निष्पादन, खातों की किताबों में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ₹ 65 (₹ 65) की राशि वाले एपीआईसी को दी गई भूमि की लागत पूंजीगत अग्रिम में शामिल है।

ग. रक्षा प्राधिकारियों के साथ हुई समझौता ज्ञापन पर निर्भर करते हुए, हैदराबाद यूनिट की स्थापना के लिए बीईएल को आवंटित एवं बीईएल के अधिकार में भूमि पर निर्मित संपत्ति को सम्बंधित शीर्षों के अधीन पंजीकृत किया गया हें. समुचित प्राधिकारी द्वारा लंबित नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप देने, 25.11 एकड़ (25.11 एकड़) के माप की भूमि की लागत का हिसाब लेखा पुस्तकों में नहीं लगाया गया हैं.

घ. एपीआईआईआईसी / टीएसआईआईसी कब्जे द्वारा आवंटित इब्रापत्तनम में 122.82 एकड़ (122.82 एकड़) भूमि पर विज्ञापन देने के लिए दिया गया है जिसके लिए बिक्री कार्य लंबित है (हैदराबाद यूनिट)। अनंतपुर जिला के पलसमुद्रम में 913.99 एकड़ (913.99 एकड़) भूमि के अनुकूलन के लिए अंतिम कार्यकाल के लिए बिक्री कार्य लंबित है एपी बीजी कॉम्प्लेक्सें। 12.50 एकड़ जमीन (12.50 एकड़) कोटद्वारा यूनिट के लिए जमीन के अनुकूलन के लिए अंतिमकरण / निष्पादन के लिए बिक्री कार्य लंबित है।

ङ. सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद द्वारा मुआवजे की गई राशि के ₹ 256 (₹ 256) की मांग 25.375 एकड़ (22.375 एकड़) की भूमि के लिए 31.01.2015 की टीएसआईआईसी से अतिरिक्त मुआवजे की ओर प्राप्त हुई है जो कि मुफ्त पकड़ का हिस्सा है ऊपर वर्णित भूमि। मांग विवाद के तहत है और इसलिए, खातों के पुस्तकों में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

च. भूमि अधिग्रहण 1.24 एकड़ (1.24 एकड़) को सौंपने के बदले में सरकारी प्राधिकरणों द्वारा आवंटित 1.22 एकड़ (1.22 एकड़) की सीमा तक नि: शुल्क होल्ड भूमि मुकदमा (बैंगलोर कॉम्प्लेक्स यूनिट) के तहत है।

छ. कंपनी ने तीन स्थानों पर विंडमिल जेनरेटर स्थापित किया है। विंडमिल जनरेटर -1 वर्ष 2006-07 में लीज लैंड पर पूंजीकृत। भूमि के लिए अपफ्रंट लीज किराया शून्य और लीज समझौता अंतिम रूप लंबित है। विंडमिल जेनरेटर - II को वर्ष 2007-08 में लीज्ड भूमि पर ₹ 36 के अपफ्रंट लीज किराए का भुगतान करके पूंजीकृत किया गया है जो अन्य परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक ऑपरेटिंग लीज है। भूमि के लिए लीज समझौता अंतिम रूप लंबित है। विंडमिल जेनरेटर -III को वर्ष 15-16 में लीज्ड भूमि पर पूंजीकृत किया गया है, जो ₹ 161 के अपफ्रंट लीज किराए का भुगतान कर रहा है जो अन्य परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत एक ऑपरेटिंग लीज है।

	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
टिप्पणी 2				
पूँजीगत चालू कार्य				
नगर विनिर्माण	21,320		23,690	
संयंत्र और मशीनरी	9,738		11,286	
अन्य	11,785		4,742	
ट्रांजिट में कैपिटल आइटम	1,555		1,702	
		44,398		**41,420**
कम: प्रावधान		(1)		(1)
		44,397		**41,419**

i. सिविल निर्माण में मुख्य रूप से उत्पादन संबंधित भवन, आर एंड डी भवन और कर्मचारी क्वार्टर शामिल हैं।

ii. निर्माण के तहत कर्मचारी क्वार्टरों के संबंध में पूंजी डब्ल्यूआईपी में ₹ 378 (₹ 1) ब्याज आय का शुद्ध की उधार लागत शामिल है। पूंजीकरण दर 8.15% प्रति वर्ष है

iii. संविदात्मक वचनबद्धता के संबंध में नोट 30(10) देखें।

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान किए गए असंगत पूंजीगत अग्रिम के संबंध में नोट 12 देखें।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी 3

निवेश संपत्ति

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास और परिशोधन				निवल वहन राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2017	अतिरिक्त /समायोजन वर्ष के दौरान	कटौती /समायोजन वर्ष के दौरान	यथा 31 मार्च 2018	संचित मूल्यह्रास / परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2017	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	14	-	-	14	2	1	-	3	11	12
कुल	**14**	**-**	**-**	**14**	**2**	**1**	**-**	**3**	**11**	**12**
पिछले वर्ष	14	-	-	14	1	1	-	2	12	13

i. **लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त राशि**

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
a. किराए से आय	110	102
b. किराए पर आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष संचालन व्यय (आर एंड एम सहित)	-	-
c. उपरोक्त के अलावा अन्य संपत्ति से प्रत्यक्ष संचालन व्यय (आर एंड एम सहित)	-	-
d. मूल्यह्रास	1	1
e. गैर परिचालन व्यय की कटौती से पहले निवेश संपत्ति से लाभ	109	101

ii. संविदात्मक वचनबद्धता के लिए नोट संख्या 30(10) देखें।

iii. **निवेश संपत्ति का उचित मूल्य**

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
भूमि	1962	1962
भवन	902	836

iv. भूमि में 1.36 एकड़ (1.36 एकड़) मूल कंपनी की फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है।

v. **उचित मूल्य का अनुमान**
मूल कंपनी ने निवेश संपत्ति के स्थान में समान गुणों के सरकारी मार्गदर्शन मूल्य (नगरपालिका मूल्य) के आधार पर निवेश संपत्ति का उचित मूल्य अनुमान लगाया है। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में शामिल किए गए हैं।

vi. **माना जाता लागत**
इंडस्ट्रीज़ एएस (01.04.2015) में संक्रमण पर, मूल कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी निवेश संपत्ति के वाहक मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है और निवेश संपत्ति की समेकित लागत के रूप में मूल्य का उपयोग किया है ।

vii. **संपत्ति के उपयोगी जीवन का आकलन**
मूल कंपनी ने अनुमान लगाए जाने के बाद मूर्त संपत्तियों की विभिन्न श्रेणियों (जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 को अनुसूची II में दर्शाए गए उपयोगी जीवन से अलग हैं) के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है, संपत्ति के अपेक्षित उपयोग जैसे कारक, तकनीकी जोखिम और वाणिज्यिक अशुभता, आदि ।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

मूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

संपत्ति का वर्ग	वर्ष
भवन	40

viii. **मूल्यह्रास / परिशोधन**

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

लाभ और हानि के वक्तव्य में मूल्यह्रास की राशि को खर्च के रूप में मान्यता दी गई है।

ix. **लेखा मूल्यह्रास की विधि**

मूल्यह्रास की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की जाती है और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

x. **परिसंपत्ति की हानि**

चूंकि निवेश संपत्ति का उचित मूल्य अपने वाहक मूल्य से अधिक है, इसलिए हानि का कोई संकेत नहीं है।

xi. **निवेश संपत्ति की विश्वसनीयता पर प्रतिबंध**

भूमि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

xii. **पंजीकरण लंबित, मुकदमेबाजी आदि का विवरण,**

शून्य (शून्य).

टिप्पणी 4
अन्य अमूर्त संपत्तियां

विवरण	सकल वहन राशि				परिशोधन				निवल वहन राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2017	अतिरिक्त /समायोजन वर्ष के दौरान	कटौती / समायोजन वर्ष के दौरान	यथा 31 मार्च 2018	संचित मूल्यह्रास / परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2017	ऋण परिशोधन वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
अमूर्त संपत्ति – अन्य										
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम	2	-	-	**2**	1	-	-	**1**	**1**	1
लाइसेंस शुल्क	18,426	-	-	**18,426**	2,500	1,250	-	**3,750**	**14,676**	15,926
सॉफ्टवेयर लाइसेंस / कार्यान्वयन उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)	127	106	-	**233**	84	56	-	**140**	**93**	43
अन्य (विकास लागत)*	-	164	-	**164**	-	-	-	**-**	**164**	-
कुल	**18,555**	**270**	**-**	**18,825**	**2,585**	**1,306**	**-**	**3,891**	**14,934**	**15,970**
पिछले वर्ष	**18,535**	**20**	**-**	**18,555**	**1,288**	**1,297**	**-**	**2,585**	**15,970**	**17,247**

* वर्ष के लिए अमूर्तकरण में आईएनआर 4497 जो पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है शामिल है और यह पूर्णांकित आंकड़ा है (मिूल कंपनी)।

i. **माना जाता लागत**

इंडस्ट्रीज़ एएस (01.04.2015) में संक्रमण पर, समूह ने पिछले सभी जीएएपी के अनुसार मापा गया 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी अमूर्त संपत्तियों के वाहक मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है और अन्य अमूर्त संपत्तियों की समेकित लागत के रूप में मूल्य का उपयोग किया है ।

ii. **अनुमानित उपयोगी जीवन**

अन्य अमूर्त संपत्ति मूल कंपनी के अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है

संपत्ति का वर्ग	वर्ष
सॉफ्टवेयर लाइसेंस / कार्यान्वयन उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)	3
अन्य (विकास लागत)	10

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

iii. **परिशोधन**

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर अमूर्तकरण की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

अमूर्तकरण की राशि लाभ और हानि के वक्तव्य में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

iv. **लेखा परिशोधन की विधि**

अमूर्तकरण की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की जाती है और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

v. संविदात्मक वचनबद्धता के लिए नोट 30 (10) देखें।

vi. **परिसंपत्ति की हानि**

नोट 30(8) देखें।

vii. संपत्ति के शीर्षक पर प्रतिबंध समझौते की शर्तों द्वारा शासित है।

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
टिप्पणी 5		
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		
आंतरिक रूप से विकसित*	49,596	32,850
अन्य		
सॉफ्टवेयर लाइसेंस / कार्यान्वयन उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)	12	12
	49,608	**32,862**

* अन्य विकास एजेंसियों को वित्त पोषण शामिल है।

i. संविदात्मक वचनबद्धता के लिए नोट संख्या 30 (10) देखें।

टिप्पणी 6		
निवेश		
(I) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (अनिश्चित)		
अन्य (एफवीओसीआई पर) (नीचे नोट ळीं देखें)		
मन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लिमिटेड, हैदराबाद		
प्रत्येक 1000 रुपये के 500 (500) इक्विटी शेयरों का पूरी तरह चुकाया गया	7	7
(II) अन्य निवेश (अनिश्चित)		
a) सहकारी समितियों में निवेश (लागत पर)*		
कफ परेड पर्सोपोलिस परिसर सहकारी समिति, मुंबई	-	-
40 (40) प्रत्येक ₹ 50 का भुगतान पूरी तरह चुकाया गया		
सुख सागर प्रेमिसेस को-आप. सोसाइटी, मुंबई पूर्ण चुकता ₹ 50 प्रत्येक के 10 (10) शेयर श्री.सप्त रत्न को-आप. सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई पूर्ण चुकता ₹ 50 प्रत्येक के 10 (10) शेयर दलामल पार्क को-आप. सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई पूर्ण चुकता ₹ 50 प्रत्येक के 5 (5) शेयर	-	-
चंद्रलोक को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, पुणे पूर्ण चुकता ₹ 50 प्रत्येक के 30 (30) शेयर	-	-

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
b) अन्य (एफवीटीपीएल पर)		
भारतीय जीवन बीमा निगम (नोट देखें ii)	73,270	30,702
	73,277	**30,709**

* आईएनआर 4750 पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है INR 4,750 पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पूर्णांकित किया गया है।
वही हाउसिंग सोसायटी में अपने विनियमन के उपनियमों अनुसार अधिग्रहित शेयर के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

		2017-18	2016-17
ia.	उद्धृत निवेश और बाजार मूल्य के कुल मूल्य	-	-
ib.	गैर उद्धृत निवेश का कुल मूल्य	**73,277**	**30,709**
ic.	निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	-	-

ii. मूल कंपनी ने एलआईसी के नई छुट्टी अवकाश योजना और नई समूह सुपरन्यूएशन कैश संचय योजना में क्रमश: अपनी छुट्टी एनकैशमेंट और बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी योगदान स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) देनदारियों का निवेश किया है नोट 21 देखें.

iii. वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट 33 देखें।

iv. a. मूल कंपनी को मन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के इक्विटी शेयरों के एफवीओसीआई में निर्दिष्ट निवेश है क्योंकि यह ये इक्विटी शेयर उन निवेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रणनीतिक उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक के लिए आयोजित किए जाने का इरादा रखते हैं। निवल आस्ति मूल्य विधि के आधार पर निवेश का उचित मूल्य नीचे दिया गया है: –

विवरण	31 मार्च 2018 को उचित मूल्य	2017–18 के दौरान मान्यता प्राप्त लाभांश आय	31 मार्च 2017 को उचित मूल्य	2016–17 के दौरान मान्यता प्राप्त लाभांश आय
मन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लिमिटेड में निवेश	7	-	7	-

b. मूल कंपनी ने अब तक इन निवेशों पर कोई भी लाभांश प्राप्त नहीं किया है।

c. 2017–18 के दौरान कोई रणनीतिक निवेश का निपटारा नहीं किया गया था, और इन निवेशों से संबंधित इक्विटी के भीतर किसी भी संचयी लाभ या हानि का कोई स्थानान्तरण नहीं था।

टिप्पणी 7
व्यापार प्राप्तियां

गैर चालू		
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	120,867	126,967
कम: प्रावधान	(120,867)	(126,967)
उप कुल (ए)	**-**	**-**
चालू		
सुरक्षित, जिन्हे अच्छा माना गया	43	26
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	569,268	436,800
उप कुल (बी)	**569,311**	**436,826**
कुल (ए + बी)	**569,311**	**436,826**

i. **वित्तीय उपकरण**
वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**
समूह के लेखांकन नीति संख्या 2 के साथ हानि के प्रावधान किए गए हैं।

iii. **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**
संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए नोट 31 देखें।

iv. **सुरक्षा, हाइपोथेकेशन आदि**
नोट नंबर 35 देखें।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
टिप्पणी 8		
ऋण		
गैर चालू		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
सुरक्षा जमा	1,874	1,829
कर्मचारियों को ऋण	645	671
	2,519	**2,500**
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
सुरक्षा जमा	114	99
कम: प्रावधान	(114)	(99)
	-	**-**
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	1	1
कम: प्रावधान	(1)	(1)
	-	**-**
अन्य को ऋण	132	132
कम: प्रावधान	(132)	(132)
	-	**-**
उप कुल (ए)	**2,519**	**2,500**
चालू		
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
सुरक्षा जमा	1,284	1,054
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	174	150
उप कुल (बी)	**1,458**	**1,204**
कुल (ए+बी)	**3,977**	**3,704**

i. **वित्तीय उपकरण**
वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**
समूह के लेखांकन नीति संख्या 29 के साथ हानि के प्रावधान किए गए हैं।

iii. **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**
संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए नोट 31 देखें।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
टिप्पणी 9		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों		
गैर चालू		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
दूसरों के लिए अग्रिम	-	1
व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य प्राप्तियां	87	21
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	-	92
बारह महीनों की परिपक्वता से अधिक बैंक जमा राशियां	36	2,755
अन्य परिसंपत्तियां	2,768	3,128
	2,891	**5,997**
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
अन्य को अग्रिम	13	1
कम: प्रावधान	(13)	(1)
	-	**-**
अर्जित आय	-	240
कम: प्रावधान	-	(240)
	-	**-**
व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य प्राप्तियां	24	30
कम: प्रावधान	(24)	(30)
	-	**-**
अन्य परिसंपत्तियां	74	74
कम: प्रावधान	(74)	(74)
	-	**-**
उप कुल (ए)	**2,891**	**5,997**
वर्तमान		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
कर्मचारियों को अग्रिम	100	189
अन्य को अग्रिम	5	3
अर्जित आय	134,457	20,792
ब्याज अर्जित किया गया लेकिन सावधि जमा पर देय नहीं है	3,924	5,428
व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य प्राप्तियां	368	204
अन्य परिसंपत्तियां	1,407	458
उप कुल (बी)	**140,261**	**27,074**
कुल (ए+बी)	**143,152**	**33,071**

i. **वित्तीय उपकरण**
वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**
समूह के लेखांकन नीति संख्या 29 के साथ हानि के प्रावधान किए गए हैं।

iii. **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**
संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में अन्य संपत्तियों में ₹ 13 (₹ 13) की शुद्ध ले जाने वाली राशि को सक्रिय उपयोग में नहीं रखा गया है और मूल कंपनी से संबंधित निपटान के लिए लंबित है।

v. नकदी और नकद समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
टिप्पणी 10		
स्थगित कर संपत्तियां (निवल)		
स्थगित कर संपत्तियां	65,126	66,178
स्थगित कर देनदारियां	22,120	13,283
	43,006	**52,895**

i. **आयकर लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त**

विवरण	वर्ष अंत 31 मार्च 2018	वर्ष अंत 31 मार्च 2017
आयकर व्यय:		
- वर्तमान अवधि	45,436	51,757
- पिछले वर्षों से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	(481)	(873)
स्थगित कर:		
- उत्पत्ति और अस्थायी अंतरों का प्रत्यावर्तन	10,023	(2,330)
कुल स्थगित कर व्यय / (लाभ)	**10,023**	**(2,330)**
आयकर व्यय	**54,978**	**48,554**

ii. **आयकर अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त**

विवरण	वर्ष अंत 31 मार्च 2018			वर्ष अंत 31 मार्च 2017		
	कर से पहले	कर (व्यय) लाभ	कर का निवल	कर से पहले	कर (व्यय) लाभ	कर का निवल
निवल परिभाषित लाभ देयता / (संपत्ति) का पुनर्मूल्यांकन	236	(77)	159	(13,955)	4,704	(9,251)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	1	-	1	1	-	1
कुल	**237**	**(77)**	**160**	**(13,954)**	**4,704**	**(9,250)**

iii. **सीधा इक्विटी में आयकर मान्यता प्राप्त**

31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में सीधे कोई आयकर मान्यता प्राप्त नहीं है।

iv. **प्रभावी कर दरों का सुलह**

विवरण	वर्ष अंत 31 मार्च 2018		वर्ष अंत 31 मार्च 2017	
	दर	राशि	दर	राशि
कर से पूर्व लाभ		195,703		198,257
मूल कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग कर कर	34.61%	67,729	34.61%	68,613
का प्रभाव				
अनुसंधान और विकास व्यय पर अतिरिक्त कटौती	-6.52%	(12,759)	-9.28%	(18,404)
कर छूट आय	-0.07%	(140)	-0.91%	(1,800)
कर प्रोत्साहन	-0.30%	(584)	-0.86%	(1,700)

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष अंत 31 मार्च 2018		वर्ष अंत 31 मार्च 2017	
	दर	राशि	दर	राशि
पिछले वर्षों से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन	-0.25%	(481)	-0.44%	(873)
गैर-कटौती योग्य व्यय	0.31%	601	0.20%	389
कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास	0.00%	7	0.00%	4
अन्य	0.31%	605	1.17%	2,325
प्रभावी कर दर	28.09%	54,978	24.49%	48,554

v. **आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं निम्नलिखित के कारण हुई हैं:**

विवरण	स्थगित कर (परिसंपत्ति)		स्थगित कर देयता		निवल स्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयताएं	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
व्यापार प्राप्तियां	(11,373)	(11,755)	-	-	(11,373)	(11,755)
इन्वेंटरी	(11,658)	(10,708)	-	-	(11,658)	(10,708)
प्रावधान अन्य	(18,180)	(14,178)	-	-	(18,180)	(14,178)
कर्मचारी लाभ	(22,619)	(28,463)	-	-	(22,619)	(28,463)
अन्य अमूर्त संपत्तियां	(203)	(261)	623	394	420	133
स्थगित राजस्व	(373)	(440)	-	-	(373)	(440)
अन्य परिसंपत्तियां	-	-	1	4	1	4
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	-	17,307	12,833	17,307	12,833
आईसीडीएस समायोजन	(206)	(78)	9	-	(197)	(78)
इक्विटि निवेश	-	-	1	1	1	1
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	10	51	10	51
अन्य अमूर्त संपत्तियां	-	-	4,169	-	4,169	-
व्यापार देनदारियां	(6)	(6)	-	-	(6)	(6)
एमएटी साख	(508)	(289)	-	-	(508)	(289)
कुल	**(65,126)**	**(66,178)**	**22,120**	**13,283**	**(43,006)**	**(52,895)**
(संपत्ति)/देयताओं को सेट ऑफ करना	22,120	13,283	(22,120)	(13,283)	-	-
निवल स्थगित कर (संपत्ति)/देयता	**(43,006)**	**(52,895)**	**-**	**-**	**(43,006)**	**(52,895)**

vi. **स्थगित कर संपत्ति और देयताओं का संचलन**

विवरण	यथा 1 अप्रैल 2017 को शेष	2017-18 के दौरान हानि एवं लाभ में अभिचिह्नित	2017-18 के दौरान ओसीआई में अभिचिह्नित	यथा 31 मार्च 2018 को शेष
व्यापार प्राप्तियां	(11,755)	382	-	(11,373)
इन्वेंटरी	(10,708)	(950)	-	(11,658)
प्रावधान अन्य	(14,178)	(4,002)	-	(18,180)
कर्मचारी लाभ	(28,463)	5,977	(134)	(22,620)
अन्य अमूर्त संपत्तियां	133	287	-	420
स्थगित राजस्व	(440)	67	-	(373)

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	यथा 1 अप्रैल 2017 को शेष	2017–18 के दौरान हानि एवं लाभ में अभिचिह्नित	2017–18 के दौरान ओसीआई में अभिचिह्नित	यथा 31 मार्च 2018 को शेष
अन्य परिसंपत्तियां	4	(3)	-	1
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	12,833	4,474	-	17,307
आईसीडीएस समायोजन	(78)	(119)	-	(197)
इक्विटि निवेश	1	-	-	1
अन्य वित्तीय देयताएं	51	(41)	-	10
अन्य अमूर्त संपत्तियां	-	4,169	-	4,169
व्यापार देनदारियां	(6)	-	-	(6)
एमएटी साख	(289)	(218)	-	(507)
कुल	**(52,895)**	**10,023**	**(134)**	**(43,006)**

विवरण	यथा 1 अप्रैल 2016 को शेष	2016–17 के दौरान हानि एवं लाभ में अभिचिह्नित	2016–17 के दौरान ओसीआई में अभिचिह्नित	यथा 31 मार्च 2017 को शेष
व्यापार प्राप्तियां	(12,329)	574	-	(11,755)
इन्वेंटरी	(10,811)	103	-	(10,708)
प्रावधान अन्य	(12,177)	(2,001)	-	(14,178)
कर्मचारी लाभ	(20,016)	(3,743)	(4,704)	(28,463)
अन्य अमूर्त संपत्तियां	(92)	225	-	133
स्थगित राजस्व	(444)	4	-	(440)
अन्य परिसंपत्तियां	1,121	(1,117)	-	4
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	8,824	4,009	-	12,833
आईसीडीएस समायोजन	62	(140)	-	(78)
इक्विटि निवेश	1	-	-	1
अन्य वित्तीय देयताएं	38	13	-	51
व्यापार देनदारियां	(6)	-	-	(6)
एमएटी साख	(32)	(257)	-	(289)
कुल	**(45,861)**	**(2,330)**	**(4,704)**	**(52,895)**

vii. **अपरिचितकृत स्थगित कर (संपत्ति) / देयताएं**

निम्नलिखित मदों के संबंध में स्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

विवरण	एंटिटि	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
कर घाटे	होल्डिंग कंपनी	कोई अस्थायी अंतर नहीं है जिस पर स्थगित कर (संपत्ति) / देयता को पहचाना नहीं गया है	
	बेलॉप	-	745
	बीईएल–थैलेस सिस्टम्स	753	462

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

viii. **टैक्स घाटा आगे बढ़ाया**

विवरण	एंटिटि	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
		राशि	समाप्ति तिथि	राशि	समाप्ति तिथि
समय सीमा समाप्त	होल्डिंग कंपनी	कोई कर हानि नहीं है जिस पर स्थगित कर संपत्ति को पहचाना गया है			
कभी समाप्त नही					
समय सीमा समाप्त	बेलॉप	-	-	745	2025-26
कभी समाप्त नही		-	-	-	-
समय सीमा समाप्त	बीईएल–थैलेस सिस्टम्स	671	2023-27	426	2023-26
कभी समाप्त नही		82	-	36	-

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 11		
इन्वेंटरी		
अप्रचलित		
कच्चे माल और घटक	51,568	35,169
जोड़ें: ट्रांजिट में कच्चे माल और घटक	218	288
कम: प्रावधान	(33,123)	(30,778)
	18,663	**4,679**
प्रगति कार्य	27	208
बिक्री के लिए माल	75	55
जोड़ें: ट्रांजिट में व्यापार में स्टॉक	1	2
कम: प्रावधान	(76)	(57)
	-	**-**
स्टोर और स्पेयर	166	133
कम: प्रावधान	(119)	(112)
	47	**21**
लूज टूल्स	100	85
जोड़ें: ट्रांजिट में लूज टूल्स	-	5
कम: प्रावधान	(57)	(73)
	43	**17**
उप कुल (ए)	**18,780**	**4,925**
वर्तमान		
कच्चे माल और घटक	264,658	247,208
जोड़ें: ट्रांजिट में कच्चे माल और घटक	15,117	19,409
कम: प्रावधान	(7)	(78)
	279,768	**266,539**
प्रगति कार्य	146,818	169,672
तैयार माल	16,570	17,815
जोड़ें: ट्रांजिट में समाप्त माल	6,121	19,721
	22,691	**37,536**

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
बिक्री के लिए माल	9,312	10,329
जोड़ें: ट्रांजिट में व्यापार में स्टॉक	1	537
	9,313	**10,866**
स्टोर और स्पेयर	2,381	2,701
जोड़ें: ट्रांजिट में स्टोर और स्पेयर	9	16
	2,390	**2,717**
लूज टूल्स	781	892
जोड़ें: ट्रांजिट में लूज टूल्स	-	30
	781	**922**
डिस्पोजेबल स्क्रैप	209	173
	461,970	**488,425**
कम: बेची गई सूची पर अवास्तविक लाभ	**(394)**	**(258)**
उप कुल (बी)	**461,576**	**488,167**
कुल (ए+बी)	**480,356**	**493,092**

i. कच्चे माल और घटकों में ₹ 9761 (₹ 13,023) शामिल है जो उप-ठेकेदारों के पास की सामग्रियाँ है जिनमें से ₹ 409 (₹ 177) पुष्टीकरण और समाधान पर निर्भर है। ₹ 409 (₹ 177) के समक्ष, ₹ 408 (₹ 177) की राशि का प्रावधान किया गया।

ii. वर्ष के लिए स्टॉक सत्यापन विसंगतियां निम्नानुसार हैं:

₹ 473 (₹ 1609) की कमी और ₹ 367 (₹ 1254) के अधिशेष। लंबित सुलह, ₹ 107 (₹ 399) की राशि प्रदान की गई है।

iii. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कंपनी लेखा नीति सं.17 के अनुसार किया गया है।

iv. a. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने 05.11.2007 से 31.03.2012 तक (05.11.2007 से 31.03.2012) की सत्यापन अवधि के लिए दावणगेरे जिला, कर्नाटक में 2.5 मे.वा. की ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 15856 टन (15856) सीओ2ईक्यू कार्बन क्रेडिट प्रदान किया है। इन कार्बन क्रेडिट को तैयार माल के तहत ₹ 2 (₹ 2) के मूल्य पर शामिल किया गया है। सीईआर को आईसीएआई द्वारा सीईआर पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा यथा आवश्यक लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

b. प्रमाणीकरण के तहत सीईआर: शून्य (शून्य) सीईआर.

c. वर्ष के दौरान उत्सर्जन कटौती उपकरणों का मूल्यह्रास एवं प्रचालन लागत :

	2017-18	2016-17
i. मूल्यह्रास	266	269
ii. उत्सर्जन कटौती उपकरणों की प्रचालन लागत	100	92
कुल	**366**	**361**

v. **सुरक्षा, मालबंधन आदि**
टिप्पणी सं. 35 देखें।

vi. **लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय**

₹ 5,938 (₹ 2,662) की निवल वसूली मूल्य के लिए वस्तुसूची की राइट-डाउन लाभ और हानि विवरण में अभिचिह्नित किया गया है।

vii. वर्ष के दौरान वस्तुसूची के राइट डाउन का कोई रिवर्सल नही बनाया गाया है, जिसे पिछले वर्ष के खर्च के रूप में अभिचिह्नित की गई थी।

viii. **संपत्ति की हानि**
वस्तुसूची के लिए प्रावधान कंपनी के लेखा नीति सं. 17 के अनुरूप है।

ix. मूल कंपनी के ₹ 12968 (₹ 5066) की सामग्री भौतिक रूप से ग्राहक परिसर में स्थित है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 12		
अन्य परिसंपत्तियां		
अप्रचलन		
राजधानी अग्रिम	22,474	12,493
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
खरीद के लिए अग्रिम	343	466
कम: प्रावधान	(343)	(369)
	-	**97**
अन्य		
सीमा शुल्क, बंदरगाह ट्रस्ट और अन्य सरकारी अधिकारियों के पास शेष	274	1,530
कम: प्रावधान	(98)	(1,389)
	176	**141**
प्रीपेड खर्चे	16	6
दावा प्राप्य खरीद	847	1,553
कम: प्रावधान	(847)	(1,553)
	-	**-**
अन्य – परिसंपत्तियां	362	437
उप कुल (ए)	**23,028**	**13,174**
वर्तमान		
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
कर्मचारियों को अग्रिम	655	502
खरीद के लिए अग्रिम	80,533	21,740
अन्य		
सीमा शुल्क, बंदरगाह ट्रस्ट और अन्य सरकारी अधिकारियों के पास शेष	48,292	24,241
प्रीपेड खर्चे	3,170	2,684
प्रीपेड कर	10,604	1,159
दावा प्राप्य खरीद	5,423	4,483
अन्य प्राप्तिया	2	7
अन्य – परिसंपत्तियां	3,006	6,046
कम: प्रावधान	-	(3)
उप कुल (बी)	**151,685**	**60,859**
कुल (ए+बी)	**174,713**	**74,033**

i. **परिसंपत्ति की हानि**

समूह की लेखांकन नीति संख्या 13 के साथ वित्तीय परिसंपत्ति की हानि के प्रावधान किए गए हैं।

ii. **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण**

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के लिए नोट 31 देखें।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 13		
नकद और नकद समतुल्य		
बैंकों में शेष राशि	16,984	47,672
हाथ मे नकद	3	10
मियादी जमा	63,456	222,299
	80,443	**269,981**

i. नकद और नकद समकक्षों में मूल परिपक्वता अवधि के साथ तीन महीने तक सावधि जमा शामिल है। तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा बैंक शेष में शामिल की गई है। (नोट 14 देखें)

ii. वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट संख्या 33 देखें।

iii. नकदी और नकद समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

टिप्पणी 14		
बैंक शेष उपर्युक्त (ii) **के अलावा**		
मियादी जमा	3,506	106,304
बैंको के पाश धारित मार्जिन राशि	110	12
अवैतनिक लाभांश खाता	48	6,422
	3,664	**112,738**

i. वित्तीय उपकरणों के वर्गीकरण के लिए नोट संख्या 33 देखें।

ii. मूल कंपनी के पास बारह महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ कोई सावधि जमा नहीं है। सहायक कंपनियों के बारह महीनों की मूल परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा के लिए नोट 9 देखें।

iii. बैंक शेष के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

टिप्पणी 15		
वर्तमान कर संपत्तियां (निवल)		
आयकर का अग्रिम भुगतान	24,883	9,801
	24,883	**9,801**
वर्तमान कर देयता (निवल)		
कराधान के लिए प्रावधान	-	-
	-	**-**

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017

टिप्पणी 16

a. **साम्या शेयर पूँजी**

i. **प्राधिकृत पूँजी**

2,500,000,000 (2,500,000,000) साम्या शेयर ₹ 1 प्रत्येक के (₹ 1) के प्रत्येक	25,000	25,000

ii. **जारी किए गए, अभिदत्त और पूर्ण चुकता पूँजी**

2,436,592,943 (2,233,627,930) साम्या शेयर ₹ 1 प्रत्येक के(₹ 1) प्रत्येक	24,366	22,336

iii. **अवधि के आरंभ एवं अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान**

विवरण	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	2,233,627,930	22,336	240,000,000	24,000
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर (बोनस शेयर)	223,362,793	2,234	-	-
कम: वर्ष के दौरान पुनः खरीद किए गए शेयर	20,397,780	204	16,637,207	1,664
वर्ष के दौरान शेयरों का उप वर्गीकरण (₹ 10 से ₹ 1 प्रति साम्या शेयर)	-	-	2,010,265,137	-
समाक्षाधीन अवधि के अंत में बकाया शेयर	2,436,592,943	24,366	2,233,627,930	22,336

iv. **5% से अधिक धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा आयोजित कंपनी में शेयर**

Name of Shareholder	यथा 31 मार्च 2018		यथा 31 मार्च 2017	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %
भारत सरकार	1,627,374,928	66.79%	1,523,039,911	68.19%
भारतीय जीवन बीमा निगम *	-	-	117,231,380	5.25%

* वर्ष के दौरान 5% से भी कम धारण करता है

v. **पिछले वर्ष को दौराम बोनस शेयरों के रूप में पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित किए गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग**

	2015-16
	शेयरों की संख्या
बोनस शेयरों के रूप में पूरी तरह से आबंटित किए गए चुकती इक्विटि शेयर	160,000,000

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 और 2016-17 के दौरान बोनस शेयर का कोई आबंटन नही हुआ था।

vi. **पिछले 5 वर्षों के दौरान खरीद वापस की गई शेयरों कुल संख्या और वर्ग**

	2016-17
	शेयरों की संख्या
पुनः खरीद किए गए साम्य शेयर	16,637,207

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान शेयरों की कोई खरीद वापस नही हुई थी।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

vii. **पुन:खरीद :**

a) 30 जनवरी, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने से कंपनी के इक्विटी शेयरों की कुल संख्या के 0.83% का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र शेयरधारकों से ₹ 1 प्रत्येक के 20397780 इक्विटी शेयरों की खरीद के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है (रिकॉर्ड दिनांक यथा 09.02.2018 को)। निविदा प्रस्ताव के माध्यम से, प्रस्ताव आधार पर ₹ 182.50 प्रति शेयर की दर से बायबैक की पेशकश की गई थी। खरीददारी 23.03.2018 को ₹ 37226 के नकद बहिर्वाह के साथ 20397780 शेयरों की खरीद के साथ समाप्त हुई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 को धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने सामान्य रिजर्व से विनियमन के रूप में वापस खरीदे गए शेयरों का मामूली मूल्य होने के नाते ₹ 204 पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व को हस्तांतरित किया है।

b) अंकित मूल्य ₹ 10 के साथ 16637207 इक्विटी शेयरों की संख्या ₹ 1295 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 1,305 प्रति शेयर के लिए वापस खरीदी गई, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 2,17,116 का कुल नकद बहिर्वाह हुआ। कंपनी अधिनियम, 2013 को धारा 69 के अनुसार, कंपनी ने सामान्य रिजर्व से विनियमन के रूप में वापस खरीदे गए शेयरों का मामूली मूल्य होने के नाते ₹ 1,664 की राशि पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व को स्थानांतरित कर दिया है।

viii. पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल कंपनी ने नकद में भुगतान किए बिना भुगतान के अनुबंध के अनुसार पूरी तरह से भुगतान के रूप में कोई भी शेयर आवंटित नहीं किया है ।

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
ix. शेयर / विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्प और अनुबंध / वचनबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर.	शून्य	शून्य
x. कॉल का कुल मूल्य अवैतनिक (निदेशकों सहित और कंपनी के अधिकारी)	शून्य	शून्य
xi. शेयर जब्त	शून्य	शून्य

xii. **प्रत्येक वर्ग के शेयरों के लिए संलग्न शर्तें, अधिकार, प्राथमिकताए और प्रतिबंध**

a) मूल कंपनी में केवल एक प्रकार के शेयर यानी साम्या शेयर है

b) साम्या शेयर का प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात मे मतदान में एक वोट का हकदार है।

c) प्रत्येक शेयर धारक को मूल कंपनी द्वारा घोषित लाभंस प्राप्त करने का अधिकार है।

d) मूल कंपनी के समापन पर, साम्या शेयरधारक कानून के अनुसार, सभी अधिमान राशियों के संवितरण के बाद, मूल कंपनी की शेष परिसंपत्तियों के वसूल किए गए मूल्य, यदि कोई हो, को प्रापेत करने का हकदार होगा। यह संवितरण शेयरधारकों द्वारा साम्या शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

xiii **मूल कंपनी का आंतरिम लाभांश, अंतिम लाभांश**

	वर्ष 31 मार्च 2018 अंत	वर्ष 31 मार्च 2017 अंत
वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए क्रमशः अंतिम लाभांश।	23,453	34,800
वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम लाभांश क्रमशः।	39,312	26,804
लाभांश वितरण कर	12,777	12,541

b. **प्रारक्षण की प्रकृति एवं प्रयोजन**

i. **पूँजी प्रारक्षण और सहायक कंपनी का समेकन पर पूँजी प्रारक्षण**

पूँजीगत प्रारक्षण बनाए रखा आय से स्थानांतरण द्वारा कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के बराबर राशि बनाया गया है। प्रारक्षण का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ii. **पूँजी विमोचन प्रारक्षण**

वापस खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि से सामान्य प3रक्षण से स्थानांतरित पूँजीगत प्रारक्षण को किया जाता है। प्रारक्षण का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

iii. **अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटि निवेश (ओसीआई)**

ासमूह के अन्य व्यापक आय में कुछ इक्विटू निवेश के उचित मूल्य में बदलाव को पहचानने के लिए चुना है। इस आरक्षित में उचित मील्य में बदलाव जमा हो गया है। अगर निवेश को मान्यता दी जाती है तो संचित राशि को बरकरार रखा आयय में स्थानांतरित किया जाएगा।

iv. **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**

अन्य व्यापक आय वह लाभ या हानियां है जो अभी साधित नहू हुए और जिन्हे लाभ व हानि विवरणियों मे शामिल नही किया गया। इसमें मुख्य रूप से शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / संपत्ति (कर का शुद्ध) का पुनर्मूल्यांकन होता है।

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 17		
स्थगित आय		
अप्रचलित		
सरकारी अनुदान – स्थगित	18,599	17,238
उप कुल (ए)	**18,599**	**17,238**
वर्तमान		
सरकारी अनुदान – स्थगित	86	20
उप कुल (बी)	**86**	**20**
कुल (ए+बी)	**18,685**	**17,258**

i. प्रस्तुति की विधि के लिए लेखांकन नीति 16 देखें।

ii. प्राप्त अनुदान की प्रकृति मूल कंपनी निम्नानुसार हैं:

a) सौर ऊर्जा संयंत्र की तरफ व्यवहार्यता गैप फंडिंग – ₹ 2915 (₹ 375)

b) रूफ टॉप सौर प्रणालियों की ओर केंद्रीय वित्त सहायता – ₹ 36 (₹ 29)

c) अनुसंधान गतिविधियों की ओर वित्त सहायता। – ₹ 433 (₹ 443)

iii. सहायक कंपनी के मामले में (बेलोप)

a) सहायक कंपनी ने उच्च विशिष्टता II के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मैसर्स फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है। बेलोप में ट्यूब जो अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है। टीओटी लागत को अनुदान का प्रतिशत 74.30% संचयी आधार पर गणना की जाती है। तदनुसार, वर्ष 2017–18 में टीओटी की ओर किए गए खर्चों का 74.30% लाभ और हानि के वक्तव्य में आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

b) टीपीडीयूपी परियोजना अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 18		
उधारी		
गैर चालू		
सुरक्षित		
बैंकों से सावधि ऋण	3,333	1,667
उप कुल (ए)	**3,333**	**1,667**
चालू		
सुरक्षित		
बैंकों से सावधि ऋण	1,370	1,358
उप कुल (बी)	**1,370**	**1,358**
कुल (ए+बी)	**4,703**	**3,025**

i

बैंकों से सावधि ऋण	2017-18	2016-17
तुलन पत्र तिथि पर कुलदेयता	8,036	6,359
कम: दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता ✻	3,333	3,333
कम: वर्तमान उधार	1,370	1,358
कम: सावधि ऋण पर अर्जित ब्याज और बकाया	-	1
गैर वर्तमान उधार	3,333	1,667

✻ नोट 20 के तहत दिखाया गया

ii. **सुरक्षा की प्रकृति**
नोट 35 देखें।

iii. **पुनर्भुगतान की शर्तें**
मूल कंपनी के मामले में राशि जून 2017 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली 12 तिमाही किश्तों में चुकाई जा सकती है और मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में समाप्त होती है।

iv. **ब्याज का दर**
मूल कंपनी के मामले में 8.15% प्रति वर्ष आरबीआई / एसबीआई दिशानिर्देश और समूह की जोखिम रेटिंग के आधार पर संशोधन के अधीन। सहायक बीईएलओपी के मामले में ब्याज दर 8.45% प्रति वर्ष (एक्सिस बैंक) और 8.35% प्रति वर्ष (एसबीआई) है।

v. **तुलन पत्र तिथि के अनुसार अवधि और डिफ़ॉल्ट की राशि**
शून्य

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 19		
व्यापार देय		
गैर चालू		
– अन्य	5	-
उप कुल (ए)	**5**	**-**
चालू		
– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	2,148	1,488
– अन्य	134,659	128,249
उप कुल (बी)	**136,807**	**129,737**
कुल (ए+बी)	**136,812**	**129,737**

i. यथा 31 मार्च 2018 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास (एमएसएमई) अधिनियम, 2006 के तहत यथा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय संबंधि सचना नूच्च दी गई है–

विवरण	2017-18	2016-17
a. मूलधन और उस पर देय ब्याज जो यथा 31 मार्च को अदत्त बनी हुई है–		
मूलधन*	2,250	1,573
ब्याज	4	5
b. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित दिवस के बाद किए गए भुगतानों के साथ–साथ कंपनी द्वारा अदा की गई ब्याज की राशि :		
मूलधन	88	43
ब्याज**	2	-
c. विलंब का अवधि के लिए देय ब्याज तथा प्रदेय (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान किया गया लेकिन निर्धारित दिन के बाद) परन्तु अधिनियम के तहत विनिर्दिष्य ब्याज को जोड़े बिना।	2	1
d. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के अंत में प्रोद्भूत तथा अदत्त रहने वाले ब्याज	10	9
e. ब्याज जो उत्तरवर्ती वर्षों में भी देय और प्रदेय बनी हुई है, उस तारीख तक दब एमएसएम ऊडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती–योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजन से, यता उपर्युक्त ब्याज की देय राशियों की भुगतान वास्तव मे लघु उद्यमों को नही कर दिया जाता ।	3	3

* टिप्पणी 20 के तहत दिखाई गई देय भी शामिल है।

** ब्याज आईएनआर 3278 पूर्ण आंकड़ा प्रतिनिधित्व करता है शामिल है जिसे राउंड ऑफ किया गाया है।

ii. पिछली वर्ष में किए गए प्रावधानों की अवधि ₹ 43,339 पूर्ण आंकड़े को प्रतिनिधित्व करता है (₹ 8) के दौरान रिवर्स कर दिया गया है, क्योंकि बाद में सत्यापन पर, राशि का भुगतान नही किया गया था।

iii. यह सूचना से पूर्तिकर्ताओं के संबंध में उस सीमा तक दी गई है जहाँ तक उन्हे कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कूप में अभिचिह्नित किया जा सकता है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरो, कर दिया गया है।

iv. **वित्तीय प्रलेख**

वित्तीय प्रलेखों के वर्गीकरण हेतु टिप्पणी 33 देखें।

v. **संबंधित पक्षकार प्रकटन**

संबंधित पक्षकार प्रकटन के लिए टिप्पण 31 देखें।

vi. व्यापार प्रदेय से संबंधित मुद्रा एवं तरलता जोखिम के लिए टिप्पणी 34 देखें।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 20		
अन्य वित्तीय देयताएं		
गैर चालू		
सुरक्षा जमा राशियां	123	72
उप कुल (ए)	**123**	**72**
चालू		
सुरक्षा जमा राशियां	8,140	3,188
दीर्घकालीन ऋण के चालू परिपक्व [1]	3,333	3,333
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नही – अवधिक ऋण[1]	-	1
व्यापार प्रदेय पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज[2]	10	9
अन्य गैर व्यापार देय	16,511	13,020
अदत्त परिपक्व जमा राशियां	37	37
अदत्त लाभांश	48	6,422
एमएसएमई को गैर व्यापार देय राशि[2]	102	85
बकाया व्यय	58,789	38,772
आन्य देयताएं	1,408	1,164
उप कुल (बी)	**88,378**	**66,031**
कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**88,501**	**66,103**
यथा तुलन पत्र की तारीख को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली राशि	**शून्य**	**शून्य**

[1] (टिप्पणी 18 देखें)

[2] (टिप्पणी 19 देखें)

i. **वित्तीय प्रलेख**

वित्तीय प्रलेखों के वर्गीकरण हेतु टिप्पणी 33 देखें।

टिप्पणी 21		
प्रावधान		
अप्रचलित		
कर्मचारी लाभ		
उपदान *	(1,464)	-
दीर्घकालिक मुआवजा अनुपस्थिति	19,831	33,511
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहायक स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	41,523	37,701
अन्य		
भारी अनुबंध के लिए प्रावधान	3,889	5,679
निष्पादन वारंटी के लिए प्रावधान	18,095	12,124
साइट रेस्टोरेशन दायित्व के लिए प्रावधान	519	135
उप कुल(ए)	**82,393**	**89,150**

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
अनुदान *	(1,699)	1,582
दीर्घकालिक मुआवजा अनुपस्थिति	1,908	2,838
कर्मचारी वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	3,349	3,103
बीईएल सुपरन्यूएशन (पेंशन) योजना में प्रबंधन का योगदान	12,770	14,537
वार्षिक प्रोत्साहन	89	104
अन्य		
भारी अनुबंध के लिए प्रावधान	5,936	2,906
निष्पादन वारंटी के लिए प्रावधान	22,518	16,637
उप कुल (ए)	**44,871**	**41,707**
कुल (ए+बी)	**127,264**	**130,857**

i. **वर्ष 2017–18 के प्रावधानों का संचलन**

	निष्पादन वारंटी	दुर्वह ठेका	साइट पुन:स्थापन दायित्व
यथा 1 अप्रैल को	28,761	8,585	135
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	32,061	6,458	384
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि (नीचे नोट v देखें)	18	-	-
वर्ष के दौरान उलट दी गई अप्रयुक्त राशि	20,191	5,218	-
यथा 31 मार्च को	**40,613**	**9,825**	**519**
वर्ष 2016–17 के प्रावधानों का संचलन			
यथा 1 अप्रैल को	17,802	14,089	135
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान	21,035	1,207	-
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि (नीचे नोट v देखें)	112	-	-
वर्ष के दौरान उलट दी गई अप्रयुक्त राशि	9,964	6,711	-
यथा 31 मार्च को	**28,761**	**8,585**	**135**

ii. **वारंटियों के लिए प्रावधान – लेखा नीति संख्या 19 के अनुसार।**

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

वारंटी के लिए प्रावधान उन उत्पादों के संबंध में किया जाता है जिनकी सामान्य वारंटी अवधि बकाया है। चूंकि वारंटी प्रावधान अवधि उत्पाद से उत्पाद में भिन्न होती है, वारंटी अवधि की औसत अवधि के आधार पर सामरिक व्यापार यूनिट (एसबीयू) स्तर पर प्रावधान किया जाता है। प्रावधान व्यय किए जाने वाले संभावित खर्चों के प्रवृत्ति पर आधारित अनुमान को आधार पर किया जाता है। प्रावधान वारंटी की अनुमानित लागत के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

iii. **साइट पुनःस्थापन के लिए प्रावधान – लेखा नीति सं. 22 के अनुसार**

पट्टादाता के साथ लीज समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, मूल कंपनी को भूमि को अपनी मूल स्थिति में वापस करना आवश्यकत है। तदनुसार साइट रेस्टोरेशन दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है। आवश्यक प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्ष के अंत में समायोजन की आवश्यकता होती है. प्रावधान रेस्टोरेशन की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

iv. **भारी अनुबंध के लिए प्रावधान – लेखांकन नीति संख्या 5 और 22 के अनुसार।**

मूल कंपनी द्वारा दर्ज कुछ अनुबंधों के संबंध में, यह उम्मीद की जाती है कि अनुबंध को पूरा करने की संभावित लागत अनुबंध के लिए प्राप्त / प्राप्य राजस्व से अधिक होगी। ऐसे मामलों में, अपेक्षित घाटे के संबंध में प्रावधान किया गया है। आवश्यक प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्ष के अंत में समायोजन की आवश्यकता होती है। वर्तमान मूल्य में होने वाली नुकसान की सर्वोत्तम अनुमान पर प्रावधान मापा जाता है।

v. पारंभिक प्रावधान को जमा की गई राशि।

vi. वारंटी लागत के संबंध में प्राकृतिक कोड शीर्ष हेतु ₹ 8030 (₹ 8065) की राशि डेबिट किया गया है।
साइय पुनःस्थापन उत्तरदायित्व के संबंध में प्राकृतिक कोड शीर्ष हेतु शून्य (शून्य) की राशि डेबिट किया गया है।
31 मार्च 2018 को दायित्व पर योजना संपत्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

(A) उत्तर रोज़गार अनुलाभ दायित

(i) उपदान :

उपदान एक्ट, 1972 के भुगतान के अनुसार मूल कंपनी भारत में कर्मचारियों को उपदान प्रदान करती है। मूल कंपनी के कर्मचारियों के लिए उपदान योजना है, जो एक वित्त पोषित योजना है। प्रत्येक वर्ष, मूल कंपनी उपदान ट्रस्ट को फंड दायित्वों पर परिसंपत्तियों की कमी की सीमा तक भेजती है, जो वास्तविक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित होती है। उपदान योजना के अनुसार, मूल कंपनी में न्यूनतम पंच वर्ष तक निरंतर सेवा प्रदान करने के पश्चात कर्मचारी के रोज़गार समय के समाप्ति पर उपदान का भुगतान किया जाता है। सेवा के हर पूर्ण वर्ष या उसके छह महीने से अधिक के लिए, मूल कंपनी अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता के आधार पर पंद्रह दिनों के वेतन की दर से कर्मचारी को उपदान का भुगतान करेगी। निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल अनुलाभ सथा वित्त-पोषित स्थिति और बीमांकक द्वारा प्रदान किए गए प्रकटन रिपोर्ट में यथा प्रस्तुत योजना के लिए लुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशियों का सार प्रस्तुत किया गया है-

	विवरण	2017-18	2016-17
i)	**अनुलाभ देयता की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :**		
	वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	39,195	35,664
	चालू सेवा लागत	742	672
	ब्याज लागत	2,706	2,749
	पूर्व सेवा लागत	23,577	-
	अदा किए गए अनुलाभ	(3,220)	(3,452)
	अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	योजित देयताएं - हानि / (लब्धि) कीवित्तीय मान्यताओं मे परिवर्तन	(4,332)	3,375
	योजित देयताएं - हानि / (लब्धि) की अनुभव समायोजन	2744	187
	यथा अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**61,412**	**39,195**

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	विवरण	2017-18	2016-17
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	37,691	36,736
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	3,588	2,897
	एंशदान	27,504	1,500
	अदा किए गए अनुलाभ	(3,220)	(3,452)
	अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	(618)	10
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**64,945**	**37,691**
	निश्चित अनुलाभ (परसंपत्ति)/देयता	**(3,533)**	**1,504**
	परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव	**366**	**-**
	निवल निश्चित अनुलाभ (परसंपत्ति)/देयता	**(3,167)**	**1,504**
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय**		
	चालू सेवा लागत	742	672
	निवल निश्चित अनुलाभ दायित्व पर निवल ब्याज	(882)	(148)
	पूर्व सेवा लागत	23,577	-
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय (₹ 23437 में से, ₹ 5500 की राशि 2016-17 में प्रदान किया गया था)	23,437	524
iv)	**अन्य व्यापक आय विवरण में अभिचिह्नित राशि(पुनःमापन) :**		
	योजित दायित्व पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	(1,588)	3,562
	योजित परिसंपत्तियां-(लब्धि)/हानि पर बीमांकिक रिटर्न एवं ब्याज के बीच अंतर	618	(10)
	तुलन-पत्र परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	366	-
	अन्य व्यापक आय विवरण में अभिचिह्नित राशि	(604)	3,552
v)	**तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशियां :**		
	यथा अवधि के अंत मेंदेयता का वर्तमान मूल्य	61,412	39,195
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	64,945	37,691
	वित्तपोषित स्थिति अधिशेष / (कमी)	**3,533**	**(1,504)**
	वर्ष के लिए अभिचिह्नित हानि / (लाभ)	**366**	**-**
	यथा वर्ष 31 मार्च को तुलन-पत्र के अनुसार हानि / (लाभ)	**(3,167)**	**-**
vi)	**योजित परिसंपत्तियां**		
	योजित परिसंपत्तियों के वर्ग निम्नलिखित है :		
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1.91%	4.70%
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	1.34%	2.33%
	उच्च गुणता के कारेपोर्ट बाँड	1.95%	5.00%
	बीमाकर्ता के पास निवेश	93.89%	87.97%
	अन्य (बैंक शेष)	0.91%	0.00%
vii)	**बीमांकिक मान्यताएं:**		
	बट्टागत दर	7.72%	7.20%
	क्षतिपूर्ति स्तर में वृद्धि का दर	7.00%	7.50%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	7.72%	7.20%
	अनुमानित औसत भविष्य कार्यकारी	16.00	15.20

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	विवरण	2017-18	2016-17
viii)	भुगतान करने हेतु अंशदान पर सर्वोत्तम अनुमान वित्तीय अवधि के आरंभ के दौरान, तुलन-पत्र के बाद अनुदान के तहत भुगतान करने हेतु अंशदान पर सर्वोत्तम अनुमान शून्य		
ix)	**संवेदनशीलता विश्लेषण :**		
	बट्टा दर (0.50% संचलन) मे वृद्धि	8.22%	7.70%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ दायित्व में वृद्धि / (कमी)	**(2,450)**	**(1,618)**
	बट्टा दर (0.50% संचलन) मे कमी	7.22%	6.70%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ दायित्व में वृद्धि / (कमी)	**2,641**	**1,748**
	वेतन बढ़ोत्तरी दर (0.50% संचलन) मे वृद्धि	7.50%	8.00%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ दायित्व में वृद्धि / (कमी)	**1119**	**239**
	वेतन बढ़ोत्तरी दर (0.50% संचलन) मे कमी	6.50%	7.00%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ दायित्व में वृद्धि / (कमी)	**(1,192)**	**(252)**

(ii) बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ योजना (बीईआरईसीएचएस):

मूल कंपनी में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ योजना बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ योजना (बीईआरईसीएचएस), है जो वित्त- पोषण रहित योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले या वीआरएस लेनेवाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुलाभ ऐसे कर्मचारियों को प्राप्त होती जो योजना के सदस्य बनते है और ये अनुलाभ केवल कर्मचारी और उनकी पत्नी / उनके पति को ही प्राप्त होगा। कंपनी अंतःरोगी उपचार के लिए बीमा रक्षा लेती है। वार्षिक बीमा प्रीमियम के अतिरिक्त, कंपनी बाह्यरोगी उपचार के लिए दवाइयों की लागत का 60% और नैदानिक परीक्षणों की लागत का 75% खर्च वहन करती है और विशिष्ट रोगों के उपचार के लिए कंपनी बीमा कवरेज के अतिरिक्त, उपचार की पूरी लागत वहन करती है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल अनुलाभ सथा वित्त-पोषित स्थिति और बीमांकक द्वारा प्रदान किए गए प्रकटन रिपोर्ट में यथा प्रस्तुत योजना के लिए लुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशियों का सार प्रस्तुत किया गया है-

	विवरण	2017-18	2016-17
i)	**अनुलाभ देयता में परिवर्तन :**		
	वर्श के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य (पीवीओ)	40,804	29,705
	चालू सेवा लागत	2,134	1,553
	ब्याज लागत	2,889	2,282
	आदा किए गए अभ	(1,340)	(3,075)
	अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	योजित देयताओं - हानि / (लब्धि) की वित्तीय मान्यताओं मे परिवृतन	2,410	3,933
	योजित देयताओं - हानि / (लब्धि) की अनुभव समायोजन	(2,025)	6,406
	यथा अवधि के अंत मे देयता का वर्तमान मूल्य	**44,872**	**40,804**
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित मूल्य	-	-
	अंशदान	1,340	3,075
	अदा किए गए अनुलाभ	(1,340)	(3,075)
	अन्य व्यापक आय मे अभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	-
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	विवरण	2017-18	2016-17
iii)	**लभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय–**		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	2,134	1,553
	निश्चित अनुलाभ दायित्व पर ब्याज	2,889	2,282
	योजित परसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	-	-
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल व्यय व्यय : ₹ 1340 (3,075), प्रावधान : ₹ 3,683 (761)	**5,023**	**3,835**
iv)	**अन्य व्यापक आय के विवरण में अभिचिह्नित राशि (पुनःमापन) :**		
	योजित दायित्व पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	385	10,338
	अन्य व्यापक आय विवरण में अभिचिह्नित राशि	385	10,338
v)	**तुलन–पत्र में अभिचिह्नित राशियाँ :**		
	यथा अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	44872	40804
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्त पोषित स्थिति	(44,872)	(40,804)
	तुलन–पत्र में अभिचिह्नित देयता (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार	**44,872**	**40,804**
	अगले बारह महीनों के अंदर भुगतान करने को अभिचिह्नित	3,349	3,103
	बारह महीनों के बाद भुगतान करने को अभिचिह्नित	41,523	37,701
vi)	**प्रधान मान्यताएँ :**		
	बट्टे का दर	7.72%	7.20%
	स्वास्त्य देखभाल की लागतों में वृद्धि दर	5.50%	3.90%
	संघर्षण दर	1.00%	1.30%
vii)	**सेवा लागत तथा ब्याज लागत के कुल पर मानी गई स्वास्थ्य देखबाल लागत प्रवृत्ति दरों में तथा निर्धारित अनुलाब देयता में एक प्रतिशत बिंदु वृद्धि का प्रभाव :**		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के कुल पर प्रभाव	744	684
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	5,734	5,504
	सेवा लागत तथा ब्याज लागत के कुल पर मानी गई स्वास्थ्य देखबाल लागत प्रवृत्ति दरों में तथा निर्धारित अनुलाब देयता में एक प्रतिशत बिंदु वृद्धि का प्रभाव :		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के कुल पर प्रभाव	(544)	(558)
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	(4,193)	(4,488)
viii)	**संवेदनशीलता विश्लेषण :**		
	बट्टागत दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	8.22%	7.70%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ मे वृद्धि / (कमी)	(2,408)	(2,276)
	बट्टागत दर (0.50% संचलन) में कमी	7.22%	6.70%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ मे वृद्धि / (कमी)	2,661	2,536
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	6.00%	4.40%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ मे वृद्धि / (कमी)	2,729	2,607
	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन) में कमी	5.00%	3.40%
	अवधि के अंत में निश्चित अनुलाभ मे वृद्धि / (कमी)	(2,212)	(2,355)

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(iii) **कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज की कमी**

कर्मचारी भविष्य निधि को मूल कंपनी के प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति देय प्रबंधन का अंशदान मूल कंपनी का योगदान देता है। मूल कंपनी ने यथा 31 मार्च 2018 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि तारीख पर ब्याज की कमी की ओर कोई देयता नही है (योजना के निबंधनों से इस प्रकार संबंधित कि ट्रस्ट की ओर से ऐसी कोई अनिवार्यता नही है कि वह भविष्य निधि के शेषों पर अतिरिक्त ब्याज के माध्यम से अधिशेष के किसी भाग, यदि हो, को संवितरित करें)।

	विवरण	2017-18	2016-17
i)	**अनुलाभ देयताओं की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :**		
	यथा वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	201,968	177,013
	चालू सेवा लागत	32,606	28,590
	ब्याज की लागत	13,913	13,683
	पूर्व की सेवा लागत (गैर-निहित अनुलाभ)	-	-
	पूर्व की सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	बीमांकिक (लब्धि) / हानि	76	(1,134)
	अदा किए गए अनुलाभ	(17,448)	(16,184)
	यथा अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**231,115**	**201,968**
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	205,961	180,950
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	18,534	16,675
	अंशदान	29,176	24,841
	अदा किए गए अनुलाभ	(17,448)	(16,184)
	योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लब्धि / (हानि)	(299)	(321)
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**235,924**	**205,961**
iii)	**लाभ वहानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय**		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	32,606	28,590
	ब्याज की लागत	13,913	13,683
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	(18,534)	(16,675)
	अवधि में अभिचिह्नित निवल बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	375	(813)
	पूर्व सेवा लागत (गैर-निहित अनुलाभ)	-	-
	पूर्व सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय	**28,360**	**24,785**
iv)	**तुलन पत्र में अभिचिह्नित राशियाँ :**		
	यथा अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	231,115	201,968
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	235,924	205,961
	अंतर	**(4,809)**	**(3,993)**
	आभिचिह्नित बीमांकिक (लब्धियाँ) / हानियाँ	-	-
	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित देयता	-	-
v)	**चालू अवधि के लिए राशि :**		
	देयता का वर्तमान मूल्य	231,115	201,968
	योजित परिसंपत्तियां	235,924	205,961
	अधिशे,/ (कमी)	4,809	3,993
	योजित देयताओं पर अनुभव समायोजन - (हानि)/ लब्धि	(114)	1,173
	योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि)/ लब्धि	(299)	(321)

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	विवरण	2017-18	2016-17
vi)	**यथा मार्च 31 को परिसंपत्तियों के वर्ग :**		
	भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभीतियाँ	31.17%/54.25%	39.78%/51.42%
	उच्च गुणता के कार्पोरेट बाँड	56.60%/41.33%	47.38%/43.63%
	म्यूचुअल फंड्स	4.85%/2.06%	4.60%/1.78%
	अन्य (पैसा बाज़ार उपकरण)	7.38%/2.36%	8.24%/3.17%
	कुल	100%/100%	100%/100%
vii)	**प्रधान मान्यताएं :**		
	बट्टागत दर	7.72%	7.20%
	वेतन बढ़ोत्तरी दर	7.00%	7.50%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	8.75%	8.75%

B. दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति

मूल कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति योजना है जो एक वित्त-पोषण रहित योजना है। कंपनी के कर्मचारी दो प्रकार की दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियों के हकदार है-कार्यपालकों के मामले में वार्षिक अवकाळ (ए.एल) और अर्ध वेतन अवकाश (एच.एल.) और गैर-कार्यपालकों के मामले में वार्षिक अवकाश (ए.एल.) और बीमारी अवकाश (एस.एल)। इस योजना में कर्मचारियों को अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर, बीआरएस लेने पर या मृत्यु पर, प्राप्त न किए गए अवकाश (कार्यपालकों के मामले में एस.एल. और एच.एल. तथा गैर-कार्यपालकों के मामले में ए.एल. और एस.एल.) के समक्ष क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था है। ए.एल का नकदीकरण सेवा के दौरान या इस्तीफा देने के समय भी किया जा सकता है।

न्म्नलिखित सारणी में लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल अनुलाभ व्यय् के घटकों तथा बीमांकिक द्वारा प्रदान किए गए प्रकटन रिपोर्ट में य़था प्रस्तुत, योजना के लिए तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशि का सार प्रस्तुत किया गया है-

	विवरण	2017-18	2016-17
i)	**लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय :**		
	लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निवल व्यय 2017-18 नकदीकृत अवकाश : ₹ 14,320, प्रावधान : ₹ -14625 (2016-17 नकदीकृत अवकाश: ₹ 1,004, प्रावधान: ₹ 9,983)	(305)	10,987
ii)	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित की जाने वाली राशियां :		
	सुलन-पत्र में अभिचिह्नित देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार्रे	**21,580**	**36,205**
iii)	**बीमांकिक मान्यताएं :**		
	बट्टे का दर	7.72%	7.20%
	क्षतिपूर्ति स्तर मे वृद्ध दर	7.00%	7.50%
iv)	पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी सभी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टू की पूरी राशि लेने की उम्मीद नही करता है या अगले 12 महीनों में भुगतान की आवश्यकता नही है। निम्नलिखित रकम वह प्रतिबंधित दर्शाती है जो कि अगले 12 महीनों में/12 महीनो से अधिक के भीतर लिया जाएगा या भुगतान की जा सकती है।		
	चालू छुट्टी उत्तरदायित्व अगले 12 महीने के भीतर निपटान करने के उम्मीद है।	1,893	2,825
	छुट्टी उत्तरदायित्व 12 महिने के बाद निपटान करने की उम्मीद है।	19,687	33,380
		21,580	**36,205**

C. पेंशन योजना

कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के लाब के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन लाभ योजना मिल गई है, जिसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना के लिए वार्षिक आधार पर योगदान किया जाता है।

इस संबंध में निर्धारित नियमों के मुताबिक, इस योजना के तहत कर्मचारियों के लिए लाभ उपलब्ध है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

परिभाषित लाभ योजना (यानी उपदान और बीईआरईसीएचएस) से उत्पन्न विशिष्ट या असामान्य जोखिमों का वर्णन विवरण

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित जोखिम इस प्रकार है: –

दो रिपोरेटिंग अवधि के बीच दीर्घकालिक सरकारी बांड दर में संचलन जो छूट दर को प्रभित करेगा और इसके परिणामस्वरूप दायित्वों के वर्तमान मूल्य।

वित्तीय वर्ष के माध्यम से वास्तविक अनुभव के मुताबिक मूल्यांकन के लिए उच्च / निम्न वेतन वृद्धि / लाभ का जोखिम।

हालांकि, दोनो जोखिमों को नियमित आधार पर कम किया जा सकता है, क्योंकि वार्षिक मानकों के आधार पर प्रत्येक वर्ष के बाद आंकलन किया जाता है।

परिसंपत्ति–दायितव मिलान रणनीतियों का वर्णन विवरण

कंपनी की उपदान योजना वित्त पोषित योजना है। इस योजना का समर्थन करने वाले संपत्ति मुख्य रूप से बीमाकर्ता–प्रबंधित धन है। इसीलिए कंपनी को इस योजना के लिए परिसंपत्ति–देयता मिलान को लागू करने के मामले में सीमित लचीलापन है।

कंपनी के बाद के सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना अप्रतिबंधित योजना है इसलिए संपत्ति–देयता मिलान रणनीतियां इस योजना के लिए प्रासंगिक नही है।

वित्त पोषण की व्यवस्था और धन नीति का विवरण

कंपनी का उपदान योजना वित्त पोषित योजना है। इस योजना का समर्थन करने वाली योजना परिसंपत्तियों का 93.89% (87.97%) बीमाधारक प्रबंधित परिसंपत्तियां है और 3.25% (7.03%) योजना संपत्तियां केन्द्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश की गई है फंड में वार्षिक अंशदान सामान्य तौर पर घाटे के बराबर सेट होता है जैसा कि लाभ दायित्वों के पूर्ववर्ती बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रकट किया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना बीईआरईसीएचएस गैर वित्त पोषित योजना है।

	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
टिप्पणी 22		
अन्य देय		
गैर चालू		
आस्थगित राजस्व – ग्राहक अनुदान	1,035	1,469
उप कुल (ए)	**1,035**	**1,469**
चालू		
आस्थगित राजस्व – ग्राहक अनुदान	240	231
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम/प्रगति भुगतान	704,737	607,789
सांविधिक देयताएँ	5,454	22,633
आस्थगित देयताएँ	2,620	2,182
अन्य	2,227	3,395
उप कुल (बी)	**715,278**	**636,230**
कुल (ए+बी)	**716,313**	**637,699**

i. संबंधित पक्षकार प्रकटण

संबंधित पक्षकार प्रकटण के लिए टिप्पण 31 देखें।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु		31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
टिप्पणी 23				
प्रचालनों से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री (सकल उत्पाद ड्यूटी सहित)	914,452		806,405	
सेवाओं से आय	100,856		82,489	
		1,015,308		**888,894**
प्रचालन से राजस्व में निर्माण अनुबंध के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व शामिल है। टिप्पणी 30(7) देखें।				
अन्य प्रचालनीय राजस्व				
रद्दी की बिक्री		693		882
परिवहन से प्राप्तियां		289		321
किराए से प्राप्तियां		642		617
कैंटीन से प्राप्तियां		877		810
एकत्रित विद्युत प्रभार		174		148
एकत्रित जल प्रभार		59		59
वापस लिए गए प्रावधान				
– दुर्वह संविदा	-		5,504	
– संदिग्ध ऋण, एलडी	12,108		11,297	
– वस्तुसूची	5,353		2,737	
– ऋण एवं अग्रिम	2,019		186	
– उत्पाद ड्यूटी– अन्य *	887		-	
– अन्य	172		370	
		20,539		20,094
सरकारी अनुदान		2,116		2,776
अन्य अनुदान		425		437
विविध		7,394		7,032
		1,048,516		**922,070**

* उत्पाद ड्यूटी के लिए टिप्पणी 30(13) देखें।

टिप्पणी 24				
अन्य आय				
आवधिक जमा राशियों से ब्याज आय		15,906		34,348
स्टाफ/आयकर वापसी/अन्य से ब्याज आय		251		219
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से लाभ		135		192
विदेशी मुद्रा विभेदक आय		2,911		6,855
कीराय आय – निवेश संपत्ति		110		102
विवध (व्यय का निवल)		260		295
		19,573		**42,011**

विदेशी मुद्रा लब्धि / हानि विदेशी मुद्रा के लेन देनें को दर्ज करने की तारीख और उनके निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच किए गए विदोशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों से उत्पन्न दर वचिलन के कारण है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु		31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
टिप्पणी 25				
तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियों में परिवर्तन				
चालू कार्य:				
अंतिम शेष	146,845		169,880	
प्रारंभिक शेष	169,880		151,168	
		23,035		(18,712)
तैयार माल:				
अंतिम वस्तुसूची	22,691		37,536	
प्रारंभिक वस्तुसूची	37,536		13,839	
		14,845		(23,697)
रद्दी :				
अंतिम वस्तुसूची	209		173	
प्रारंभिक वस्तुसूची	173		318	
		(36)		145
		37,844		**(42,264)**
घटाएं: वस्तुसूची पर गैर संपादित लाभ		(394)		(258)
		37,450		**(42,006)**
टिप्पणी 26				
कर्मचारी अनुलाभ व्यय				
वेतन, मज़दूरी एवं बोनल / उपदान		130,112		123,833
सेवानिवृत्ति अनुलाभ व्यय				
अनुदान	17,970		6,043	
भविष्य निधि और पेंशन निधि की ओर अंशदान	9,526		8,108	
बीईएल अधिवार्षिता (पेंशन) योजना के प्रति प्रबंधन का अंशदान	4,662		3,617	
बीईएल से.नि. कर्मचारी अंशदान स्वास्थ योजना के लिए प्रावधान	3,683		761	
		35,841		18,529
कल्याण व्यय वेतन ₹ 956 (₹ 854) भ.नि. ₹ 83 (₹ 79) सहित		12,854		13,625
		178,807		**155,987**
घटाएं: पूँजी कार्यो को आबंटित व्यय		(50)		(43)
		178,757		**155,944**

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिको के पारिश्रमिक हेतु टिप्पणी सं. 31 देखे ।

"मूल कंपनी के संबंध में वेतन परिशोधन अवधि 01.04.2017 to 31.03.2018 के लिए प्रवधान किया गया है"।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु		31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
टिप्पणी 27				
वित्त लागत				
ब्याज व्यय				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देयों पर ब्याज	3		3	
आय कर पर ब्याज	30		20	
बैंको से आवधिक ऋण पर ब्याज *	-		22	
अन्य ब्याज व्यय	137		1,163	
		170		1,208
अन्य उधार लागतें				
ऋण संसाधि प्रभार		49		80
		219		**1,288**

* टिप्पणी 18 और 20 देखें

टिप्पणी 28				
मूल्यह्रास और परिशोधन के व्यय				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूलह्रास / परिशोधन		25,865		19,866
निवेश संपत्ति पर मूलह्रास / परिशोधन		1		1
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परशोधन		1,306		1,296
		27,172		**21,163**

टिप्पणी 29				
अन्य व्यय				
बिजली एवं ईंधन #		3,419		3,426
जल प्रभार		359		373
रॉयल्टी एवं तकनीकी सहायता		1,140		1,029
किराया		2,774		2,698
दर और कर		777		1,296
बीमा		1,036		838
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षा शुल्क	19		13	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	5		2	
अन्य सेवाएं (प्रमाणीकरण शुल्क)	3		2	
व्ययों का प्रतिपीर्ति	4		6	
		31		23
लागत लेखा परईक्षा शुल्क		4		4
मरम्मत एवं अनुरक्षण :				
भवन	2,730		2,313	
संयंत्र एवं मशिनरी	1,372		1,347	
अन्य	7,253		5,898	
		11,355		9,558

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु		31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
बैंक प्रभार		417		499
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री		458		515
विज्ञापन एवं प्रचार		1,561		1,341
यात्रा खर्च		10,325		8,508
वैन एवं टैक्सियों को भाड़े पर लेने के प्रभार		1,421		1,332
उत्पाद खर्च - अन्य *		-		1,195
पैकिंग एवं अग्रेषण		2,281		1,416
बट्टे खाते में डाले गए संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम	23,995		7,228	
घटाएं: प्रवधानों को प्रभारित	(23,825)		(7,224)	
		170		4
अप्रचलन/अनावश्यक सामग्रियों के लिए प्रावधान		9,598		7,071
संदिग्ध ऋणों, निर्णीत हर्जानों, ग्राहक के दावों तथा अस्वीकृतियों के लिए प्रावधान		29,816		25,581
संदिग्ध अग्रिमों, दावों के लिए प्रावधान		173		806
निष्पादन वारंटी के लिए प्रावधान (निवल)		11,870		11,071
प्रावधान - दुर्वह संविदा (निवल)		1,240		-
अप्रचलन तथा व्यतिरेक के कारण कच्चे माल, भंडार और घटकों के बट्टा खाते में डालना	1,873		670	
घटाएं: प्रवधानों के प्रभारित	(1,824)		(639)	
		49		31
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व		1,573		1,035
अन्य:				
अन्य विविध प्रत्यक्ष व्यय	9,065		5,873	
विदेशी मुद्रा डिफरेन्शियल हानि	480		-	
विक्रय पश्चात सेवा	573		391	
टेलिफोन्स	878		719	
संगोष्ठियों एवं पाठ्यक्रमों पर व्यय	766		1,015	
अन्य विक्रय व्यय	1,407		370	
विविध	4,591		4,284	
		17,760		12,652
		109,607		**92,302**
घटाएं: लागत कार्य को आबंटित व्यय		(3,694)		(1,544)
		105,913		**90,758**

वायु ऊर्जा को आबंटित नेटेड ऑफ

विदेशी लेनदेन लाभ / हानि एसे लेनदेन की रिकॉर्डिंग और निपटान य रिपोर्टिंग की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा में लेनदेन पर होने वाले दर विविधताओं के कारण है।

* टिप्पणी 30 (13) देखें ।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी 30

लेखों की सामान्य टिप्पण्याँ

		31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
1.	ईक्विटि शेयर प्रति अर्जन		
	a. **जारी प्रचालनों से**		
	प्रति शेयर मूल अर्जन (आईएनआर)	5.83	5.94
	प्रति शेयर परिवर्तन अर्जन (आईएनआर)	5.83	5.94
	b. प्रति शेयर अर्जन मूल और परिवर्तन आय की गणना में संख्याओं के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि	143,103	152,337
	c. प्रति शेयर र्जन मूल और परिवर्तन औय कंप्यूटिंग में इस्तेमाल	2,456,487,764	2,565,292,103

2. समेकन प्रक्रिया:

मूल कंपनी में लेखा-परीक्षित वित्तीय वक्तव्य अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएपस) तैयार किया गया है, इसकी सहायक कंपनियों, बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पूणे (शेयर होल्डिंग100%) और बीईएल-थैलेस सिस्टम्स लिमिटेड, बेंगलूरु (शेयर होल्डिंग 74%) (28.08.2014 को शामिल), और एसोसियेट कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण अर्थात जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु (शेयर होल्डिंग 26%). इंट्रा-ग्रुप लेनदेन को कम करने और अप्रत्याशित लाभ/हानि को समाप्त करने के बाद मूल और उसके सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्ययों की वस्तुओं के साथ मिलकर लाइन--बै-लाइन आधआर पर जोड़ा गया है।

एसोसियेट के संबंध में समेकन ईक्विटि पद्धति के आधार पर किया गया है। सहायक कंपनियों और एसोसियेट के वित्तीय वक्तव्यों को एक ही रिपोर्टिंग तारीख तक मूल कंपनी के रूप में तैयार किया जाता है।

3. सहायक कंपनी मे अपने निवेश की मूल कंपनी को लागत और सहायक कंपनी में ईक्विटि के मूल कंपनी के हिस्से में नियंत्रण ब्याज के अधिग्रहण की तारीख के संदर्भ में अंतर को वित्तीय वक्तव्यों में सद्भावना / पूँजीगत रिज़र्व के रूप में मान्यता दी जाती है। सहायक कंपनियों के पद-अधिग्रहण लाभ / हानि की मूल कंपनी का हिस्सा राजस्व भंडार में समायोजित किया गया है।

4. संचालन के शुद्ध परिणामों और सहायक कंपनियों की शुद्ध परिसंपत्तियों में गैर-नियंत्रित बितों, लाभ / हानि और शुद्ध संपत्ति का वह हिस्सा उस मूल कंपनी को नही दर्शाती है।

5. समेकित वित्तीय वक्तव्यों के सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर असर नही होने वाले मूल और सहायक कंपनियों / सहयोगी के व्यक्तिगत वित्तीय वक्तव्यों में बताया गया अतिरिक्त जानकारी और उन सामग्रियों से संबंधित सूचनाएं जो समेकित वित्तीय वक्तव्यों में प्रकट नही की गई है।

6. अनुपालन का विवरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानको के अनुसार तैयार किए गए है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) नियम 3, 2015, और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष तक और उसके लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी (लेखा मानकों) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किया गया था, अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित।

7. निर्माण संविदा

विवरण	31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
a) वर्ष के दौरान अभिचिह्नित ठेका राजस्व	154,622	17,338
b) अनुबंध राजस्व को पूर्ण ता पद्धति के प्रतिशत का उपयोग करके मान्यता दी गई थी। ठेकों के अनुमानित कुल लागत के लिए वर्ष के अंत तक अनुबंधों पर होने वाली वास्तविक लागत का अनुपात पूरा करने के चरण का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया था।	-	-
c) 31 मार्च तक खर्च की कुल राशि	123,716	17,681

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
d) 31 मार्च तक अभिचिह्नित लाभ (आकल्मिकता के लिए निवल पर प्रवधान)	34,345	1,773
e) यथा 31 मार्च को प्राप्त अग्रिम राशि एवं बकाया	103,693	126,802
f) प्रतिधारण की राशि	-	-

8. संपत्ति की हानि

कंपनी के कैश जेनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के रूप में माना जाने वाले प्रत्येक भौगोलिक समग्र विनिर्माण इकाई की परिसंपत्तियों की हीनि के संकेतों का विश्लेषण किया है। आंतरिक और बाह्य कारकों के आकलन के आधार पर, यूनिट में से अपनी परिसंपत्तियो की हानि के संकेत नही पाए है और इसलिए कोई भी प्रवधान आवश्यक नही माना जाता है। सहायक कंपनिया (बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइज़ेस ओवं बीईएल-थेलेस सिस्टम्स लिमिटेड) एवं एसोसियेट (जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड) ने भी परिसंपत्तियों की हानि के सूचको का विश्लेषण किया और इनकी हानि का कोई संकेत नही पाया और इसलिए कोई भी प्रवधान आवश्यक नही माना जाता है।

9. अल्पवधिक उधार राशियां

a. कंपनी के कंसोर्टियम बैंकर्स (एसबीआई लीड बैंक) द्वारा ₹ 400000 की कार्यशील पूँजी की सीमा मंज़ूर कर दी गई है। स्वीकृत राशि में ₹ 50,000 की निधि आधारित सीमा और ₹ 350,000 की गैर निधि आधारित सीमा शामिल है।

b. फंड आधारित सीमा पर देय ब्याज दर एसबीआई 1 वर्ष एमसीएलआर दर से जुड़ी है। यथा 31.03.2018 को ब्याज दर के रूप में देय 8.15% प्र.व. है.

c. उपयोग की गई राशि मांग पर देय है। 31.03.2018 तक उपयोगिता शून्य (शून्य) है।

d. उपरोक्त मंजूरी की सीमा कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों के ढ़ांचे द्वारा सुरक्षित है।

e. एसबीआई (लीड बैंक) और एक्सिस बैंक के कंसोर्टियम बैंकरों द्वारा सहायक कंपनी बीईएलओपी को ₹ 4,600 / - की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर कर दी गई है। ब्याज दर 8.45% प्र.व. है। एक्सिस बैंक और 8.35% प्र.व. एसबीआई।

10. ठेका प्रतिबद्धताएं

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
A. पूंजीगत खाते पर निश्पादित होने वाले ठेके की अनुमानित राशि और 31 मार्च को उपलब्ध नही कराया गया है।		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	45,478	42,378
निवेश संपत्ति	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियां	5,892	7,278
B. निवेश संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव या वृद्धि के लिए अनुबंधीय प्रत्बद्धता।	-	-
C. अन्य प्रतिबद्धताएं अर्थात 31 मार्च को गैर-रद्द करने योग्य संविदात्मक प्रतिबद्धताओं (यानी, रद्द करने के परिणामस्वरूप इसके जुड़ाव के लिए अधिक से अधिक जुर्माना होगा)	-	-

11. आकस्मिक देयताएं:

विवरण	31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावें	110,850	118,817
बकाया साख पत्र	28,712	30,397
अन्य	2,062	2,860
ग्राहक के अनपेक्षित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो गई है, पर 31 मार्च तक अनंतिम निर्णीत हर्जाने	23,289	16,053

कन्वर्जेंट बिल्लिंग परियोजना के संबंध में कंपनी को एमटीएनएल द्वारा ₹ 80,670 (₹ 80,670) का दावा किया गया।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

12. आकस्मिक परिसंपत्तियां:

विवरण	31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
कोई नई	-	-

13. उत्पाद शुल्क

एक्साइज ड्यूटी – अन्य समाप्त सामानों पर उत्पाद शुल्क के बढ़ते प्रावधान, स्क्रैप की बिक्री पर उत्पाद शुल्क आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

14. शेषों का पुष्टीकरण

व्यापार से प्राप्तियां, व्यापार प्रदेय, अग्रिम और जमा राशियां के संबंध में शेषों के पुष्टीकरण का निवेदन करते हुए पत्र भेजे गए है। जहाँ कही उत्तर प्राप्त हुए है, उनका समाधान प्रगति में है और जहाँ कही आवश्यक समझा जाएगा, प्रावधान किए जाएंगें।

15. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के द्वारारक्षा उत्पादों में कार्यरत कंपनियों को सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

16. 01.07.2017 से माल और सेवा कर (जीएसटी) के परिचय के परिणामस्वरूप, उत्पाद शुल्क पर उत्पाद शुल्क अब लागू नहीं है और इसलिए 1 जुलाई 2017 को सकल टर्नओवर से प्रभावी होते हुए का हिस्सा नहीं है।

17. वापस नही करने वाले प्रचालन पट्टे प्रकटन:

a) पट्टाकार से:

भविष्य निम्न पट्टे किराया प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
एक वर्ष से कम नही;	335	352
एक वर्ष के बाद एवं पाँच वर्ष से कम;	922	1,319
पाँच वर्ष के हाद	1	-

कंपनी ने गैर रद्द करने योग्य प्रचालन लीज़ के तहत विभिन्न संगठनों को भूमी के कुछ हिस्सों को किराए पर लिया है। पट्टों में विभिन्न शर्तों, वृद्धि खंड, पट्टा नवीकरण आदि है। नवीकरण पर, पट्टे की शर्तो को पुनः बातचीत की जाती है।

ग्रुप ने आकस्मिक किराया के रूप में किसी आय को मान्यता नही दिया है।

b) पट्टेदार के रूप से:

भविष्य निम्न पट्टे किराया प्रदेय

विवरण	31 मार्च 2018 वर्ष अंत हेतु	31 मार्च 2017 वर्ष अंत हेतु
एक वर्ष से कम नही;	-	-
एक वर्श के बाद एवं पाँच वर्ष से कम;	-	-
पाँच वर्ष के बाद	-	-

मूल कंपनी ने गैर–रद्द करने योग्य ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज पर जमीन ली है। पट्टे के पास विभिन्न शर्तें, वृद्धि खंड, लीज नवीनीकरण अधिकार आदि हैं। नवीनीकरण पर, पट्टे की शर्तो को फिर से बातचीत की जाती है।

मूल कंपनी ने आकस्मिक किराए के रूप में किसी भी खर्च को मान्यता नहीं दी है।

18. दिसंबर 2015 के दौरान चेन्नई इकाई बाढ़ से प्रभावित हुई थी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी में बाढ़ से संबंधित नुकसान शामिल हैं। ₹ 1,581 (₹ 1,000) की राशि अंतिम निपटारे के रूप में प्राप्त हुई थी और लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, स्क्रैप वस्तुओं के संबंध में दावे निपटारे की ओर ₹ शून्य (₹ 32) की राशि प्राप्त हुई थी

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

19. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश नहीं पहचाना गया मूल कंपनी

निदेशकों ने प्रति शेयर आईएनआर 0.40 (आईएनआर 1.05) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। पूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है प्रस्तावित लाभांश आने वाली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है और यदि मंजूरी दे दी जाएगी तो लगभग 11,750 (लाभांश वितरण कर सहित) का नकद बहिर्वाह होगा।

20. ब्रैकेट में आंकड़े पिछले वर्षों से संबंधित हैं।

21. समेकित वित्तीय विवरण में सभी आंकड़े निकटतम लाखों तक राउंड ऑफ किए जाते हैं जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता है।

22. 29 मई 2018 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए गए मुद्दों के लिए समेकित भी.ले.मा वित्तीय विवरणों को मंजूरी दे दी गई थी।

टिप्पणी 31
संबंधित पक्षकार लेन–देन

a. सहायक कंपनी

एंटिटि का नाम	कारोबार का स्थान	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार		गैर–नियंत्रण अधिकारी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार		प्रमुख गतिविधियां
		यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	
जीई बीई प्रिवेट लिमिटेड	भारत	26%	26%	74%	74%	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण

b. प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिको के ब्यौरे

i. प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिकों के नाम

श्री एम वी गौतमा, सीएमडी
श्री आर एन बग्दलकर, निदेशक [मा.सं.]
श्री कोशी अलेक्ज़ेंडर, निदेशक [वित्त] एवं सीएफओ [निदेशक (वित्त) 25.09.2017 से]
श्री नटराज कृष्णप्पा, निदेशक [अन्य यूनिट]
श्रीमति आनंदी रामलिंगम, निदेशक [विपणन[
श्री गिरीश कुमार, निदेशक [बीजी परिसर] [20.02.2018 तक]
डॉ अजित टी कलघट्गी, निदेशक [अ एवं वि]
श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव
श्री डीसीएन श्रीनिवास राव – सीईओ, [बेलॉप]
श्रीमति प्रिया एस अय्यर, कंपनी सचिव – [बेलॉप]
श्री एम्मैन्युअल डे रॉक्फ्युअल [16.02.2017 से लागू]– निदेशक – [बीईएल थेलेस सिस्टम्स]
श्री राजीव कुमार सिक्का, सीईओ – [बीईएल थेलेस सिस्टम्स]
श्री बत्तिना श्रीनिवास राव, सीएफओ – [बीईएल थेलेस सिस्टम्स]
श्री एम वी हरीश, कंपनी सचिव – [बीईएल थेलेस सिस्टम्स]

ii. प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिको के पारिश्रामिक

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
अल्पकालिक कर्मचारी अनुलाभ	593	429
रोज़गारोत्तर अनुलाभ	35	55
दीरेघकालिक कर्मचारी अनुलाभ	(20)	59
समापन अनुलाभ	-	-
शोयर धारित भुगतान	-	-
कुल	**608**	**543**

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

c. प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिको के अलावा, संबंधिक पक्षकारों के लेन–देन नीचे दिए गए है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए है) : –

विवरण	सहायक कंपनी
	जीई बीई प्राई.लि.
माल का विक्रय	2,652
	(3,197)
निवेशों पर लाभांश से आय	260
	(5,200)
यथा 31.03.2018 के बकाया व्यापार प्राप्तियां	869
	(766)
यथा 31.03.2018 को साम्या में निवेश	260
	(260)

d. संबंधित पक्षों से निपटाए गए सभी लेनदेन सैनिय मंजूरि के आधार पर है।

e. सभी बकाया शेष अतुरक्षित है। अगले 6 महिनों के भीतर नकद में सभी बकाया शेष राशि (ऋण के अलावा) चुकाने योग्य है।

f. मूल कंपनी द्वारा सरकारी और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन:–

जैसा की बीईएल रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में एक सरकारी इकाई है, कंपनी ने सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ भ.ले.मा. ए.एस.24 संबंधित पार्टी के लेनदेन के तहत जरूरी विस्तृत खुलासे से छूट हालिल की है।

हालांकि, भा.ले.मा. ए.एस.24 की आवश्यकता के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन है:

1. वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 11945469 (13828771) शेरो की संख्या की खरीद।
2. 151745884 (120028420) बोनस शेयरों की संख्या, वित्त वर्ष 2017–18 में जारी की गई थी।
3. वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 42,221 (₹ 44,735) की राशि लाभांश के रूप में भुगतान किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी के कारोबार का लगभग 85% (90%), व्यापार प्राप्तियों के लगभग 99% (76%) और लगभग 84% (70%) ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

टिप्पणी 32
अन्य एंटिटि में हित:–

a. सहायक कंपनी: –

एंटिटि का नाम	कारोबार का स्थान / निगमीकरण का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार		गैर–नियं6ण अधिकार द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार		प्रमुख गतिविधियां
		यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017	
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक जिवाइज़ेस लि. (बेलॉप)	भारत	100%	100%	-	-	इमेज एंटेन्सिफायर ट्यूब्स का निर्माण एवं आपूर्ति
बीईएल – थेलेस सिस्टमेस लि.	भारत	74%	74%	26%	26%	रक्षा एवं गैर रक्षा रेड़ारों का अभिकल्प, विकास, आपूर्ति एवं सहायता

ईक्विटि शेयर के प्रत्येक धारक को वोट ऑन शो ऑफ हेड्स एवं उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या पर हकधार है ।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

b. गैर–नियंत्रण लाभ (एनसीआई)

i. किसी भी इंट्रा समूह की समाप्ति से पहले, कंपनी की सभी सबायक कंपनियों से संबंधित वित्तीय सूचनाएं जिनमे सामग्री गैर–नियंत्रित रुचियां है: –

तुलन पत्र का सार	बीईएल – थेलेस सिसटम्स लि.	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
एनसीआई प्रतिशत	**26%**	**26%**
गैर – चालू परसंपत्तियां	1,248	3,145
चालू परिसंपत्तियां	4,572	2,402
कुल परसंपत्तियां	**5,820**	**5,547**
गैर– चालू देयताएं	12	2
चालू देयताएं	796	274
कुल देयताएं	**808**	**276**
कुल परिसंपत्यां	**5,012**	**5,271**
एनसीआई को आरोप्य निवल परसंपत्तियां	**1,303**	**1,372**

लाभ एवं हानि विवरण का सार	बीईएल – थेलेस सिसटम्स लि.	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
राजस्व	645	394
लाभ	(259)	(82)
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	-	-
कुल व्यापक आय	**(259)**	**(82)**
एनसीआई को आबंटित लाभ	**(69)**	**(21)**
एनसीआई को आबंटित ओसीआई	-	-
एमसीआई को आबंटित कुल व्यापक आय	(69)	(21)

नकदी प्राप्ति का सार बीईएल	बीईएल – थेलेस सिसटम्स लि.	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	(386)	(407)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	869	(3,217)
वित्त गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	-	3,521
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (कमी)	483	(103)

ii. गैर–नियंत्रण लाभ के साथ लेन–देन – शून्य

c. संयुक्त उद्यम में हित: –

एंटिटि का नाम	कारोबार का स्थान / निगमीकरण का स्थान	स्वामित्व हित का %	रिश्तेदारी	लेखा विधि	स्वीकृत राशि	
					यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26%	सहायक	साम्या विधि	20,458	18,387

सहायक में निवेश का उचित मूल्य नही बताया जाता है क्योंकि जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड की ईक्विटि बीना शर्त है।

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड चिकित्सा उपकरणों की एक निर्माता है और इसके उत्पादों बीईएल बेंगलूरु और पूणे यूनिट के घटक एसबूयी के कारोबार सेगमेंट के पूरक है ।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी हित में स्वीकृत राशि–

तुलन पत्र का सार	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
गैर – चालू परसंपत्तियां	21,643	16,165
चालू परसंपत्तियां: –		
नकद एवं नकद समतुल्य	1,309	1,941
अन्य परसंपत्तियां	71,409	63,063
कुल चालू परिसंपत्तियां	**72,718**	**65,004**
कुल परिसंपत्तियां	**94,361**	**81,169**
गैर – चालू देयताएं: –		
व्यापार प्रदेय के अलावा वित्तीय देयताएं	5	33
अन्य देयताएं	1,599	772
कुल गैर – चालू देयताएं	**1,604**	**805**
चालू देयताएं: –		
व्यापार प्रदेय के अलावा वित्तीय देयताएं	165	156
अन्य देयताएं	13,906	9,490
कुल चालू देयताएं	**14,071**	**9,646**
कुल देयताएं	**15,675**	**10,451**
निवल परिसंपत्तियां	**78,686**	**70,718**
निवल परिसंपत्तियों में कंपनी का शेयर	**20,458**	**18,387**

लाभ एवं हानि विवरण का सार	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
राजस्व	82,898	81,348
ब्याज व्यय	3,027	3,476
मूल्यह्रास व परिशोधन	2,288	1,795
ब्याज व्यय	57	26
आयकर व्यय	5,128	5,191
वर्ष के लिए लाभ	9,146	10,130
अन्य व्यापक आय	26	(20)
कुल व्यापक आय	9,172	10,110
लाभ में कंपनी का शोयर	2,378	2,634
ओसीआई में कंपनी का शेयर	7	(5)
कुल व्यापक आय में कंपनी का शेयर	2,385	2,629

संयुक्त कंपनी (जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड) से मूल कंपनी ने (₹ 390) ₹ 5,200 लाभांश प्राप्त किया है

स्वीकृत राशियों का समाधान		
विवरण	**यथा 31 मार्च 2018**	**यथा 31 मार्च 2017**
आरंभिक निवल परसंपत्तियां	**18,387**	**22,017**
वर्ष के लिए लाभ	2,378	2,634
अन्य व्यापक आय	7	(5)
अदा किए गए लाभांश (लाभांश वितरण कर को शामिल करते हुए)	314	6,259
अंत में निवल परिसंपत्तीयां	**20,458**	**18,387**

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

संयुक्त कंपनी के संबंध में प्रतिबद्धताएं एवं आकस्मिक देयताएं: –		
विवरण	जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड (लेखा परीक्षित)	
	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पुँजीगत प्रतिबद्धताएं	313	271
अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	1,531	1,567

d. अधिसूची III के तहत अतिरिक्त सूचना

एंटिटि का नाम	वर्ष	कुल परिसंपत्ति यानि कुल परिसंपत्ति मैनस कुल देयताएं		लाभ एवं हानि में शेयर		अन्य व्यापक आय में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
		समेकित निवल परसंपत्तियों का %	राशि	समेकित लाभ एवं हानि का %	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि	समेकित कुल व्यापक आय का %	राशि
मूल कंपनी:									
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2017-18	94.49%	758,582	97.71%	139,829	86.83%	145	97.70%	139,974
	2016-17	94.88%	735,233	98.01%	149,301	99.24%	(9,185)	97.93%	140,116
सहायक कंपनी:									
भारतीय									
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बेलॉप)	2017-18	2.34%	18,820	0.81%	1,155	8.98%	15	0.82%	1,170
	2016-17	2.07%	16,059	0.32%	484	0.70%	(65)	0.29%	419
बीईएल – थेलेस सिस्टम्स लिमिटेड	2017-18	0.46%	3,708	-0.13%	(190)	0.00%	-	-0.13%	(190)
	2016-17	0.50%	3,898	-0.04%	(61)	0.00%	-	-0.04%	(61)
सहायक कंपनी में गैर नियंत्रण हित:									
भारतीय									
बीईएल – थेलेस सिस्टम्स लिमिटेड	2017-18	0.16%	1,303	-0.05%	(69)	0.00%	-	-0.05%	(69)
	2016-17	0.18%	1,372	-0.01%	(21)	0.00%	-	-0.01%	(21)
संयुक्त कंपनी (साम्या विधि के अनुसार निवेश):									
भारतीय									
जीई बीई प्र. लि.	2017-18	2.55%	20,458	1.66%	2,378	4.19%	7	1.66%	2,385
	2016-17	2.37%	18,387	1.73%	2,634	0.05%	(5)	1.83%	2,629
कुल	**2017-18**	**100%**	**802,871**	**100%**	**143,103**	**100%**	**167**	**100%**	**143,270**
	2016-17	**100%**	**774,949**	**100%**	**152,337**	**100%**	**(9,255)**	**100%**	**143,082**

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी 33
वित्तीय प्रलेखों – उचित मूल्य मापन

1. लेखापरीक्षा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

वित्तीय परसंपत्तियां एवं देयताएं के स्वीकृत राशि एवं उचित मूल्य निम्नलिखित सूची मे दर्शाए गए है –

	विवरण	यथा 31 मार्च 2018			यथा 31 मार्च 2017		
		एफवी-पीएल	एफवीओ-सीआई	परिशोधित लागत	एफवी-पीएल	एफवीओ-सीआई	परिशोधित लागत
उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन							
I	**निवेश**						
i	ईक्विटी प्रलेख – माना एफ्लूअंट ट्रीटमेंट प्लैंट लि.	-	7	-	-	7	-
ii	अन्य निवेश						
a.	भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी) में निवेश(अवकाश नकदीकरण एवं बीईआरईसीएचएस के लिए)	73,270	-	-	30,702	-	-
	उप कुल	**73,270**	**7**	**-**	**30,702**	**7**	**-**
	उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन नही						
II	व्यापार प्राप्तियां			569,311			436,826
III	ऋण						
a	सुरक्षा जमा राशियां			3,158			2,883
b	कर्मचारियों को ऋण			819			821
IV	नकद एवं नकद समतुल्य			80,443			269,981
V	अन्य बैंक शेष			3,664			112,738
VI	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां						
a	कर्मचारियों को अग्रिम			100			189
b	अन्य को अग्रिम			5			4
c	प्राप्य (गैर व्यापार प्राप्तियां)			455			225
d	प्रोद्भूत आय			134,457			20,792
e	प्रोद्भूत ब्याद पर टर्म डिपॉज़िट पर देय नही			3,924			5,520
VII	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां						
a	बारह महीनो से अधिक परिपक्वता से साथ बैंक शेष			36			2,755
b	अन्य			4,175			3,586
	अन्य निवेश						
a	सबकारी संस्थानों, आवास संस्थानों आदि में निवेश.*			-			
	उप कुल			**800,547**			**856,320**
	कुल	**73,270**	**7**	**800,547**	**30,702**	**7**	**856,320**

* आईएनआर 4,750 (आईएनआर 4,750) पूर्ण आंकड़े को प्रतिनिधित्व करता है जो राउंड ऑफ किया गया है

नोट : सहायक कंपनियों (बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस निमिटेड और बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेज) में निवेश का अनुमान भा.ले.मा. 101 के तहत उपलब्ध विकल्पो के साथ लागत में किया गया है। साथ ही, एसोसियेट (जीई-बीई प्राइवेट लिमिटेड) में निवेश का खर्च निवेश भा. ले. मा.101 के तहत उपलब्ध विकल्प के साथ किया गया है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण		यथा 31 मार्च 2018			यथा 31 मार्च 2017		
		एफवी-पीएल	एफवीओ-सीआई	परिशोधित लागत	एफवी-पीएल	एफवीओ-सीआई	परिशोधित लागत
उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं का मापन		-	-	-	-	-	-
कुल		-	-	-	-	-	-
उचित मील्य पर वित्तीय देयताओं का नही मापन							
I	उधार राशियां			4,703			3,025
II	व्यापार प्रदेय			136,812			129,737
III	अन्य वित्तीय देयताएं						
a	व्यापार प्रदेय पर दाव एवं प्रोदभूत ब्याज			10			9
b	दीर्घकालिक ऋण पर चालू परिपक्व			3,333			3,333
c	सुरक्षा जमा राशियां			8,263			3,260
d	अदत्त परिपक्व जमा राशियां			37			37
e	अदत्त लाभांश			48			6,422
f	एमएसएई को गैर व्यापार प्रदेय			102			85
g	बकाया व्यय			58,789			38,772
h	अन्य व्यापार प्रदेय			16,511			13,020
i	अन्य देयताएं			1,408			1,165
	कुल			**230,016**			**198,865**

2. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय प्रलेखों में जहाँ भी प्रयोज्य उचित मूल्य मापन हेतु अनुक्रम स्तर का उपयोग नीचे दिए गए है:

विवरण			यथा 31 मार्च 2018			यथा 31 मार्च 2017		
		नोट	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
I	**उचित मूल्य पर मापन वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं– आवर्तक उचित मूल्य मापन**							
A	वित्तीय परिसंपत्तियां							
i	एफवीपीएल में वित्तीय निवेश	6	-	73270	-	-	30702	-
ii	एफवीओसीआई पर वित्तीय निवेश– अनकोटेड	6	-	-	7	-	-	7
II	**प्रोदभूत लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं**		इन परिसंपत्तियों का भार उठाते हुए मूल्य के रूप में कोई अलग उचित मूल्य नही बताया जाता है और देयताएं उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है।					

स्तर 1 : पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है।

स्तर 2 : वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नही किया जाता है मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके नीर्धारित किया जाता है जो निरीक्षण योग्य बाजार डोटा के उपयोग को अधिकतम करते है और इकाई विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करते है।

स्तर 3 : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ अवेषनीय बाजार डेटा पर आधारित नही है, तो उपकरण 3 स्तर में शामिल है। यह सूचीबद्ध न किए गए इक्विटि शेयरों का मामला है।

3. उचित मूल्य निर्धारण हेतु उपयुक्त मूल्यांकन तकनीक :–

a. एलआईसी निवेश – (स्तर 2)
एलआईसी से प्राप्त योजना के मूल्यांकन रिपोर्ट आधारित।

b. मेसर्स माना एफ्लुअंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. – (स्तर 3)
बीईएल ने मेसर्स माना की इक्विटि प्रतिभूतियों में निवेश किया है, जो एक असूचीबद्ध कंपनी है। मेसर्स माना में निवेश की कंपनी की लागत केवल ₹ 5 (जारी शेयर पूंजी की ₹ 163). कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए नेट एसेट वैल्यू पद्धति का विकल्प चुना है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

टिप्पणी 34

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i. **जोकिम प्रबंधन की संरचना एवं नीतियाँ**

वित्तीय साधनों के परिणामस्वरूप कंपनी ऋण जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम (विनिमय दर, ब्याज दरों और मूल्य जोखिम में उतार-चढ़ाव) का व्यापक रूप से सामना करती है।

निदेशक मंडल की संपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी के जोखिम पँबंधन ढांचे की स्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण है।होर्ड ने इस उद्देश्य से जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है, जो जोखिम प्रबंधन नीतियों के विकास और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। कंपनी की एक स्थापित जोखिम प्रबंधन नीति है जो जोखिम प्रबंधन संरचना की रूपरेखा करती है और पहचान, मूल्यांकन, प्राथमिकता, वित्त और संचालन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न जोखिमों के उपचार के लिए व्यापक ढ़ांचा प्रदान करती है।

कंपनी के पास एक केंद्रीकृत ट्रेजरी कार्य है जो कि बोर्ड द्वारा तैयार की गई है ।

मूल कंपनी में केंद्रीकृत निधि प्रकार्य है जो मंडल द्वारा तैयार की गई नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तीय जोखिम को कम करने के उचित उपाय करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिरक्षा संबंधी लेनदेन बाहरी विशेषज्ञ से परामर्श करने के बाद उपयुक्त कुशल और अनुभव रखने वाली टीम द्वारा किए जाते हैं। ग्रूप सट्टाबाज़ी के व्युत्पन्नों में कारोबार नहीं करता।

ii. **बाजार जोखिम**

बाजार का जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा जैसे बाजार मूल्य में बदलाव होते है, ब्याज दरें ग्रुप की आय या वित्तीय साधनों की अपनी होल्डिंग्स के मूल्य को प्रभावित करती है। बाजार जोखिम को प्रबंधत करना और नियंत्रित करना है पैरीमीटर, जबकि वापसी का अनुकूलन।

समूह की गतिविधियां यह मुख्य रूप से विदेशी विनिमय दरों के आंदोलनों (मुद्रा जोखिम और ब्याज जोखिम पर नीचे दिए टिप्पणियां देखें) में होने वाले परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती है।

मुद्रा जोखिम

बीईएल विदेशी मुद्रा संचालन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम खासकर अमेरिकी डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और स्विस प्रैंक जैसे विदेशा मुद्रा में खरीदी और बिक्री से संबंधित होता है इसका खुलासा करता है। विदेशी मुद्रा जोखिम मौजूदा और भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मुद्रा मानी जाती है जो कि केंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नही है।

कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा कार्यान्वित एक बोर्ड अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है जो इस जोकइम के लिए कंपनी के जोखिम को नियमित आधार पर समीक्षा करती है। जोखिम प्रबंधन नीति खुली विदेशी मुद्रा नीति के 50% तक बचाव व्यवस्था की सिफारिश करती है। हालांकि बचाव व्यवस्था मे प्रवेश करने का निर्णय प्रासंगिक डेटा आदानों के आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बाहरी विशेषज्ञ सलाहकार की सलाह दी जाती है।

कंपनी का निर्यात आय ज्यादातर एक निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में प्रेषण द्वारा महसूस होता है, जिसका उपयोग विदेसी मुद्रा मे किए जाने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है, जिसका निर्यात पर मुद्रा जोखिम को कम किया जा सकता है। वार्षिक विदेशी मुद्रा विनिमय के लगभग 25% (30%) की सीमा को आयात संबंध में संबंधित ग्राहक संविदा में एक्सचेंज दर विविधता (एआरवी) भाग द्वारा कवर नही किया जाता है और इसलिए मुद्रा जोखिम के लिए खुले है। इन आयातों को मामले दर के आधार पर नीति और जोखिम को कवर करने के लिए उचित निर्णय मामले के आधार पर मानदंड किया जाता है। जहां भी जरूरत हो कंपनी की मुद्रा जोखिम नीति आगे की आवश्यकता के मुताबिक जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था अनुबंध का समर्थन करती है।

31 मार्च 2018 के अनुसार कोई बकाया अग्रेषित अनुबंध नही है। कंपनी ने 2017-18 के दौरान किसी भी अग्रिम अनुबंध में शामिल नही है।

मुख्य मुद्राओं के मामले में विदेशी मुद्रा के संबंध में समूह का एक्सपोशर के विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	यथा 31.03.2018				यथा 31.03.2017			
	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	सीएचएफ	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	सीएचएफ
व्यापार प्रदेय	807	200	21	55	874	302	17	60
व्यापार प्राप्य	33	12	-	-	266	12	-	-
निवल एक्सपोज़र	774	188	21	55	608	290	17	60

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

विनिमय दर में होमे वाले लाभ या हानियों की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में निहित वित्तीय साधनों से होती है। प्रमुख मुद्राओं के संबंध में संवेदनशीलता की विविधता नूचे दी गई है। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अन्य सभी परिवर्तनशील लगातार हे रहते है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31.03.2018	31.03.2017
यूएसडी – 5% बढ़ोत्तरी	2,530	1,979
यूएसडी – 5% घटाई	(2,530)	(1,979)
यूरो – 5% बढ़ोत्तरी	753	1,041
यूरो – 5% घटाई	(753)	(1,041)
जीबीपी – 5% बढ़ोत्तरी	95	72
जीबीपी – 5% घटाई	(95)	(72)
सीएचएफ – 5% बढ़ोत्तरी	191	195
सीएचएफ – 5% घटाई	(191)	(195)

ब्याज पर जोखिम

ब्याज दर जोखिम या तो उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम या नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है।उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेश के उचित मूल्यो में होने वाले बदलावो का जोखिम है। नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है ताकि बाजार में बायाज दर की उतार चढ़ाव के वजह से चलायमान ब्याज वाले उपकरणो के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार चढ़ाव होगा।

परिवर्तनीय दर उधार

कंपनी को 31.03.2017 को ₹ 10,000/- का टर्म लोन मंजूर कर दिया गा है (31 मार्च 2018 तक बकाया ₹ 6,666/- है) इस ऋण पर देय ब्याज एसबीआई के न्यूनतम व्यवसायिक ऋण दर – एमसीएलआर पर आधारित है। (एसबीआई वार्षिक आधार पर लगाए गए ब्याज को रीसेट करने के लिए योग्य है)। यदि ब्याज दर 1% तक बढ़ जाती है तो ₹ 67 की नकदी का एक अतिरिक्त बहिर्वाह होगा और यदि ब्याज दर 1% कम हो जाती है तो ₹ 50 नकदी प्रवाह की बचत होती है हालाकि, लाभ पर कोई प्रभाव नही पडता कुयूकि ब्याज घटक का पूंजीकरण होता है क्यूंकि उधार पूंजीगत व्यय के प्रति है।

इसके अलावा मूल कंपनी को ₹ 4,00,000 की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर कर दी गई है। स्वीकृत सीमा में ₹ 50,000 की फंड आधारित सीमा और ₹ 350,000 की गैर–निधि आधारित सीमा शामिल है। ₹ 50,000 की फंड आधारित सीमा का उपयोग वर्ष के दौरान नहीं किया गया है 31 मार्च 2018 तक बकाया शून्य है (31 मार्च 2017 शून्य है)। गैर–निधि आधारित सीमा के संबंध में 31.03.2018 को बकाया राशि ₹ 175565 (₹ 16५376) है। एसबीआई की 1 साल की एमसीएलआर दर के आधार पर ब्याज देय है। चूंकि उधार लेना शून्य है क्योंकि ब्याज दरों में संभावित परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सहायक कंपनी बीईएलओपी के मामले में एसबीआई (लीड बैंक) और एक्सिस बैंक के कंसोर्टियम बैंकरों द्वारा ₹ 4,600/- की कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी दे दी गई है। ब्याज दर 8.45% प्रति वर्ष है। (एक्सिस बैंक) और 8.35% प्रति वर्ष (एसबीआई)।

साम्या मूल्य जोखिम

साम्या मूल्य जोखिमके संबंध में कंपनी का निवेश नगण्य है क्यूंकि इसके औचित्व निवेश (सहायक और सहयोगी के अलावा) नगण्य है।

iii. **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम हैकि कंपनी को वित्तीय देनताहियो से जुडी दायित्व को पूरा करने में कठिनाइयो का सामना करना पड सकता है, नकदी और अन्य वित्तीय संपत्ति याजोखिम के ज़रिए कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में कठिनाइयो का सामना करना होगा। तरलता जोखिम के लिए कंपनी का अनावरण बहुत कम है क्यूंकि इसमे एक विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से पर्याप्त दायित्वो का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रति भूतिया बनाए रखता है। जब आवश्यक हो वित्त पोशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा, नकद ऋण सुविधा और अल्प कालिक उधार की प्रकृति में अपनी चालू कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और विकास की ज़रूरतों के लिए उपयोग किया जाता है।

कंपनी अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करती है मुख्य रूप से आंतरिक रूप से उत्पन्न नकदी प्रवाह के माध्यम से जो कि राजकोष द्वारा मुख्य बिंदु पर नगराणी रखी जाती है। विभिन्न प्रचालन यूनिटों से नकद पूर्वानुमान के रोलिंग की एक स्थापित प्रक्रिया है जो देयताओं को पूरा करने के लिए अपेश्रित नकदी प्रवाह को अंकित करने का आधार बनाती है।

नीचे दी गई तालिकाकंपनी की वित्तीय देनदारियो का विश्लेषण करती है, जो उनके अनुबंद संबंधी परिपक्वता पर आधारित होती है। बताया गया राशि संविदात्मक और रियायती नकदी प्रवाह है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

यथा 31 मार्च 2018

	3 महीनों से कम	3 से 6 महीनें	6 महीनें से 1 वर्ष	1 और 2 वर्ष के भीतर	2 और 5 वर्ष के भीतर	कुल
उधार राशियां	1,370	-	-	3,333	-	4,703
व्यापार प्रदेय	115,838	7,509	13,460	-	5	136,812
दीर्घकालिक ऋण के चालू परपक्व	833	834	1,666	-	-	3,333
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	8	-	2	-	-	10
अन्य वित्तीय देयताएं	75,144	2,141	7,750	91	32	85,158

यथा 31 मार्च 2017

	3 महीनों से कम	3 से 6 महीनें	6 महीनें से 1 वर्ष	1 और 2 वर्ष के भीतर	2 और 5 वर्ष के भीतर	कुल
उधार राशियां	1,358	-	-	1,667	-	3,025
व्यापार प्रदेय	127,048	691	1,998	-	-	129,737
दीर्घकालिक ऋण के चालू परपक्व	833	834	1,666	-	-	3,333
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	7	-	2	-	-	9
अन्य वित्तीय देयताएं	61,829	68	792	46	26	62,761

31 मार्च 2018 को कंपनी में कोई बकाया डेरवेटिव्स नही है।

iv. **ऋण जोखिम**

उस जोखिम को दर्शाता है कि एक कौंटर पार्टी अपने दायित्व संबंधी दायित्वों पर चूक जाएगी जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। ग्राहको से ऋण जोखिम, बैंको के साथ नकदी और नकद समकक्ष, सुरक्षा जमा और ऋण से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

कंपनी के ऋण जोखिमको जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा एक कारपोरेट स्तर पर प्रबंधित किया जाता है जिसने अपने ग्राहको और अन्य प्राप्तियो के लिए क्रेडिट नीति मानदंडो की स्थापना की है। व्यापार प्राप्तियो की महत्वपूर्ण मात्रा सरकारी / सरकारी विभागो, सार्वजनिक क्षेत्रकी कंपनियो (पीएसयू) की वजह से होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ऐसी प्राप्तियो के साथ जुडे क्रेडिट जोखिम नही मिलता है। गैर सरकारी व्यापार प्राप्तियो के मामले में, सामान्य तौर पर बिक्री ग्राहक द्वारा स्थापित क्रेडिट पत्र के आधार पर किया जाता है जिससे क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है।

कुछ मामलो में, ग्राहक की शोधन क्षमता का आकलन करने के बाद और ऋण योगायता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारणो से बाज़ार की स्थितियो के आधार पर ग्राहको के ऋण को बढ़ाया जाता है।आग्रिम भुगतान बैंक गैरंटी के प्रतिकूल किए जाते है जो इस तरह के भुगतान से जुडे ऋण जोखिम को सुरक्षित रखते है। वित्तीय परिसंपत्तियो पर नुकसान हानि (मुख्य रूप से मुआवज़ा किए गए नुकसानो का विलंबित प्रत्याहरण और अन्य अस्वीवर्तको के लिए लगाए जाने वाले नुकसान) अनुबंदित नियो आदि कारको और अनय संकेतको के बाद किया गया है।

बैंको के साथ नकद और नकद समकक्ष 1वर्ष तक की परिपक्वता आवधि के परिप्रेक्ष्य अवधि के साथ अल्प कालिक जमा के रूप मे है। कंपनी की एक अच्छी तरह से संरचित जोखिम निवारण नीति है जिसके तहत प्रत्येक बैंक के लिए अपनी कुल मूल्य और कमाई क्षमता के आधार पर निर्धारित सीमाए है, जो कि आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। कंपनी ने जमाओं पर बैंकों से डीफॉल्ट के कारण किसी भी प्रकार की हानि नही की है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियो के संबंध में ऋण जोखिमनगण्य है क्यूंकि वे ज्यादातर सरकारी विभाग/ पार्टियो के कारण होते है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

v. **पूंजी प्रबंधन**

कंपनी का पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य शेयर धारको को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करने के लिए एक मज़बूत पूंजी आधार बनाए रखना है और कंपनी की क्षमता बढ़ती चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता सुनिश्चित करना है।कंपनी के पास ऋण के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए एक रूढ़ीवादी ष्टिकोण है, लेकिन यह उचित समय पर इस विकल्प का लाभ उठाने और इश्टतम पूंजी संरचना को बाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस संपूर्ण उद्देश्य के तहत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 में बोनस शेयर जारी करके पूंजी आधार का विस्तार किया है और वित्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में शेयरो को वापस खरीदा है (टिप्पणी 16 देखे)। कंपनी के एक अच्छे तरह से परिभाषित लाभांश वितरण नीति है जिसमे लाभांश के वितरण के लिए ढांचा और भविष्य के विकास और शेयर धारको के धन को बढ़ाने के लिए अधिशेष है। कंपनी ने क्वार्टर्स के निर्माण के लिए बैंक से ₹ 10,000 का ऋण लिया है (यथा 31 मार्च 2018 को बकाया ₹ 6,666 (₹ 5,000)) (टिप्पणी 18 एवं 20 देखे)। कंपनी ने कुछ बैंको के साथ ₹ 4,00,000 की उधार सीमा को मंजूरी दी है।

पूँजी जुटाने का अनुपात

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
निवल ऋण	8,036	6,358
कुल साम्या	801568	773577
साम्या अनुपात हेतु निवल ऋण	0.01:1	0.0082:1

टिप्पणी 35

सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियां

मियादी ऋण एवं चालू पूँजी उधार राशियां के लिए सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियों का स्वीकृत राशि:

विवरण	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
(i) वस्तुसूचियाँ	461,576	488,167
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	569,311	436,826
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	80,440	269,971
(iv) बैंक शेष उपर्युक्त (iii) के अलावा	3,616	106,316
(v) ऋण	1,458	1,204
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	140,261	27,074
(vii) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	137,911	57,016
सुरक्षा हेतु गिरवी कुल चालू परसंपत्तियाँ	**1,394,573**	**1,386,574**

उधार राशि के विवरण हेतु टिप्पणि सं. 18 एवं 20 देखें।

टिप्पणी 36

महत्वपूर्ण अनुमान और फैसले

वित्तीय विवरणों का तैयारी करते समय, प्रबंधन ने कुछ निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाए है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की मात्रा को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते है।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए संशोधनों को भविष्य में मान्यता प्राप्त है।

लेखों की समेकित टिप्पणियाँ

लेखा नीतियों के आवेदन करते समय किए गए फैसले वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसके तहत सामग्री समायोजन में जिसके परिणामस्वरूप होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है–

i. **अनुसंधान और विकास व्यय – लेखा नीति सं. 10 – (टिप्पणी सं. 5 देखें)**

नही लागत नही प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परियोजनाओं और संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास संबंधी व्यय जो कि विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से क्षतिपूरण नही किए जाते है, परियोजना के पूरे होने तक आगे किए जा रहे है।

ii. **परिभाषित लाभ दायित्व का अनुमान – मुख्य बीमांकिक मान्यताएं – टिप्पणा संख्या 21 देखें)**

iii. **वारंटी दावों के प्रावधान का आकलन – (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

वारंटी प्रवधान गणना में प्रवृत्ति आधारित विश्लेषण के आधार पर औसत वारंटी लागत का आकलन शामिल है। यदि विविध अनुमान लगाया जाए, तो वह उसी मान्य व्यय को प्रभावित करेगा।

iv. **वेतन संशोधन प्रावधान – (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

गैर कार्यपालकों के संबंध में वेतन संशोधन 01.01.2017 से प्रभावी होते हुए देय है। संशोधित वेतन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 01.04.2017 से 30.03.2018 की अवधि के लिए प्रत्याशित देयता के उचित आकलन के आधार पर प्रावधान बनाए गए है।

v. **राजस्व की मान्यता – (टिप्पणी संख्या 23 देखें)**

पूर्णता विधि का प्रतिशत अनुबंध पूरा करने के लिए अनुमानित कुल लागतों के वास्तविक लागत के आधार पर पूरा होने के चरण का अनुमान लगाया जाता है। अगर विविध अनुमान लगाटा जाए, तो यह उसी संबंधित राजस्व को प्रभावित करेगी।

टिप्पणी 37

हाल ही की लेखांकन घोषणाएं

A. भा.ले.मा. 115– ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व:

28 मार्च 2018 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने भा.ले.मा. 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को अधिसूचित किया है। यह मानक 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखांकन अवधि के लिए लागू होगा। मानक संक्रमण के दो तरीकों की अनुमति देता है।

1. भा.ले.मा. 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्ववर्ती।
2. शुरुआती आवेदन की तारीख को मान्यता प्राप्त मानक को शुरू करने के संचयी प्रभाव के साथ पूर्ववर्ती रूप से।

कंपनी इस अवधि को 1 अप्रैल 2018 को पूर्वव्यापी रूप से मानकीकृत आय के उद्घाटन संतुलन (या इक्विटी के अन्य घटक, उचित के रूप में) के समायोजन के रूप में मानक के रूप में लागू करने के संचयी प्रभाव के साथ इस मानक को अपनाएगी। कंपनी वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

B. भा.ले.मा. 21 को परिशिष्ट बी, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अग्रिम विचार :

28 मार्च 2018 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 1 अप्रैल 2018 से कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2018 को भा.ले.मा 21 (विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव) को अधिसूचित किया है। यह संशोधन संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसका हिस्सा) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारित करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख को स्पष्ट करता है वह तारीख है जब किसी इकाई को विदेशी मुद्रा में अग्रिम विचार प्राप्त होता है या भुगतान किया जाता है। कंपनी वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। हालांकि, प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण पर उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

साथ में दिए गए वित्तीय विवरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारित कंपनी) के वित्तीय विवरण हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सार्वजनिक कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर भारत में दो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। पंजीकृत कार्यालय और कंपनी का व्यवसाय का मुख्य स्थान बेंगलूरु, कर्नाटक, भारत में स्थित है।

कंपनी रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का निर्माण और आपूर्ति करता है। रक्षा क्षेत्र के अलावा, कंपनी को नागरिक बाजार में सीमित उपस्थिति भी उपलब्ध है।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

1. लेखा का आधार

वित्तीय विवरण को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है (अनिवार्य भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस एएस) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनियों के नियम 3 (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, लागू नियमों का पालन का गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को भी लागू किया गया है।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अनुमान और पूर्वानुमान लगाए जिसका विवरण की तारीख पर रिपोर्ट कि गए परिसंपत्तियों और देनदारियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्तियों एवं रिपोर्ट किए गए रजस्व और व्यय पर प्रभाव पड सकता है। यद्यपि इस तरह के अनुमान उचित और विवेकपूर्ण आधार पर सभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में पहचाने गए हैं जिनमें परिणामों का पता लगाया जाता है।

3. मापन का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं ऐतिहासिक संपत्तियों और दायित्वों को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है:

- व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो
- वित्तीय संपत्ति और देनदारियां जो उचित मूल्य पर मापा जाने योग्य हैं
- परिभाषित लाभ संपत्ति / दायित्व को योजना संपत्तियों का कम उचित मूल्य परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में पहचाना जाता है।

4. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी के कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

5. राजस्व मान्यता

(i) **सामान की बिक्री**

माल की बिक्री से राजस्व प्राप्त या प्राप्ति योग्य, रिटर्न का शुद्ध, व्यापार छूट और मात्रा छूट के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल ग्राहक के लिए बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है, न तो सामग्रियों पर प्रबंधन की भागीदारी और न ही प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की मात्रा खर्च और राजस्व मज़बूती से मापा जा सकता है बिक्री समझौते के इनको-नियमों के आधार पर जोखिम और पुरस्कार के हस्तांतरण का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

(ii) **पूर्व वर्क्स अनुबंध**

पूर्व-कार्य संविदा के मामले में, राजस्व की पहचान की जाती है जब निर्दिष्ट वस्तुओं को बिना किसी पूर्व अनुबंध और स्वीकृति के बाद अनुबंध में विनियोजित किया जाता है, यदि आवश्यक हो।

(iii) **संविदाओं के लिए**

संविदा के मामले में राजस्व मान्यता प्राप्त है, जब सामान को पहले निरीक्षण और स्वीकृति के बाद खरीदार को ट्रांसफर करने के लिए वाहक को सौंप दिया जाता है, यदि निर्धारित किया गया है, और गंतव्य अनुबंध के मामले में, अगर उचित उम्मीद है कि लेखांकन अवधि के भीतर सामान पहुंच जाएंगे। अगर ग्राहक के अनुरोध पर माल कंपनी मे रखा जाता है तो भी राजस्व की पहचान की जाती है।

(iv) **बिल और स्थगित बिक्री**

बिल और स्थगित बिक्री के लिएजब ग्राहक द्वारा शीर्षक लेने पर निम्न के अनुसार राजस्व की पहचान की जाती है:

- यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;
- उत्पाद तैयार अवस्था मे है, और रजस्व पहचाने जाने वाले समय पर खरीददार को आपूर्ति के लिए तैयार है;
- खरीददार विशेष रूप से स्थगित प्रदाय के निर्देशों को स्वीकार करता है;
- सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

(v) **निर्माण संविदाएँ**

संविदा राजस्व में संविदा में सहमत प्रारंभिक राशि और संविदा कार्य, दावों तथा प्रोत्साहन भुगतान में किसी प्रकार के विचलन उस सीमा तक शामिल होते हैं जिसमें इस बात की संभावना होती है कि वे राजस्व में परिणामित होंगे और उन्हें विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

संविदा राजस्व को संविदा के पूरा किए जाने की अवस्था के अनुपात में अभिचिह्नित किया जाता है। कार्य पूरा करने की अवस्था का मूल्यांकन संविदा को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्राक्कलित कुल लागत तक रिपोर्टिंग की तारीख तक संविदा में उपगत वास्तविक लागतों के अनुपात में किया जाता है।

यदि परिणाम को विश्वसनीय ढंग से प्राक्कलित नहीं किया जा सकता हो और जहाँ इस बात की संभावना हो कि लागत की वसूली की जाएगी, राजस्व को उपगत लागत की सीमा तक अभिचिह्नित किया जाता है।

जब इस बात की संभावना हो कि समापन पर संविदा की कुल लागत कुल संविदा राजस्व से अधिक होगी, तो सम पन पर अपेक्षित हानि को व्यय के रूप में तुरंत अभिचिह्नित किया जाता है।

(vi) **मूल्य वृद्धि और विनिमय दर में भिन्नता दावे**

अनुबंधों के मामले में जहां अतिरिक्त विचार ग्राहक द्वारा निर्धारित और अनुमोदित किए जाने हैं, ऐसे अतिरिक्त राजस्व ग्राहक से पुष्टि मिलने पर मान्यता प्राप्त है।

(vii) **एकाधिक संविदाएं**

एकाधिक अनुबंध के मामले में, जहां स्थापना और कमीशन के लिए अलग शुल्क या कोई अन्य अलग-अलग पहचाने जाने योग्य घटक तय नहीं किया गया है, कंपनी लेनदेन के अलग-अलग पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री और स्थापना और कमीशन आदि) को मान्यता मानती है। उनके सापेक्ष उचित मूल्य के आधार पर उन अलग-अलग घटकों के लिए राजस्व आवंटित करता है।

(viii) **एकाधिक तत्व**

अधिष्ठापन और कमीशन या किसी भी अन्य अलग पहचान योग्य घटक को निर्धारित किया गया है और उसी के लिए मूल्य अलग से सहमत है, कंपनी लेनदेन और आबंटन के अलग से पहचाने जाने वाले घटकों (माल की बिक्री और स्थापना और कमीशन आदि उन अलग-अलग घटकों का राजस्व) उन सापेक्ष निष्पक्ष मूल्य के आधार पर करता है।

(ix) बिक्री में बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल नहीं है और 30.06.2017 तक का उत्पाद कर शामिल है।

दिनांक 01.07.2017 से बिक्री में माल व सेवा कर (जीएसटी) शामिल है।

(x) **सेवाओं से राजस्व**

अनुरक्षण अनुबंध से संबंधित राजस्व प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त है।

अन्य तय-मूल्य अनुबंध (सॉफ़्टवेयर से संबंधित सेवाओं से आय सहित) के लिए, राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन के पूरा होने के स्तर के अनुसार पहचाना जाता है।

सेवा के अन्य श्रेणियों के संबंध में सेवा प्रदान करने के बाद राजस्व मान्यता प्राप्त है।

(xi) **ब्याज आय**

ब्याज की आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर अभिचिह्नित किया जाता है।

(xii) **लाभांश आय**

लाभांश आय को तब अभिचिह्नित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित होता है।

(xiii) **किराये की आय**

पट्टों के परिचालन से होने वाली किराये की आय का आंकलन पट्टे की अवधि पर एक सीधी रेखा के आधार पर होता है, जब तक भाड़े में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं होती है या अन्यथा उचित होती है।

(xiv) **ड्यूटी कमियां**

निर्यात पर ड्यूटी कमोडिटी दावों का हिसाब दावों को पसंद करने के संबंध में है।

(xv) **अन्य आय**

विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित न किए जाने वाले अन्य आय संचय के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कार्य प्रगति पूंजी

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शुरू में लागत पर मापा जाता है और बाद में लागत कम संचित अवमूल्यन और संचयी हानि के घाटे में, यदि कोई हो इस उद्देश्य के लिए लागत में परिसंपत्ति को उसके स्थान और स्थिति में लाने के लिए सभी विशेष कारण शामिल हैं। यदि किसी प्रावधान के लिए मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो इसके उपयोग के बाद संपत्ति के डीकमिशनिंग के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया गया है।

प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार नियत परिसंपत्तियों की लागत उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, यह पूंजी कार्य-प्रगति के रूप में प्रकट की जाती है।

पूंजीगत कार्य-प्रगति में बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार आपूर्ति-कम-निर्माण अनुबंध साइट पर प्राप्त पूंजीगत आपूर्ति का मूल्य और स्वीकृत, पारगमन में पूंजीगत सामान और निरीक्षण के अधीन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत जो अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं शामिल हैं।

7. अमूर्त परिसंपत्ति, विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) और महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभों का परिणाम है, खातों की पुस्तकों में एक अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है जब वह उपयोग के लिए तैयार होता है अमूर्त संपत्ति जो कि बैलेंस शीट की तारीख के रूप में उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उन्हें विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

विकास योग्य कार्य की लागत, जो भी पूरा हो, जहां भी योग्य है, एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

प्रगति के तहत विकास कार्य की लागत, जहां भी योग्य है, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वहनीय राशि में कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं को विकास परियोजनाओं और सामग्री लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय के लिए खर्च किए गए व्यय के लिए वित्तपोषित राशि शामिल है।

8. मूल्यह्रास / परिशोधन

संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है। कंपनी, तकनीकी आकलन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची 2 में निर्धारित उपयुक्त जीवन से अलग अनुमानित जीवन से अधिक अलग अलग इमारतों, पौधों और उपकरणों और अन्य परिसंपत्ति वर्गों की कुछ वस्तुओं को कम करती है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवन वास्तविक है और उस अवधि के निष्पक्ष अनुमान को प्रतिबिंबित करते हैं जिन पर संपत्ति का इस्तेमाल होने की संभावना है।

जहां परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत परिसंपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से की अनुमानित उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन से अलग है, उस महत्वपूर्ण भाग के अनुमानित उपयोगी जीवन को अलग से निर्धारित किया जाता है और महत्वपूर्ण हिस्सा अपने अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधे-रेखा के आधार पर किया जाता है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्रऔर उपकरणों के मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियां अपने व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन से सीधी रेखा के आधार पर परिमाण की जाती हैं, जो उस तिथि से होती हैं, जो वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समय-समय पर की जाती है।

9. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

संपत्ति, संयंत्रऔर उपकरण और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से की एक वस्तु निपटान पर मान्यता प्राप्त है या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता के मुताबिक किसी भी लाभ या हानि का आकलन किया जाता है (परिसंपत्ति का निपटान करने वाली राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है) लाभ और हानि के बयान में शामिल है जब परिसंपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है।

10. अनुसंधान और विकास व्यय

(i) अनुसंधान गतिविधि पर व्यय को उसके खर्चे की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में पहचाना जाता है ।

(ii) विकास व्यय (ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए गए विशिष्ट विकास-से-बिक्री अनुबंध और विकास संबंधी परियोजनाओं के अलावा), खर्च किए जाने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। विकास-सह-बिक्री अनुबंधों और विकास संबंधी परियोजनाएं जो, ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए जाते हैं पर विकास संबंधी व्यय, अन्य बिक्री अनुबंधों के समान माने जाते हैं ।

संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास व्यय, जो विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं किए गए हैं आगे ले जाया जाते है जहां कंपनी को उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद है।

जहां ऐसी विकास परियोजनाएं ग्राहक आदेश में फलित नहीं होतीं, इस तरह के परियोजनाओं के संबंध में बुक

किए गए कुल व्यय को बंद कर दिया जाता है, जो परियोजना बंद है।

(iii) अन्य विकास कार्यों से संबंधित व्यय (बाहरी एजेंसियों के सहयोग के साथ संयुक् विकास कार्य सहित) जहां अनुसंधान परिणाम एवं अन्य ज्ञान)को नये एवं उन्नत उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए उपयोग किया गया हो को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दिया जाता है यदि आईएनडी एएस38 में दिए मान्यता मानदंडों के अनुरूप हो और जब यह उम्मीद किया जाता है कि विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी एवं वानिज्यक रूप में उपयोगी होगा, कंपनी के पास इसको पूर्ण रूप से विकसित कर इस अमूर्त संपत्ति को उपयोग करने या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधन है और वह उत्पाद या प्रक्रिया से पारस्परिक लाभ होने की संभावना है।

(iv) ग्राहक से उद्धरण के लिए अनुरोध के आधार परन लागत न प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परीक्षणों में भाग लेने के लिए विकास संबंधी परियोजनाओं पर किए गए खर्च परीक्षणों के समापन तक आगे किए जाते हैं और प्राप्त होने वाले आदेशों पर परिशोधित कर दिए जाएंगे। यदि ग्राहक का आदेश आगामी नहीं है या परियोजना समाप्त हो जाता है तो इसके उपयोग से अधिक आर्थिक लाभ की उम्मीद की जाती है तो राशि का उपयोग पूंजीकृत हो जाएगा या शुल्क बंद किया जाएगा।

11. तकनीकी जानकारियों पर व्यय

तकनीकी जानकारियों पर किए गए व्यय को खर्च उठाने के बाद लाभ और हानि विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है जब तक कि यह अलग से स्वयं या अन्य परिसंपत्तियों / व्ययों के साथ संयोजन पर एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता के लिए उत्तीर्ण नहीं हो जाता है।

12. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित अवमूल्यन और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर मापा जाता है।

13. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई परिसंपत्ति कमजोर होने के कोई संकेत है। अगर कोई संकेत मौजूद है, या जब परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसे माना जाता है जो परिसंपत्ति या नकद–पैदा करने वाली यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य कम उसके निपटान लागत और उपयोग के दौरान उसके मूल्य से जो भी अधिक हो। एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए पुनर्प्राप्ति योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह अन्य परिसंपत्तियों या संपत्ति के समूह से उत्पन्न नकदी प्रवाह से अधिकतर स्वतंत्र नही है। जब किसी परिसंपत्ति या सीसीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को कमजोर माना जाता है और इसको वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग के दौरान मूल्य का आकलन करने में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उस समय प्रचलित बाज़ार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करने वाले, राशि का मूल्य, और परिसंपत्ति के विशेष जोखिम के साथ उसका उचित मूल्य कम निपटान लागत निर्धारित कर पूर्व कर छूट दरों का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य को भुनाये जाते है।

हानि के प्रावधान का उत्थान तब किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) की अनुमानित सेवा क्षमता में उस संपत्ति के लिए हानि का आखिरी बार मान्यता प्राप्त तारीख के बाद हुई पुनर्मूल्यांकनसे यह निर्धारित हो कि उपयोग या बिक्री से उसके मूल्य में वृद्धि हुई है।

14. पट्टे

पट्टे को उसकी प्रारंभिक तिथि पर उसे वित्त या प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

(i) **कंपनी को पट्टेदार के रूप में**

वित्त पट्टों को उनकी उचित मूल्य या पट्टे के प्रारंभ पर न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्यमें से कम पर पूंजीकृत किया जाता है । वित्तीय प्रभारों के लाभ–हानि की विवरण में वित्त लागत के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है । पट्टे की परिसंपत्ति को परिसंपत्ति के प्राकलित उपयोगी जावन काल में या पट्टे की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, परिशोधित किया जाता है ।

ऑपरेटिंग लीज भुगतान को पट्टा अवधि पर सीधे–सीधे आधार पर लाभ और हानि के विवरण में एक खर्चे के रूप में पहचाना जाता है, सिवाय जब लीज भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ा है या अन्यथा उचित है।

(ii) **कंपनी पट्टादाता के रूप में**

ऑपरेटिंग लीज आय लीज़ टर्म पर सीधे रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि जब सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित होने की वजह से वृद्धि होती है। आकस्मिक किराए, अगर कोई हो, की अवधि में राजस्व के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

वित्त पट्टे के मामले में, पट्टेदारों के मुकाबले राशि, प्राप्य के रूप में दर्ज की जाती है क्योंकि पट्टे पर कंपनी का शुद्ध निवेश। वित्त पट्टा आय लेखा अवधि के लिए आवंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर रिटर्न की लगातार आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

15. उधार लेने की लागत

ऐसी परिसंपत्ति जिसके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयारी में पर्याप्त समय लग रहा हों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने वाली लागत को उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से में पूंजीकृत किया जाता है। सामान्य उधार लेने की लागत को योग्य परिसंपत्तियों में उस संपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर को लागू करके पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीकरण दर विशिष्ट उधारों को छोडकर सामान्य उधार के लिए लागू उधार लेने की लागत का भारित औसत है। अन्य सभी उधार लेने की लागत संबंधित अवधि में लिए जाते है। एक इकाई द्वारा धन उदार लेने पर लागू ब्याज और अन्य लागतें उधार व्यय माने जाते है। उधार लेने की लागतों को समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लेने की लागत में शामिल किए जाते है।

16. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदान उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरू में निर्धारित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अचल आस्ति के अधिग्रहण के कारण आस्तगित आय में उपलब्ध राशि को संबंधित आस्थि का ह्रास मूल्य के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदानों तक सीमित करते हुए लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्तगित आय में उपलब्ध राशि को कुल मंजूर लागत और निधीकरण के अनुपात अनुमान के अनुसार व्यय और सरकारी अनुदान तक सीमित रखते हुए वहित लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

17. वस्तु सूचियां

प्रयोज्य रद्दी को छोडकर कंपनी के सभी वस्तु सूचियां मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर मूल्यित किए जाते है।

रद्दी अनुमानित निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यित किया जाता है। सामग्री की लागत का भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके पता लगाया जाता है।

कार्य प्गति प्रगति और तैयार माल की लागत में सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उपयुक्त उपरी प्रभार शामिल हैं। कारखानों में तैयार किए गए सामानों में लागू उत्पाद शुल्क शामिल है। वस्तु सूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है जो पांच वर्ष से अधिक पुराना हो, जो आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

18. आय कर

आयकर में मौजूदा और स्थगित कर शामिल हैं।

(i) **वर्तमान कर**

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देनदारियां कराधान प्रधिकारियों से अपेक्षित वसूली की या भुगतान की राशि पर मापे जाते है। राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कर की दरें और कर कानून उन रिपोर्टिंग तारीखों पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

(ii) **आस्थगित कर**

आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर और उनकी आगे लाई गई राशि के साथ बैलेंस शीट विधि का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी घटाया अस्थायी अंतर, आगे लाए गए अप्रयुक्त कर क्रेडिट, और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यता प्राप्त है उस सीमा तक यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके साथ कम से कम अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

19. वारंटियों के लिए प्रावधान

निष्पादन की गारंटी और प्रति सामान / बेची गई वस्तुओं की मरम्मत के कारण व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

20. विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन शुरू में कंपनी द्वारा अपने संबंधित मुद्रा विनिमय दरों पर लेन-देन को पहले मान्यता के लिए उत्तीर्ण करने के लिए दर्ज किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर में विदेशी मुद्राओं में निहित मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों का अनुवाद किया जाता है मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अनुवाद पर होने वाले अंतर लाभ और हानि विवरण में पहचाने जाते हैं। गैर-मौद्रिक आइटम जो कि विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापा जाता है, प्रारंभिक लेन-देन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके रूपांतरित किया जाता है।

21. कर्मचारी लाभ

(i) संबंधित सेवाओं को प्रतिपादन के लिए पूरी तरह से बारह महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभ अल्पावधि कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनमे मुख्य रूप से शामिल हैं (ए) मजदूरी और वेतन; (बी) अनुपस्थिति की अल्पकालिक मुआवजे; (सी) लाभ-शेयरिंग, प्रोत्साहन और बोनस और (घ) गैर-मौद्रिक लाभ जैसे कि चिकित्सा देखभाल, सब्सिडी वाले परिवहन, कैंटीन सुविधाएं आदि, जो कि गैर बनावट आधार पर निर्धारित है और संबंधित सेवाओं की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त है।

(ii) दीर्घावधिक मुआवजा अनुपलब्धता जैसे कि वार्षिक छुट्टी, सिक लीव और आधा वेतन छुट्टी निर्धारित वार्षिक दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर अनुमानित आधार के आधार पर निर्धारित होता है, जो अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हैं और बैलेंस शीट में निहित प्रावधान का।

(iii) दीर्घावधिक मुआवजा अनुपलब्धता जैसे कि वार्षिक छुट्टी, सिक लीव और आधा वेतन छुट्टी निर्धारित वार्षिक दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर अनुमानित आधार के आधार पर निर्धारित होता है, जो अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हैं और बैलेंस शीट में निहित प्रावधान का।

(iv) बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) के तहत वृद्धिशील दायित्व, प्रति वर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमित वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसके लिए प्रदान किया जाता है।

(v) प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत में कर्मचारियों के संदर्भ में वर्ष के लिए बीमांकिक देयता निर्धारित की जाती है।

(vi) बीमांकिक लाभ और हानि और योजना की परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न और संपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर), अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत मान्यता प्राप्त है। शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर शुद्ध ब्याज व्यय की गणना की गई छूट दर लागू करने के लिए, शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के लिए, निर्धारित अवधि के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित देयता (संपत्ति) वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजना से संबंधित अन्य व्यय लाभ और हानि के वक्तव्य में पहचाने जाते हैं।

जब किसी योजना का लाभ बदल जाता है या जब कोई योजना कम हो जाती है, तो पिछली सेवा से संबंधित लाभ में परिणामी परिवर्तन या कटौती पर लाभ या हानि लाभ और हानि के वक्त में तुरंत पहचान की जाती है।

(vii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान होने पर आय पर राजस्व का भुगतान किया जाता है।

(viii) निश्चित अंशदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना और अधिशेष पेंशन योजना संचालित करती है जिन्हें परिभाषित योगदान योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए, कंपनी कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर स्वतंत्र रूप से प्रशासित निधि में योगदान देता है। इन योगदानों को लाभ और हानि के बयान में दर्ज किया गया है। कंपनी की देनदारी इन फंडों के लिए किए गए योगदान की सीमा तक ही सीमित है।

22. प्रावधान

पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, यह संभावित है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह को दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है दायित्व की राशि जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरण के लिए, बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन केवल जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित है। प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के मुनाफे और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

कंस्ट्रक्शन अनुबंधों के अलावा अन्य कई ठेके के लिए प्रावधान किया जाता है, जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। प्रावधान ठेका समाप्त होने की उम्मीद की लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की शुद्ध लागत से मापा जाता है। एक प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी परिसंपत्तियों पर कोई हानि हानि पहचानती है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, प्रावधान मौजूदा कर-दर की दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाता है, जब उपयुक्त हो, तो दायित्व के लिए विशिष्ट जोखिम। जब छूट का

उपयोग किया जाता है, समय के पारित होने के कारण प्रावधान में वृद्धि वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

23. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह का विवरण आईएनडी एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधियों के अनुसार तैयार किया गया है।

24. उचित मूल्य मापन

कंपनी कुछ वित्तीय साधनों को उपार्जन करती है, जैसे कि डेरिवेटिव और अन्य आइटम्स जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर उचित वक्तव्य में वित्तीय वक्तव्य होते हैं।

सभी संपत्तियां और देनदारियों जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए जाते हैं जो पूरे के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है –

स्तर 1 – समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों (बिना समायोजित)।

स्तर 2 – उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य 1 इनपुट के भीतर शामिल है जो परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, या तो सीधे (जैसे कि कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट, जो कि अवलोकन योग्य बाज़ार डेटा (अप्रभावित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य के प्रकटण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व की प्रकृति, अभिलक्षणों एवं जोखिमों और उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और दायित्वों के वर्ग का निर्धारण किया है ।

25. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) **प्रारंभिक मान्यता और मापन**

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त हैं वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से दर्ज नहीं किया जाता है, लेनदेन की लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है जो परिसंपत्ति की लागत में शामिल होती है।

(ii) **बाद के मापन**

बाद के माप के उद्देश्यों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिमाणीकृत लागत पर मापा ऋण साधन,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा ऋण साधन,
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी उपकरणों।

(iii) **डीरिकग्निशन**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा अस्वीकृत हो जाता है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है।

(iv) **व्यापार और अन्य प्राप्य**

प्राप्य प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाता है। अगर कोई भी संकेत है कि उन संपत्तियों को कमजोर किया जा सकता है, तो वे हानि के लिए समीक्षा की जाती हैं।

26. अगाऊ संविदाएँ

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए आगे की मुद्रा अनुबंधों जैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय साधनों की शुरुआत उस तारीख को उचित मूल्य पर की जाती है जिस पर एक व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। डेरिवेटिव को वित्तीय संपत्ति के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देनदारियों के रूप में उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

27. अंतर्निमित व्युत्पन्न

अंतर्निमित व्युत्पन्न, यदि आवश्यक हो, मेजबान अनुबंध से अलग होकर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

28. नकद और नकद समतुल्य

नकद में नकदी के हाथ और मांग जमा शामिल हैं नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश है जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है, जो कि मूल्य में परिवर्तन का नाममात्र जोखिम है।

बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के तहत उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

29. वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता

इंड-एएस 109 के मुताबिक, कंपनी अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापने और क्रेडिट जोखिम जोखिम वाले वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की हानि की पहचान करती है।

a. समय पर सरकारी / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से बकाया राशि को आम तौर पर ऐसे वित्तीय

परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

b. कानूनी कार्यवाही में जहां देय राशि विवादित होती है, वहां प्रावधान किया जाता है अगर कोई निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है, भले ही वह उच्च अधिकारियों / न्यायालयों के लिए अपील पर हो।

c. समय की महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया बकाया की समीक्षा की जाती है और केस के आधार पर मामले पर प्रावधान किया जाता है।

हानि भत्ता (या उत्क्रमण) लाभ / हानि के बयान में व्यय / आय के रूप में पहचाना जाता है।

30. वित्तीय देयताएं

(i) **प्रारंभिक मान्यता और मापन**

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप से, जैसा उपयुक्त हो, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है ।

ऋण, उधार और देनदारी, लेनदेन लागत का शुद्ध कहा जाता है जो उनसे प्रत्यक्ष रूप से श्रेय देते हैं।

(ii) **बाद के मापन**

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं:

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर दी गई वित्तीय देयताएं शामिल हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हैं, जिन्हें इंड-एएस 109 में परिभाषित हेजिंग रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी व्यापार के लिए आयोजित किया जाता है, जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाता है। लाभ और हानि के बयान में व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि पहचाने जाते हैं।

(iii) **ऋण और उधार**

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए ब्याज-आधारित ऋण और उधार को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से।

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी जाती है।

(iv) **व्यापार और अन्य भुगतान**

देयताएं भविष्य में माल या सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशि के लिए मान्यता प्राप्त हैं, चाहे वे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किए गए हों या नहीं।

31. वित्तीय विलेखों का पुन: वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वितरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय साधनों के लिए जो ऋण के साधन हैं, एक पुनर्वैच्छिकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में बदलाव होता है अगर कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्व्यवस्थित करती है, तो यह पुनर्विकरण पर संभावित रूप से लागू होता है।

32. वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय दायित्व समंजन होते हें और इनकी निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शाई जाती है। यदि अभिचिह्नित राशियों को समंजित करने का वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय विधिक अधिकार है तथा परिसंपत्तियों को वसूलने तथा दायित्वों को एक साथ निपटाने हेतु निवल आधार पर निपटाने का आशय हो।

33. इक्विटी धारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी को इक्विटी धारकों को नकद या गैर नकद वितरण बनाने की जिम्मेदारी है जब वितरण अधिकृत है और वितरण कंपनी के विवेक पर अब नहीं है।

34. त्रुटियां और प्राक्कलन

यदि भा.ले.मा. में परिवर्तन के कारण परिवर्तन की आवश्यकता होती है और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगी तो कंपनी इसे लेखा नीतियों को संशोधित करती है। लेखा नीतियों में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं ।

लेखा अनुमान में बदलाव, जिसके परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देयताएं की मात्रा में परिवर्तन या लाभ और हानि का ब्यौरा परिवर्तन की अवधि (ओं) में संभावित रूप से लागू किया जाता है।

भौतिक त्रुटियों की खोज से पिछली पूर्व अवधि की संपत्ति, देयताएं और इक्विटी की तुलनात्मक रूप से संशोधन की गई है, जिसमें त्रुटि

की खोज की गई है। प्रस्तुत किए गए शुरुआती काल के शुरुआती शेष को भी पुन: विश्राम किया गया है।

35. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए मूल एवं परिवर्तन प्रति शेयर अर्जन डेटा दर्शाती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित करके सामान्य शेयरधारकों की भारित औसत संख्या द्वारा, उस समय के दौरान बकाया साधारण शेयरों से की जाती है, जो अपने शेयरों के लिए समायोजित होते हैं। परिवर्तित प्रति शेयर अर्जत कमाई सामान्य इक्विटी धारकों के लिए मुनाफे या हानि का समायोजन करके और बकाया साधारण शेयरों की वेटेड औसत संख्या, सभी शेयरों के लिए समायोजित, सभी संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए निर्धारित करके निर्धारित की जाती है।

36. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

घटनाओं को समायोजित करना ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे सबूत प्रदान करते हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठने वाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन कार्यक्रमों का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

37. समेकन के सिद्धांत

धारक कंपनी की सहायक कंपनियों तथा परित्यक्त सहायक कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ, धारक कंपनी के वित्तीय विवरणों को सभी आंतर ग्रूप शेषों तथा लेनदेनों को हटाने के बाद परिसंपत्तियों, दायित्वों, आय व व्यय की सभी मदों को जोड़ते हुए लाइन-दर-लाइन आधार पर संयोजित किया गया है। एसोसिएट में ब्याज का परिकलन साम्य विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। उन्हें प्रारंभिक तौर पर लागत पर अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें लेनदेन की लागत शामिल होती है। प्रारंभिक अभिचिह्नन के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में ग्रूप का लाभ या हानि का हिस्सा तथा उल्लेखनीय प्रभाव के बंद होने की तारीख तक, इक्विटी परिकलित निवेश की अन्य व्यापक आय शामिल होते हैं।

प्रारक्षण के संबंध में दर्शित राशि में धारक कंपनी के तुलन-पत्र के अनुसार संबंधित प्रारक्षण की राशि और सहायक कंपनी तथा स्टेप-डाउन सहायक कंपनी की संबंधित बढ़ोत्तरी में अधिग्रहण बढ़ोत्तरी के बाद उसका हिस्सा शामिल होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों को समान परिस्थितियों में किए जाने वाले लेनदेनों एवं अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है और जहाँ तक संभव हो, इन्हें धारक कंपनी के वित्तीय विवरणों की ही तरह प्रस्तुत किया गया है।

कंपनी की सहायक कंपनियों तथा स्टेप-डाउन सहायक कंपनी में कंपनी के निवेशों तथा निवेश किए जाने की तारीख पर कंपनी की सहायक कंपनियों तथा स्टेप-डाउन सहायक कंपनी के इक्विटी में कंपनी के हिस्से में कंपनी की अतिरिक्त लागत को समेकन पर सुनाम के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है जो समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति होती है। वैकल्पिक रूप से, जहाँ निवेश करने की तारीख में कंपनी की सहायक कंपनियों तथा स्टेप-डाउन सहायक कंपनी में इक्विटी का हिस्सा धारक कंपनी के निवेश की लागत से अधिक है, इसे पूँजीगत प्रारक्षण के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है और समेकित वित्तीय विवरणों में प्रारक्षण एवं अधिशेष शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

संलग्न इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ांडर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

फार्म ओ.ओ.सी.–1

भाग "क" – सहायक कंपनियाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण		
1.	सहायक कंपनी का नाम	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	बीईएल थालेस सिस्टम्स लिमिटेड
2.	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	ला.न.	ला.न.
3.	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में, संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	ला.न.	ला.न.
4.	शेयर पूँजी	6,631	5,762
5.	प्रारक्षण एवं अधिशेष	12,189	(750)
6.	कुल परिसंपत्तियाँ	45,909	5,820
7.	कुल देयताएँ	27,089	808
8.	निवेश	-	-
9.	विक्रयावर्त	12,164	312
10.	कराधान से पहले लाभ	1,268	(249)
11.	कराधान का प्रावधान	113	10
12.	कराधान के बाद लाभ	1,155	(259)
13.	प्रस्तावित लाभांश	-	-
14.	शेयरधारक का %	100%	74%
1.	ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी अपना कामकाज करना शुरु नहीं किया है	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिसमापन वर्ष के दौरान कर दिया गया है या बेच दिया गया है	कोई नहीं	कोई नहीं

भाग "ख" – एसोसिएट और संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

क्र.सं.	एसोसिएट का नाम	जीई बीई प्रा. लि.
1.	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	31 मार्च 2018
2.	वर्षांत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट के शेयर	
	सं.	2600000
	एसोसिएट में निवेश की राशि	260
	धारण का %	26%

(₹ लाख में)

क्र.सं.	एसोसिएट का नाम	जीई बीई प्रा. लि.
3.	उल्लेखनीय प्रभाव का विवरण	मतदान के अधिकार
4.	एसोसिएट का समेकन क्यों नहीं किया गया	लागू नहीं
5.	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारण का निवल मूल्य	20,458
6.	वर्ष का लाभ / हानि	
	i. समेकन पर विचार किया गया	2,378
	ii. समेकन पर विचार नहीं किया गया	-
1.	ऐसे एसोसिएट के नाम जिन्होंने अभी अपना कामकाज करना शुरु नहीं किया है	कोई नहीं
2.	ऐसे एसोसिएट के नाम जिनका परिसमापन वर्ष के दौरान कर दिया गया है या बेच दिया गया है	कोई नहीं

कृते **सूरी एंड कंपनी,**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 004283S

एम वी गौतमा
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ांडर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 मई 2018

टिप्पणी

टिप्पणी

मेक इन इंडिया पहल



चेन्नै में आयोजित रक्षा उद्योग विकास बैठक के दौरान बीईएल के स्टॉल में श्री एम वी गौतमा, सीएमडी के साथ चर्चा करती हुई श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय रक्षा मंत्री। साथ में दिख रहे हैं, श्री एडप्पडि के पलनीस्वामी, माननीय मुख्य मंत्री, तमिलनाडु



महामहिम श्री बनवारीलाल पुरोहित, माननीय राज्यपाल, तमिलनाडु तथा डॉ सुभाष भामरे, माननीय रक्षा राज्य मंत्री को बीईएल का स्टॉल दिखाते हुए श्री एम वी गौतमा, सीएमडी।



रक्षा उद्योग विकास बैठक के उद्घाटन समारोह में अपना संबोधन देते हुए श्री एम वी गौतमा, सीएमडी



रक्षा उद्योग विकास बैठक में परिचर्चा के दौरान बीईएल द्वारा भारतीय नौसेना को दिए गए योगदान पर प्रस्तुतीकरण देते हुए श्री एम वी गौतमा, सीएमडी



रक्षा उद्योग विकास बैठक में उत्कृष्ट पूर्तिकर्ता पुरस्कार देते हुए श्री एम वी गौतमा, सीएमडी



चेन्नै यूनिट द्वारा समन्वित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (तमिलनाडु) में बोलते हुए श्री राजीव कुमार सेन, आर्थिक सलाहकार, डीडीपी, र.मं.



एमएसएमई सिम्पोजियम संस्मान, चेन्नै द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एमएसएमई पूर्तिकर्ता विकास सम्मेलन में भाग लेते तमिलनाडु राज्य से आए पूर्तिकर्ता



बीईएल के मेक इन इंडिया प्रदर्श कक्ष में प्रदर्शित उत्पादों को देखते हुए पूर्तिकर्ता

सशक्त बनाते हुए

राष्ट्र के रक्षा बलों को


















भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
(सीआईएन – L32309KA1954GOI000787)
पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय,
आउटर रिंग रोड, नागवारा
बेंगलूरु – 560 045, भारत

फ़ोन : +91-80-2503 9300
+91-80-6700 9300
फैक्स : : +91-80-2503 9266
ई-मेल : secretary@bel.co.in
वेबसाइट : www.bel-india.in
टॉल फ्री : 1800 425 0433